# वार्षिक प्रतिवेदन

# Annual Report

2011 - 12

State Bank of Bikaner & Jaipur

एस बी बी जे

50

2012 - Golden Jubilee Year

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR

Leading Innovations

Simplifying Banking

**निदेशक मण्डल की सभा का दृश्य।**

View of the Meeting of the Board of Directors

## सूचना

### स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर

**प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, 'सी'-स्कीम,**
**जयपुर-302 005**

एतद्द्वारा सूचना दी जाती हैं कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अंशधारकों की 51वी वार्षिक साधारण सभा **महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम, भारतीय विद्या भवन, के. एम. मुंशी मार्ग, ओ.टी.एस. के सामने, जयपुर में गुरूवार दिनांक 24 मई 2012 को पूर्वान्ह 11.30 बजे** (भारतीय मानक समय) आयोजित की जायेगी जिसमें 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि खाता, इसी अवधि में बैंक के कार्यकरण एवं क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल के प्रतिवेदन तथा तुलन-पत्र व लेखों के सम्बन्ध में संपरीक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार कर पारित किया जायेगा।

बैंक के अंशधारकों का रजिस्टर गुरूवार दिनांक 17 मई, 2012 से बुधवार दिनांक 23 मई, 2012 तक (दोनों दिन मिलाकर) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की वार्षिक साधारण सभा हेतु बन्द रहेगा।

मण्डल के आदेशानुसार

जयपुर
दिनांक: 21 अप्रैल, 2012

**शिव कुमार**
प्रबन्ध निदेशक

## NOTICE

### STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR

**Head Office, Tilak Marg, 'C'-Scheme,**
**Jaipur-302 005**

NOTICE is hereby given that the Fifty-first Annual General Meeting of the Shareholders of State Bank of Bikaner and Jaipur will be held in the **Maharana Pratap Auditorium, Bharatiya Vidya Bhavan, K. M. Munshi Marg, Opp. O.T.S., Jaipur - 302015 on Thursday, the 24th May, 2012 at 11.30 A.M.** (Indian Standard Time) to discuss and adopt the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts for the period 1st April, 2011 to 31st March, 2012.

The register of shareholders of the Bank shall remain closed from Thursday, the 17th May, 2012 to Wednesday, the 23rd May, 2012 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting for the year ended 31st March, 2012.

By Order of the Board

Jaipur
Dated: 21st April, 2012

**Shiva Kumar**
Managing Director

# विषय-सूची CONTENTS


| | |
|---|---|
| उल्लेखनीय तथ्य<br>Highlights | 03<br>03 |
| निदेशक मण्डल<br>Board of Directors | 04<br>04 |
| निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन<br>Directors' Report | 06<br>07 |
| बासेल-II प्रकटीकरण<br>Basel-II Disclosures | 76<br>77 |
| लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन<br>Auditors' Report | 114<br>115 |
| तुलन-पत्र<br>Balance Sheet | 118<br>118 |
| लाभ-हानि खाता<br>Profit & Loss Account | 120<br>120 |
| अनुसूचियां<br>Schedules | 122<br>122 |
| प्रमुख लेखा नीतियां<br>Principal Accounting Policies | 134<br>135 |
| खातों पर टिप्पणियाँ<br>Notes on Accounts | 148<br>149 |


## उन्नति का एक दशक 2003-2012
## A Decade of Progress 2003-2012

(₹ करोड़ में)
***(₹in Crore)***

| संकेतक ***Indicators*** | पूँजी एवं आरक्षितियां ***Capital & Reserves*** | कुल व्यवसाय ***Total Business*** | परिचालन लाभ ***Operating Profit*** | निवल लाभ ***Net Profit*** | शाखाओं की संख्या ***No. of Branches*** | प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय ***Average Business per Employee*** | प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹लाख में) ***Net Profit per Employee (₹In lakh )*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मार्च ***March 2003*** | ***903.45*** | ***20391*** | ***440.85*** | ***203.28*** | ***804*** | ***1.46*** | ***1.63*** |
| मार्च ***March 2004*** | ***1148.57*** | ***25457*** | ***681.35*** | ***301.52*** | ***812*** | ***1.70*** | ***2.44*** |
| मार्च ***March 2005*** | ***1297.68*** | ***31294*** | ***729.64*** | ***205.65*** | ***824*** | ***2.20*** | ***1.69*** |
| मार्च ***March 2006*** | ***1405.66*** | ***37790*** | ***481.03@*** | ***145.03*** | ***832*** | ***2.77*** | ***1.20*** |
| मार्च ***March 2007*** | ***1653.71*** | ***49246*** | ***679.20@*** | ***305.80*** | ***844*** | ***3.56*** | ***2.57*** |
| मार्च ***March 2008*** | ***1713.21*** | ***59427*** | ***661.18@*** | ***315.00*** | ***850*** | ***4.45*** | ***2.73*** |
| मार्च ***March 2009*** | ***2046.47*** | ***69312*** | ***892.84@*** | ***403.45*** | ***860*** | ***5.55*** | ***3.55*** |
| मार्च ***March 2010*** | ***2417.40*** | ***81622*** | ***903.73@*** | ***455.16*** | ***861*** | ***6.28*** | ***3.96*** |
| मार्च ***March 2011*** | ***2850.81*** | ***95596*** | ***1140.25@*** | ***550.88*** | ***902*** | ***7.51*** | ***4.84*** |
| मार्च ***March 2012*** | ***4164.88*** | ***111558*** | ***1489.61@*** | ***652.03*** | ***950*** | ***8.27*** | ***5.42*** |

@ निवेशों के मूल्यांकन के लिए भारिबैं द्वारा जारी पुनरीक्षित दिशानिर्देशों को दृष्टिगत करते हुए।
***Keeping in view revised RBI guidelines on valuation of investments.***

# उल्लेखनीय तथ्य
# HIGHLIGHTS

(₹करोड़ में)
***(₹in Crore)***

| | | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|
| कुल व्यवसाय अन्तर-बैंक जमाओं सहित ***Total Business including inter-bank deposits*** | | 95596 | 111558 |
| जमाराशियाँ ***Deposits*** | | 53852 | 61572 |
| कुल अग्रिम ***Total Advances*** | | 41744 | 49986 |
| अग्रिम (निवल) ***Advances (Net)*** | | 41207 | 49244 |
| निवेश (निवल) ***Investments (Net)*** | | 13521 | 16669 |
| निवल लाभ ***Net Profit*** | | 550.88 | 652.03 |
| जमाओं की लागत ***Cost of Deposits*** | | 5.81% | 6.85% |
| अग्रिमों पर आय ***Yield on Advances*** | | 10.30% | 11.51% |
| निवल ब्याज अन्तर ***Net Interest Margin*** | | 3.38% | 3.70% |
| प्रदत्त पूँजी एवं आरक्षितियाँ ***Paid-up Capital & Reserves*** | | 2850.81 | 4164.88 |
| प्रति अंश आय (₹ में) ***Earning per Share (in ₹)*** | | 101.53 | 95.05 |
| प्रति अंश पुस्तक मूल्य (₹ में) ***Book Value per Share ( in ₹)*** | | 570.16 | 594.98 |
| पूँजी पर्याप्तता अनुपात ***Capital Adequacy Ratio*** | बासेल-I के अनुसार ***As per Basel-I*** | 11.32% | 12.81% |
| | बासेल-II के अनुसार ***As per Basel-II*** | 11.68% | 13.76% |
| लाभांश दर ***Dividend Rate*** | | 164% | 145% |
| सकल गैर-निष्पादित आस्तियां ***Gross Non Performing Assets*** | | 835.40 | 1651.47 |
| सकल गैर-निष्पादित आस्तियां प्रतिशत ***Gross NPA %*** | | 2.0% | 3.30% |
| निवल गैर-निष्पादित आस्तियां प्रतिशत ***Net NPA %*** | | 0.83% | 1.92% |
| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम ***Advances to Priority Sectors*** | | 15112 | 17690 |
| कृषि क्षेत्र को अग्रिम ***Advances to Agriculture*** | | 7316 | 9032 |
| सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अग्रिम ***Advances to Micro and Small Enterprises*** | | 4878 | 6478 |
| निर्यात वित्त ***Export Finance*** | | 1890 | 1931 |
| शाखाओं की कुल संख्या ***Total number of branches*** | | 902 | 950 |
| कर्मचारियों की संख्या ***Number of Employees*** | | 11946 | 12866 |
| प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय ***Average Business per Employee*** | | 7.51 | 8.27 |
| प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ लाख में) ***Net Profit per Employee (₹ in lakh)*** | | 4.84 | 5.42 |

# निदेशक मण्डल (31 मार्च, 2012 को)

| | |
|---|---|
| श्री प्रतीप चौधरी<br>अध्यक्ष,<br>भारतीय स्टेट बैंक,<br>कारपोरेट सेन्टर, मेडम कामा रोड्,<br>मुम्बई - 400 021 | भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन पदेन अध्यक्ष |
| श्री शिव कुमार<br>प्रबन्ध निदेशक,<br>स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर,<br>प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग,<br>जयपुर 302005 | अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (एए) के अधीन मनोनीत |
| श्री राजेश वर्मा<br>मुख्य महाप्रबन्धक, ग्राहक सेवा विभाग,<br>भारतीय रिज़र्व बैंक,<br>अमर बिल्डिंग, प्रथम तल,<br>सर पी एम रोड, फोर्ट,<br>मुम्बई - 400 001 | अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मनोनीत |
| श्री श्यामल आचार्य<br>उप प्रबन्ध निदेशक एवं जी.ई.,<br>(ए एवं एस ग्रुप),<br>भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर,<br>मुम्बई - 400 021 | अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत |
| श्री ए.के. देब<br>मुख्य महाप्रबन्धक, (ए एवं एस ग्रुप),<br>भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर,<br>मुम्बई - 400 021 | अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत |
| श्री बी. रमेश बाबू<br>उप महाप्रबन्धक, (ए एवं एस),<br>सहयोगी बैंक विभाग,<br>भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर<br>मुम्बई - 400 021 | अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत |
| श्री राजेश टी. मनुबरवाला<br>9, अमीजाधव बंगलों, आशिष होटल के पास, एबीसी चौकड़ी भरूच - 392001 | अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत |
| श्री भारत रतन<br>बी. रतन एण्ड एसोसियेट्स् दुकान सं. 408-409, महक टावर, कैलाश सिनेमा रोड, सिविल लाइस, लूधियाना - 141001 | अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत |
| श्री अरुण कुमार सराफ<br>प्रबन्ध निदेशक, ज्यूनिपर होटलस् प्रा. लि.,<br>ग्रांड हयात मुम्बई, शान्ताक्रूज<br>मुम्बई - 400 005 | अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन चयनित निदेशक |
| श्री संजीव शर्मा<br>द्वारा क्वॉण्टम बैंकिंग<br>रिसोर्सेज सेन्टर (प्रा.) लि., ए-703,<br>'समुद्रा' टेलीफोन एक्सचेंज के पास, सी जी रोड के सामने आहमदाबाद-380 006 | अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत |
| श्री कुनाल डालमिया<br>लिन्डसे टॉवर, नवम तल, 13,<br>नेलीसेन गुप्ता सारनी, कोलकाता-700087 | अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन चयनित निदेशक |
| श्री अमरीक सिंह<br>अवर सचिव, भारत सरकार,<br>वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग,<br>(बैंकिंग प्रभाग) तृतीय तल, जीवन द्वीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 | अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ई) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत |
| श्री राजेन्द्र कुमार शाह<br>1346, अजव घर का रास्ता,<br>किशनपोल बाजार, जयपुर - 302003 | अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2ए) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सीबी) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत |
| श्री डी.के. जैन<br>एकल खिडकी परिचालक,<br>स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर,<br>अ.का., पटेल सर्किल, उदयपुर 313001 | अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2ए) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सीए) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत |

# BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31st March, 2012)

| | |
|---|---|
| **Shri Pratip Chaudhuri**<br>Chairman<br>State Bank of India,<br>Corporate Centre, Madame Cama Road, Mumbai-400021 | Chairman, ex-officio under clause (a) of sub-section (1) of section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959. |
| **Shri Shiva Kumar**<br>Managing Director<br>State Bank of Bikaner and Jaipur,<br>Head Office,<br>Tilak Marg, Jaipur - 302 005 | Nominated under clause (aa) of sub-section (1) of section 25 of the Act. |
| **Shri Rajesh Verma**<br>Chief General Manager Customer Service Deptt, Reserve Bank of India, Amar Building, Ist Floor, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai-1 | Nominated by the Reserve Bank of India under clause (b) of sub-section (1) of section 25 of the Act. |
| **Shri Shyamal Acharya**<br>Dy. Managing Director & G.E.,<br>(A & S Group),<br>State Bank of India,<br>Corporate Centre,<br>Mumbai - 400 021 | Nominated by the State Bank of India under clause (c) of sub-section (1) of section 25 of the Act. |
| **Shri A.K. Deb**<br>Chief General Manager (A & S Group), State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai | Nominated by the State Bank of India under clause (c) of sub-section (1) of section 25 of the Act. |
| **Shri B. Ramesh Babu**<br>Dy. General Manager (A&S),<br>Associate Banks Department,<br>State Bank of India,<br>Corporate Centre, Mumbai-400021 | Nominated by the State Bank of India under clause (c) of sub-section (1) of section 25 of the Act. |
| **Shri Rajesh T. Manubarwala**<br>9, Amijadav Bunglows, Near Hotel Ashish, ABC Chokdi,<br>Bharuch -392001 | Nominated by the State Bank of India under clause (c) of sub-section (1) of section 25 of the Act. |
| **Shri Bharat Rattan**<br>B. Rattan & Associates,Shop No. 408-409, Mahak Tower, Kailash Cinema Road, Civil Lines<br>Ludhiana-141001 | Nominated by the State Bank of India under clause (c) of sub-section (1) of section 25 of the Act. |
| **Shri Arun K. Saraf**<br>Managing Director, Juniper Hotels Pvt Ltd., Grand Hyatt Mumbai, Santacruz,MUMBAI-400005 | Elected director under clause (d) of sub-section (1) of section 25 of the Act. |
| **Shri Sanjeev Sharma**<br>C/o Quantum Banking Resources Centre(P) Ltd., A-703, "Samudra". Near Telephone Exchange, Off C.G. Road, AHMEDABAD- 380 006 | Nominated by the State Bank of India under clause (d) of sub-section (1) of section 25 of the Act. |
| **Shri Kunal Dalmia**<br>Lindsay Tower, 9th Floor,13, Nelisen Gupta Sarnee,<br>Kolkata-700087 | Elected director under clause (d) of sub-section (1) of section 25 of the Act |
| **Shri Amrik Singh**<br>Under Secretary, Govt. of India, Ministry of Finance, Deptt. of Financial Services (Banking Division), 3rd Floor, Jeevan Deep Bldg., Parliament Street,<br>New Delhi.-110001 | Nominated by the Central Government under clause (e) of sub-section (1) of section 25 of the Act. |
| **Shri Rajendra Kumar Shah**<br>1346, Ajab-ghar Ka Rasta, Kishanpole Bazar,<br>Jaipur-302003 | Nominated by the Central Government under clause (cb) of sub-section (1) of section 25 read with sub section (2A) of section 26 of the Act. |
| **Shri D.K. Jain**<br>S. W. O.,<br>State Bank of Bikaner & Jaipur,<br>Z. O., Patel Circle,<br>Udaipur-313001 | Nominated by the Central Government under clause (ca) of sub- section (1) of section 25 read with sub- section (2A) of section 26 of the Act. |

# निदेशक मण्डल ( 31 मार्च 2012 को )
# BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31st March, 2012)

श्री प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष
**Shri Pratip Chaudhuri**
***Chairman***

श्री शिव कुमार
प्रबन्ध निदेशक
**Shri Shiva Kumar**
***Managing Director***

श्री राजेश वर्मा
**Shri Rajesh Verma**

श्री श्यामल आचार्य
**Shri Shyamal Acharya**

श्री ए.के. देब
**Shri A.K.Deb**

श्री बी. रमेश बाबू
**Shri B. Ramesh Babu**

श्री राजेश टी.मनुबरवाला
**Shri Rajesh T. Manubarwala**

श्री भारत रतन
**Shri Bharat Rattan**

श्री अरुण के. सराफ
**Shri Arun K. Saraf**

श्री संजीव शर्मा
**Shri Sanjeev Sharma**

श्री कुनाल डालमिया
**Shri Kunal Dalmia**

श्री अमरीक सिंह
**Shri Amrik Singh**

श्री राजेन्द्र कुमार शाह
**Shri Rajendra Kumar Shah**

श्री डी.के. जैन
**Shri D.K. Jain**

# भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43(1) के निबन्धनों के तहत भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारत सरकार को निदेशक मंडल का प्रतिवेदन

## प्रतिवेदन की अवधि: 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के निदेशक मंडल को बैंक के 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खातों के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

## प्रबन्धन विचार-विमर्श और विश्लेषण

### आर्थिक परिदृश्य

#### वैश्विक अर्थव्यवस्था

वर्ष 2011-12 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी उतार चढ़ाव देखा गया जो ग्रीस, आयरलैंड, पुर्तगाल, इटली व स्पेन में यूरो संकट के कारण रहा। जिसका असर सिर्फ यूरोपीय देशों पर ही नहीं बल्कि इसने पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया। यह वर्ष आशावादिता एवं चिंता के मिश्रित भावों से परिपूर्ण रहा। एक बड़ी गिरावट के बाद बेहतर अर्थव्यवस्था की आशा बनी है। विश्व बैंक के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। मुद्रास्फीति एक गंभीर चिंता है। चीन और भारत तेजी से विकास कर वैश्विक वृद्धि दर को बढ़ा रहे हैं।

#### भारतीय अर्थव्यवस्था

सांकेतिक जीडीपी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की नौवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय क्षमता (पीपीपी) के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांगों से लाभान्वित हुई है। फिर भी बढ़ती हुई ब्याज दरों से समग्र विकास दर में कुछ कमी की आशंका है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकलन के अनुसार अप्रैल-मार्च 2012 के लिए जीडीपी में 6.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है जो गत वर्ष इस अवधि के लिए 8.6 प्रतिशत थी। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 2011-12 के दौरान 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो गत वर्ष 7.8 प्रतिशत थी।

वर्ष 2011-12 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अच्छा सुधार हुआ है। वर्ष 2011-12 के दौरान भारत के निर्यात में 21 प्रतिशत जबकि आयात में 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय इक्विटी एवं ऋण बाजारों में 18.26 बिलियन यूएस डालर का निवेश किया जो गत वर्ष की आलोच्य अवधि में 32.20 बिलियन यूएस डालर था। इसके अलावा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में अन्तरर्वाह के साथ भारत का विदेशी विनिमय कोष मार्च 2012 में घटकर 294.40 बिलियन अमरीकी डालर रही।

दुनिया भर में वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बहुत से वित्तीय एवं मौद्रिक उपाय किये गये हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मार्च 2010 से तेरह बार अपनी प्रमुख दरों को बढ़ाया है। वर्ष 2011-12 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत वस्तुओं के समूह एवं भारांकन को संशोधित करने के अतिरिक्त भारत सरकार ने आधार वर्ष 1993-94 को बदल कर 2004-05 करते हुए थोक मूल्य सूचकांक की नयी श्रृंखला लागू की है। वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति घटकर मार्च 2012 में 8.80 प्रतिशत हो गयी जो मार्च 2011 में 8.98 प्रतिशत थी। अच्छे मानसून से अप्रभावित रहते हुए मुद्रास्फीति विशेष रुप से उच्च खाद्यान्न मूल्यों के कारण, उच्च स्तर पर बनी रही है। वर्ष 2012-13 के केंद्रीय बजट में एक समान वस्तु एवं सेवा कर को क्रियान्वित करने की प्रस्तावना के रुप में रियायतों को कम करने के साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मानक दर 12 प्रतिशत को बनाये रखा है।

*अल्प संख्यक समुदाय को ऋण वितरण के अवसर पर माननीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नमो नारायण मीना*

***Hon'ble Minister of State (Finance), GoI Shri Namo Narayan Meena on the occasion of Loan Distribution to minority community***

# REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE STATE BANK OF INDIA, THE RESERVE BANK OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF INDIA IN TERMS OF SECTION 43(1) OF THE STATE BANK OF INDIA (SUBSIDIARY BANKS) ACT 1959

## PERIOD COVERED BY THE REPORT: 1ST APRIL 2011 TO 31ST MARCH 2012

The Board of Directors of State Bank of Bikaner and Jaipur have pleasure in presenting this Annual Report together with the audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2012.

## MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

### ECONOMIC ENVIRONMENT

### WORLD ECONOMY

The year 2011-12 has been a year of major turbulence in the global economy triggered by the Euro Crisis, emanating from Greece, Ireland, Portugal and Cyprus and spreading to Italy and Spain, impacting not only Europe but the whole of the world and culminating into an overall economic crisis. The year was replete with a mixed sense of optimism and concerns. The optimism was attributed to a somewhat encouraging 'two speed' recovery in advanced and emerging economies, after a major slump. As per World Bank study, Indian economy is expected to grow faster than China. As inflation has emerged a major concern across the border too, China has seen the back of its fiscal stimulus. China and India have seen rapid growth and have helped push-up the global growth rate.

### INDIAN ECONOMY

The Economy of India is the ninth largest in the world by nominal GDP and the third largest by purchasing power parity (PPP). The Indian economy has benefited from robust domestic demand. However, increasing interest rates are expected to shave off a few basis points from the overall growth rate. As per the estimates made by the Central Statistical Organization, India's GDP is expected to grow by 6.9% during April-March, 2012 compared to the growth of 8.6% in the corresponding period last year. The Index of Industrial Production recorded a growth of 7.0% during 2011-12 compared to 7.8% during previous year.

There has been a good recovery in international trade during 2011-12. India's exports increased by 21% in US dollar terms during April-March 2011-12, while imports registered a growth of 32%. The overall financial crices in Global economy has affected the FII investment as they have invested a net amount of US$ 18.26 billion in Indian equity and Debt markets during April-March 2011-12 compared to an inflow of US$ 32.20 billion in the same period of previous year. This, together with foreign direct investment inflow, has resulted in India's foreign exchange reserves decreasing to US$ 294.40 billion as at the end of March 2012.

Due to global increase in commodity prices, a host of fiscal and monetary measures have been taken by the Government of India and Reserve Bank of India. The Reserve Bank has hiked key rates thirteen times since March 2010 in its bid to check rising inflation. During 2011-12, Government of India launched a new Wholesale Price Index Series by shifting base year from 1993-94 to 2004-05 besides revising the weights and the basket of commodities covered under the WPI. During the year, WPI inflation declined from 8.98% in March 2011 to 8.80% in March 2012. Notwithstanding good monsoons, inflation remained at elevated levels particularly on account of high food prices. The Union Budget 2012-13 has maintained the standard rate of central excise duty at 12% with reduction in exemptions as a prelude to implementation of the Uniform Goods and Service Tax.

*माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जयपुर में ऑन-लाईन ट्रेजरी शाखा के उद्घाटन के अवसर पर*

***Hon'ble Chief Minister Shri Ashok Gehlot on the occasion of inauguration of Online Treasury Branch at Jaipur***

## राजस्थान की अर्थव्यवस्था

राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि एवं पशु-पालन आधारित है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.4 प्रतिशत तथा जनसंख्या का 5.5 प्रतिशत भाग आवृत करते हुए राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (2004-05 की कीमतों पर) में वृद्धि की दर पिछले वर्ष की 11 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011-12 में 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राज्य की स्थिर मूल्यों पर आधारित प्रति व्यक्ति आय में 3.73 प्रतिशत की वृद्धि होकर 2011-12 के दौरान इसके ₹27,421 हो जाने की संभावना है जो गत वर्ष 2010-11 ₹26,436 थी । राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि 76.6 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तथा राज्य की दो तिहाई जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भर है। वर्ष 2011-12 के दौरान औसत से ज्यादा वर्षा के बावजूद गत वर्ष से कृषि उत्पादन कम रहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कृषि उत्पादन लगभग 209.45 लाख टन होने का अनुमान है जो गत वर्ष 235.61 लाख टन था। राज्य के अनेक भागों में भारी शीतलहर के कारण फसल को क्षति हुई जिससे कृषि उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई।

बैंकिंग क्षेत्र में जमाओं में अखिल भारतीय स्तर पर इसी अवधि की 18.29 प्रतिशत की तुलना में जून 2011 तक 17.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साख जमा अनुपात राजस्थान के लिए जून 2011 में 90.76 प्रतिशत रहा जो अखिल भारतीय स्तर पर 75.19 प्रतिशत रहा जबकि जून 2010 में यह राजस्थान और संपूर्ण भारत का क्रमश: 86.67 प्रतिशत एवं 73.94 प्रतिशत रहा।

## वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियां

वर्ष 2011-12, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों में तीव्र वृद्धि का साक्षी रहा है जबकि जमाओं में वृद्धि शिथिल रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमाराशियों एवं अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर जो कि विगत वर्ष में क्रमश: 15.8 प्रतिशत तथा 21.4 प्रतिशत की तुलना में अंत मार्च 2012 में क्रमश: 17.40 प्रतिशत तथा 19.30 प्रतिशत रही। मुद्रास्फीति के उच्च स्तर सहित आर्थिक सुधार के गति पकड़ने के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निरंतर वित्तीय सुधार के उपाय किए हैं। मार्च 2011 से रेपो दर में 175 आधार बिंदुओं की वृद्धि करते हुए 8.5 प्रतिशत की गयी, रिवर्स रेपो दर में 175 आधार बिंदुओं की वृद्धि करते हुए 7.5 प्रतिशत की गयी जबकि आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 125 आधार बिंदुओं की कमी कर इसे 4.75 प्रतिशत किया गया। तथापि वित्तीय प्रणाली में उभरते तरलता दबावों को शिथिल करने के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात 24.0 प्रतिशत रखा गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति उपायों के क्रम में, वर्ष 2011-12 में ब्याज दरें नरम रही। प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली जमा ब्याज दरें मार्च 2011 को 8.25-9.75 प्रतिशत से घटकर मार्च 2012 को 8.00-9.50 प्रतिशत हो गयी। 01 जुलाई 2010 से बैंचमार्क मूल उधार दर प्रणाली (BPLR) के स्थान पर आधार दर प्रणाली प्रभावी हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बेस रेट मार्च 2012 की समाप्ति तक 10 प्रतिशत से 10.75 प्रतिशत रहा।

शेयर बाजार में पूरा वर्ष उतार चढ़ाव रहा। मार्च 2012 की समाप्ति पर बीएसई सेनसेक्स 17404 पर बंद हुआ जो गत वर्ष 2011 की तुलना में 10.5 प्रतिशत कम रहा। वर्ष के दौरान भारतीय रुपया अमरीकी डालर के तुलना में 14.08 प्रतिशत, ब्रिटिश पाउण्ड की तुलना में 14.11 प्रतिशत जापानी येन की तुलना में 14.72 प्रतिशत एवं यूरो की तुलना में 7.64 प्रतिशत गिरा। पूंजी बाजार में सुधार के लिए अनेक कदम उठाये गए जिसमें आईपीओ प्रक्रिया को सरल करना एवं अर्हता प्राप्त-विदेशी निवेशकों को भारतीय बाँड बाजार में काम करने की अनुमति देना शामिल है। वित्तीय समावेशन पर बल तथा विवेकपूर्ण मानदंडों को सुदृढ़ बनाते हुए अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में साख प्रभाव के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु वर्ष के दौरान सतत् उपाय जारी रखे गये। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्न हैं:-

- 01.04.2012 से चैक/ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/बैंकर्स चैक की वैधता अवधि 06 महीने से घटाकर 03 महीने कर दी गयी।
- 25 लाख तक की लागत वाले आवास ऋणों पर 15 लाख की राशि तक 1 प्रतिशत तक सरकारी ब्याज सहायता का प्रावधान किया गया है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत 01.04.2011 से वैयक्तिक आवास ऋण की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गयी है।
- 09 मई 2011 से बैंकों के लिए नयी तरलता समर्थन प्रणाली हेतु अंतर स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility) लागू की गई है।

*जाने माने क्रिकेटर श्री राहुल द्रविड़ ग्राहक सेवा में गुणवत्ता हेतु: मिशन-पांच का शुभारंभ करते हुए*

***Quality in Customer Service: 'Mission Five' – Eminent Cricketer Shri Rahul Dravid launched the Programme***

## RAJASTHAN ECONOMY

Rajasthan's economy is primarily agricultural and pastoral. Rajasthan is the largest State in the country geographically, covering 10.4% of the total area and 5.5% of the total population in the country. During 2011-12, the Gross State Domestic Product at 2004-05 prices is expected to record a growth of 5.4% as against 11.0% growth recorded in the previous year. The per capita income of the State at constant prices is expected to increase to ₹27,421 during 2011-12, as against ₹26,436 in 2010-11, recording a growth of 3.73%. Agriculture plays an important role in the State's economy since about 76.6% people live in rural and semi-urban areas and two-thirds of the State population depend upon agriculture and allied activities for their livelihood. During 2011-12, even though the State received more than average rainfall, agriculture production was less than the previous year. During the current financial year, total agriculture production is expected to be around 209.45 lakh tonne, against 235.61 lakh tonne in the previous year. The decline in agriculture is due to heavy damage to crop by cold-wave in many parts of the State.

In the Banking sector, the deposits have increased by 17.57% in June, 2011 over the corresponding period compared to 18.29% at the all India level during the same period. The credit deposit ratio was 90.76% in June, 2011 for Rajasthan and at 75.19% at the all India level, whereas in June, 2010 it was 86.67% and 73.94% in Rajasthan and all India level respectively.

## DEVELOPMENTS IN THE FINANCIAL SECTOR

The year 2011-12 witnessed a sharp recovery in the advances growth of scheduled commercial banks (SCBs) while the deposit growth remained muted. The year-on-year growth in aggregate deposits and advances of SCBs stood at 17.4% and 19.3% respectively as at end-March 2012, compared to 15.8% and 21.4% respectively during the previous year. With economic recovery gaining momentum coupled with elevated levels of inflation, RBI undertook a series of monetary tightening measures. Since March 2011, Repo rate has been increased by 175 bp to 8.5%, Reverse Repo rate has been increased by 175 bp to 7.5%, while Cash Reserve Ratio has been decreased by 125 bp to 4.75%. However, SLR requirement has been kept at 24.0% in order to mitigate the liquidity pressures emerging in the financial system.

In line with the monetary policy measures of RBI, interest rates softened during the year 2011-12. The rates of interest on deposits of major banks above one year maturity decreased from 8.25 - 9.75% as at end-March 2011 to 8.00 - 9.50% as at the end-March 2012. With effect from 1st July 2010, the Base Rates replaced Benchmark Prime Lending Rates (BPLRs). The Base Rates of scheduled commercial Banks remained in the range of 10% to 10.75% as at end-March 2012. Equity markets remained volatile during the year. As at end-March 2012, BSE Sensex closed at 17404, recording a decline of 10.5% over end-March 2011 level. During the year, Indian Rupee depriciated by 14.08% against US Dollar, 14.11% against British Pound, 14.72% against Japanese Yen and 7.64% against Euro. Various steps were proposed for amplifying the reforms in the Capital markets that included simplifying process of IPOs, allowing Qualified Foreign Investors (QFIs) to access Indian bond market etc. A series of measures continued to be undertaken during the year to create a conducive environment for flow of credit to productive sectors of the economy with thrust on financial inclusion. Some of the important policy developments during the year were as under:-

- The validity period of cheque / drafts/pay orders/ Banker's cheques reduced from 6 months to 3 months effective from 01.04.2012.
- Interest subvention of 1% on housing loans extended to loans upto ₹15 lakh, where cost of the house does not exceed to ₹25 lakh.
- The eligible limit of housing loans to individuals, sanctioned on or after 01.04.2011, enhanced from ₹20 lakh to ₹25 lakh for classification under priority sector.
- A new liquidity support mechanism for banks in the form of marginal standing facility (MSF) introduced from May 9, 2011.

*सिलवासा में बैंक द्वारा वित्त-पोषित एक कताई इकाई*

***A spinning unit financed by the Bank at Silvassa***

- 01.04.2011 के बाद व्यष्टि वित्त संस्थान हेतु किसी व्यक्ति या एसएचजी/जेएलजी को प्रदत ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वर्गीकृत होंगे तथा संबंधित श्रेणी जैसे कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के तहत होंगे।
- विशिष्ट श्रेणी के एनपीए अग्रिमों व पुन: संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधानों में वृद्धि हुई।
- असफल एटीएम लेनदेन संबंधी शिकायतों के निवारण की समय सीमा को 12 दिनों से घटाकर 07 दिन किया गया।
- भारतीय निवासियों के लिए 25 अक्टूबर 2011 से बचत जमा दर को अविनियमित किया गया है बशर्ते:-

अ ₹1 लाख तक के बचत जमा पर एक समान दर रखी जायेगी।

ब ₹1 लाख से ऊपर की बचत जमा पर विभेदक दर प्रभावी होगी।

परंतु उसी तिथि को स्वीकार की गई राशि की समान राशि की बचत जमा पर भी वही दर लागू होगी।

- निजी क्षेत्र के बैंक भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरह केंद्रीय/प्रांतीय सरकारी कारोबार का संचालन कर सकेंगे (जहाँ आरबीआई एजेंसी कमीशन का भुगतान करेगा)
- 13 फरवरी 2012 को कारोबार की समाप्ति के बाद तकनीकी समायोजन के रुप में बैंक रेट को 6.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष किया गया। जिसे अंतर स्थायी सुविधा (MSF) दर के साथ समन्वित कर तरलता समायोजन सुविधा के तहत रेपो रेट से संबंद्ध किया गया।
- मोबाइल बैंकिंग हेतु कोष अंतरण एवं वस्तु/सेवाओं के क्रय हेतु लेनदेन की ₹50,000 प्रति ग्राहक/प्रतिदिन की सीमा को हटा दिया गया है।

## संभावनाएं, चुनौतियां एवं परिदृश्य

केंद्रीय बजट 2012-13 में वर्ष 2012-13 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 7.6 प्रतिशत (+/- 0.25%) वृद्धि का अनुमान रखा गया है जिससे बैंकिंग प्रणाली में साख एवं अन्य सेवाओं की मांग में वृद्धि होने की आशा है। वर्ष 2010-11 में व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा 2000 से ज्यादा के आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु 'स्वाभिमान' का शुभारंभ किया गया। मार्च 2012 तक 73,000 बस्तियों को चिह्नित किया गया था जिसमें लगभग 70,000 बस्तियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही 2.55 करोड़ लाभार्थियों के खाते चालू कर दिए गए हैं। अगले चरण में इन बस्तियों के लिए अति सूक्ष्म शाखाओं की स्थापना की गयी है। जहाँ व्यवसाय प्रतिनिधि नकदी लेन देन कर बैंकिंग सेवा प्रदान करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय मजबूती के लिए ₹15,888 करोड़ की पूंजी प्रदान की गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन जुटाने हेतु वित्तीय नियंत्रक कंपनी के निर्माण की संभावनाएं भी विचाराधीन है। वर्ष 2012-13 में केंद्रीयकृत रुप में 'अपने ग्राहक को जानिए' निक्षेपागार बनाया जायेगा जिससे पंजीकरण की बहुलता एवं तिथियों के अद्यतन को टाला जा सकेगा।

ऐसा अनुमान है कि 2012-13 के दौरान मुद्रास्फीति अधिक स्वीकार्य स्तर तक नीचे आयेगी। जिससे ब्याज दरों में स्थायित्व आयेगा। वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत होने का अनुमान है जो वर्ष 2011-12 में 5.9 प्रतिशत था। इस घाटे का वित्त पोषण दिनांकित प्रतिभूतियों से ₹4.79 लाख करोड़ की निवल बाजार उधारी द्वारा किया जायेगा। इसके साथ 2012-13 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टाक जीडीपी का 45.5 प्रतिशत होगा जबकि तेरहवीं वित्त आयोग का लक्ष्य जीडीपी का 50.5 प्रतिशत का है। 2012-13 के लिए प्रभावी राजस्व घाटा ₹1,85,752 करोड़ है जो जीडीपी का 1.8 प्रतिशत है।

बैंक के समक्ष राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बाजार अंश में सुधार करने सहित स्थिर एवं कम लागत के दीर्घावधि जमा आधार को महत्व देने, आस्ति गुणवता बनाये रखने, व्यवसाय एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक का अनुकूलतम उपयोग, परिष्कृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली का विकास, निवल ब्याज अन्तर में वृद्धि, गैर-कोषीय व्यवसाय को बढ़ाने, ग्राहक सेवाओं में और सुधार तथा उच्च स्तरीय कॉरपोरेट अभिशासन व्यवहारों का अभिग्रहण करने पर जोर देने को प्रमुख चुनौतियां निरन्तर बनी हुई हैं।

*बैंक द्वारा वित्त-पोषित जयपुर को एक विद्यालय* ***A School Financed by the Bank at Jaipur***

- Bank credit to micro finance institutions (MFIs), extended on or after 01.04.2011 for on-lending to individuals and also to members of SHGs/JLGs, made eligible for categorization as Priority Sector advance under respective categories viz. agriculture, micro and small enterprises etc.
- The provisioning requirement on certain category of NPA advances and restructured advances increased.
- The time limit reduced from 12 working days to 7 working days for resolution of complaints regarding failed ATM transactions.
- Savings Bank deposit rate for Indian residents deregulated from October 25, 2011 with the condition that (a) Uniform rate would be offered to Savings Bank deposits upto ₹1 lakh (b) Differential interest rate may be provided for saving bank deposits over ₹1 lakh, subject to the condition that same rate would be offered to deposits of similar amount accepted on the same date.
- Private sector banks made eligible to handle any Central/State Government business (where RBI pays agency commission) at par with public sector banks.
- As a technical adjustment, the Bank Rate increased from 6.0% to 9.5% per annum from the close of business on February 13, 2012 by realigning it with marginal standing facility (MSF) rate which, in turn, is linked with repo rate under liquidity adjustment facility.
- For mobile banking transaction, the cap of ₹50,000 per customer per day for both funds transfer and transaction involving purchase of goods/ services removed.

## OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND OUTLOOK

The Union Budget 2012-13 has placed the GDP growth projections for 2012-13 at 7.6% (+/- 0.25%), which is expected to boost the demand for credit and other services from the banking system. In 2010-11, "Swabhimaan" campaign was launched to extend banking facilities through Business Correspondents to habitations having population in excess of 2000. Out of 73,000 identified habitations that were to be covered by March, 2012, about 70,000 habitations have been provided with banking facilities. With this, over 2.55 crore beneficiary accounts would have been operationalised. As a next step, Ultra Small Branches have been set up at these habitations, where the Business Correspondents would deal with cash transactions. To protect the financial health of Public Sector Banks and Financial Institutions, ₹15,888 crore have been provided for capitalization. The possibility of creating a financial holding company to raise resources to meet the capital requirement of PSU Banks is also under examination. A central "Know Your Customer" depository will be developed in 2012-13 to avoid multiplicity of registration and date upkeep.

It is expected that, during 2012-13, inflation would decline to more acceptable levels which would impart some stability in the matter of interest rates. The fiscal deficit has also been projected lower at 5.1% in 2012-13 compared to 5.9% in the year 2011-12. The net market borrowings through dated securities to finance this deficit is ₹4.79 lakh crore. With this, the total Debt stock at the end of 2012-13 would work out at 45.5% of GDP as compared to the Thirteenth Finance Commission target of 50.5% of GDP. The Effective Revenue Deficit in BE 2012-13 works out to ₹1,85,752 crore which is 1.8% of GDP.

The foremost challenges before the Bank continues to be improving its market share both in the State of Rajasthan and on an all-India basis with emphasis on maintaining asset quality, utilizing advanced technology for increase in business and profitability, improving risk management systems, increasing net interest margin, increasing non-fund based business sizably and achieving further improvement in the customer service by adopting best Corporate Governance practices.

*बैंक द्वारा वित्त-पोषित नई दिल्ली का एक अस्पताल*

***A Hospital financed by the Bank in New Delhi***

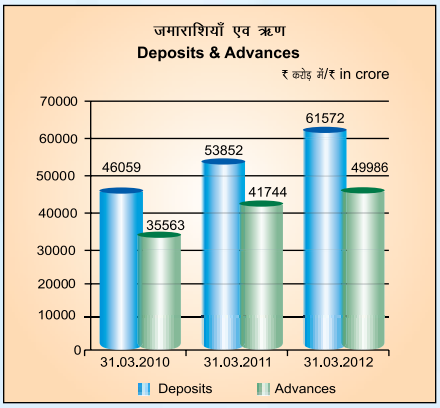


## निगमित परिचालन

### व्यवसाय निष्पादन

बैंक का समग्र व्यवसाय (जमाराशियाँ एवं सकल अग्रिम) ₹15,962 करोड़ (16.70 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए अन्त-मार्च 2012 को ₹1,11,558 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँच गया है, जो कि अन्त-मार्च 2011 को ₹95,596 करोड़ था। कुल जमाराशियाँ अन्त-मार्च 2012 तक ₹7,720 करोड़ (14.34 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹61,572 करोड़ के स्तर पर जा पहुँची है, जबकि सकल अग्रिम ₹8,242 (19.74 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹49,986 करोड़ के स्तर तक पहुँच गये हैं। जमाराशियों की लागत वर्ष 2010-11 की 5.81 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 6.85 प्रतिशत हो गई है, जबकि अग्रिमों पर आय सुधर कर 10.30 प्रतिशत से 11.51 प्रतिशत हो गई।

### कोष एवं निवेश

वर्ष के दौरान सामान्यत: अपर्याप्त तरलता बनी रही और बैंक ने तरलता प्रबंधन के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), मांग मुद्रा तथा कोलेट्रलाइज्ड बोरोइंग एन्ड लेण्डिंग ओब्लिगेशन (सीबीएलओ) प्लेटफॉर्मस का उपयोग किया। पारंपरिक रुप से, हमारा बैंक मुद्रा बाजार का एक निवल उधारदाता रहा है, परंतु इस वर्ष, अपर्याप्त तरलता स्थितियों के कारण हम निवल उधारकर्ता रहे। जब भी अल्पावधि कोषों की उपलब्धता रही, समग्र आय में सुधार हेतु उनका अभिनियोजन तरल म्युचुअल फंडों एवं जमा-प्रमाण पत्रों में किया गया। वर्ष के प्रथम अर्द्धभाग में सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में रिकॉर्ड सरकारी उधारी कार्यक्रम एवं मुद्रास्फीति के बढ़ते स्तर के कारण मंदी का माहौल रहा। 10 वर्षीय बैंचमार्क सरकारी प्रतिभूति पर आय अन्त-मार्च 2011 में 7.98 प्रतिशत से बढ़कर मध्य-नवम्बर 2011 में 8.97 प्रतिशत हो गई। परिणामस्वरुप, एचटीएम श्रेणी की सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय द्वारा लाभ प्राप्ति के अवसर क्षीण हो गये क्योंकि आय 99 आधार बिंदुओं से बढ़ा। तथापि व्यापार लाभ में वृद्धि करने हेतु इन्ट्रा-डे व्यापार की संभावनाओं का उपयोग किया गया।

पिछली तिमाही के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों की अनुकूल टिप्पणियों से, तंत्र में अपर्याप्त तरलता में कमी लाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खुले बाजार क्रियाकलापों के अंतर्गत क्रय करने, मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट ने ब्याज दर वृद्धि आदि में संभावित कमी होने की आशा जगने से बाजार सकारात्मक हुआ है तथा जिससे बैंक को खुले बाजार क्रियाकलापों के माध्यम से लाभ अर्जित करने में सहयोग किया। बैंक ने उच्चतर सांविधिक तरलता अनुपात का उपयोग विभिन्न मुद्रा बाजारों में उपलब्ध अंतरपणन संभावनाओं से लाभ उठाने में किया। वर्ष के अधिकांश भाग में सकल घरेलू उत्पाद में लगातार धीमी वृद्धि, नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा सहित नकारात्मक यूरोपीय समाचारों तथा अमरीकी सम्प्रभुता की दरों में गिरावट के कारण शेयर बाजार नकारात्मक क्षेत्र में रहा। तथापि विदेशी बाजारों से सकारात्मक खबरे आने तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से लगातार खरीद करने के कारण शेयर बाजारों ने हरे निशान में रहकर ऊपर की ओर रुख किया। यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में भी स्थायित्व के चिन्ह दिखने लगे तथा निवेशक यूरोक्षेत्र के देशों में राजकोषीय समेकन उपायों की सराहना कर रहे हैं। बैंक ने अच्छे रिकार्ड/मौलिक रुप से सुदृढ़ कंपनियों के आइपीओ / एफपीओ में निवेश किया है तथा अधिकतम आय प्राप्ति हेतु द्वितीयक बाजारों में भी व्यापार किया है।

बैंक के निवल निवेश अन्त-मार्च 2011 के ₹13,521 करोड़ से बढ़कर अन्त-मार्च 2012 को ₹16,669 करोड़ हो गये। निवेशों से आय, लाभों को छोड़कर, वर्ष 2010-11 के 6.90 प्रतिशत से सुधार कर वर्ष 2011-12 में 7.48 प्रतिशत हो गई। समान अवधि में, निवेशों से आय, लाभों सहित, 7.18 प्रतिशत से सुधार कर 7.67 प्रतिशत हो गई।

## वित्तीय गतिविधियां

### निवल ब्याज आय

बैंक की कुल ब्याज आय, वर्ष 2010-11 के ₹4796.48 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹6291.36 करोड़ हो गई, जो कि 31.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। ब्याज खर्च पिछले वर्ष के ₹3026.76 करोड़ की तुलना में 34.47 प्रतिशत से बढ़कर, ₹4069.96 करोड़ हो गया है। निवल ब्याज आय 25.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, वर्ष 2010-11 के ₹1769.72 करोड़ की तुलना में, वर्ष 2011-12 में ₹2221.40 करोड़ हो गई है। निवल ब्याज का अन्तर अन्त मार्च 2011 के 3.38 प्रतिशत से सुधरकर अन्त-मार्च 2012 को 3.70 प्रतिशत हो गया है।

*बैंक की 06 जून 2011 को आयोजित अंशधारकों की 50वीं वार्षिक साधारण सभा*

*50th Annual General Meeting of Share holders held at Jaipur on 6th June 2011*

# CORPORATE OPERATIONS

## BUSINESS PERFORMANCE

The overall business of the Bank (deposits plus gross advances) reached a level of ₹1,11,558 crore as at end-March 2012 as against ₹95,596 core as at end-March 2011, recording a growth of ₹15,962 crore (16.70%). The total deposit increased by ₹7,720 crore (14.34%) to reach a level of ₹61,572 crore while advances increased by ₹8,242 crore (19.74%) to reach a level of ₹49,986 crore by end-March 2012. The cost of deposits of the Bank increased from 5.81% in 2010-11 to 6.85% in 2011-12, while yield on advances improved from 10.30% to 11.51%.

## TREASURY AND INVESTMENTS

During the year, liquidity remained generally tight and the Bank utilized the LAF, Call money and CBLO (Collateralized Borrowing and Lending Obligation) platforms for liquidity management. Traditionally, our Bank used to be a net lender in the money market, but this year, we remained net borrowers due to tight liquidity conditions. Whenever short term surplus funds were available, they were deployed in the liquid mutual funds and certificates of deposit to improve the overall yield. The sentiments in the Government securities market remained bearish in the first half of the year on account of a record Government borrowing programme and elevated level of inflation. The yield on the 10 year Benchmark Government security moved up from 7.98% at end-March 2011 to 8.97% in mid-November 2011. Consequently, chances of profit booking by selling Government securities from HTM category was meager, as the yield moved northwards by 99 basis points. However, opportunities under intra-day trading were utilized for increasing the trading profit.

During the last quarter, favourable comments from various RBI officials, continuation of Open Market Operations (OMO) purchases by the RBI to alleviate the tightness in the systemic liquidity, sharp drop in inflation numbers, which raised the hope of a possible reversal in rate hike etc., moved the market positively and helped the Bank to book profit through OMO. The Bank used higher SLR holdings to take advantage of arbitrage opportunities arising in different money markets. Equity markets remained in the negative territory for most part of the year due to continuous slowdown in GDP growth, policy logjam coupled with series of negative European news and downgrades of US sovereign rating. However, Equity markets were in the green during the last two months tracking positive cues from overseas markets and showed upward momentum on the back of sustained buying activity from Foreign Institutional Investors. Also, European economies were noticing signs of stability and further investors were beginning to appreciate the fiscal consolidation measures under way in Eurozone countries. Bank invested in IPOs/FPO of companies with proven record/sound fundamentals and also undertook trading in the secondary markets to maximize returns.

The Bank's net investments increased from ₹13,521 crore as on 31st March 2011 to ₹16,669 crore as on 31st March 2012. The yield on investments, excluding profits, improved from 6.90% in 2010-11 to 7.48% in 2011-12. The yield on investments, including profits, improved from 7.18% to 7.67% during the same period.

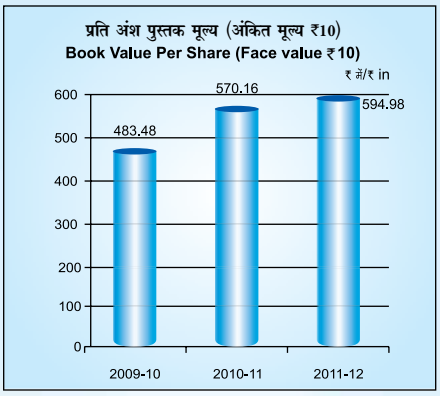


# FINANCIAL HIGHLIGHTS

## NET INTEREST INCOME

The Bank's total interest income increased from ₹4796.48 crore during 2010-11 to ₹6291.36 crore during 2011-12, recording a growth of 31.17%. Interest expenditure increased by 34.47% to ₹4069.96 crore, as against ₹ 3026.76 crore in the previous year. The net interest income recorded a growth of 25.52% to ₹2221.40 crore, as against ₹1769.72 crore in 2010-11. The net interest margin increased from 3.38% for the year ended March 2011 to 3.70% for the year ended March 2012.

*तकनीक आधारित कृषि: बैंक द्वारा वित्त-पोषित एक हारवेस्टर*

***Technology-Based Agriculture: A Harvester financed by the Bank***

## गैर ब्याज आय

बैंक की गैर ब्याज आय वर्ष 2010-11 के ₹639.70 करोड़ से 6.37 प्रतिशत गिरकर वर्ष 2011-12 में ₹598.97 करोड़ रह गई। समीक्षाधीन वर्ष में हुई गिरावट, विगत वर्ष की तुलना में, सरकारी कमीशन में ₹28.30 करोड़, विदेशी विनिमय लेनदेनों से हुई आय में ₹38.64 करोड़, विनियोगों के विक्रय से हुए लाभ में ₹12.59 करोड़ एवं विनिमय/दलाली से ₹4.72 करोड़ की कमी के परिणामस्वरूप हुई। तथापि अन्य कमीशन में ₹44.90 करोड़ की वृद्धि हुई।

## परिचालन व्यय

परिचालन व्यय वर्ष 2010-11 के ₹1269.17 करोड़ से 4.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2011-12 में ₹1330.76 करोड़ हो गए। इसमें से कर्मचारी लागत में 0.86 प्रतिशत की कमी होकर ₹819.82 करोड़ हो गई, जबकि अन्य परिचालन व्यय 15.54 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹510.94 करोड़ हो गए।

## लाभ

बैंक का परिचालन लाभ वर्ष 2010-11 के ₹1140.25 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 में 30.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1489.61 करोड़ हो गया है। निवल लाभ वर्ष 2010-11 के ₹550.88 करोड़ से 18.36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2011-12 में ₹652.03 करोड़ हो गया है।

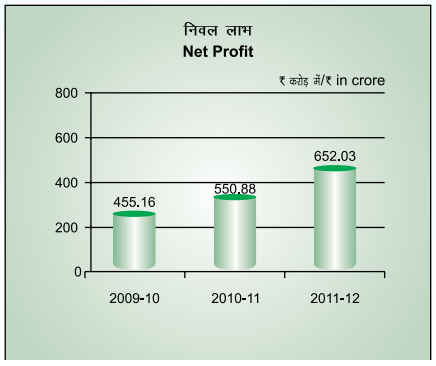


## मुख्य वित्तीय संकेतक

आस्तियों पर अर्जित प्रतिफल पिछले वर्ष के 0.96 प्रतिशत की तुलना में सुधार कर वर्ष 2011-12 के दौरान 0.99 प्रतिशत हो गया है। पूँजी पर प्रतिफल पिछले वर्ष के

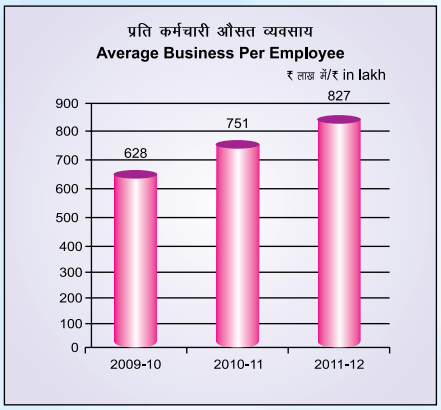


19.32 प्रतिशत से गिर कर 15.66 प्रतिशत हो गया है। प्रति अंश आय वर्ष 2010-11 के ₹101.53 से गिरकर वर्ष 2011-12 में ₹95.05 हो गई है जबकि प्रति अंश पुस्तक मूल्य वर्ष 2010-11 के ₹570.16 से सुधार कर वर्ष 2011-12 में ₹594.98 हो गया है। अन्त-मार्च 2012 को बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात बासेल-I तथा बासेल-II के अनुसार क्रमश: 12.81 प्रतिशत एवं 13.76 प्रतिशत हो गया है, जो अन्त-मार्च 2011 को बासेल-I तथा बासेल-II के अनुसार क्रमश: 11.32 प्रतिशत एवं 11.68 प्रतिशत था। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत के मानदण्ड से अधिक है। औद्योगिक क्षेत्र सहित कृषि क्षेत्र द्वारा निरन्तर दबाव का सामना करने से गैर निष्पादित आस्तियों में वृद्धि के कारण बैंक का सकल गैर निष्पादित आस्ति अनुपात व निवल गैर निष्पादित आस्ति अनुपात अन्त-मार्च 2011 के क्रमश: 2.0 प्रतिशत व 0.83 प्रतिशत से बढ़कर अन्त-मार्च 2012 को क्रमश: 3.30 प्रतिशत व 1.92 प्रतिशत हो गया है। प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय गत वर्ष के ₹751 लाख से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹827 लाख हो गया है। प्रति कर्मचारी निवल लाभ वर्ष 2010-11 के ₹4.84 लाख से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹5.42 लाख हो गया है। प्रति शाखा औसत व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹ 94.72 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹104.73 करोड़ हो गया है।

## लाभांश

बैंक द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान गत वर्ष 164 प्रतिशत यथा ₹16.40 प्रति शेयर के मुकाबले 145 प्रतिशत यथा ₹14.50 प्रति इक्विटी शेयर (शेयर का अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर) अंतरिम लाभांश घोषित किया गया। शेयरधारकों की अंतरिम लाभांश पात्रता हेतु रिकॉर्ड तिथि 27 मार्च, 2012 थी। अंतरिम लाभांश को अंतिम लाभांश माना जायेगा।

## साख प्रबंधन

वर्ष 2011-12 के दौरान आर्थिक उन्नति के समरुप कुल मिलाकर ऋण मांग में आधिक्य की प्रवृति बनी रही। तथापि बैंक ने गुणवत्तायुक्त साख वृद्धि और तीव्रतर ऋण सुपुर्दगी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कृषि, लघु एवं मध्यम उद्यमों एवं आधारभूत क्षेत्र में वित्तीयन को विशेष महत्व देते हुए बड़े निकायों पर बल देना जारी रखा। बैंक के अग्रिम वर्ष 2010-11 में हुई 17.40 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान 19.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

बैंक के व्यावसायिक एवं संस्थागत (सी एण्ड आई) ऋणों में (खाद्य ऋणों के अतिरिक्त) ₹4,978 करोड़ (23.44 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि गैर व्यावसायिक एवं संस्थागत खण्ड, जिसमें वैयक्तिक खण्ड, लघु व्यवसाय एवं कृषि ऋण सम्मिलित हैं, के ऋणों में वर्ष 2011-12 में ₹3,205 करोड़ (16.34 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। आधारभूत विकास यथा उर्जा, सड़क, बन्दरगाह तथा पैट्रोलियम सहित अन्य क्षेत्र यथा इस्पात, वस्त्र व गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को ऋण प्रदान किये जाने के प्रति मुख्य प्रेरक बना रहा है।

वर्ष के दौरान वर्तमान ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरुप साख सीमाओं में वृद्धि किये जाने के साथ व्यावसायिक एवं संस्थागत खण्ड में उच्च मूल्य वर्ग के 122 नये ग्राहकों को ₹9,430 करोड़ की साख सुविधाएं स्वीकृत की गई। प्रधान कार्यालय में बैंक की व्यवसाय प्रक्रिया पुन: अभियांत्रिकी परियोजना के अंतर्गत उच्च मूल्य वर्ग के ग्राहकों के लिए स्थापित किये गए केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्र (सीपीसी) ने उच्च मूल्य वर्ग के ऋण प्रस्तावों का त्वरित मूल्यांकन/आंकलन जारी रखा।

वर्तमान प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजार के परिदृश्य

## NON INTEREST INCOME

The non-interest income of the Bank declined by 6.37% from ₹639.70 crore in 2010-11 to ₹598.97 crore during 2011-12. The decline during the year under review, as compared to the last year, is on account of decrease of ₹28.30 crore in Government Commission, ₹38.64 crore in profit on forex turnover, ₹12.59 crore in profit on sale of investments and ₹4.72 crore in exchange/brokerage. However, other commission has been increased by ₹44.90 crore.

## OPERATING EXPENSES

The operating expenses recorded a growth of 4.85% from ₹1269.17 crore in 2010-11 to ₹1330.76 crore during 2011-12. Of this, employee costs decreased by 0.86% to ₹819.82 crore, while other operating expenditure increased by 15.54% to ₹510.94 crore.

## PROFIT

During 2011-12, the operating profit increased to ₹1489.61 crore, recording a growth of 30.64% as against ₹1140.25 crore in the previous year. The net profit recorded a growth of 18.36% from ₹550.88 crore in 2010-11 to ₹652.03 crore in 2011-12.

## KEY FINANCIAL INDICATORS

The Return on Assets of the Bank stood at 0.99% during 2011-12 as against 0.96% in the previous year. The return on equity decreased to 15.66% as against 19.32% in the previous year. The earnings per share also decreased from ₹101.53 in 2010-11 to ₹95.05 in 2011-12, while the book value per share improved from ₹570.16 in 2010-11 to ₹594.98 in 2011-12. As at end-March 2012, the capital adequacy ratio of the Bank stood at 12.81% and 13.76% as per Basel I and II norms respectively, as against 11.32% and 11.68% as per Basel I and II norms respectively, as at end-March 2011. This was well above the RBI benchmark of 9%. Due to rise in NPAs on account of continued stress faced by the industrial sector coupled with agriculture NPAs, the Bank's Gross NPA ratio and Net NPA ratio increased from 2.0% and 0.83% respectively as at end-March 2011 to 3.30% and 1.92% respectively, as at end-March 2012. The average business per employee increased to ₹827 lakh during 2011-12, as against ₹751 lakh in the previous year. The net profit per employee improved to ₹5.42 lakh during 2011-12, compared to ₹4.84 lakh during 2010-11. The average business per branch increased to ₹104.73 crore during 2011-12, as against ₹94.72 crore in the previous year.

## DIVIDEND

During the year 2011-12, the Bank declared an Interim Dividend of 145% i.e. ₹14.50/- per equity share (face value of share ₹10 per share) as against 164% i.e. ₹16.40 per share. Record date for ascertainment of entitlement of shareholders for interim dividend was 27th March, 2012. Interim dividend may be treated as Final dividend.

## CREDIT MANAGEMENT

The overall credit demand remained buoyant during the FY 2011-12, in line with the economic recovery. However, the Bank continued to focus on qualitative credit growth and faster credit delivery with emphasis on Agricultural sector, Small & Medium Enterprises (SMEs) and Large Corporates with further emphasis on financing to infrastructure sector. Total advances of the Bank grew by 19.74% during 2011-12, as against a growth of 17.40% during 2010-11.

The Bank's Commercial & Institutional (C&I) segment advances (other than food credit) registered a growth of ₹4,978 crore (23.44%), while non-C&I segment comprising personal, small business and agriculture advances increased by ₹3,205 crore (16.34%) during 2011-12. The impetus of financing remained mainly towards infrastructure development, such as power, road, ports and petroleum, besides other sectors such as steel, textiles and non-banking finance companies.

During the year, the Bank sanctioned credit facilities aggregating ₹9,430 crore to 122 high value new customers under C&I segment, besides enhancing credit limits to the existing customers based on their requirements. Centralized Processing Cell (CPC), set up at Head Office for high value advances under Business Process Re-engineering initiative of the Bank, continued to appraise/ assess the advance proposals of high value promptly.

In view of the prevailing competitive market scenario, closer interaction and regular meetings by the Top Management with high value

*किसान क्रेडिट कार्ड: श्रीगंगानगर जिले में किसान क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह में मुख्य महाप्रबन्धक श्री अरूण बिसारिया*

***Kissan Credit Card: Shri Arun Bisaria, CGM at a KCC distribution function in Sriganganagar District***

को ध्यान में रखते हुए बड़े केन्द्रों यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, उदयपुर तथा भीलवाड़ा में उच्च मूल्य वर्ग के ग्राहकों के साथ उच्च प्रबंधन वर्ग की आत्मीय वार्त्तायें एवं नियमित बैठकें आयोजित की गई।

## वैयक्तिक बैंकिंग

वर्ष 2011-12 के दौरान, वैयक्तिक खंड जमाओं में वृद्धि के लक्ष्य ₹9,000 करोड़ के विरुद्ध ₹6,114 करोड़ दर्ज की गई जिसके फलस्वरुप वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 20.69 प्रतिशत रही। नये बचत बैंक ग्राहक बढ़ाने के क्रम में विशेष जमा अभियान चलाये गए। ऐसा ही एक अभियान 'आकाश' नाम से 01 सितम्बर 2011 को 500000 नए बचत खाते खोलने हेतु शुरु किया गया। वर्ष के दौरान, गत वर्ष के 9.83 लाख खातों की तुलना में बैंक द्वारा रिकार्ड संख्या 11.36 लाख बचत जमा खाते खोले गये। बैंक वर्ष 2012 को 'स्वर्ण जयंती वर्ष' के रुप में मना रहा है। इस वर्ष को यादगार एवं वृद्धि उन्मुख बनाने हेतु, एक नया उत्पाद "एसबीबीजे-7 स्टार बचत बैंक खाता" की शुरुआत की गई है। इस उत्पाद का लक्ष्य उच्च मालियत व्यक्तियों, युवा एवं तकनीकी सुविधायुक्त उत्पादों द्वारा आकर्षित करना है। वर्ष के दौरान ब्याज दरें भी बाजार परिदृश्य के समान रही।

वैयक्तिक बैंकिंग वर्टिकल के गठन के परिणामस्वरुप, आवास ऋण तथा कार ऋण को गति प्रदान करने हेतु बैंक द्वारा आवास ऋण तथा कार ऋण केंद्रों को आरंभ किया गया जिनके विभागाध्यक्ष क्रमशः सहायक महाप्रबंधक एवं मुख्य प्रबंधक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें प्रधान कार्यालय में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान विशेषीकृत उत्पाद विशेष विपणन इकाई के रुप में आरंभ किया गया है। नये स्वरुप में स्थापित वैयक्तिक खंड विभाग से लाभ उठाने हेतु 22 व्यवसायिक संभाव्य केंद्रो के रुप में नामित किया गया जिनका कार्यक्षेत्र पूरे भारत में बैंक की 248 शाखाओं में है।

वर्ष के दौरान, भावी ग्राहकों को आकर्षित करने एवं प्रौद्योगिकी का अधिकतम लाभ उठाने हेतु, बैंक ने एक अनूठी पहल की है, जो भारतीय बैंकिंग उद्योग में कार लोन 10 मिनट तथा आवास ऋण 20 मिनटों में ऑनलाइन स्वीकृति हेतु अपनी तरह का प्रथम प्रयास है। ये सुविधाएं हमारे बैंक की वेबसाइट 'sbbjbank.com' पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन ऋण आवेदनकर्ताओं एवं इन आवेदनों को व्यवसाय में परिवर्तित करने हेतु बैंक ने एक 'ऑनलाइन बिजनेस सेंटर' स्थापित किया है जो इन आवेदनों की स्थिति की निगरानी करता है। बाजार के रुख के अनुरुप, बैंक ने वर्तमान योजनाओं को नये स्वरुप में संशोधित किया है जैसे कि आवास ऋण, कार ऋण एवं वैयक्तिक ऋण तथा ब्याज दरों, प्रक्रिया शुल्क में छूट का लाभ देना एवं पात्रता नियमों में शिथिलता।

कमजोर आर्थिक परिदृश्य सहित उधार दरों में वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक के तरलता को कठोर बनाने हेतु नियमों के उपरान्त, बैंक ने वैयक्तिक बैंकिग खंड के अंतर्गत 1.09 लाख नये अग्रिम खाते खोले एवं विभिन्न ऋण योजनाओं में ₹2349.49 करोड़ वितरित किये। वर्ष 2011-12 में कार ऋणों एवं आवास ऋणों में क्रमशः 25.51 प्रतिशत एवं 8.50 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान, वैयक्तिक खंड अग्रिमों में विगत वर्ष में ₹928.66 करोड़ (14.53 प्रतिशत) की वृद्धि के विरुद्ध थोड़ी नरमी के साथ ₹692.36 करोड़ (9.46 प्रतिशत) रही।

बैंक ने, मानव संसाधन मंत्रालय (एमओएचआरडी), भारत सरकार के आदेश पर आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के शिक्षा ऋण के उधारकर्ताओं हेतु एक ब्याज अनुदान योजना तथा ₹10/15 लाख की राशि एवं ₹20/25 लाख की परियोजना लागत वाले आवास ऋण उधारकर्ताओं हेतु 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से कार्यान्वित की। आर्थिक रुप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के 5815 खातों में ₹6.24 करोड़ अनुदान का दावा किया एवं प्राप्त किया गया तथा आवास ऋण के 6151 खातों में ₹1.20 करोड़ के ब्याज अनुदान का दावा किया एवं प्राप्त किया गया।

## प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण

बैंक के क्रियाकलापों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर प्रमुख जोर रहा है। अन्त-मार्च 2012 तक बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम गत वर्ष के ₹15111.85 करोड़ से बढ़कर ₹17689.96 करोड़ के स्तर पर पहुँच गये हैं। ये समायोजित निवल बैंक साख का 42.38 प्रतिशत है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के 40 प्रतिशत के मानक स्तर से अधिक है। राजस्थान में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का अनुपात 62.76 प्रतिशत के उच्चस्तर पर रहा।

*बैंक द्वारा वित्त-पोषित एक उच्च तकनीक डेयरी इकाई* *A high-tech dairy unit financed by the Bank*

customers were held at major centres i.e. Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Jaipur, Udaipur and Bhilwara.

## PERSONAL BANKING

During 2011-12, personal segment deposits recorded a growth of ₹6,114 crore against the target of ₹9,000 crore, resulting in YOY growth of 20.69%. Deposit mobilization campaigns were launched for improving the pace of acquiring new Savings Bank customers. One such campaign, namely "AKAASH", was launched on 1st Sept 2011 to acquire 500000 new SB accounts. During the year, the Bank opened a record number of 11.36 lakh new savings deposit accounts as against 9.83 lakh accounts in the previous year. Bank is celebrating the Year 2012 as "Golden Jubilee Year". To make this year memorable and growth oriented, a new product named "SBBJ- 7STAR SAVINGS BANK ACCOUNT" has been launched. This product has features aimed to attract High Net Worth, young and Tech Savvy customers by bundling the 7 technology equipped products in the account. Interest rates were also synchronized during the year in line with the market scenario.

Consequent upon creation of Personal Banking Vertical, to energize the personal banking streams of Home Loan and Car Loan, Bank rolled out Home Loan & Car Loan centers, headed by senior officers of the rank of Asstt General Manager and Chief Manager respectively, as product specific special marketing units at Head office during the year ended 31st March 2012. To leverage the reoriented set up in the Personal segment department, 22 business potential centres were identified and named as STAR centres, covering 248 branches of the Bank all over India.

During the year, to attract prospective customers and to take maximum leverage of Technology, Bank started a unique initiative, first of its kind in Indian Banking space for online sanction of Car Loans in 10 minutes and online sanction of Home Loans in 20 minutes. These links are made available through our Bank's website, 'sbbjbank.com'. To cater to the online loan applicants and to translate these applications into business, Bank has put in place one 'Online Business Centre', which tracks the status of these applications. To keep the pace with the market trend, Bank has reoriented and modified existing schemes, such as Home loan, Car loan and Personal Loan and extended concessions in Interest rates, Processing fee and relaxed eligibility norms.

*बैंक द्वारा की गई नई पहल: 10 मिनट में ऑन-लाइन कार ऋण सुविधा*

***Bank launched a new initiative: Online Car Loan in 10 minutes***

Despite the gloomy economic scenario coupled with rise in lending rates and RBI's tightening liquidity norms, the Bank booked 1.09 lakh new advances accounts and disbursed ₹2349.49 crore under various loan schemes under the personal banking segment. Car loans and housing loans recorded a growth of 25.51% and 8.50% respectively in 2011-12. During the year, growth of personal segment advances moderated to ₹692.36 crore (9.46%) as against ₹928.66 crore (14.53%) in the previous year.

The Bank, at the behest of Ministry of HRD (MOHRD), Government of India, implemented an Interest Subsidy Scheme for "Economically weaker section (EWS) of Education loan borrowers" and "1% Interest Subvention scheme for Housing loan borrowers having loan amount of ₹10/15 lac and project cost ₹20/25 lac" through RBI. Subsidy of ₹6.24 crore in 5815 accounts claimed and received in Education loan accounts of EWS category and subvention of ₹1.20 crore in 6151 accounts was claimed and received in home loan accounts.

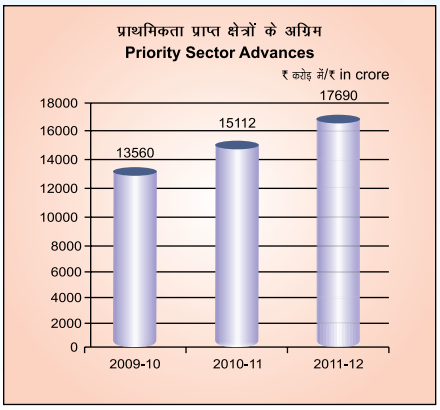


## PRIORITY SECTOR LENDING

Priority sector advances continued to remain the major thrust area of the Bank's operations. As at end-March 2012, the Bank's priority sector advances increased to a level of ₹17689.96 crore as against

## कृषि

कृषि क्षेत्र को अग्रिम, बैंक का एक मुख्य क्षेत्र रहा है। कृषि क्षेत्र में वित्त का प्रवाह 47.22 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2010-11 के ₹4,636 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹6,825 करोड़ हो गया है। कृषि अग्रिमों में बकाया का स्तर, अन्त-मार्च 2011 के ₹7,316 करोड़ से 23.46 प्रतिशत बढ़कर, अन्त-मार्च 2012 में ₹9,032 करोड़ हो गया है।

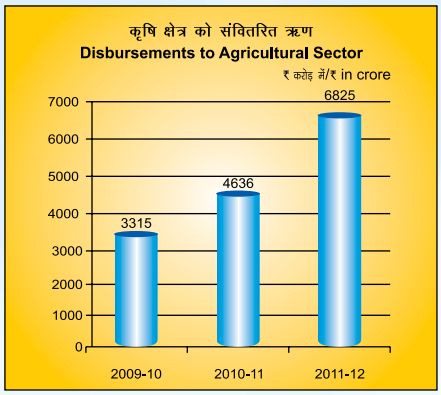


कृषि ऋण समायोजित निवल बैंक साख का 21.64 प्रतिशत हो गया है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 18 प्रतिशत मानदण्ड से अधिक है। राजस्थान राज्य में समायोजित निवल बैंक साख में कृषि ऋणों का स्तर इससे भी अधिक 36.75 प्रतिशत रहा।

बैंक द्वारा वर्ष के दौरान 128271 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ₹1,880 करोड़ स्वीकृत साख सीमा के साथ जारी किये गए, जिससे अन्त-मार्च 2012 तक जारी किये गए किसान क्रेडिट कार्डो की कुल संख्या 461913 तक पहुँच गई। प्रत्येक ग्रामीण व अर्द्धशहरी शाखा द्वारा औसतन 172 नये किसानों को जोड़ा गया।

किसानों को साहूकारों के शिकंजे से मुक्त करवाने के क्रम में बैंक द्वारा वर्ष 2008 में ऋणों की अदला-बदली योजना प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 2011-12 के दौरान इस ऋण अदला-बदली योजना के अंतर्गत 20912 किसानों को लाभान्वित करते हुए ₹84.15 करोड़ वितरित किये गये। इस योजना के अंतर्गत अन्त-मार्च 2011 की बकाया राशि ₹242.83 करोड़ से बढ़कर अन्त-मार्च 2012 को ₹291.42 करोड़ रुपये हो गई। इस योजना में लाभान्वितों की संख्या विगत वर्ष की 57153 से बढ़कर मार्च 2012 तक 70377 हो गई, जो कि 23.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इस योजना में वित्त पोषण करते हुए बैंक ने 42 गाँवों को साहूकारों के ऋण से पूर्णतः मुक्त करवा दिया गया है।

## वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य दूरस्थ गांवों में रहने वाली कम सुविधायुक्त एवं बिना बैंकिंग वाली आबादी में उनके द्वार तक कम लागत पर बचत एवं ऋण सुविधाओं तथा अन्य बैंकिग सेवाओं का विस्तार करना है। हमारे बैंक ने कम बैंकिंग/बिना बैंकिंग सेवा क्षेत्र गांवों में आईसीटी आधारित बीसी केन्द्रों की तकनीक के माध्यम से वित्तीय समावेशन क्रियान्वयन का शुभारम्भ किया है। 31.03.2012 तक आईसीटी आधारित बीसी मॉडल बैंकिंग केन्द्रों के माध्यम से बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये हमारे बैंक को 2001 की जनगणनानुसार 2000 एवं अधिक की आबादी वाले 830 गांव आवंटित किये गये हैं। इनमें से 825 गांवों तक पहुंचने के लिये 796 व्यवसाय सम्पर्की (बीसी) नियुक्त किये गये हैं और शेष 5 गांवों में बैंक शाखाएं खोली जा चुकी हैं। 195927 ग्राहकों के खातों का एनरोलमेण्ट (Enrolment) हो चुका है तथा 63525 स्मार्ट कार्ड्स जारी किये जा चुके हैं। एफआई गांवों में ग्राहकों को अभी तक बचत बैंक उत्पाद प्रस्तावित किया गया है तथा अन्य उत्पाद यथा-प्रेषण, बीमा आदि उचित समय पर प्रस्तावित किये जायेंगे।

*मिशन स्वाभिमान: प्रबंध निदेशक श्री शिव कुमार वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत बायो-मेट्रिक कार्ड वितरित करते हुए*

***Mission Swabhiman: Managing Director Shri Shiva Kumar distributing bio-metric card to a beneficiary under Financial Inclusion Programme***

## वित्तीय साक्षरता

वित्तीय समावेशन गतिविधियों के बारे में ग्रामीण आबादी को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 'स्वाभिमान' अभियान में बैंक सक्रिय रूप से सहभागी है। बैंक की वित्तीय समावेशन पहल से सम्बन्धित एफ आई गांवों में ग्रामीण आबादी को शिक्षित करने के लिये बचत बैंक खाते खोलने के फायदों के बारे में विस्तृत जानकारी वाले पर्चे एवं पत्रक बंटवाये गये हैं। बिना बैंक वाली ग्रामीण आबादी के मध्य वित्तीय साक्षरता विस्तार हेतु हमारे समस्त नौ अग्रणी जिलों में वित्तीय साक्षरता एवं साख परामर्श केन्द्र (FLCCs) स्थापित किये गये हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान इन वि.सा. एवं सा.प. केन्द्रों (FLCCs) ने 163 शिक्षण शिविर आयोजित किये जिसमें 19197 लोगों को जानकारी दी गई। इसके अलावा बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिये कार्यक्षम लघु उद्यमियों को अपनी इकाई/व्यवसाय/उद्यम प्रारम्भ करने के लिये प्रशिक्षण देने हेतु आठ ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (R-SETIs) स्थापित किये गये हैं जिसमें 19198 ग्रामीण बेरोजगार युवकों को विविध व्यवसायों यथा बिजली का काम, सिलाई, कम्प्यूटर मरम्मत आदि के बारे में प्रशिक्षित किया गया। इन 19198 प्रशिक्षित युवकों में

₹15111.85 crore in the previous year. This constituted 42.38% of the Adjusted Net Bank Credit, which was above the RBI benchmark of 40%. Priority sector advances in Rajasthan stood higher at 62.76% of Rajasthan's ANBC.

## AGRICULTURE

Lending to agriculture remains one of the major thrust areas of the Bank. The flow of credit to agriculture by way of disbursement increased from ₹4,636 crore in 2010-11 to ₹6,825 crore in 2011-12, recording a growth of 47.22%. The outstanding level of agriculture advances increased by 23.46% from ₹7,316 crore as at the end March, 2011 to ₹9,032 crore as at end of March, 2012.

Agriculture credit constituted 21.64% of the Adjusted Net Bank Credit, which was above the RBI benchmark of 18%. In the state of Rajasthan, the agricultural advances stood even higher at 36.75% of the Adjusted Net Bank Credit.

The Bank issued 128271 Kisan Credit Cards (KCCs) with sanctioned amount of ₹1,880 crore during the financial year, taking the total number of KCCs to 461913 as at end-March 2012. The Bank has added 172 new farmers per rural and semi-urban branch during the year.

In order to bring the farmers out of the clutches of the money lenders, the Bank introduced a Debt Swap Scheme in the year 2008. During 2011-12, assistance disbursed under the Debt Swap Scheme stood at ₹84.15 crore, benefiting 20912 farmers. The outstanding assistance under the scheme increased from ₹242.83 crore as at end-March 2011 to ₹291.42 crore as at end-March 2012. The number of beneficiaries under the Scheme also increased from 57153 in the previous year to 70377 farmers in March 2012, recording a growth of 23.13%. By providing financial assistance under this scheme, Bank has made the villagers of 42 villages completely free from the clutches of private money lenders.

## FINANCIAL INCLUSION

Financial Inclusion aims to extend hassle free savings, loans and other services at an affordable cost to the under privileged and unbanked population living in remote villages. Our Bank has embarked upon its journey to implement the FI initiatives in the unbanked service area villages through ICT enabled banking correspondent outlets. 830 villages with population of 2000 and above have been allocated to our Bank for providing banking services by 31.03.2012. 796 business Correspondents have been engaged to cover 825 villages and in the remaining 5 villages brick and mortar branches have been opened. 195927 accounts have been enrolled and 63525 Smart Cards have been issued to the customers. Presently Savings Bank product is offered to the customers in FI villages and other products such as remittances, insurance etc. will be offered gradually in due course.

*बैंक द्वारा वित्त-पोषित कृषि फार्म का एक दृश्य*

***View of Agricultural Farm Financed by the Bank***

## FINANCIAL LITERACY

Bank is actively involved in Govt. of India sponsored Swabhimaan campaign enlightening the rural populace about FI initiatives. Pamphlets, brochures detailing the advantages of Saving Bank accounts are distributed in FI villages to educate the rural public about the Bank's FI initiatives. Our Bank has already set up Financial Literacy & Credit Counseling Centres (FLCCs) in all the nine Lead Districts to impart literacy among rural population. These FLCCs have conducted 163 literacy camps and counseled 19197 persons during the year 2011-12. Apart from this, the Bank has also set up 8 Rural Self Employment and Training Institutes (R-SETIs) to train the potential Small Entrepreneurs to start their own ventures / business / entrepreneur for self employment in rural areas. The 8 Rural Self Employment and Training Institutes (R-SETIs) have so far trained 19198 rural unemployed youth for various trades i.e. electric work, tailoring computer repair etc. Out of 19198 trained persons, 10029 persons belong to BPL families.

## AADHAAR PROJECT OF UIDAI

UIDAI has been setup by the Government of India with a mandate to issue a unique identification number to

से 10029 व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित हैं।

## भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधार परियोजना

जनसांख्यिकी (डेमोग्राफिक) एवं अंगुलियों के निशान (बायोमेट्रिक) वाले आँकड़ों के आधार पर देश के समस्त नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार कार्ड) अनिवार्य रूप से जारी करने हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना की गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सरकार एवं आधारभूत संरचना के साथ अपने क्षेत्र में पहचान रखने वाले बैंकों सहित अन्य अभिकरणों के साथ साझेदारी स्थापित की है। ये अभिकरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पंजीयक कहलाते है। हमारा बैंक भी विशिष्ट पहचान परियोजना के अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ 22 जनवरी 2011 को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर पंजीयक बन गया है। 31.03.2012 तक आधार पंजीयन के प्रथम दौर में प्राधिकरण द्वारा दो लाख के निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर बैंक द्वारा दो लाख पांच हजार नागरिकों का पंजीयन किया गया है।

## सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य संवाहक, एमएसएमई क्षेत्र के खातों के लिए विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन का 45 प्रतिशत, भारत के निर्यात का 40 प्रतिशत और 3.12 करोड़ उद्यमों में अधिक से अधिक 7.32 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। इसलिए बैंक भी इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है।

इस क्षेत्र को वित्तपोषण पर नए सिरे से सहायता प्रदान करने हेतु बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र में बकाया क्रेडिट को अन्त-मार्च 2011 को समाप्त अवधि की तुलना में ₹6,238 करोड़ रुपये से 28.02 प्रतिशत बढ़ाकर अन्त मार्च 2012 के अंत तक ₹7985.81 करोड़ कर दिया। बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान 25481 नई एमएसएमई इकाइयों को सहायता प्रदान की। बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान एमएसएमई अग्रिमों को बढ़ावा देने हेतु प्रक्रिया प्रभार/अप-फ्रंट शुल्क एवं ब्याज दरों में छूट जैसे 3 अभियानों को विस्तारित किया है।

मार्च 2012 के अंत तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कुल सहायता मार्च 2011 की ₹4877.63 करोड़ की तुलना में 32.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर ₹6477.96 करोड़ के स्तर पर रही।

बैंक सी जी टी एम एस ई की ऋण गारंटी योजना के तहत एमएसएमई इकाइयों को नये कोलैटरल फ्री लोन उपलब्ध कराना जारी रखा। वर्ष के दौरान बैंक ने सी जी टी एम एस ई के ऋण गारंटी योजना के तहत एमएसई इकाइयों को ₹48.22 करोड़ की राशि के नये कोलैटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराकर मार्च 2012 के अंत तक कुल 12344 इकाइयों को इस मद में ₹211.09 करोड़ की राशि का ऋण प्रदान किया।



*ग्रामीण कारीगारों को वित्तः संगमरमर पर नक्काशी* ***Finance to Rural Artisans: Marble Carving***

## महिला लाभार्थियों को ऋण

मार्च 2012 के अंत तक 1.91 लाख महिलाओं को बैंक की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹2290.10 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई, जो समायोजित निवल बैंक साख के 5.49 प्रतिशत के बराबर है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत बेंच मार्क से अधिक है।

## अल्पसंख्यक समुदाय, कमजोर और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के वर्गों को सहयोग

अल्प संख्यक कल्याण कार्यक्रम अल्पसंख्यकों को रोजगार के अवसर एवं सामाजिक-आर्थिक उत्थान प्रदान करने के संदर्भ में एक उचित व्यवहार है। इन समुदायों के लिए मार्च 2012 के अंत तक 64926 खातों के माध्यम से ₹920.59 करोड़ की सहायता दी गई।

मार्च 2012 को समाप्त अवधि तक इन समुदाय के 7.64 लाख लोगों को ₹6918.29 की वित्तीय सहायता दी गई। मार्च, 2012 के अंत तक कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता का अनुपात समायोजित निवल बैंक साख का 16.57 प्रतिशत है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत के बेंचमार्क से अधिक है।

मार्च 2012 के अंत तक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को 192489 खातों के माध्यम से ₹1715.47 करोड़ रुपए की सहायता दी गई।

## विभेदक ब्याज दर योजना (DIR)

विभेदक ब्याज दर योजना (DIR) के तहत ₹29.94 करोड़ का अग्रिम दिया गया एवं 31906 लोगों को लाभान्वित किया गया जो निर्धारित बेंचमार्क 1 प्रतिशत की तुलना में विगत वर्ष 31.03.2011 को कुल बकाया अग्रिम का 0.07 प्रतिशत है। बैंक ने वर्ष के दौरान डीआईआर योजना के अंतर्गत ₹14.54 करोड़ की साख सीमा के साथ 10131 नए ऋणों का संवितरण किया ।

all the residents in the country based on demographic and biometric data of the individual. UIDAI has entered into partnership with the Govt. and other agencies including Banks leveraging their existing infrastructure. These agencies are called the Registrars of UIDAI. Our Bank has also signed an MoU with UIDAI on 22nd January 2011 and has become a registrar in this project. During the first phase of Aadhaar enrollment up to 31.03.2012, 2.05 lac residents have been enrolled by our Bank as against target of 2.00 lac set by UIDAI.

## MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES)

The main growth driver of the Indian economy, MSME sector accounts for 45% of manufacturing sector output, 40% of India's exports and provides employment to more than 7.32 crore persons in 3.12 crore enterprises. Accordingly, the Bank has also been according high priority to this area.

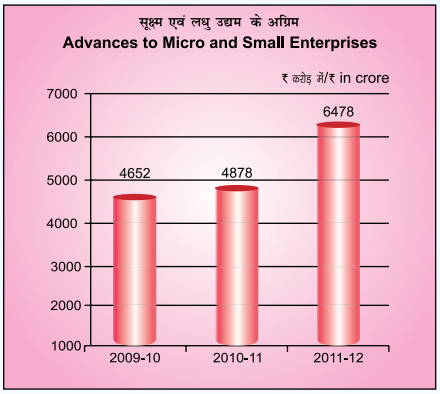


With the help of renewed emphasis on financing this sector, the outstanding credit to MSME sector increased by 28.02% from ₹6,238 crore as at the end–March 2011 to ₹7985.81 crore as at the end- March 2012. As against the target of 3030 new MSME accounts (5 new accounts per urban/semi-urban branch), the Bank has assisted 25481 new MSME units during the year 2011-12. In order to boost MSME advances, the Bank has launched 3 campaigns extending concessions in processing charges/up-front fee and relaxation in the interest rates during the year 2011-12.

As at end-March 2012, the outstanding assistance to Micro and Small enterprises has increased by 32.80% to reach a level of ₹6477.96 crore, as against ₹4877.63 crore as at end-March 2011.

The Bank has continued its thrust to provide collateral free loans to MSME units under the credit guarantee scheme of CGTMSE. During the year, Bank provided new collateral free loans under Credit Guarantee scheme of CGTMSE to MSE units amounting to ₹48.22 crore, taking the level of these loans to ₹211.09 crore to 12344 units as at end-March 2012

## LOANS TO WOMEN BENEFICIARIES

As at end-March 2012, 1.91 lakh women have benefited from financial assistance under different schemes of the Bank with a total outstanding of ₹2290.10 crore, equivalent to 5.49% of the Adjusted Net Bank Credit, which is above the 5% benchmark prescribed by RBI.

## ASSISTANCE TO MINORITY COMMUNITIES, WEAKER SECTIONS AND SCHEDULED CASTES / SCHEDULED TRIBES

The programmes for minorities' welfare envisage a fair deal to the minority communities in terms of opportunities for employment and socio-economic upliftment. As at end-March 2012, assistance to these communities stood at ₹920.59 crore spread over 64926 accounts.

Financing to weaker sections stood at ₹6918.29 crore benefiting 7.64 lakh persons as at end-March 2012. The ratio of assistance to weaker sections as a percentage of Adjusted Net Bank Credit is 16.57% as at end-March 2012. This was above the benchmark of 10% prescribed by RBI.

As at end-March 2012, the outstanding assistance towards Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs) stood at ₹1715.47 crore in 192489 accounts under priority sector.

## DIFFERENTIAL INTEREST RATE SCHEME (DIR)

Advances under the Differential Interest Rate (DIR) scheme stood at ₹29.94 crore benefiting 31906 persons which is at 0.07% of total advances outstanding at the end of previous year i.e 31.03.2011, as against the prescribed benchmark of 1%. The Bank has disbursed 10131 new loans under DIR scheme with credit limits of ₹14.54 crore during the year.

## GOVERNMENT BUSINESS

The Bank conducts Government Business on behalf of State/ Central Government departments through

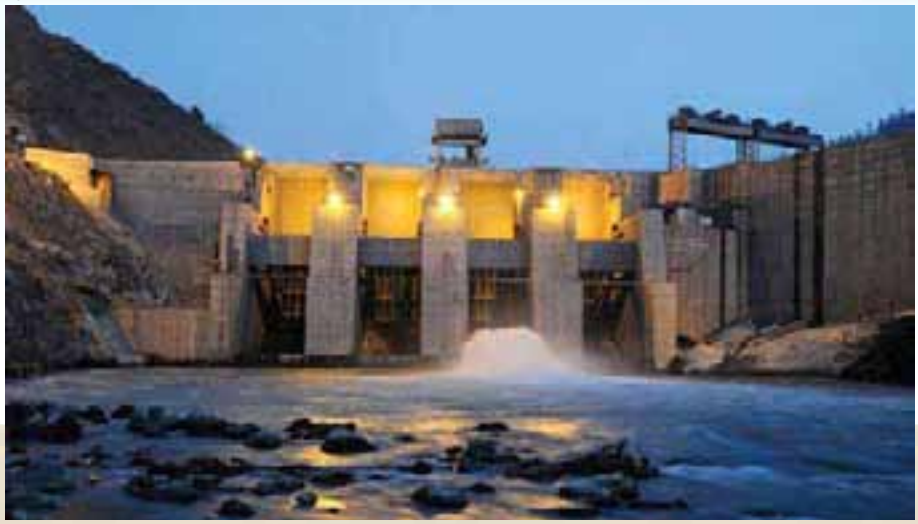

*एसएमई वित्त: बैंक द्वारा वित्त-पोषित एक एसएमई इकाई द्वारा निर्मित बांध के द्वार*

***SME Finance: Gates of the Dam manufactured by an SME unit financed by the Bank***

## सरकारी व्यवसाय

बैंक की 483 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से राज्य/केंद्र सरकार के विभागों से सरकारी व्यवसाय किया जाता है। इलेक्ट्रानिक माध्यम से चालान द्वारा आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य संवर्द्धित कर आदि का संग्रहण किया जाता है। बैंक ने एक केंद्रीयकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (CPPC) की स्थाापना की है जिसमें सभी शाखाओं के पेंशनरों की पेंशन गणना एवं उनके खातों में जमा करने का कार्य किया जाता है।

*प्रधान कार्यालय में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ शीर्ष प्रबन्धन की परस्पर वार्तालाप*

***Interaction of the Top Management with Foreign Delegates at Head Office, Jaipur***

बैंक ने वर्ष के दौरान, राजस्थान राज्य सरकारी कर्मचारियों, वाणिज्यिक कर विभाग प्रतिदाय, मनरेगा की मजदूरी का भुगतान इत्यादि हेतु 'ऑन लाइन ट्रेजरी शाखा' की स्थापना की है। वर्ष 2011-12 के दौरान 'सरकारी व्यवसाय से कमीशन आय' मद के अंतर्गत बैंक की आय ₹147.30 करोड़ रही।

## अंतर्राष्ट्रीय बैंकिग

बैंक अपनी विदेशी विनिमय व्यवसाय हेतु 'बी' श्रेणी में अधिकृत 73 एवं 'सी' श्रेणी में अधिकृत 182 शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से निर्यातकों/आयातकों, अन्य निवासी एवं अनिवासी ग्राहकों को विदेशी विनिमय संबंधी सेवाएँ प्रदान करता है। हमारे मुम्बई व कोलकाता में स्थित विदेशी विनिमय लेनदेन केन्द्र व सभी 'बी' श्रेणी में अधिकृत शाखाएँ आधुनिकतम तकनीकी व द्रुतगामी संचार व्यवस्था से सुसज्जित हैं एवं स्विफ्ट (SWIFT) द्वारा आपस में एवं सम्पूर्ण विश्व में स्थित 725 से अधिक विदेशी बैंकों के कार्यालयों से जुडे हुए हैं। बैंक के विश्व की सभी प्रमुख मुद्राओं में 20 नोस्ट्रो खाते हैं एवं विश्व के सभी प्रमुख बैंकिंग समूहों से खाता रहित सम्बन्ध हैं। अनिवासी भारतीय ग्राहकों हेतु धन-प्रेषण के लिए स्विफ्ट, ऑनलाइन प्रेषण सुविधा व खाड़ी देशों में स्थित 7 विनिमय गृहों के साथ रुपयों में त्वरित धन-प्रेषण हेतु गठबन्धन हैं। हमारी 231 शाखाओं में 'वेस्टर्न यूनियन धन प्रेषण' के भुगतान की सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाई गई हैं। विदेशी विनिमय बाजार की गतिविधियों का लाभ उठाने के उद्देश्य से बैंक द्वारा स्वामित्व विदेशी मुद्रा कारोबार भी किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में बैंक का विदेशी मुद्रा कारोबार ₹2,853 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹19,652 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया, जो कि पिछले वर्ष ₹16,799 करोड़ था। बैंक की अनिवासी जमाएँ 18.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए अन्त-मार्च 2011 के ₹803 करोड़ से बढ़कर अन्त मार्च 2012 में ₹950 करोड़ हो गई। निर्यात साख पिछलें वर्ष से मामूली 2.19 प्रतिशत बढ़कर ₹1931.40 करोड़ रही।

बैंक द्वारा फेडाई के स्थानीय चैप्टेर की अध्यक्षता की जा रही है। बैंक फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (फेडाई), इण्टरनेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स (आई.सी.सी.) एवं क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया (सी.सी.आई.) का सक्रिय सदस्य है।

## औद्योगिक पुनर्वास

बैंक का प्रमुख जोर संभाव्य क्षमता योग्यरूग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वास/पुनर्संरचना पर रहा है। इस उद्देश्य हेतु, इनके पुनर्वास/पुनः प्रवर्तन के लिए बैंक की अपनी औद्योगिक पुनर्वास नीति में विस्तृत दिशानिर्देश निहित हैं तथा जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। जब इकाईयॉ पुनर्वास/पुनर्संरचना के उपरांत अव्यवहार्य रह जाती हैं या इन पैकेजों का उन पर प्रभाव नहीं होने पर, बैंक का ध्यान अपनी देयताओं को विधिक उपायों, सरफेसी के अन्तर्गत कार्रवाई, समझौता प्रस्ताव अथवा ऋण के आवंटन के माध्यम से वसूली करने पर रहता है।

अन्त-मार्च 2012 को, बैंक की पुस्तकों में 25 बड़ी रुग्ण/कमजोर इकाईयों का कुल बकाया ₹310.26 करोड़ था। निगमित ऋण पुनर्संरचना के 19 मामलों में समग्र बैंक वित्त ₹468.18 करोड़ एवं बीआईएफआर के 23 मामलों में समग्र बैंक वित्त ₹304.94 करोड़ हैं। बैंक 06 मामलों में बीआईएफआर की परिचालन एजेंसी के रुप में कार्य करता रहा है। समीक्षाधीन वर्ष में, ग्लोबल इकोनामिक मेल्टडाउन द्वारा वांरटेड सीडीआर तंत्र के अधीन बैंक वित्त ₹45.33 करोड़ सहित 02 खातों को पुनर्संरचित किया गया। बैंक द्वारा पुनर्संरचित खातों तथा स्वीकृति पश्चात् गहन निगरानी व अनुवर्तन द्वारा निरंतर प्रयासों के फलस्वरुप अधिकांश आस्तियों को मानक रुप में बनाये रखा गया।

## गैर निष्पादित आस्तियों का प्रबन्धन

बैंक, बड़े मूल्य के खातों में गहन अनुवीक्षण, डीआरटी एवं बीआईएफआर के साथ गहन अनुवर्तन, सक्षम खातों की पुनर्संरचना, वसूली हेतु प्रतिभूतिकरण अधिनियम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने जैसे उपायों द्वारा गैर निष्पादित आस्तियों को नियंत्रण में रखने के लिए बहुविधिक रणनीति अपनाए हुए है। इसके अतिरिक्त बैंक ने अनुत्पादक आस्तियों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को रोकड़ आधार पर एक मुश्त बेचने के उपाय भी अपनाये है। न्यायालयों के साथ अनुवर्तन एवं निष्पादन याचिका दाखिल करने हेतु वांछित ध्यान दिया गया है। गैर निष्पादित आस्तियों की वसूली के लिए वसूली अभियान चलाए जा रहे है। जिनके परिणाम अत्यन्त उत्साहजनक आए है। इनकी प्रगति का अनुश्रवण अंचल

483 authorized branches. Income Tax, Central Excise, Service Tax, Value added tax etc. are collected through physical challans as also through the electronic mode. The Bank has established a Centralized Pension Processing Centre (CPPC) which calculates as well as credits pension to the accounts of pensioners across all the branches.

During the year, Bank has also established "Online Treasury branch" for online salary payment of Rajasthan State Government employees, Commercial Tax Department refunds, MNREGS wages payment etc. During 2011-12, Bank's earning under the head 'Commission Income from Government Business' amounts to ₹147.30 crore.

## INTERNATIONAL BANKING

The Bank provides Foreign Exchange related services to exporters/ importers, other resident and non-resident customers through a network of 73 Authorized Category "B" and 182 category 'C' branches. Bank's forex dealing rooms at Mumbai and Kolkata and authorized category 'B' branches are equipped with latest technology for real-time communication and connected through SWIFT with more than 725 offices of foreign banks throughout the world. The Bank maintains 20 NOSTRO accounts in all major currencies and non-account correspondent banking relationship with all major banking groups in the world. To facilitate NRI customers for inward remittances, there is online remittance facility and tie-ups with 7 Gulf based Exchange Houses. Western Union Money Transfer Payment services are also being provided at 231 of our branches. The Bank also undertakes proprietary Forex trading to increase profit by taking advantage of market movements.

During 2011-12, the Bank's forex merchant turnover increased by ₹2,853 crore to ₹19,652 crore, as against ₹16,799 crore in the previous year. The NRI Deposits increased by 18.30% to ₹950 crore at the year-end 2012, as against ₹803 crore of end-March 2011. The export credit stood at ₹1931.40 crore with a slight increase of 2.19% from the previous year.

*जयपुर में प्रवासी भारतीय दिवस पर बैंक की स्टॉल*

***Bank's stall at Pravasi Bhartiya Divas at Jaipur***

The Bank chairs the local chapter of Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). The Bank is an active member of FEDAI, International Chamber of Commerce (ICC) and Clearing Corporation of India Limited (CCIL).

## INDUSTRIAL REHABILITATION

Rehabilitation/restructuring of potentially viable industrial units remains an important thrust area of the Bank. For this purpose, the Bank has its own Industrial Rehabilitation Policy containing detailed guidelines for undertaking rehabilitation/ revival package and the same is updated from time to time. Whenever units are found non-viable or not responding to the rehabilitation/ restructuring package, focus is shifted to recovery of Bank's dues through legal recourse, action under SARFAESI, compromise settlement or assignment of debt.

As at end-March 2012, the Bank had 25 large sick /weak units on its books with aggregate outstanding of ₹310.26 crores. There are 19 Corporate Debt Restructuring cases with aggregate exposure of ₹468.18 crores and 23 BIFR cases with exposure of ₹304.94 crores. The Bank has been acting as BIFR's Operating Agency in 6 cases. During the year under review, 2 accounts with a total exposure of ₹45.33 crores have been restructured under CDR mechanism as warranted by global economic meltdown. Sustained efforts undertaken by the Bank in restructuring the accounts and post-sanction close monitoring and follow up resulted in maintaining most of the assets as standard.

## NPA MANAGEMENT

The Bank continues with its multipronged strategy of controlling Non-Performing Assets (NPAs) through intensive monitoring of large value accounts, close follow-up with DRT/ BIFR, restructuring of viable accounts and effectively utilizing the remedies available under the SARFAESI Act. Besides, the Bank resorted to outright sale of unproductive assets to Assets Reconstruction Companies in the public and private sector on cash basis. Due emphasis has been given to follow up with the courts and filing of Execution Petitions. During the year, 'Recovery Camps' were organized for NPA recovery, the results of which are quite encouraging. The progress is being monitored at the highest level. The progress in NPA/ AUCA recovery is discussed/reviewed

स्तर पर किया जा रहा है। गैर निष्पादित आस्तियों एवं वसूली के लिए अग्रिम खातों की वसूली की प्रगति का पुनरीक्षण/विचार विमर्श वीडियों कान्फ्रेन्स के जरिए सभी अंचलों तथा उप महाप्रबन्धकों द्वारा नियंत्रित शाखाओं के साथ प्रबन्धन समिति द्वारा किया जाता है। वसूली विभाग द्वारा भी नियंत्रकों के साथ नियमित रूप से वीडियों कान्फ्रेसिंग का आयोजन किया जा रहा है। गैर निष्पादित आस्तियों में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए एम.आई.एस. डाटा का विस्तृत उपयोग किया जाता है। विशेष उल्लेखित खातों (SMAs) एवं संभावित गैर निष्पादित खातों (Probable NPAs) की स्थिति के नियमन हेतु एवं कोई भी खाता गैर निष्पादित नहीं बनने देने के लिए प्रत्येक वीडियों कान्फ्रेन्सिंग में चर्चा की जाती है। तकनीकी कठिनाईयों का निराकरण करके भी विशेष उल्लेखित खातों (SMAs) एवं संभावित गैर निष्पादित खातों (Probable NPAs) के स्तर में कमी की जा रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खातों की पुनर्संरचना हेतु जारी नवीनतम दिशानिर्देशों का भी पूर्ववर्ती साधन के रूप में प्रयोग किया गया। इन साधनों के प्रयोग एवं सरफेसी एक्ट के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से अंगीकरण करने से हमें अच्छी संख्या में समझौता प्रस्ताव प्राप्त हुए जिससे बैंक की गैर निष्पादित आस्तियों में अच्छी वसूली हुई है। वैश्विक मंदी दौर के फलस्वरूप चालू वित्त वर्ष में गैर निष्पादित आस्तियों में ₹1571.92 करोड़ की परिवृद्धि हुई है। तथापि, गैर निष्पादित आस्तियों में वसूली/उन्नयन (up gradation) कुल ₹480.77 करोड़ की रही वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर बैंक का सकल गैर निष्पादित आस्ति अनुपात 3.30 प्रतिशत रहा एवं निवल गैर निष्पादित आस्ति अनुपात 1.92 प्रतिशत के स्तर पर रहा है।

## बैंक की जोखिम प्रबन्धन संरचना

बैंक ने ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिमों से निपटने के लिए एक समग्र जोखिम प्रबन्धन प्रणाली अपना रखी है। जोखिम प्रबन्धन कार्य विभिन्न समितियों वाले सुविचारित संगठनिक ढ़ाचें के द्वारा किया जा रहा हैं। शीर्ष स्तर पर निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसीबी) हैं जो बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबन्धन हेतु नीति एवं युक्ति का कार्य देखती है। जोखिम प्रबन्धन नीतियों के निर्माण, समीक्षा एवं उनसे सम्बन्धित क्षेत्र में उनकों बैंक में लागू करने एवं उनके अनुवीक्षण के लिए साख जोखिम प्रबन्धन समिति (सीआरएमसी), आस्ति-देयता प्रबन्धन समिति (एएलसीओ) बाजार जोखिम प्रबन्धन समिति (एमआरएमसी) एवं परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरएमसी) स्थापित की गई है। परिचालन जोखिमों की देखभाल करने के लिए अंचल स्तर पर अंचल जोखिम प्रबन्धन समितियाँ (जेडआरएमसी) कार्यरत हैं जो अपने अधीन शाखाओं के परिचालन जोखिम का प्रबन्धन करती हैं। बैंक में साख, बाजार तथा परिचालन जोखिम प्रबन्धन नीतियां है जो बैंक के समक्ष आने वाली मुख्य जोखिमों की पहचान, मापन तथा उनका प्रबन्धन करती है। गतिशील व्यवसाय वातावरण को ध्यान में रखते हुए इन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इन्हें अद्यतन किया जाता है। प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक के अधीन एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग अन्य सभी सदृश विभागों के लिए नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

## कैपिटल फ्रेम वर्क

नये पूँजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) स्तम्भ-1 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशानुसार, बैंक, साख जोखिम हेतु मानक अवधारणा, बाजार जोखिम हेतु मानक अवधि अवधारण तथा परिचालन जोखिम हेतु आरम्भिक संकेत अवधारणा का उपयोग करते हुए जोखिम भारित आस्ति अनुपात में पूँजी की गणना कर रहा है। नये पूँजी पर्याप्तता ढांचा के स्तम्भ -II अन्तर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये गये पूँजी पर्याप्तता आकलन की आन्तरिक प्रक्रिया प्रलेख में अन्य जोखिमों हेतु, बैंक ने वर्ष 2011-12 के लिए अतिरिक्त पूँजी आवश्यकता का आकलन किया है। बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में तथा बैंक की वेबसाइट पर नये पूँजी पर्याप्तता ढांचा स्तम्भ-III के भाग के रूप में बासेल-II प्रकटीकरण किया गया है।

## साख जोखिम

साख जोखिम का नियंत्रण एवं निगरानी मंडल द्वारा अनुमोदित साख जोखिम प्रबन्धन, साख जोखिम शिथिलन व संपार्श्विक प्रबन्धन नीति और बैंक की ऋण नीति के अनुसार होता है। साख जोखिम प्रबन्धन बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है तथा इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उपर्युक्त नीतियों में साख जोखिम को मापने, निगरानी व नियंत्रण की कार्य पद्धति समाहित होती है। साख जोखिम की संभावनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विवेकी मानदंड या बेंचमार्क, वित्तीय अनुपात, एकल उधारकर्ता या उधारकर्ता समूह की सीमा, उद्योग एवं क्षेत्र विशेष की सीमा, संवेदनशील क्षेत्रों की सीमा, बाधा दर आदि की स्थापना की गयी है। साख जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा साख मूल्यांकन प्रणाली व सुपरिभाषित शक्तियों का प्रत्यायोजन है।

## विपणन जोखिम

बाजार जोखिमों और कोष कार्यों में जोखिम की निगरानी हेतु, एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग में मध्यवर्ती कार्यालय (घरेलू एवं विदेशी कारोबार) कार्यशील है। बैंक के निवेश संविभाग की सुदृढता के मूल्यांकन हेतु, बैंक की दबाव परीक्षण नीति के अनुसार शेयर सूचकांकों में गिरावट, बॉण्ड अर्जन में वृद्धि तथा विदेशी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव जैसी घटनाओं को समेटे हुए बाजार जोखिम परिदृश्य के विश्लेषण, वर्ष के दौरान नियमित रूप से किये गए।

## परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम को कम करने का मुख्य साधन सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हैं जिसमें कर्तव्यों का विभाजन, स्पष्ट प्रबन्धन रिपोर्टिंग तंत्र एवं पर्याप्त परिचालन विधियां निहित है। अधिकांश परिचालन जोखिम कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली या विद्यमान आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि के अनुपालन में कमी के कारण होते हैं। बैंक ने परिचालन जोखिम के प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु उचित प्रणाली एवं कार्य विधियां विकसित की हैं।

## बेसल-II के अग्रिम दृष्टिकोण तथा प्रस्तावित बेसल-III पूँजी विनियमन हेतु तैयारी

साख, विपणन एवं परिचालन जोखिम हेतु बेसल-II के दिशा निर्देशों के अनुरुप अग्रसर होने का बैंक ने निर्णय किया है।

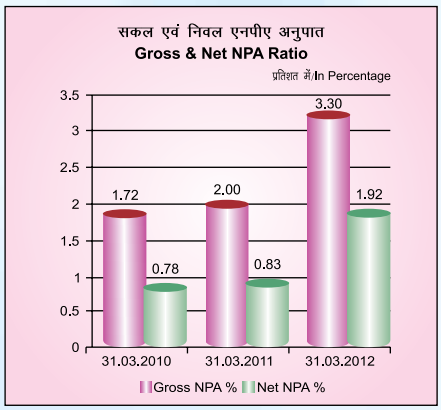


by the Management Committee by conducting Video-conferencing with all the Zones and DGM headed branches. To contain the growth of NPAs, MIS data have been extensively used. The accounts in SMA/ Probable NPA category are discussed through video-conferencing with a view to regularise the position and not to allow any account to slip to NPA. The level of SMA/Probable NPA are also brought down by removing technical snags. A 'Loan Tracking Center' has been established to monitor and track the irregular standard accounts from Head Office level. Pre-emptive measures, such as restructuring etc., are also taken as per recent RBI guidelines. By adopting the above measures and utilizing the provisions of SARFAESI Act effectively, Bank has received good number of acceptable compromise proposals which resulted in good recovery in NPA. There has been an addition of ₹1571.92 crore in NPAs during the current financial year due to Global recessionary trend. However, there has been recovery/ up-gradation to the tune of ₹480.77 crore. The Gross NPA ratio stood at 3.30% and the Net NPA ratio of the Bank stood at 1.92% as at the end of the financial year 2011-12.

## RISK MANAGEMENT STRUCTURE OF THE BANK

The Bank has an independent Risk Management Framework in place. At the apex level, there is a Risk Management Committee of the Board (RMCB), which oversees the policies and strategies for Risk Management in the Bank. Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset Liability Management Committee (ALCO), Market Risk Management Committee (MRMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) have been constituted to support RMCB. These sub-committees are submitting all critical issues/ development in their respective areas to RMCB. The Bank has Credit, Market and Operational Risks Management Policies for identification, measurement and management of major risks, the Bank is exposed to. These policies have been reviewed and updated from time to time, keeping in view the dynamic business environment. The Integrated Risk Management Department headed by a DGM, at the Head Office, acts as the nodal centre for coordination with other departments/operating units engaged in managing risk in their respective business areas.

## CAPITAL FRAMEWORK

Under Pillar-I of the New Capital Adequacy Framework (NCAF) guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank is computing Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) using Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. Under Pillar-II of NCAF, the Bank has assessed capital requirement for 2011-12 for other risks in its Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) document submitted to RBI. Basel-II Disclosures have been made by the Bank in the Annual Report as also on Bank's website as part of the Pillar-III guidelines of NCAF.

## CREDIT RISK

Control and monitoring of credit risk is dealt with as per the Board-approved Credit Risk Management, Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy and Loan policy of the Bank. Credit Risk management remains a major task for Bank and receives prime attention. The above policies cover methodologies for measuring, monitoring and control of credit risk. In order to control the magnitude of credit risk, prudential norms or benchmarks, financing ratios, single borrower or borrower-group exposure, industry-specific and sector-specific exposure, exposure to sensitive sectors, hurdle rate etc. have been set up. Credit appraisal systems and a clearly defined delegation of powers form an integral part of the Credit Risk Management process.

## MARKET RISK

To monitor market risks and treasury operations, mid-offices (domestic & forex) are functioning at IRMD. To assess resilience of Investment portfolio, Scenario Analysis on market risk covering events such as decline in stock markets, rise in bond yields and foreign exchange rate movements are conducted regularly as per the Stress Testing Policy of the Bank.

## OPERATIONAL RISK

One of the major tools for managing operational risk is to put in place a well established internal control system, which includes segregation of duties, clear management reporting lines and adequate operating procedures. Most of the operational risk events are associated with weak links in internal control systems or laxity in complying with the existing internal control procedures. The Bank has developed suitable systems and procedures for managing and control of operational risks.

## PREPARATION FOR ADVANCED APPROACHES OF BASEL-II AND PROPOSED BASEL-III CAPITAL REGULATIONS

Bank has decided to move over to advanced approaches of Basel-II guidelines for Credit, Market and Operational Risks. Under advanced approaches, Internal Rating Based

अग्रिम दृष्टिकोण के अंतर्गत आंतरिक रेटिंग आधारित उपागम का अनुसरण साख जोखिम के लिए, आंतरिक मॉडल उपागम का अनुसारण बाजार जोखिम के लिए तथा उन्नत माप उपागम का अनुसरण परिचालन जोखिम के लिए किया जायेगा।

पूँजी की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा तरलता जोखिम मुद्दे का सामना करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बंसल-।।। पूँजी विनियमन हेतु प्रारुप दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिन्हें 01 जनवरी 2013 से पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना है। दिशा निर्देशों के प्रभाव का प्रारंभिक मूल्यांकन किया गया एवं बंसल-।।। के दिशा निर्देशों के जारी किए जाने के बाद आसानी से लागू करने हेतु योजना बनायी जाएगी।

## आस्ति देयता प्रबन्धन

बाजार जोखिम, जिसमें तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम एवं विदेशी विनिमय जोखिम शामिल है, के प्रभावी प्रबन्धन हेतु एक व्यापक आस्ति देयता प्रबन्धन प्रणाली लागू की गई है। तरलता एवं ब्याज दर जोखिम का मापन क्रमशः संरचनात्मक तरलता रिपोर्ट तथा परंपरागत अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संरचनात्मक तरलता रिपोर्ट दैनिक आधार पर तैयार की जाती है एवं इसकी समीक्षा की जाती है। विदेशी आस्तियों एवं देयताओं पर दोनों जोखिमों की परिपक्वता एवं स्थिति (एमएपी) तथा ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण (एसआईआर) द्वारा निगरानी की जा रही है। आगामी 1 से 90 दिनों की समय परिधि के दौरान तरलता स्थिति की सावधानी पूर्वक निगरानी की जा रही है। तुलन पत्र में संपूर्ण ब्याज दर जोखिमों के प्रबन्धन हेतु अवधि अंतर विश्लेषण भी अपनाया गया है।

बैंक की विनिवेश नीति के साथ साथ आस्ति देयता प्रबन्धन नीति में तरलता प्रबन्धन एवं ब्याज दर जोखिम प्रबन्धन करने हेतु विभिन्न विवेकपूर्ण सीमाएं निधारित की गयी है। बैंक द्वारा इन सीमाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। दैनिक आधार पर तरलता प्रबन्धन हेतु जमाओं के अंतर्वाह एवं बहिर्गमन की दैनिक निगरानी प्रणाली तथा एक व्यापक आकस्मिक निधि योजना विद्यमान है। विदेशी विनिमय की वायदा स्थिति में जोखिमों के जोखिम मूल्य की गणना एवं तरलता पर दबाव की जांच, ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय में खुली तथा वायदा स्थितियों का ध्यान रखा जाता हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार 01 जुलाई 2010 से बैंक नये ऋणों के लिए आधार दर प्रणाली पर पदांतरण कर चुका है। किसी ऋणी द्वारा आधाार दर प्रणाली हेतु पदांतरण का निर्णय करने पर, 01 जुलाई 2010 से पूर्व स्वीकृत ऋण खातों के आगामी नवीनीकरण/पुनर्निर्धारण के समय या पूर्व तक बैंचमार्क मूल उधार दर से जुड़े रहेंगे।

## आन्तरिक नियंत्रण, निरीक्षण एवं अंकेक्षण

बैंक में सुरक्षित एंव बेहतर परिचालन के लिए समुचित आन्तरिक नियन्त्रण सुनिश्चित करने हेतु एक सुसंगठित स्वतंत्र अंकेक्षण प्रणाली एवं तन्त्र विद्यमान है। भारतीय रिज़र्व बैंक के जोखिम आधारित निरीक्षण ढांचे के अन्तर्गत विचारित जोखिम मूल्यांकन व आन्तरिक नियंत्रण तंत्र पर केन्द्रित, जोखिम आधारित आन्तरिक अंकेक्षण किये जाते है।

जोखिम की दृष्टि एवं अंकेक्षण की विभिन्न श्रेणियों के आधार पर शाखाओं को तीन समूहों मे वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान जोखिम आधारित आंतरिक अंकेक्षण के अन्तर्गत 684 शाखाओं एवं 54 बीपीआर प्रकोष्ठों को सम्मिलित किया गया है। 31.03.2012 तक बैंक की कोई भी शाखा अंकेक्षण के लिए बकाया नहीं है। 103 शाखाओं तथा 35 बीपीआर प्रकोष्ठों को, जो बैंक के अग्रिमों का 66.01 प्रतिशत, जिसमें गैर-निधि आधारित व्यवसाय सम्मिलित है तथा बैंक जमाओं का 40.57 प्रतिशत व्यवसाय आवृत करती हैं, को संगामी अंकेक्षण के माध्यम से सतत् निगरानी में लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधान कार्यालय के 13 विभागों को भी संगामी अंकेक्षण हेतु सम्मिलित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश और बैंक की सुरक्षा नीति के अनुसार कोर बैंकिंग प्रोजेक्ट, अंचल कम्प्यूटर केन्द्रों आदि सहित प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के अंकेक्षण हेतु सूचना प्रणाली अंकेक्षण प्रकोष्ठ विद्यमान है।

बड़ी मात्रा में कार्य दिवसों की बचत के अतिरिक्त जोखिम कारकों के उत्तम एवं समरुप मूल्यांकन के क्रम में बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान दिल्ली, कोटा, एवं कोलकाता केन्द्रों पर 'समूह अंकेक्षण अवधारणा' को लागू किया है। इस अवधारणा के अन्तर्गत बीपीआर उपक्रमों और उनसे सम्बन्धित शाखाओं का अंकेक्षण साथ-साथ किया गया।

मार्च, 2012 के अन्त तक बैंक की कुल शाखाओं की 99.88% शाखाएँ सुनियंत्रित एवं पूर्ण नियंत्रित श्रेणी में वर्गीकृत की गई है।

## अन्तर कार्यालय लेनदेनों का समाधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक प्रविष्टि उसके उदगम की तिथि के 6 माह के अन्दर समाधान कर दी जानी चाहिए। मार्च 2012 की समाप्ति पर बैंक द्वारा दिनांक 29.02.2012 तक की सभी प्रविष्टियों का समाधान कर लिया गया था जो कि निर्धारित समय सीमा से पूर्व है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी प्रावधानों को लागू करने हेतु वचनबद्ध है एवं बैंक का लक्ष्य है कि सभी प्रविष्टियों को दो माह के भीतर ही समाधान कर लिया जाए।

## सूचना प्रौद्योगिकी

## कोर बैंकिंग सोल्यूशन ( सीबीएस )

बैंक की सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। हम बेहतर ग्राहक संतुष्टिप्रद सेवा देने में सफल रहे है। जिनमें बेहतर मूल्य वर्धित सेवाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है जैसेः बहुआयामी एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, फ्लेक्सी जमा योजना, बहु नगरीय चैक सुविधा, स्थानीय एवं बाहरी चेकों का तुरंत जमा होना, आरटीजीएस/एनईएफटी का शुरू करना, निधियों के तीव्रतर निपटारे के लिए एसबीजीआरपीटी का शुरू करना इत्यादि।

## मोबाइल बैंकिंग

बैंक ने अपेन बचत/चालू खाताधारियों के लिए मोबाइल बैंकिंग की सुविधा शुरू की है। इस उत्पाद को ''स्टेट बैंक फ्रीडम'' नाम दिया गया है। वर्तमान में निधि अंतरण के लिए ₹50,000 की अधिकतम सीमा है

(IRB) Approach will be followed for Credit Risk, Internal Models Approach (IMA) for Market Risk and Advanced Measurement Approach (AMA) for Operational Risk.

In order to improve the quality of capital and address liquidity risk issues, Reserve Bank of India has issued draft guidelines on implementation of Basel-III Capital Regulations in India to be implemented in phases with effect from 1st January 2013. Bank has made a preliminary assessment of the impact of the guidelines and shall draw plans for smooth transition to Basel-III regime once the final guidelines are issued.

## ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A comprehensive Asset Liability Management (ALM) System is in place for effective management of market risk covering Liquidity Risk, Interest Rate Risk and Foreign Exchange Risk. Liquidity and Interest Rate Risks are assessed and monitored through Structural Liquidity Report and Traditional Gap Analysis respectively. The structural liquidity report is being prepared and reviewed on a daily basis as per RBI guidelines. Both the risks on Foreign Assets & Liabilities are being monitored through Maturity & Positions (MAP) and Sensitivity to Interest Rate (SIR) statements. The monitoring of liquidity on a dynamic basis, over a time horizon spanning 1-90 days, is in place. Duration Gap Analysis is also used to manage interest rate risk for the entire balance sheet.

The Asset Liability Management Policy coupled with Investment Policy of the Bank specifies various prudential limits for management of Liquidity and Interest Rate Risks. The Bank is regularly monitoring these limits. A comprehensive Contingency Funding Plan and a system of daily monitoring of inflows & outflows of deposits are in place for managing Liquidity on a day-to-day basis. Calculation of Value at Risk (VaR) on Foreign Exchange Forward Positions and Stress Testing on Liquidity, Interest rate and Foreign Exchange Open & Forwards Positions is also undertaken.

As per RBI guidelines, the Bank has migrated to the Base Rate regime w.e.f. 01 July, 2010 for new loan accounts except those exempted by RBI. Loan accounts sanctioned prior to 01.07.2010 continue to be governed by the BPLR system until the next renewal/reset date or earlier, if the individual borrowers decide to switchover to Base Rate regime.

## INTERNAL CONTROL, INSPECTION AND AUDIT

The Bank has in place a well-established independent audit system and structure to ensure adequate internal control for safe and sound operations. Internal Audit is carried out under Risk Focused Internal Audit (RFIA) as envisaged under Risk Based Supervision of RBI with focus on assessment of risk and internal control mechanism.

The branches have been categorized into three groups as per risk perception and are subject to varying degrees of audit. During 2011-12, 684 branches and 54 Cells under Business Process Re-engineering (BPR) initiatives have been subjected to internal audit. No branch of the Bank remained overdue for audit as on 31.03.2012. 103 branches and 35 BPR initiatives covering 66.01% of advances including non-fund based business and 40.57% of deposits have been placed under continuous surveillance through concurrent audit. Besides, 13 Head Office Departments are also subjected to concurrent audit system. IS Audit cell is in place to conduct IS audit of major IT establishments including Core Banking project, Zonal Computer Centers, etc. in accordance with RBI directives and Bank's IT Security Policy.

In order to have better and uniform evaluation of risk factors, besides saving substantial working days, the Bank has introduced a "Cluster Audit Approach" in Delhi, Kota and Kolkata centres during 2011-12. Under this approach, simultaneous audit of BPR entities and its linked branches were conducted.

As at end-March, 2012, 99.88% of total branches of the Bank was rated "Well Controlled" and "Adequately Controlled".

## RECONCILIATION OF INTER-OFFICE TRANSACTIONS

As per RBI guidelines, all entries need to be reconciled within a period of six months from the date of their origin. By end-March 2012, the Bank had reconciled all inter-office debit transactions originated upto 29.02.2012 i.e. well before the time limit prescribed. The Bank is committed to perform better than the target set by RBI and shall aim at reconciling all entries within two months of their origin.

## INFORMATION TECHNOLOGY

## CORE BANKING SOLUTION (CBS)

All branches of the Bank are running successfully on Core Banking Solution. We were able to provide better customer satisfaction by tendering many Value Added Services like: multi functional ATMs, Internet Banking, flexi-deposit scheme, multi-city cheque facility, instant credit of local and outstation cheques, introduction of RTGS/NEFT and SBGRPT for faster settlement of funds etc.

## MOBILE BANKING

Bank has introduced Mobile Banking facility for its customers having a Savings/Current Account. The product is named "State Bank Freedom". Presently, there is an upper ceiling of ₹50,000 for fund transfer and for purchase of goods/services per day within overall calendar month limit of ₹2, 50,000.

और समग्र कैलेंडर महीने में प्रतिदिन की जाने वाली वस्तुओं/सेवाओं की खरीद की अधिकतम सीमा ₹2,50,000 की है।

## इंटरनेट मोबाइल भुगतान सेवा (आईएमपीएस)

इंटरनेट मोबाइल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) की शुरूआत की गई जिससे बैंक के ग्राहक अपने मोबाइल का एक चैनल के रूप में उपयोग करके अपने निधियों का प्रेषण कर सकते हैं। साथ ही दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थाओं में विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का भुगतान कर सकते हैं। यह निधि प्रेषण चौबीसों घंटे सुरक्षित रूप में हिताधिकारी के खाते में एमएमआइडी (मोबाइल मनी आइडेंटीफायर) के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। बिलों के प्रेषण या भुगतान की अधिकतम सीमा वही है जो मोबाइल बैंकिंग में हैं।

## स्वचलित टेलर मशीन (एटीएम)

बैंक ने पूरे वर्ष के दौरान नेटवर्क सहित 80 नए एटीएम स्थापित किये। अब एटीएम की कुल संख्या बढ़कर 1082 हो गई है। सभी एटीएम स्टेट बैंक समूह के नेटवर्क से जुडे हैं इससे बैंक के 42.71 लाख कार्ड धारक पूरे देश में मौजूद स्टेट बैंक समूह के 26000 एटीएम का उपयोग कर सकते हैं। हमारे ग्राहक दूसरे बैंकों के एटीएम का भी प्रतिमाह 5 लेन-देन तक नि:शुल्क उपयोग कर सकते हैं, जिसमें शेष की पूछताछ भी एक लेन-देन माना जाता है। अन्तर बैंक एटीएम लेन-देन अधिकतम ₹10,000 की राशि प्रतिदिन आहरित की जा सकती है।

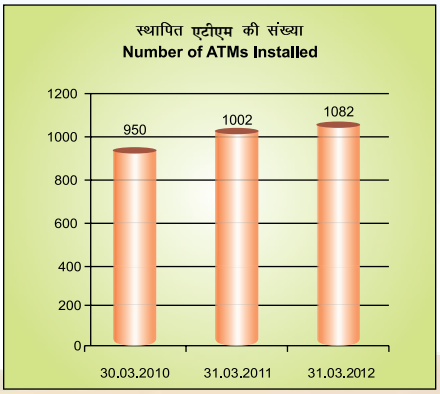


## इंटरनेट बैंकिंग

रिटेल एवं कार्पोरेट दोनों तरह के ग्राहकों को बैंक की सभी शाखाओं द्वारा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। पूरे विश्व में इंटरनेट बैंकिंग के तेजी से बढ़ते प्रयोग के मद्देनज़र बैंक ने इस वर्ष के दौरान कई नई सुविधाओं की शुरूआत की है। हमारे बैंक में एक खाते से दूसरे खाते में निधि अंतरण के अलावा हमारे ग्राहक अपने खाते से किसी दूसरे बैंक के खाते में भी राशि का अंतरण (आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा) कर सकते हैं। ग्राहक अपनी सुविधानुसार अपने घर/ऑफिस से सावधि जमाओं के मामले में टीडीएस का पता लगा सकते है। ई-टीडीआर/ ई-एसटीडीआर/ई-रेकरिंग डिपोजिट (आर.डी.) खाता को खोल/बंद कर सकते हैं और जमा हुए आय कर के विवरण (26 एएस) को देख भी सकते हैं। छोटे कार्पोरेट ग्राहक 'सीआईएनबी सरल' सुविधा द्वारा प्रति उपयोगकर्ता प्रति दिन ₹5.00 लाख तक की राशि का लेन देन किया जा सकता है।

दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए रिटेल इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई हैं। कार्पोरेट ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा 'आई कलेक्ट' शुरू की गई है। जिसमें निधियों के ऑन लाईन संग्रहण की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के ऑनलाईन भुगतान भी इंटरनेट बैंकिंग से किया जा रहा है। बैंक के ग्राहक अब आयकर, सेवाकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्र सरकार का सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट) ओर राजस्थान एवं महाराष्ट्र राज्य सरकार का केंद्रीय बिक्री कर एवं महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रोफेशनल टैक्स ऑन लाइन जमा कर सकते हैं। बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल 'www.sbbjonline.com' के माध्यम से आईपीओ के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा आस्बा (ASBA) सुविधा के साथ उपलब्ध कराई गई है जहाँ निवेशक ग्राहक आवेदन प्रक्रिया के दौरान ब्याज अर्जित करना जारी रखता है।

रेलवे/वायुयान की ऑन लाइन बुकिंग की सुविधा को व्यापक स्तर पर स्वीकार किया गया है। रेलवे माल भाड़ा (ई-मालभाड़ा) के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा भी लोकप्रियता हासिल कर रही है। अब चार कार्पोरेट ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। बैंक ने अपने ऑनलाइन सिस्टम के साथ दो अतिरिक्त एग्रीगेटर को जोड़ा है ताकि बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्रयोक्ताओं के व्यापारियों एवं उपयोगी सेवाओं/वस्तुओं के बिल प्रदाताओं की सीमा को बढ़ाया जा सके। ग्राहक अब 1200 से अधिक व्यापारियों/बिल प्रदाताओं को भुगतान कर सकते हैं। व्यापारियों/बिल प्रदाताओं की सूची का विस्तार करने के लिए बैंक द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं।

बैंक ने स्टॉफ एवं ग्राहक दोनों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के बारे में जगरूकता फैलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बैंक द्वारा अंचल/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं में कई सेमिनार आयोजित किये गए हैं। कार्पोरेट्स एवं संस्थाओं के स्टॉफ सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया। ऑनलाइन कर भुगतान के लिए कार्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग को लोकप्रिय बनाने एवं ''शून्य शेष इंटरनेट चालू खाता'' की सुविधा का लाभ उठाने को प्रेरित करने के लिए कार्पोरेट ग्राहकों के साथ बैठक की गई।

## इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली आरटीजीएस, एनईएफटी एवं एसबीजीआरपीटी का प्रयोग

तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) का एकीकृत भुगतान एवं निपटान प्रणाली है एवं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रचालित अंतर बैंक निधि अंतरण के लिए एक योजना है। बैंक ने आरटीजीएस एवं एनईएफटी प्रणाली के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बैंक की सभी शाखाएं आरटीजीएस एव एनईएफटी सुविधायुक्त है। ग्राहक तीव्रतर एवं सुरक्षित तरीके से काफी कम चार्ज देकर देश के किसी बैंक की आरटीजीएस, एनईएफटी सुविधायुक्त शाखा में अपना अंतर बैंक प्रेषण कर सकता है ग्राहकों के लिए स्टेट बैंक समूह के अंदर इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के रूप में स्टेट बैंक ग्रुप पेमेंट (एसबीजीआरपीटी) कार्य पद्धति उपलब्ध है।

## एसएमएस अनहैपी

वर्ष 2011-12 के दौरान एक नई सेवा 'प्रोजेक्ट एसएमएस अनहैपी' की शुरूआत की गई। इस सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को एक सरल एवं बचतकारी सुविधा प्रदान करना है। ताकि उनकी शिकायतों का समाधान काफी कम समय में (48 घंटों से कम समय में) किया जा सके। इस सेवा का लक्ष्य ग्राहकों के

## INTERBANK MOBILE PAYMENT SERVICES (IMPS)

"Interbank Mobile Payment Service" (IMPS) has been launched enabling Bank's customers to use mobile instruments as a channel for remitting funds or to make various utility payments at shops and commercial establishments, making payment just with the MMID (Mobile Money Identifier) of the beneficiary in secure manner on 24 X 7 basis. The upper ceiling for remittance or payment of bills is same as in Mobile Banking facility.

## AUTOMATED TELLER MACHINES (ATMS)

The Bank has installed 80 new networked ATMs during the year to take the tally of ATMs to 1082. All the ATMs are connected to the network of State Bank Group ATMs, thereby enabling more than 42.71 lac cardholders of the Bank to have access to over 26000 ATMs of the State Bank Group all over the country. Our customers can also access ATMs of other Banks free of charge upto five transactions per month, including balance enquiry as transaction, subject to a maximum of ₹10,000 per transaction.

## INTERNET BANKING

All branches of the Bank are enabled to offer Internet Banking facility to the retail as well as the corporate customers. Looking to the rapid increase in the usage of Internet banking worldwide, the Bank has introduced several new features during the year. Apart from transferring funds from their account to another account in our Bank, our customers can now transfer amount from their account to any other account in any bank (through RTGS/NEFT), make TDS enquiry for Term Deposits from the comfort of their homes or offices, open/close of e-TDR/e-STDR/e-Recurring Deposit (RD) account, and view the details of Income-Tax deposited (26-AS). Transaction rights with single ID up to ₹5.00 lac per day per user for small Corporate customers, named 'CINB Saral', has been provided. Retail Internet Banking facility for visually challenged persons has also been made available. For Corporate customers, a new facility 'I-Collect', for on line collection of funds has been provided.

Online payment of direct and indirect taxes have been enabled in our Internet banking. Bank's customers can now pay Income Tax, Service Tax, Excise Duty, Customs Duty of Central Government, Value Added Tax (VAT) and Central Sales Tax (CST) of Rajasthan State Government and Maharashtra State Government as also Professional Tax of Maharashtra State Government online. Facility of online application for IPOs through Bank's internet banking portal www.sbbjonline.com with ASBA (Application Supported with Blocked Amount) facility, where investor customer continue to earn interest during the application process, is available to users.

Facility of online booking of Railway/ Air Tickets has been widely accepted. Electronic payment of railway freight (E-Freight) is gaining popularity; now four Corporate customers are using the facility. Bank has integrated two more Aggregator to its online system to increase the range of merchants and utility billers to Bank's Internet Banking users. Customers can now make payment to 1200 plus merchants/billers. Steps have been taken by the Bank to further increase the merchants/billers list.

Bank launches a campaign to promote retail Internet Banking by initiating actions to increase awareness about Internet Banking among staff as well as customers. It has conducted seminars at Zonal/Regional offices and branches. Interaction with staff of Corporates and Institutions were also held. Meetings with Corporate customers were organized to popularize Corporate Internet Banking and facility of "Zero Balance Internet Current Account" for online tax payment.

## ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS: USAGE OF RTGS, NEFT & SBGRPT

Real Time Gross Settlement (RTGS) is an integrated payment and settlement system and National Electronic Fund Transfer (NEFT) is a scheme for inter-bank funds transfer operated by the RBI. Bank has taken several measures to increase usage of RTGS and NEFT system. All branches of the Bank are RTGS and NEFT enabled. Customers can make their inter-bank remittances in a faster and secure manner at a very nominal cost, to any RTGS/ NEFT enabled branch of other banks in India. State Bank Group Payment (SBGRPT) functionality for electronic funds transfer within State Bank Group is also available for customers.

## SMS UNHAPPY

A new service "Project SMS Unhappy" has been launched during the year 2011 -12 with the objective of providing a simple and economical way to the customers to convey their grievances and reduce complaint resolution time drastically, to below 48 hours, thereby enhancing the customer satisfaction level and creating a loyal customer pool.

## GREEN CHANNEL COUNTER

Bank has implemented "Green Channel Counter" facility at 250 branches including all district Head Quarter branches in Rajasthan and all branches situated in Delhi NCR, Mumbai, Bangalore and Ahmedabad during the year 2011 - 12. It is a paperless, eco-friendly and easy facility which would enable customers to pre-process selected transactions in a branch. This is being carried out by using a Transaction Processing Device (TPD) placed at a Single Window Operator's

संतुष्टि स्तर को बढ़ाना और एक विश्वसनीय ग्राहक-पुल का निर्माण करना है।

## ग्रीन चैनल काउंटर

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों एवं दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर एवं अहमदाबाद में स्थित सभी शाखाओं सहित कुल 250 शाखाओं में गीन चैनल काउंटर सुविधा शुरू की है। यह कागज रहित, पर्यावरण हितैषी एवं आसान सुविधा है जिससे ग्राहक शाखाओं में प्री-प्रोसेस निर्धारित लेन-देन कर पाएंगे। यह कार्य सिंगल विंडो ऑपरेटर टर्मिनल पर स्थित ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डिवाइस (टीपीडी) के प्रयोग द्वारा किया जा रहा है। यह एसडब्ल्यूओ के डेस्कटाप से लिंक्ड है और सीबीएस अनुप्रयोग से एकीकृत है। यह टीपीडी, ट्रांजेक्सन प्री प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है जिसमें किसी लेने देन विशेष के लिए आँकड़ों की प्रविष्टि ग्राहकों द्वारा की जाती है जिसका प्रमाणन एटीएम सह डेबिट कार्ड के लिए उपलब्ध चार अंकों के पिन के द्वारा किया जाता है। इस सुविधा से ग्राहकों को सहुलियत एवं सुरक्षा दोनों मिलती है जिसमें निकासी फॉर्म/चैक/जमा पर्ची को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उन्हें अपेक्षाकृत तीव्रतर सेवा प्राप्त होती है।

### सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सुरक्षा

सूचना प्रौद्योगिकी संपन्न सेवाओं के प्रयोग के स्तर के रूप में हमारे सूचना तकनीक परिसंपत्तियों को लेकर आशंकाएं एवं जोखिम भी कई गुना बढ़े हैं। इन आशंकाओं एवं जोखिम को नियंत्रण करने की दिशा में बैंक के पास एक विस्तृत सूचना तकनीक एवं सूचना-प्रणाली (आईएस) सुरक्षा नीति है जो इन सभी मामलों की देख रेख करता हैं इसमें ग्राहकों की गोपनीयता का रख रखाव, आँकड़ों की सुरक्षा एंव एकरुपता आदि मुद्दे शामिल हैं। स्टेट बैंक का आँकड़ा केंद्र ने, जहाँ बैंक का सीबीएस डाटा बेस (प्राथमिक एवं आपदा पुनः प्राप्ति दोनों ही साइट पर) अनुरक्षित है अपने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की आधिकारिक मान्यता आइएसओ/आईईसी, 27001/2005 प्राप्त कर ली है। सभी बैंकिंग अनुप्रयोगों में बने बनाए सुरक्षा फीचर हैं जैसे अनुप्रयोग की ज़रूरत के अनुरूप एक्सेस कंट्रोल, आँकड़ा गोपनीयता एवं सुरक्षित चैनलों से ट्रांसमीशन। पर्याप्त फायरबॉल एवं अंतर्भेदन संसूचन प्रणालियाँ (इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम) समुचित रूप से कार्यरत हैं ताकि नेटवर्क में किसी तरह की अनाधिकृत पहुँच न हो सके। नेटवर्क की सुरक्षा के कार्य का प्रबंधन बैंक के नेटवर्क प्रबंधन परामर्शदाताओं द्वारा किया जा रहा है। सभी शाखाओं के लिए आपदा पुनर्ग्रहण योजना (डीआरपी) एवं व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) सही तरीके से क्रियाशील हैं।

## अपने ग्राहक को जानिये/ धनशोधन निवारण/वित्तीय आतंकवाद से निपटने के उपाय

संदेहप्रद लेनदेनों की पहचान और जाँच के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में धनशोधन निवारण प्रकोष्ठ (एन्टी-मनी लाण्डरिंग सेल) गठित करने के अतिरिक्त एमलॉक साफ्टवेयर संस्थापित किया है। ग्राहकों के खातों को विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जब भी पहले से निर्धारित सीमा से अधिक का लेनेदेन होता है, चेतावनियाँ जारी हो जाती हैं। ये चेतावनियाँ संदेहास्पद लेनेदेनों को पहचानने में सहायता करती हैं, जिन्हें उपयुक्त मामलों में वित्तीय आसूचना इकाई, भारत सरकार को अवगत करवा दिया जाता है।

## ग्राहक सेवा

ग्राहक सेवा बैंक के लिए एक प्रमुख केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार कोर बैंकिंग प्रौद्योगिकी द्वारा उनकी दैनन्दिन आवश्यकताओं के अनुरुप मूल्य वर्धित सेवाओं एवं पुनः नवीकरण मुख्य व्यवसाय प्रक्रियाओं की सुविधा उपलब्ध कराना एक निरंतर प्रक्रिया है ताकि ग्राहक सेवा में निरन्तर सुधार किया जा सके।

ग्राहकों को प्रदत्त की जा रही ग्राहक सेवा की समीक्षा करने हेतु निदेशक मण्डल की ग्राहक सेवा समिति एवं ग्राहक सेवा की स्थायी समिति की बैठकें नियमित अन्तराल पर आयोजित की गई हैं। ऐसी ही समितियाँ शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों, में भी कार्य कर रही है जो ग्राहक सेवा स्तरों में निरंतर सुधार हेतु सहायक हैं।

बैंक में एक बहुस्तरीय शिकायत निवारण तन्त्र विद्यमान है जो ग्राहकों की विविध समस्याओं/शिकायतों का समाधान करता है। कोई असंतुष्ट ग्राहक शाखा/क्षेत्रीय/अंचल/प्रधानकार्यालय के स्तर पर कहीं भी अपनी लिखित शिकायत दर्ज़ कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म में वह अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज़ करा सकता है। साथ ही ई-मेल से शिकायत की पावती भी प्राप्त कर सकता है।

वर्ष के दौरान बैंक ने एक नयी पहल 'मिशन फाइव' की शुरुआत की है जिसमें शाखाओं द्वारा ली जाने वाली पाँच स्वैच्छिक पहल हैं: परिसर की स्वच्छता, स्टॉफ सदस्यों की समयनिष्ठा, ग्राहकों के साथ मुस्कान भरा व्यवहार रखना, ग्राहकों को उनका नाम लेकर धन्यावाद कहना एवं उनकी शिकायतों का तत्परतापूर्वक निपटारा करना (समय, मुस्कान, तत्परता, स्वच्छता एवं धन्यवाद)।

बैंक भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और बैंक नें स्वेच्छापूर्वक "ग्राहकों के लिये बैंक की प्रतिबद्धता का कोड'' अपनाया है जिसमें

*सूचना प्रौद्योगिकी: श्री एच.आर. खान, उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 20 मिनट में गृह-ऋण सुविधा शुभारंभ*

***Information Technology: Online Home Loan in 20 minutes, this facility was launched by Shri H.R. Khan, Dy. Governer, RBI***

(SWO) terminal and linked with the desktop of the SWO and integrated with the CBS application. This TPD acts as a transaction pre-processing device, which is used by customers to enter data for a particular transaction authenticated by the four digit PIN provided for the ATM-cum-Debit Card. The facility provides safety and comfort to the customers by avoiding filling up of withdrawal forms / cheques / pay in slips and quicker service.

## INFORMATION TECHNOLOGY (IT) SECURITY

As the level of usage of IT enabled services has increased, the threats and risks to our IT assets have also increased manifold. To control these threats and risks, the Bank has a comprehensive IT and Information Systems (IS) Security Policy that addresses all these concerns including maintenance of customers' confidentiality, security and integrity of data. State Bank's data centre, where Bank's CBS data base resides (both at the Primary and Disaster Recovery Site), has acquired the accreditation for the international standard for Information Security Management Systems ISO/IEC: 27001: 2005. All the Banking applications have built-in security features like access control, data encryption and transmission through secured channels as per requirement of the application. The threat of virus and worms is minimized by having a centralized anti-virus solution. Adequate Firewalls and Intrusion Detection Systems are in place so as to prevent unauthorized access to the network. The security of the network is being managed by Network Management Consultants of the Bank. The Disaster Recovery Plan (DRP) and Business Continuity Plan (BCP) for all branches are in place.

## KNOW YOUR CUSTOMER/ ANTI MONEY LAUNDERING/ COMBATING OF FINANCING OF TERRORISM MEASURES

In order to identify and examine suspicious transactions, the Bank has installed the AMLOCK software, besides setting up an Anti Money Laundering Cell at Bank's Head Office. The customers' accounts have been divided into different risk categories. Alerts are generated once any transaction exceeds a predefined threshold limit. These alerts help in identification of suspicious transactions, which are further reported to Financial Intelligence Unit, Government of India, in appropriate cases.

## CUSTOMER SERVICE

Customer Service continues to remain a prime focus of attention for the Bank. Leveraging core banking technology, providing value added services and re-designing key business processes, in line with the requirements of customers, is an ongoing process in the Bank aimed at improvement in Customer Service on a continuous basis.

The meetings of the Customer Service Committee of the Board and Standing Committee on Customer Service were convened at regular intervals to review the position of customer service rendered. Similar Committees are also functioning at Branches, Zones and Head Office, which help in continuous improvement in service standards.

The Bank has put in place a multi pronged grievances redressal mechanism to suit varied customer requirements. An aggrieved customer can either make a written complaint at branch / regional / zonal / head office of the Bank or make an online submission in the form provided on the Bank's website / through e-mail against acknowledgement.

During the year, the Bank has launched an initiative code-named 'Mission Five', encompassing 5 voluntary initiatives to be undertaken by the branches for maintaining cleanliness of premises, punctuality of staff members, serving customers with a smile, thanking its customers by name and promptly resolving their complaints.

The Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has voluntarily adopted a 'Code of Bank's Commitment to Customers,' which sets a framework for setting a minimum standard of banking services to be provided by the banks.

## DISCLOSURE OF COMPLAINTS/ UNIMPLEMENTED AWARD OF BANKING OMBUDSMEN

In terms of RBI circular DBOD.No.Leg BC.60/09.07.005/2006-07 dated 22.02.2007, the information in respect

*अद्वितीय ग्राहकोन्मुखी कार्यक्रमः ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एसएमएस अनहैप्पी*

***Unique Customer Orientation Programme: "SMS unhappy" for redressal of customer grievances***

सदस्य बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रदत्त सेवा के न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं।

## शिकायतों/बैंकिग लोकपाल के कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों का प्रकटन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22.02.2007 के परिपत्र डीबीओडी सं. एलईजी बीसी 60/09.07.005/2006-07 के सन्दर्भ में ग्राहकों की शिकायतों एवं बैंकिग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों के सम्बन्ध में सूचना नीचे सारणी में दी गई है:

| | |
|---|---|
| **(अ) ग्राहक शिकायतें (मार्च 2012 तक स्थिति)** | |
| (क) वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित शिकायतों की संख्या | 32 |
| (ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (*) | 6227 |
| (ग) वर्ष के दौरान दूर की गयी शिकायतों की संख्या (*) | 6198 |
| (घ) वर्ष के अन्त में लम्बित शिकायतों की संख्या | 61 |
| (*) 1446 गैर अनुरक्षणीय शिकायतों को छोड़कर। | |
| **(ब) बैंकिग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय (मार्च 2012 तक स्थिति)** | |
| (क) वर्ष के प्रारम्भ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या | शून्य |
| (ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या | 05 |
| (ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये गए अधिनिर्णयों की संख्या | 04 |
| (घ) वर्ष के अन्त में कार्यान्वित न किये गए अधिनिर्णयों की संख्या | 01* |
| *बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय जिसके विरुद्ध अपील की गई एवं जो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज हुए। | |

## एटीएम शिकायतें

शाखाओं में प्राप्त एटीएम से संबंधित असफल लेने देने की शिकायतों की निगरानी करने हेतु एटीएम शिकायत समायोजन प्रकोष्ठ की प्रधान कार्यालय में स्थापना की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीएम से संबंधित शिकायतों का समाधान 7 कार्य दिवस में करने के निर्देश दिये हैं। शिकायतों को शीघ्र निपटाने हेतु ऑन लाइन एटीएम शिकायत प्रबन्धन प्रणाली (एटीएमसीएम) का विकास किया गया है। जिसके द्वारा हम शिकायतों के समाधान में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों की अनुपालना करने में सक्षम हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक में एटीएम सम्बन्धी 45408 शिकायतें मिलीं तथा उनमें से 44905 शिकायतों का समाधान किया गया। दिनांक 01.04.2010 से हमारी कोई भी होम बैंक शिकायत (जहाँ ग्राहक तथा एटीएम दोनों बैंक के ही हैं) 7 कार्य दिवस से अधिक बकाया नहीं हैं।

## सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सुचारू समन्वय एवं प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से बैंक के प्रधान कार्यालय में सूचना का अधिकार विभाग का गठन किया गया तथा यह विभाग अपनी स्थापना से ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की अनुपालन करते हुए यह सुनिश्चित करता आ रहा है कि न केवल अधिनियम के अंतर्गत उसे प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों में वाँछित सूचनाओं का, अपितु अपीलें भी, यदि प्राप्त हों, तो उनका भी प्रभावी व समयबद्ध निवारण हो।

31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष में सूचना का अधिकार विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कुल 1466 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 31.03.2012 तक 1434 आवेदन का निस्तारण कर दिया गया तथा 32 आवेदन (एक माह से कम अवधि में प्राप्त आवेदन) निस्तारण हेतु लम्बित थे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सूचना का अधिकार विभाग को दिनांक 31.03.2012 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 64 अपीलें भी प्राप्त हुई तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इनमें से 62 अपीलों का दिनांक 31.03.2012 तक निस्तारण कर दिया गया।

## व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (बीपीआर) अभिक्रमों का और अधिक स्थिरीकरण हुआ है तथा उनका और अधिक शाखाओं तक विस्तार किया गया है। बैंक 11 केन्द्रों पर, 12 शहर-केन्द्रस्थ केन्द्रीय ऋण प्रक्रिया केन्द्र यथा आरएसीपीसी/एसएमईसीसीसी/आरएएसएमईसीसीसी का एंड-स्टेट में परिचालन कर रहा है। 31.03.2011 को इनसे संबद्ध 223 शाखाओं की तुलना में अब 228 शाखाएं इन ऋण प्रक्रिया केन्द्रों से संबद्ध है। प्रक्रिया को तीव्र एवं किफायती बनाने के लिए वर्ष के दौरान अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, कोलकाता, कोटा, मुम्बई, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर में स्थित (जहाँ संबद्ध शाखाएं 20 से कम हैं) आरएएसएमईसीसीसी एवं एसएआरसी (सार्क) को, संयुक्त कर दिया गया है। इसी तरह आरसीपीसी का कार्यक्षेत्र गत वर्ष के अंत में 235 शाखाओं की तुलना में 31.03.2012 को 255 शाखाओं तक किया गया है। प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों पर रिलेशनशिप मैनेजर (मीडियम एण्टरप्राईजेज) की संख्या गत वर्ष 11 केन्द्रों पर 14 के मुकाबला 13 केन्द्रों पर 17 हो गई है।

गैर ऋण प्रक्रिया केन्द्रों यथा एलसीपीसी, टीएफसीपीसी, सीएसी, सीपीपीसी,क्लीयरिंग सीपीसी, एमपीएसटी, आरएमपीबी से भी ग्राहक सेवा में और अधिक सुधार करने में मदद मिली है। बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के वड़ोदरा स्थित कॉन्टैक्ट सेंटर, जिसे ग्राहक सूचना एवं संतुष्टि में वृद्वि के एक प्रभावी वैकल्पिक डिलीवरी चैनल के रुप में डिजायन किया गया है। के साथ दिनांक 03.02.2012 से जुड़ गया है हमारे उत्पादों/सेवाओं से संबंधित ग्राहकों के प्रश्नों का टोल फ्री हेल्पलाईन नं. 1800 180 6005 पर चौबीसों घंटे जवाब दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, केन्द्रीय प्रक्रिया केन्द्रों / नव प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने, उसके अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने एवं स्टाफ व स्थान की लागत में कमी के लिए निम्नानुसार परिवर्तन किए गए हैं:

(क) प्रधान कार्यालय में व्यवसाय शीर्ष (बिजीनेस वर्टिकल) के सृजन से केन्द्रीय प्रक्रिया केन्द्रों / अभिक्रमों का मुख्य स्वामित्व व उनके कार्य निष्पादन एवं उपलब्धियों का लेखा-जोखा रखने के लिए उत्तरदायित्व संबंधित शीर्ष प्रमुख को सौंप दिया गया है।

(ख) वैयक्तिक ऋण व कार ऋण को केन्द्रीय ऋण प्रक्रिया केन्द्रों / एमपीएसटी से विच्छेदन कर ऋण आवेदनों की प्राप्ति (Sourcing), स्वीकृति, वितरण एवं रख-रखाव का कार्य संबंधित शाखा को दिनांक 14.11.2011 से सौंप दिया गया है। शाखाओं के क्षेत्र-विशेष के कार डीलर (कार ऋण हेतु) से जुड़े होने तथा शाखा में वेतन खाते होन के कारण ग्राहकों से मिल पाने

of customer complaints and awards passed by the Banking Ombudsmen is given in the Table below :-

| | | |
|---|---|---|
| **A.** | **Customer Complaints ( Position upto March 2012)** | |
| (a) | No. of Complaints pending at the beginning of the year | 32 |
| (b) | No. of Complaints received during the year(*) | 6227 |
| (c) | No. of Complaints redressed during the year(*) | 6198 |
| (d) | No. of Complaints pending at the end of the year | 61 |
| (*) | Excluding 1446 Complaints found non maintainable. | |
| **B.** | **Awards passed by the Banking Ombudsman (BO)(Position upto March 2012)** | |
| (a) | No. of unimplemented Awards at the beginning of the year | Nil |
| (b) | No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year | 05 |
| (c) | No. of Awards implemented during the year | 04 |
| (d) | No. of unimplemented Awards at the end of the year | 01* |

* Appeal allowed and award passed by BO set aside by the Appellate Authority.

## ATM COMPLAINTS

To monitor the ATM failed-transactions related customer complaints received at the branches, ATM complaints Reconciliation Cell has been established at Head Office. Reserve Bank of India has prescribed that all ATM complaints to be resolved within 7 working days. For faster resolution /redressal of complaints, an online ATM Complaint Management System (ATMCMS) has been developed, through which we are able to adhere to RBI Guidelines. During the year 2011-12, the Bank has received 45408 ATM failed-transactions related complaints, out of which 44905 complaints were resolved. No home-bank complaint (where customer and ATM both belong to our bank) is pending for more than 7 working days, since 01-04-2010.

## THE RIGHT TO INFORMATION (RTI)

The Right to Information (RTI) Department, constituted at the Bank's Head Office for better coordination and effective implementation of the Right to Information Act, 2005, has been instrumental in ensuring that information sought for, under the various RTI applications received by them, is dispensed with efficiently and effectively in a time bound manner as per the provisions of the Act and that the appeals too, if received, are redressed timely.

During the current year ended 31.03.2012, the RTI Department received 1466 applications under the RTI Act, 2005, out of which, 1434 applications were disposed. Only 32 applications, all less than a month old were awaiting disposal as on 31.03.2012.

Besides, the Bank had also received 64 appeals upto 31.03.2012 under the RTI Act, 2005, out of which 62 appeals have been disposed off by the Appellate Authority by 31.03.2012.

## BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING

During FY 2011-12, Business Process Re-engineering (BPR) Initiatives further stabilized in Bank and their coverage extended to more branches. Bank operates 12 city-centric loan CPCs, viz. Retail Assets Central Processing Centre (RACPC), Small & Medium Enterprises City Credit Centre (SMECCC) and Retail Assets and Small & Medium Enterprises City Credit Cell (RASMECCC) in end-state at 11 centres with 228 branches linked to them, as against 223 branches linked as on 31.03.2011. During the year, RASMECCC & SARC were combined at Ajmer, Bhilwara, Bikaner, Jodhpur, Kolkata, Kota, Mumbai, Sriganganagar and Udaipur (where number of linked branches is < 20) for faster and cost effective processing. Similarly, coverage of Rural CPC went up to 255 branches as on 31.03.2012, as against 235 branches at the end of previous year. Number of Relationship Managers (Medium Enterprises) increased to 17 at 13 major business centres compared to 14 RMMEs at 11 centres at the end of previous year.

Non loan CPCs / initiatives, viz. Liability Central Processing Centre (LCPC), Trade Finance Central Processing Centre (TFCPC), Currency Administration Cell (CAC), Central Pension Processing Cell (CPPC), Clearing CPC (CCPC), Multi Product Sales Team (MPST), Relationship Manager-Personal Banking (RMPB) have helped further improvement in customer service. Bank joined SBI's Contact Centre at Vadodara w.e.f. 03.02.2012, which is an effective alternate delivery channel designed to boost customer information and satisfaction. Customers' queries relating to Bank's products/services are responded through Toll Free Help Line Number 1800 180 6005 on 24x7 basis.

During FY 11-12, the following developments took place to make CPCs / initiatives more effective and to optimize gains and obviate staff & space costs:

(a) Upon creation of business verticals at HO, the ownership & responsibility for stimulating and tracking the performance of CPCs and initiatives was assigned to respective vertical heads.

(b) Personal Loans and Car Loans were delinked from loan CPCs / MPST and their sourcing, sanction, disbursement and maintenance vested with the respective linked branches w.e.f. 14.11.2011. This shifting was necessitated due to branches enjoying area-specific car dealers linkages (for car loans) and for ease of interface with customers having salary accounts (for personal loans).

(c) MPSTs at 10 major centres, viz. Ajmer, Bhilwara, Bikaner, Delhi, Jaipur, Jodhpur, Kota, Mumbai, Sriganganagar and Udaipur became leaner and re-oriented towards sourcing one or combination of Home Loans, MSME loans and Corporate Salary Package, in most productive manner.

(इन्टरफेस) में सुगमता होने के कारण (वैयक्तिक ऋण हेतु) यह परिवर्तन आवश्यक था।

(ग) 10 प्रमुख केन्द्रों, यथा अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, कोटा, मुम्बई, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर में एमपीएसटी को कुछ सीमित कर, उन्हें अधिक उत्पादक तरीके से गृह ऋण, एमएसएमई ऋण तथा कॉरपोरेट सेलरी पैकेज के एक या एकाधिक प्रकार के मिश्रित ऋण आवेदनों की प्राप्ति के लिए प्रेरित एवं दिशा-निर्देशित किया गया।

31.03.2011 की तुलना में 31.03.2012 को विभिन्न केन्द्रीय प्रक्रिया केन्द्रों / अभिक्रमों की व्याप्ति निम्नानुसार है:

| केन्द्रीय प्रक्रिया केन्द्र / अभिक्रम | शाखाओं की व्याप्ति | |
|---|---|---|
| | 31.03.2011 | 31.03.2012 |
| एलसीपीसी | 377 | 486 |
| सीपीपीसी | 754 | 792 |
| सीएसी | 129 | 136 |
| क्लीयरिंग सीपीसी | 197 | 206 |
| टीएफसीपीसी | 99 | 116 |
| आरएमपीबी | 16 | 16 |
| शाखा पुनः रुपांकन | 145 | 159 |

पार्श्व कार्यालय (बैक ऑफिस) क्रियाकलापों के ऋण प्रक्रिया केन्द्रों में विस्थापित होने, शाखा पदाधिकारियों की संशोधित भूमिका (Role) लागू होने एवं मुख्य बीपीआर केन्द्रों पर शाखाओं के बेहतर वातावरण/साज-सज्जा (Ambience) से न केवल बैंक की छवी सुधरी है बल्कि संबद्ध शाखाओं को ग्राहक सेवा पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने में मदद मिली है। बीपीआर अभिक्रम, बैंक में तकनीकी सुधारों का लाभ लेते हुए, सेवा की गुणवत्ता एवं व्यवसाय में अपने बाजार-अंश को बढ़ाने के लिए है। गुणवत्ता, लचीलेपन तथा उत्पादकता में और अधिक सुधार के उद्देश्य से विभिन्न केन्द्रीय प्रक्रिया केन्द्रों में उन्नत वर्क-फ्लो सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।

## मुद्रा प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजस्थान के अंदर 200 शाखाओं को और राजस्थान के बाहर 16 शाखाओं को मुद्रा तिजोरी के लिए नामित किया है। सभी मुद्रा तिजोरी शाखाएँ सक्षम तरीके से निम्न कार्य कर रही हैं:-

क. जनता में नये करेंसी नोटो का परिचालन

ख. जनता के बीच सिक्कों की व्यवस्था

ग. फटे/क्षतिग्रस्त/पुराने नोटों को बदलना

घ. अन्य बैंक की शाखाओं को लिंकेज सुविधा प्रदान करना

ड़. हमारी 16 शाखाओं में हर माह के तीसरे रविवार को नोट आदान-प्रदान एवं सिक्का वितरण का कार्य किया जाता है।

## परस्पर विक्रय

बैंक की गैर ब्याज आय को बढाने के लिए बैंक द्वारा जीवन एवं गैर जीवन बीमा, म्यूचुअल फण्ड एवं क्रेडिट कार्ड उत्पादों का सतत रुप से विपणन जारी रखा गया है। इस उद्देश्य से बैंक ने एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड, एसबीआई म्यूचुअल फण्ड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फण्ड एवं एसबीआई कार्ड एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्रा.लि. के साथ गठबंधन किया हुआ है। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने इन उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न अभियान चलाए, जिसके फलस्वरुप परस्पर विक्रय गतिविधियों से ₹17.32 करोड़ की कुल आय अर्जित की गई।

## अवरुद्ध राशि से समर्थित आवेदन पत्र के माध्यम से भुगतान की पद्धति (एएसबीए)

सार्वजनिक निर्गमों तथा अधिकार निर्गमों में अधिक कार्यकुशलता प्रदान किये जाने के क्रम में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा एक पूरक प्रक्रिया अवरुद्ध राशि से समर्थित (एएसबीए) आवेदन पत्र प्रक्रिया लागू की गई है। सेबी ने बैंक को एएसबीए प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार करने हेतु पात्र स्वयं प्रमाणित समूह बैंक के रुप में अधिकृत किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान एएसबीए प्रक्रिया हेतु बैंक ने 2 और शाखाओं को नामित किया है। इस प्रकार बैंक अब तक 17 शाखाओं को ये आवेदन स्वीकार करने हेतु नामित कर चुका है। इसके अतिरिक्त, बैंक की सभी शाखाओं के ग्राहक सार्वजनिक/अधिकार निर्गमों में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी एएसबीए प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं। चालू वर्ष के दौरान बैंक ने सिंडिकेट एएसबीए का कार्य भी प्रारम्भ

*बैंक ने परस्पर विक्रय के विभिन्न परिमाणों के तहत सभी सहयोगी बैंकों में अधिकतम ट्राफियां प्राप्त की*

***Bank received maximum trophies under various parameters in Cross Selling among all Associate Banks***

Coverage of various CPCs / initiatives as on 31.03.2012 vis-à-vis 31.03.2011 was as under :

| CPC / Initiative | Branches Covered | |
|---|---|---|
| | 31.03.2011 | 31.03.2012 |
| LCPC | 377 | 486 |
| CPPC | 754 | 792 |
| CAC | 129 | 136 |
| Clg. CPC | 197 | 206 |
| TFCPC | 99 | 116 |
| RM-PB | 16 | 16 |
| Branch Re-design | 145 | 159 |

(v) Shifting of back office activities to loan CPCs, implementation of revised roles for branch functionaries and better ambience in branches at core BPR centres not only improved the Bank's image but also helped the linked branches to focus more on customer service. BPR initiatives in the Bank are set to improve the quality of service and market share in business by leveraging technological changes. Efforts are being made by the Bank to back various CPCs with advanced work-flow software aimed at further improving quality, flexibility and productivity.

## CURRENCY MANAGEMENT

RBI has designated 200 branches as Currency Chest branches in the State and 16 branches in other parts of our Country. All the Currency Chest branches are undertaking the following activities in an efficient manner:

(i) Circulation of New Currency Notes among public.

(ii) Distribution of coins to the public.

(iii) Exchange of torn /damaged/ soiled / mutilated notes.

(iv) Providing linkage facilities to branches of other banks which are linked to them.

(v) 16 branches are providing facilities of note exchange and coins distribution on 3rd Sunday of every month.

## CROSS SELLING

In order to augment non-interest income, the Bank has continued marketing of life and non-life insurance, mutual funds and credit card products. For the purpose, the Bank has in place tie up arrangements with SBI Life Insurance Co. Ltd., National Insurance Co. Ltd., SBI Mutual Fund, Birla Sunlife Mutual Funds and SBI Cards & Payments Services Pvt. Ltd. During 2011-12, the Bank launched campaigns for marketing of these products which helped in getting a total income of ₹17.32 crores from cross selling activities.

## APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA)

In order to impart greater efficiency in public issuance, a supplementary process of applying in Public Issues as well as to right issues had been introduced by the SEBI viz. Applications Supported by Blocked Amount (ASBA). The Bank, being registered as Bankers to an issue, had been authorized by SEBI as Self Certified Syndicate Bank, eligible to accept applications under the ASBA process. During the year 2011-12, the Bank has designated 2 more branches under the ASBA process. Thus, the Bank has so far designated 17 branches, which can accept these applications. Besides, customers of all branches of the Bank can apply in the public/right issues under the ASBA process, through Internet Banking. During the year, the Bank has also started work of Syndicate ASBA and 4 branches has been designated under this process. During the period under review, 22207 applications aggregating ₹230.42 crore were processed by 17 designated branches of the Bank. The Bank earned a commission of ₹0.31 crore in the process.

## COMMUNITY SERVICES BANKING

As a responsible Corporate Citizen, the Bank continues to undertake community based social activities such as tree plantation, free medical camps, blood donation camps, establishing water-huts, sports competition etc. During 2011-12, the Bank provided Ambulances to "Kota Cancer Society", Kota and "Ashadham Ashram", Udaipur each for the treatment of Cancer Patients and other regular patients who are under-priviledged members of the society. One mortuary van was also given to "Shree Amrapur Jankalyan Charitable Trust", Jaipur. Every branch of the Bank adopted one girl child each from poor families with an objective of providing financial assistance for pursuing studies in Govt./Municipal schools. The Bank provided financial assistance to two schools, which are imparting education to the children of poor/down-trodden families of the Society for purchase of computers, furniture, peripherals etc. To help visually challenged children, one braille printer and a laptop were provided to Rajasthan Netraheen Kalyan Sangh. Blankets / quilts /sweaters were distributed to the needy people in another initative. The Bank also honoured the meritorious students of the state with cash reward.

## GOVERNMENT SPONSORED SCHEMES

Laying utmost emphasis on Government sponsored schemes has been amongst the major endeavors of the Bank in pursuit of financial inclusion. The Bank continued to play a pioneering role in financing entrepreneurs under various Government sponsored schemes during the year 2011-12. The position under various Government sponsored

किया है तथा बैंक ने सिंडिकेट एएसबीए प्रक्रिया हेतु 4 शाखाओं को पदनामित किया है। समीक्षाधीन वर्ष में एएसबीए प्रक्रिया के अन्तर्गत बैंक की 17 पदनामित शाखाओं ने 22207 आवेदनों के जरिए ₹230.42 करोड़ का कुल व्यवसाय किया है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत बैंक ने ₹0.31 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

## सामाजिक सेवा बैंकिंग

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते बैंक ने सामाजिक सेवा गतिविधियों जैसे वृक्षारोपण, नि:शुल्क चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर, प्याऊ का संचालन, खेलकूद प्रतियोगिताओं इत्यादि का आयोजन जारी रखा है। वर्ष 2011-2012 के दौरान बैंक द्वारा समाज के अल्प सुविधा प्राप्त कैन्सर व अन्य मरीजों के उपचार हेतु कोटा कैन्सर सोसायटी कोटा एवं आशाधाम आश्रम उदयपुर को एम्बूलेन्स उपलब्ध कराई गई। बैंक द्वारा एक मोक्ष वाहन (मोर्चरी वैन) भी श्री अमरापुर जन कल्याण चेरिटेबिल ट्रस्ट को प्रदान किया गया। बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा सरकारी/म्यूनिसिपल विद्यालय में अध्ययनरत गरीब परिवार की एक-एक छात्रा को शिक्षा प्राप्ति हेतु गोद लेते हुये उसे वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा है। बैंक द्वारा समाज के गरीब व अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे दो विद्यालयों को कम्प्यूटर्स, फर्नीचर आदि क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ को दृष्टिबाधित बच्चों की सहायतार्थ एक ब्रेल प्रिन्टर व लैपटाप उपलब्ध करवाये गये। जरूरतमन्दों को रजाईयां, कम्बल व स्वेटर वितरित किये गये। बैंक द्वारा राज्य के प्रतिभावान छात्रों को भी नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

## सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

वित्तीय समावेशन की अनुपालना में बैंक द्वारा सरकारी प्रायोजित योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2011-12 में, विभिन्न सरकारी योजनाओं में उद्यमियों को वित्त उपलब्ध करवाने हेतु बैंक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अन्त-मार्च, 2012 तक बैंक की सरकार द्वारा प्रयोजित योजनाओं की प्रगति निम्न प्रकार हैं:-

| योजना | लाभार्थियों की संख्या | वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत राशि (रु.करोड़ में) |
|---|---|---|
| स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना | 2103 | 9.09 |
| प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | 348 | 12.86 |
| स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना | 4386 | 47.59 |
| आर्टिजन क्रेडिट कार्ड योजना | 1281 | 4.08 |

*सामुदायिक सेवा कार्यक्रम: कोटा कैंसर सोसायटी, कोटा को बैंक द्वारा प्रदत्त एम्बुलेंस, स्टेट बैंक समूह के अध्यक्ष श्री प्रतीप चौधरी द्वारा प्रदान की गई*

***Community Service Programme: Donation of Ambulance to Kota Cancer Society, Kota by Chairman Shri Pratip Chaudhuri***

## अग्रणी बैंक योजना

राजस्थान में हमारे बैंक के पास नौ जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है ये जिले बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही, राजसमन्द और उदयपुर हैं। हमारा बैंक इन जिलों में भारत सरकार व राजस्थान सरकार व नाबार्ड द्वारा शुरू की गई वार्षिक साख योजना एवं गरीबी उन्मूलन व विकास योजनाओं को क्रियान्वित करवाने एवं निगरानी का कार्य करता है। वार्षिक साख योजना में हमारे बैंक को वर्ष 2011-12 के लिए आवंटित ₹2,014 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध ₹2,574 करोड़ रूपये का ऋण वितरण किया जा चुका है, जो आवंटित लक्ष्य का 128 प्रतिशत है।

## सूक्ष्म साख (Micro Credit)

अन्त मार्च, 2012 तक बैंक ने 41349 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋणों से जोड़कर ₹265.89 करोड़ का ऋण वितरण किया है, जिसमें से 34444 खाते महिला लाभार्थियों के हैं और उनको ₹178.37 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। नाबार्ड द्वारा हमारे बैंक को राजस्थान में सूक्ष्म वित्त वितरण में वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 तक लगातार प्रथम स्थान पर रखा है। वर्ष 2009-10 में भी नाबार्ड द्वारा प्रकाशित 'भारत में 2009-10 में सूक्ष्म वित्त तक की स्थिति' के अनुसार हमारे बैंक का प्रथम स्थान रहा है।

हाल ही में वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने महिला स्वयं-सहायता समूहों को स्वयं सहायता समूह संवर्धन संस्था योजना में किसी एंकर, एक गैर सरकारी संगठन (NGO) की सहायता से स्वयं सहायता समूहों को वित्त प्रदान करने हेतु 24 राज्यों के 24 पिछड़े जिलों में नई योजना शुरु की है। राजस्थान में बाड़मेर जिले का चयन किया गया है, जहां हमारा बैंक अग्रणी बैंक है।

schemes as at end-March 2012 is as under: -

| Scheme | Number of Beneficiaries | Amount sanctioned during financial year (₹. crore) |
|---|---|---|
| Swarn Jayanti Shahri Rojgar Yojana (SJSRY) | 2103 | 9.09 |
| Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) | 348 | 12.86 |
| Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojna (SGSY) | 4386 | 47.59 |
| Artisan Credit Card Scheme | 1281 | 4.08 |

## LEAD BANK SCHEME

The Bank has Lead Bank responsibility in nine Districts in the State of Rajasthan viz. Bikaner, Barmer, Hanumangarh, Jaisalmer, Jalore, Pali, Sirohi, Rajsamand and Udaipur. The Bank has been implementing and monitoring the Annual Credit Plan and other developmental and poverty eradication schemes launched by Govt. of India, Govt. of Rajasthan and NABARD. Target allotted for Annual Credit Plan to our Bank for the year 2011-12 was ₹2,014 crore, against which achievement of our Bank, has been ₹2,574 crore, recording 128% of target.

## MICRO CREDIT

At the end of March 2012, the Bank has credit linked a total of 41349 Self Help Groups with disbursement of ₹265.89 crore, out of which 34444 accounts are of women beneficiaries with disbursement of ₹178.37 crore. NABARD has ranked the Bank as number one in Rajasthan State for its performance under Micro Credit continuously from the year 2004-05 to 2008-09. In the year 2009-10, the Bank has secured first position in Rajasthan for Micro Credit as per "Status of Micro Finance in India 2009-10" published by NABARD.

Recently, the Ministry of Finance, Govt. of India launched a project for financing Women Self Help Groups with the support of Anchor, a NGO as SHPI in 24 backward Districts of 24 States in the country. In Rajasthan, Barmer district, which is Bank's Lead District has been selected for this purpose.

## RURAL SELF EMPLOYMENT TRAINING INSTITUTES (RSETI)

In order to impart job-oriented skills to rural unemployed youth, the Bank has set-up seven RSETIs at Bikaner, Hanumangarh, Barmer, Jaisalmer, Jalore, Sirohi and Nathdwara (Distt. Rajsamand). The Bank has also set up a Skill & Entrepreneurship Development Institute (SEDI) at Jaitaran, Distt. Pali in association with Ambuja Cement Foundation.

By March 2012, 19198 candidates have been imparted training for a range of jobs, which are locally in demand, in these institutions. With the help of this training, 3609 candidates have been engaged in various jobs and 8429 candidates have started their own ventures.

## FINANCIAL LITERACY AND CREDIT COUNSELLING CENTRES (FLCC)

In order to educate farmers and other people in rural / urban areas with regard to various financial products, different Bank schemes and services available from the formal financial sector, the Bank has set up 9 Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCC) in all the nine Lead Districts of Bank in Rajasthan. These FLCCs are providing awareness service free of charge. Upto 31/03/2012, 19197 persons have been counseled by these centres.

## REGIONAL RURAL BANK

MGB Gramin Bank, the Regional Rural Bank (RRB) sponsored by the Bank, has a network of 222 branches spread

*स्वयं सहायता समूहः बैंक द्वारा वित्त-पोषित एसएचजी के सदस्यों के साथ बैंक अधिकारी*

***Self Help Group: Bank official with members of SHG financed by the Bank***

## ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ( आरसेटी )

ग्रामीण बेरोजगार युवकों को कार्योन्मुखी कौशल हेतु प्रशिक्षण देने के लिए हमारे बैंक ने 7 आरसेटी की स्थापना की है जो बीकानेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही और नाथद्वारा जिला राजसमन्द में है। बैंक ने जैतारण जिला पाली में कौशल एवं उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना अम्बुजा सीमेन्ट फाउन्डेशन के साथ सहभागिता में की है।

मार्च, 2012 तक इन संस्थानों द्वारा 19198 लाभार्थियों को विभिन्न स्थानीय मांग वाले कार्यो का प्रशिक्षण दिया गया है। इन प्रशिक्षणों के कारण 3609 बेरोजगार व्यक्ति विभिन्न रोजगारो से जुड़े हैं और 8429 व्यक्तियों ने अपने स्वयं के उद्यम शुरू किये हैं।

## वित्तीय साक्षरता एवं साख परामर्श केन्द्र

शहरी व ग्रामीण किसानों व अन्य लोगों का विभिन्न बैंक सेवाओं, वित्तीय योजनाओं एवं वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध अन्य सेवाओ के बारे में शिक्षित करने हेतु, बैंक द्वारा राजस्थान के हमारे समस्त 9 अग्रणी जिलों में वित्तीय साक्षरता एवं साख परामर्श केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये परामर्श केन्द्र लोगों का जागरूक करने हेतु नि:शुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन परामर्श केन्द्रो द्वारा मार्च, 2012 तक 19197 व्यक्तियों को विभिन्न बैंक योजनाओं के बारे में नि:शुल्क परामर्श दिया जा चुका है।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा एमजीबी ग्रामीण बैंक प्रायोजित है, जिसकी छह जिलों यथा पाली, जालोर, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा बीकानेर में 222 शाखाएँ है। बैंक, एमजीबी ग्रामीण बैंक को प्रबन्धकीय सहयोग तथा पुनर्वित्त इत्यादि के माध्यम से निरन्तर वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहा है। एमजीबी ग्रामीण बैंक की सभी शाखाएं कोर बैंकिग सोल्यूशन प्लेटफार्म पर कार्य कर रही है। मार्च, 2012 की समाप्ति पर एमजीबी ग्रामीण बैंक की जमाएँ ₹2253.12 करोड़, अग्रिम ₹1852.62 करोड़ थे तथा वर्ष 2011-12 के दौरान ₹42.50 करोड़ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया।

## शाखा विस्तार

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने 48 नई पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत शाखाएँ खोली है। अन्त-मार्च 2012 को शाखाओं की कुल संख्या 950 हो गई हैं, जिनमें से 946 व्यावसायिक शाखाएँ, 2 आस्ति वसूली शाखाएँ तथा 02 कोष शाखाएँ हैं। इनमें से 335 ग्रामीण, 271 अद्धशहरी, 167 शहरी व 177 महानगरीय शाखाएँ हैं। राजस्थान में शाखाओं की संख्या बढ़कर 791 हो गई है, जो समस्त बैंको में सर्वाधिक है। इनमें से 599 शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थित है जिनकी राज्य के ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका है।

## मानव संसाधन विकास

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 12866 है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक 31/03/2012 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या में से 2832 (22.01 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 1227 (9.54 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान लिपिक स्टाफ के 195 सदस्यों को अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है और 12 अधिकारी, 1269 लिपिकों और 378 गार्ड व चपरासी की नई भर्ती की गई है।

कुल कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 31.55 प्रतिशत है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित बेंचमार्क से अधिक है। सरकार की आरक्षण नीति को बैंक में निष्ठापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है।

बैंक का मानना है कि मानव संसाधन उसकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं और उनका विकास बैंक की उन्नति के लिए आवश्यक है। गतिशील व्यावसायिक माहौल में, यह आवश्यक है कि स्टाफ के सदस्यों को पर्याप्त प्रशिक्षण और संवेदीकरण निरंतर प्रदान किया जाए ताकि वे अर्थव्यवस्थाओं के भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में चुनौतियों का सामना कर सकें और साथ ही प्रबंधन के क्षेत्रों में भी उन्नत प्रौद्योगिकियों को लागू कर सकें। इस उद्देश्य के साथ बैंक द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 6347 कर्मचारियों को जिसमें 3490 अधिकारी, 2326 लिपिक और 531 अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

वर्ष के दौरान बैंक के तीन स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में बैंकिग और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के 96 कर्मचारियों सहित सभी श्रेणियों के कुल 6443 कर्मचारियों, को

| | कर्मचारियों की संख्या 31.03.2012 को | | | | जिनमें से | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कर्मचारी/श्रेणी वर्ग | अ.जा. | अ.ज.जा | सामान्य | कुल | महिलायें | अल्पसंख्यक |
| अधिकारी | 914 | 451 | 3319 | 4684 | 340 | 77 |
| लिपिक | 865 | 493 | 3669 | 5027 | 825 | 62 |
| अधीनस्थ | 412 | 262 | 1693 | 2367 | 133 | 27 |
| सफाई कर्मचारी | 641 | 21 | 126 | 788 | 16 | 2 |
| योग | 2832 | 1227 | 8807 | 12866 | 1314 | 168 |

over six districts viz. Pali, Jalore, Sirohi, Sriganganagar, Hanumangarh and Bikaner of Rajasthan. The Bank continues to provide managerial support and financial assistance by way of refinance etc. to MGB Gramin Bank. All branches of MGB Gramin Bank are working on CBS platform. As at end-March 2012, MGB Gramin Bank had deposits of ₹2253.12crore, advances of ₹1852.62 crore and recorded a profit before tax of ₹42.50 crore during 2011-12.

## BRANCH EXPANSION

During 2011-12, the Bank opened 48 new fully computerized branches. As at end-March 2012, the total number of branches stood at 950, comprising 946 business branches, 2 asset recovery branches and 2 treasury branches. Of these, there are 335 rural branches, 271 semi-urban branches, 167 urban branches and 177 metro branches. The number of branches in Rajasthan increased to 791 which are the largest among all banks. Out of these, 599 branches are located in rural and semi-urban areas, which play an important role in rural development and poverty alleviation in the State.

## HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

The Bank's staff strength as on 31.03.2012 was 12866 employees, with the following break up: -

Out of the Bank's total staff strength as on 31.03.2012, 2832 (22.01%) belong to SC and 1227 (9.54%) to ST category. During 2011-12 while 195 members of clerical staff have been promoted as officers, 12 officers, 1269 clerks and 378 guards cum peons have been recruited.

The percentage of SC/ST employees to the total employees at 31.55% is much above the benchmark stipulated by the Govt. of India. The reservation policy of the Govt. is being implemented scrupulously in the Bank.

The Bank believes that its human resources are the most important assets and their development is necessary for growth of the Bank. In the dynamic business environment, it is necessary that adequate training and sensitization is provided to the staff members on an on-going basis to meet the challenges in the wake of globalization of economies introduction of new concepts in management areas as also of advanced technologies in day to day activities. With this aim in mind, Bank has imparted training to 6347 employees which includes 3490 officers, 2326 clerks and 531 sub-staff during the year under review.

| AS ON 31.03.2012 | | | | | OUT OF WHICH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAFF CADRE | SC | ST | GENERAL | TOTAL | WOMEN | MINORITY |
| OFFICERS | 914 | 451 | 3319 | 4684 | 340 | 77 |
| CLERKS | 865 | 493 | 3669 | 5027 | 825 | 62 |
| SUB-STAFF | 412 | 262 | 1693 | 2367 | 133 | 27 |
| SAFAI KARMCHARI | 641 | 21 | 126 | 788 | 16 | 2 |
| TOTAL | 2832 | 1227 | 8807 | 12866 | 1314 | 168 |

A total of 6443 employees of all categories, including 96 employees of sponsored RRBs, were provided training opportunities on various subjects related to banking and technology at three STCs of the Bank during the year. The Bank also provided pre recruitment training to 983 SC/ST candidates appearing in the written test for recruitment of clerical cadre and officer cadre during the year. In addition to this 31 seminars / workshops were conducted on various contemporary issues to update the skills of employees. We have also conducted special training programmes to all newly promoted officers up-to cadre MMGS-III and all Branch Managers during the current financial year.

Apart from in-house training, the Bank provides facility of training to its officers in specialized areas at training institutes of repute like State Bank Academy, Gurgaon, State Bank Staff College, Hyderabad, SBIICM, Hyderabad, SBIRD, Hyderabad, NIBM, Pune, CAB, Pune etc. During the period under review 1085 officers have been trained at these outside agencies in areas of Core Banking Solution, Forex, Fraud Detection, Market Risk Management, Electronic Payment System, Liquidity Risk Management, Export & Import, International Banking, Marketing, Credit Risk management, Stressed Assets Management, Legal option of Recovery, NPA Management, Risk Management, KYC, IT, IS Audit, Trade Finance, HR, Foreign Currency Funding, SME, Rural and Agriculture Advances, Industry

प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा लिपिक संवर्ग और अधिकारी संवर्ग की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले 983 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा विभिन्न समकालीन मुद्दों पर कर्मचारियों के कौशल को अद्यतन करने के लिए 31 सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान म.प्र.व.मा. III तक के सभी नव पदोन्नत अधिकारी एवं सभी शाखा प्रबंधको के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

इन हाउस प्रशिक्षण के अलावा बैंक स्टेट बैंक अकादमी, गुड़गांव, स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद, SBIICM, हैदराबाद, SBIRD, हैदराबाद, एन आई बी एम, पुणे, सी ए बी पुणे आदि जैसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में विशिष्ट क्षेत्रों में अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। समीक्षा अवधि के दौरान 1085 अधिकारियों को इन बाहरी एजेंसियो द्वारा कोर बैंकिग समाधान, विदेशी मुद्रा, धोखाधड़ी जांच, बाजार जोखिम प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, चलनिधि जोखिम प्रबंधन, निर्यात-आयात, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एनपीए प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, केवाईसी आईटी, विपणन, ऋण जोखिम प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, वसूली की कानूनी विकल्प, अनर्जक आस्ति प्रबंधन, लेखा परीक्षा, व्यापार वित्त, मानव संसाधन, विदेशी मुद्रा अनुदान, एसएमई, ग्रामीण और कृषि अग्रिम, उद्योग विशेष कार्यक्रम, बैलेंस शीट विश्लेषण, एटीएम और इंटरनेट बैंकिग कार्यक्रम, उच्च मूल्य के प्रस्तावों, क्रेडिट मूल्यांकन कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त पर उन्नत कार्यक्रम, मोबाईल बैंकिग, एसएमई ज्ञानशाला, विपणन और प्रस्तुति कौशल आदि क्षेत्रों में प्रक्षिशित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा बैंक ने विदेश में विशेष कार्यक्रमों के लिए 3 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जिसमें स्टेंडर्ड ग्रेजुएट स्कूल, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से व्यापार नेतृत्व के लिए सामरिक सोच हेतु अग्रिम प्रबंधन कार्यक्रम (एएमपी), सिंगापुर मे डी एम डी और सी जी एम के लिए ड्यूक कॉर्पोरेट शिक्षा उद्यम नेतृत्व कार्यक्रम जिसे की प्रोफेसर जो दिवान्ना, यूनाइटेड किंगडम और एफआईएमएमडीए-पी डी ए आई के संकाय सदस्य हैं, ने संचालित किया और कुआलालंपुर में उभरते वैश्विक नियमों पर 13वां वार्षिक सम्मेलन शामिल है।

## संगठनात्मक योजना

सुधार पर्यवेक्षण, संगठनात्मक प्रभावशीलता और ग्राहक सेवा सुविधा में बढ़ोतरी के लिए 2011-12 के दौरान 2 शाखाओं को क्षेत्र चतुर्थ (चंडीगढ़), से हटा कर दिल्ली क्षेत्र प्रथम में पुन: आवंटित किया गया। धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसे सहायक महाप्रबंधक (स्केल V) के पर्यवेक्षण में रखा गया। भारतीय स्टेट बैंक के साथ बेहतर समन्वय के लिए सहायक महाप्रबंधक (स्केल V) के पद का सृजन किया गया। आईटी विभाग में हुए कई बदलावों को ध्यान में रखते हुए इसे एबीएस में तालमेल के लिए पुनर्गठित किया गया और दो सहायक महाप्रबंधक (विशेष संवर्ग) के पद सृजित किये गए चूँकि बीपीआर प्रस्ताव पूर्व से ही स्थापित हैं और आसानी से काम कर रहे हैं, सहायक महा प्रबंधक (बीपीआर) और सहायक महाप्रबंधक सार्क, मुंबई के पद को डी वर्गीकृत किया गया है। आरएएसएमईसीसीसी और सार्क मिला दिया गया है। आरएएसएमईसीसीसी और सार्क में काम के महत्व को देखते हुए, आरएएसएमईसीसीसी भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर में नियन्त्रक अधिकारी के पद को सहायक महाप्रबंधक के रूप में उन्नत किया गया।

नियंत्रण तंत्र, सम्पूर्ण दक्षता और साथ ही व्यवसाय विकास की दर में सुधार के मद्देनजर, प्रधान कार्यालय की पुन: संरचना की गई जबकि अलग व्यवसाय शीर्ष कार्यक्षेत्र बनाया। प्रत्येक व्यवसाय शीर्ष का स्वामित्व एक महाप्रबंधक के साथ निहित है। बेहतर प्रदर्शन डीमैट सेवाओं और ई व्यापार के लिए इस सेल को तिलक मार्ग, जयपुर शाखा कार्यालय से प्रधान कार्यालय स्थानांतरित कर दिया गया और उप महाप्रबंधक (पी एंड एसबी) के नियंत्रण के अधीन रखा गया।

कर्मचारियों के लिए अस्पताल में भर्ती योजना निर्धारित दर/सीमा में छूट के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन संशोधित किया गया।

## कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों के मनोबल और प्रेरणा उच्च रखने में बैंक का विश्वास है, बैंक कर्मचारियों को अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति समझता है और उनके कल्याण को उच्च प्राथमिकता देता है। बैंक ने कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति देने, विभिन्न अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा परामर्श सेवाएं प्रदान करने आदि तथा एसबीआई लाइफ की समूह बीमा योजना के तहत 01.03.2012 से कर्मचारियों के लिए बीमा कवर ₹7.00 लाख से बढ़ाकर ₹8.00 लाख (दुर्घाटना में मृत्यु के लिए ₹14.00 लाख से बढ़ाकर ₹16.00 लाख) किया है। मृतक कर्मचारियों के आवास ऋण माफी के साथ साथ ओवरड्राफ्ट सीमा (व्यक्तिगत ऋण), पीएफ ऋण और वाहन ऋण (₹3.00 लाख की सीमा तक) को भी कवर किया गया है। मृतक कर्मचारी के एक बच्चे को शिक्षा के लिए ₹10,000 विशेष पुरस्कार की मंजूरी दे दी गयी है। कर्मचारी कल्याण निधि से अंतिम संस्कार के खर्च की प्रतिपूर्ति ₹10,000 तक की जा रही है। वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना में कर्मचारियों के जीवन साथी (41 से 49 साल के बीच कर्मचारी की उम्र) के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा, उन कर्मचारियों, जो बीमारी के आधार पर बिना वेतन छुट्टी पर हैं, के लिए राहत 18 महीने के लिए

Specific Programme, Balance Sheet Analysis, ATM & Internet Banking Programmes, Project Appraisal of high value proposals, Credit Appraisal Programme, Advanced Programme on International Trade Finance, Mobile Banking, SME Gyanshala, Marketing and Presentation Skills etc.

In addition to the above, Bank deputed 3 officers for specialized programmes aboard for Advance Management Programme (AMP) Strategic thinking for business leadership in collaboration with Standard Graduate School of Business, California, USA, Duke Corporate Education Enterprise Leadership programme for DMD & CGMs in Singapore conducted by Prof. Joe Divanna, faculty from the United Kingdom and FIMMDA-PDAI, 13th Annual Conference on emerging global regulations, Risk Management & Trading Best Practices at Kuala Lumpur.

## ORGANISATIONAL PLANNING

With a view to facilitating improved supervision, organisational effectiveness and customer services, 2 branches were reallocated during 2011-12 from Region - IV (Chandigarh) to Region - I in the Delhi Zone. Fraud Risk Management functions were put under supervision of Asstt General Manager (Scale-V) to strengthen the system. A position of Asstt General Manager (Scale-V) was also created for better co-ordination with SBI for Contact Centre. In view of several changes that have taken place in IT department, it was restructured for synergy in ABs and 2 posts of Asstt General Manager (special cadre) were created. As BPR initiatives are established and working smoothly, the position of Asstt General Manager (BPR) and Asstt General Manager SARC, Mumbai were de-categorized. RASMECCCs and SARCs have been merged. Keeping in view the importance of work handled by RAMECCCs and SARCs, the positions of the heads of RAMECCC & SARC at Bhilwara and Sriganganagar were upgraded as Asstt General Managers.

With a view to improving the control mechanism, over-all efficiency as also the rate of business growth re-structuring of Head Office was made whereas separate business verticals were created. Ownership of each business vertical have been vested with a General Manager. For better performance Demat services & E-trading cell was shifted from Tilak Marg, Jaipur branch to Head Office and placed under control of the DGM (P&SB).

Delegation of powers for relaxation in prescribed rates/ceiling or deviations in hospitalization scheme for staff was revised.

## STAFF WELFARE

The Bank believes in keeping the morale and motivation of the employees high, considers employees as its most important assets and accords high priority to their welfare. The Bank undertook staff welfare activities like granting scholarship to the meritorious wards of the employees, providing free medical consultancy services at various hospitals etc. Insurance cover for employees has been raised from ₹7.00 lac to ₹8.00 lac (₹14.00 lac to ₹16.00 lac for accidental death) w.e.f. 01.03.2012 under group insurance scheme of SBI Life. Waiver of housing loan of the deceased employees has been extended to cover overdraft limit (Personal loan), PF loan and conveyance loan upto ₹3.00 lac. Special award of ₹10,000 for education (one time payment) to one ward of the deceased employee has been approved. Reimbursement of funeral expenditure is being made to the extent of ₹10,000 from staff welfare fund. Annual Health Check-up scheme extended to the spouse of the employees (age of employee between 41 to 49 years). Besides, relief to the employees, who are on leave without pay on sickness grounds, has been enhanced from ₹7,500 upto 18 months to ₹15,000 upto 24 months during the entire service period. The Bank has set up holiday homes at Jaisalmer, Chandigarh, Mussoorie, Jaipur, Manali, Mumbai, Goa, Delhi, Haridwar, Katra, Bengaluru and Udaipur. Various cultural and sports activities were also organized during the year.

## INDUSTRIAL RELATIONS

The Bank has for long been maintaining harmonious and cordial relations with both supervising as well as workmen employees. The Employees' Union and Officers' Association have extended their wholehearted cooperation for the all-round growth of the Bank. A well established and consultative mechanism is in place in the Bank for resolution of various issued emerging from time to time.

₹7,500 से बढ़ाकर संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान 24 महीनों के लिए ₹15,000 तक किया गया है। बैंक ने जैसलमेर, चंडीगढ़, मसूरी, जयपुर, मनाली, मुबंई, गोवा, दिल्ली, हरिद्वार, कटरा, बेंगलुरु और उदयपुर में अवकाश गृहों की स्थापना की है। वर्ष के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया गया।

## औद्योगिक संबंध

बैंक ने लंबे समय से पर्यवेक्षण और कामगार कर्मचारियों दोनों के साथ अच्छी तरह से सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखा है। कर्मचारी यूनियन और अधिकारियों के एसोसिएशन ने बैंक के चौतरफा विकास के लिए तहे दिल से सहयोग दिया है। समाधान के लिए बैंक में परामर्शी तंत्र भली भांति स्थापित है जो समय समय पर विभिन्न उभरते हुए मुद्दों का समाधान करता है।

## सतर्कता प्रशासन

बैंक में सतर्कता गतिविधि का उद्देश्य प्रबंधकीय दक्षता और संगठन में प्रभावशीलता के स्तर को बढ़ाने के लिए है। चूँकि जोखिम लेना बैंकिग व्यवसाय का एक अभिन्न हिस्सा है, संगठन को हुआ हर नुकसान, या तो आर्थिक या गैर-आर्थिक संदर्भ में, साफ तौर पर एक व्यावसायिक नुकसान में विभाजित किया जाना चाहिए जो किसी भी वास्तविक व्यावसायिक निर्णय का परिणाम है और एक असाधारण नुकसान है जो किसी बदनीयती, प्रेरित या कर्तव्यों के लापरवाह प्रदर्शन के कारण हुआ है, जबकि पहली स्थिति व्यापार के एक सामान्य भाग के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और सतर्कता की दृष्टि से नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए, दूसरी स्थिति से निपटने के लिए गंभीर और वर्तमान अनुशासनात्मक प्रक्रिया को अपनाना है। बाद के प्रभाव को कम करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा लगातार निवारक सर्तकता प्रथाओं के अलावा, बैंक में वर्तमान निगरानी प्रणाली का अनुपालन शामिल है। जबकि सतर्कता की दृष्टि से प्राप्त शिकायतों और धोखाधड़ी होने से निपटने के लिए दंडात्मक सतर्कता उपायों को लागू किया जा रहा है।

निवारक सतर्कता में सावधानियों और ज्ञान का प्रसार शामिल है जिसे कि अपने कर्त्तव्य पालन के दौरान कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर सात निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जहां 187 प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया। बड़ी शाखाओं में निवारक सतर्कता समितियों की बैठकों की व्यवस्था की गयी जिनमें निवारक सतर्कता उपायों की जानकारी स्टाफ को दी गयी। बैंक के सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष के दौरान 57 शिकायतों का निपटारा किया गया। 01/04/2011 के बाद से 52 जांच प्रक्रियाएं शुरू की गई है और इस अवधि के दौरान 36 मामलो को बंद/निपटारा किया गया है। उक्त अवधि के दौरान, 48 सतर्कता निरीक्षण किये गए। मामलों की निरंतर निगरानी के कारण इस अवधि के दौरान 122 सतर्कता मामलों का निपटान किया गया। बैंक ने नवम्बर 2011 के महीने में सतर्कता जागरूकता सप्ताह केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मनाया। बैंक कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक त्रैमासिक पत्रिका को "सतर्कता बुलेटिन" के नाम से प्रकाशित भी किया जा रहा है।

## हिन्दी का प्रयोग

वर्ष के दौरान बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर चर्चा करने के लिए प्रधान कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 08 बैठकें आयोजित की गई। राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत 881 शाखाएं/कार्यालय अधिसूचित हैं। इनमें से 702 शाखाएं /कार्यालय नियम 8(4) के अधीन विनिर्दिष्ट है जो कि बैंक के कुल अधिसूचित शाखाओं/ कार्यालयो का 79.68 प्रतिशत है।

बैंक में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) की दृढ़ता से अनुपालन की जा रही है। कोर बैंकिग सॉफ्टवेयर पर हिंदी में काम किए जाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए यूनिकोड प्रणाली लागू की गई है तथा बैंक के सभी एटीएम द्विभाषी/त्रिभाषी स्वरूप में परिचालित है।

दिनांक 1 से 14 सितम्बर 2011 तक 'हिदीं पखवाड़ा' आयोजित किया गया जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पारितोषिक प्रदान किए गए। राजभाषा हिंदी एवं प्रयोजन मूलक हिंदी का ज्ञान करवाने के लिए वर्ष पर्यन्त 27 कार्यशालाओं/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन हेतु 871 शाखाओं/ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। वर्ष के दौरान हिंदी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि लाने के लिए प्रधान कार्यालय राजभाषा ट्रॉफी प्रतियोगिता आयोजित की गई।

भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया गया एवं उन्होने राजभाषा कार्यान्वयन में किए गए प्रयासों को सराहा। भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा हमारी जयपुर एवं चंडीगढ़ अवस्थित कार्यालयों/शाखाओं का इंदिरा गाँधी राजभाषा शील्ड एवं रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2010-11 हेतु नमूना जाँच किया गया। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चत करते हुए प्रधान कार्यालय के 17 विभाग तथा सभी अंचल कार्यालयों के 8-8 विभाग अपना समस्त कार्य हिंदी में कर रहे हैं।

## VIGILANCE ADMINISTRATION

The object of vigilance activity in Bank is to enhance the level of managerial efficiency and effectiveness in the organization. As risk-taking forms an integral part of banking business, every loss caused to the organization, either in pecuniary or non-pecuniary terms, needs to be distinctly divided into a business loss which has arisen as a consequence of a bonafide commercial decision and an extraordinary loss which has occurred due to any malafide, motivated or reckless performance of duties. While the former has to be accepted as a normal part of business and ignored from the vigilance point of view, the latter has to be viewed seriously and dealt with under the extant disciplinary procedures. In order to minimize the impact of latter, the Vigilance Department constantly practices preventive vigilance, apart from extant surveillance system in the Bank. The punitive vigilance measures are applied while dealing with the complaints and frauds having vigilance angle.

The preventive vigilance comprises the dissemination of knowledge and precautions, to be exercised by the operating staff while discharging their duties. During the year, Bank has conducted seven preventive vigilance training programmes at various training centers, where 187 participants were benefited. Meetings of preventive vigilance committees in big branches are arranged, where staff is sensitized in regard to the preventive vigilance measures. The Vigilance department of Bank has disposed off 57 complaints during the year. 52 investigations have been initiated after 01.04.2011 and total 36 cases of investigations have been disposed off during the period. 48 preventive vigilance inspections were conducted during the period. The constant supervision of the cases resulted into disposal off 122 vigilance cases, during the period. The Bank celebrated 'Vigilance Awareness Week' in the month of November 2011, as per CVC's guidelines. In order to bring about vigilance awareness amongst the Bank staff, a quarterly in-house magazine titled as "Vigilance Bulletin" is also being published.

## USE OF HINDI

The Official Language Implementation Committee at Head Office held 8-meetings during the year to discuss the progressive use of Hindi in the Bank. 881 branches / offices of the Bank have been notified under rule 10 (4) of the Official Language Rules 1976. Out of these, 702 branches / offices are specified under rule 8(4), which constitute 79.68% of total notified branches / offices of the Bank.

Section 3(3) of Official Language Act 1963 is being meticulously followed in the Bank. Facility of Hindi version has also been made available in the Core Banking Software. In compliance to the order of the Hon'ble President of India ,"Unicode" System has been implemented in the Bank and all the ATM's are operated in bilingual / trilingual manner.

'Hindi Fortnight' was observed during September 1 to 14, 2011 during which, various competitions were held and prizes awarded to the winners. To impart the knowledge of Official Language Policy and job oriented Hindi, 27 workshops /training programmes were organized. During the year, 871 branches / offices were inspected for implementation of the Official Language. To increase progressive use of Hindi, Head Office Raj Bhasha Trophy competition was organized during the year.

Representatives of the Government of India visited Bank's Head Office to review the position and appreciated the efforts made in the implementation of the Official Language. RBI Officials also visited Bank's branches/offices at Jaipur and Chandigarh to have a sample survey for Indira Gandhi Rajbhasha Shield and Reserve Bank Rajbhasha Shield Competition 2010-11. In compliance to the directions given by the 3rd sub-Committee of the Sansadiya Rajbhasha Samiti, 17 departments of Head Office and 8 departments of each zone are working completely in Hindi.

## BOND ISSUE

To improve Bank's Capital Adequacy Ratio, Tier II Capital amounting to ₹500 crore was raised by issue of 9.02% Unsecured, Redeemable, Non Convertible, Subordinated Lower Tier II Bonds (Sixth Series) in the nature of Promissory Notes through private placement. The Bonds were allotted to Life Insurance Corporation of India (LIC) on 20th March, 2012. Maturity date of Bonds is 20.03.2022.

## बाँड निर्गम

बैंक की पूँजी-पर्याप्तता अनुपात को बढ़ाने के क्रम में ₹500 करोड़ की टायर II पूँजी निजी प्लेसमेंट के माध्यम से वचन-पत्र के रूप में 9.02 प्रतिशत असुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, गौण निम्नतर टायर II बाँड (छठी सीरीज) के द्वारा निर्गम जारी कर जुटाई गई। ये बाँड 20 मार्च 2012 को भारतीय जीवन बीमा निगम को आवंटित किए गए। इन बाँड्स की परिपक्वता तिथि 20/03/2022 है।

## इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)

अंशधारको हेतु जिन्होनें इस सुविधा के उपयोग का विकल्प चुना है, 24 केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) से लाभांश भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे केन्द्र हैं : आगरा, अहमदाबाद, बैंगलोर, चण्डीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मुम्बई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, पुणे सूरत, उदयपुर, बड़ोदरा तथा वाराणसी।

## लेखा-परीक्षा

भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति से वर्ष 2011-12 के लिए छः सनदी लेखाकार फर्मों यथा एस.डागा एंड कंपनी, हैदराबाद, बी.खोसला एंड कंपनी, जयपुर, एस.एल. छाजेड एंड कंपनी, भोपाल, एस.सी.जे.ऐसोसिएट्स,आगरा, एल.यू कृष्णन एंड कंपनी, चेन्नई, अग्रवाल अनिल एंड कम्पनी दिल्ली को बैंक के केन्द्रीय सांविधिक अंकेक्षकों के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन किया है। लेखा परीक्षा के दायरे में 860 शाखायें/केन्द्रीय प्रक्रियागत प्रकोष्ठ रहे जबकि वर्ष 2010-11 में 844 शाखायें/ केन्द्रीय प्रसस्करण प्रक्रिया प्रकोष्ठ थे।

## उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक-बोर्ड एतद्द्वारा उल्लेख करता है कि:

i वार्षिक लेखे तैयार करते समय लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया और उससे विचलन की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

ii उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरन्तर प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2012 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ या हानि की सही एवं निष्पक्ष स्थिती दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेक सम्मत हैं।

iii उन्होंने बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा कपट एवं अन्य अनियमितताएँ रोकने और इनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 और भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड अनुरक्षित करने हेतु समुचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है, और

iv उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है।

## कॉरपोरेट अभिशासन

कारपोरेट अभिशासन की विवरणी संलग्न है।

## अभिस्वीकृति

निदेशक मण्डल मूल्यवान ग्राहकों, प्रतिष्ठित अंशधारकों तथा जनता विशेष से प्राप्त संरक्षण एवं उनके द्वारा बैंक के प्रति प्रकट किये गये विश्वास के लिए कृतज्ञ है एवं निदेशक मण्डल इसके लिए अपनी भूरि-भूरि प्रशंसा अभिलिखित करता है। निदेशक मण्डल भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य नियामक एजेन्सियों का, उनके द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये मूल्यवान सहयोग एवं दिशा-निर्देश के लिए आभार प्रकट करता है।

निदेशक मण्डल बैंक की सर्वांगीण उन्नति के लिए सभी स्टाफ सदस्यों के बहुमूल्य योगदान, समर्पण भावना एवं उनकी गहन लगनता के लिए एवं कर्मचारी यूनियन व अधिकारी संगठन द्वारा निभाई गई रचनात्मक भूमिका की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

**निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से**

मुम्बई — **शिव कुमार**

अप्रैल 20, 2012 — **प्रबन्ध निदेशक**

## ELECTRONIC CLEARING SERVICE

Electronic Clearing Service (ECS) facility for payment of dividend is being extended in 24 centres to shareholders who have opted for the same. These centres are Agra, Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Ghaziabad, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jodhpur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Patna, Pune, Surat, Udaipur, Vadodara and Varanasi.

## AUDIT

State Bank of India, with the concurrence of the Reserve Bank of India, approved the appointment of 6 firms of Chartered Accountants viz. S. Daga & Co. of Hyderabad, B. Khosla & Co. of Jaipur, S.L. Chhajed & Co. of Bhopal, SCJ Associates of Agra, L.U. Krishnan & Co. of Chennai, Agarwal Anil & Co. of Delhi as the Bank's Statutory Central Auditors for the year 2011-12. The scope of audit covered 860 branches/central processing cells as against 844 branches/ central processing cells covered in 2010-11.

## RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors hereby states:

1. That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed alongwith proper explanation relating to material departures;
2. That they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as on the 31st March 2012, and of the profit or loss of the Bank for the year ended on that date;
3. That they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 for safeguarding the assets of the Bank and preventing and detecting frauds and other irregularities; and
4. That they have prepared the annual accounts on a going concern basis.

## CORPORATE GOVERNANCE

The details on Corporate Governance are annexed.

## ACKNOWLEDGMENT

The Board of Directors is grateful to the valued customers, esteemed shareholders and the public at large for their patronage and confidence reposed in the Bank and places on record its deep appreciation. The Board of Directors thanks the Government of India, State Bank of India, Reserve Bank of India and other regulatory agencies for their valuable support and guidance throughout the year.

The Board of Directors places on record its deep appreciation of the commitment, sense of involvement and dedication exhibited by each staff member and constructive role played by the Employees' Union and Officers Association in the overall development, growth and prosperity of the Bank.

**For and on behalf of the Board of Directors**

Mumbai
20th April, 2012

**Shiva Kumar**
**Managing Director**

# कॉरपोरेट अभिशासन

## बैंक की दृष्टि एवं लक्ष्य

बैंक ने अपनी अन्तर्निहित विशिष्टताओं, संस्कृति एवं अभिलाषाओं को निम्नलिखित "दृष्टि" एवं "लक्ष्य" आलेखों के रूप में सूत्रबद्ध किया है। दृष्टि एवं लक्ष्य वक्तव्य विगत में वर्ष 2009-10 में संशोधित किए गए और संशोधित किये गए वक्तव्य निम्नत: हैं:-

***दृष्टि (विज़न):*** *"एक अत्याधुनिक, ग्राहकोन्मुख, मूल्य-समर्पित तथा उच्चकोटि की निगमित अभिशासन पद्धतियों के प्रति प्रतिबद्ध व्यावसायिक रूप से सुप्रबन्धित बैंकिंग संगठन एवं अंशधारको की पूँजी में निरन्तर अभिवृद्धि करते हुए समस्त हितधारकों व समाज के कल्याण हेतु निष्ठावान संस्थान बनना ।"*

***लक्ष्य (मिशन):*** *"उच्च अभिप्रेरित, व्यावसायिक गुणवत्तायुक्त ग्राहक सेवा व देखभाल, लागत को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग द्वारा ग्राहकों के कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले दक्ष कर्मचारी वर्ग द्वारा उनकी समस्त बैंकिंग आवश्यकताओं का एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध करवाना; सभी हिताधिकारियों की समस्त अपेक्षाओं के पारदर्शी, उचित एवं वास्तविक प्रकटीकरण के लिए उत्तरदायी प्रबन्धकीय सिद्धांतों के द्वारा प्रतिपूर्ति करना; संस्थागत सामजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के उद्देश्य से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में वित्तीय समावेशन पर विशेष बल देते हुए प्रत्येक को सर्वोत्तम बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु प्रयत्नशील रहना ।"*

उक्त संशोधित दृष्टि एवं लक्ष्य वक्तव्य में इन महत्वपूर्ण लाक्षणिक विशिष्टताओं पर बल दिया गया है- अत्याधुनिक बैंक बनना, अच्छी अभिशासन पद्धतियाँ अपनाना, समस्त हितधारकों और समाज का हित, समस्त ग्राहकों को अबाध समाधान प्रदान करना, लागत को ध्यान में रखते प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग, पारदर्शी/वास्तविक/ स्वच्छ/ प्रकटीकरण, प्रतिसंवेदी प्रबंधकीय सिद्धांत, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन तथा राजस्थान राज्य में वित्तीय समावेशन लागू करना है।

## बैंक की कॉरपोरेट अभिशासन संहिता

बैंक के दृष्टि एवं लक्ष्य आलेखों में उल्लेखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में श्रेष्ठ कॉरपोरेट अभिशासन एवं व्यवहारों की स्वीकृति पहला कदम है और तदनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन की संहिता स्वीकार की है:-

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर अभिशासन की सर्वश्रेष्ठ प्रथा के प्रति प्रतिबद्ध है। बैंक का विश्वास है कि उपयुक्त कॉरपोरेट अभिशासन, प्रबन्धन को प्रभावी और व्यवसाय-नियंत्रण को सुगम बनाता हैं। इसके फलस्वरूप, बैंक अपने समस्त हितधारकों को सर्वोत्तम परिणाम देने में समर्थ होता है। संक्षेप में, इसके उद्देश्य निम्नत: हैं:

- अंशधारको की पूँजी में वृद्धि करना।
- अंशधारियों एवं साथ-साथ ग्राहकों, कर्मचारियों तथा व्यापक स्तर पर समाज सहित अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी एवं अन्य नियामक प्राधिकरणों के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को समग्र, सही और स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाना।
- निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- उच्चतम गुणवत्तापूर्ण ऐसा कॉरपोरेट नेतृत्व प्रदान करना जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

### बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक के निदेशक मण्डल की नियमित बैठकें हों, वह प्रभावपूर्ण नेतृत्व प्रदान करे, प्रबन्धन पर नियंत्रण रखे तथा कार्यपालकों के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण का ढ़ाँचा स्थापित करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की लगातार समीक्षा करना।
- नीतिगत विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए सुस्पष्ट रूप से लिखित एवं पारदर्शी प्रबन्धन प्रक्रिया स्थापित करना।
- निदेशक मण्डल अपनी भूमिका का प्रभावोत्पादक ढंग से निर्वाह कर सके, इसके लिए निदेशक मण्डल को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध करवाना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबन्ध निदेशक, कार्यपालक प्रबन्धन के सभी पक्षों तथा बैंक के अन्तिम निष्पादन और निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हो। प्रबन्ध निदेशक की भूमिका, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 एवं समनुषंगी बैंक सामान्य विनियम, 1959 तथा इसमें हुए समस्त संशोधनों के अनुरूप भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों एवं अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एवं यदि कोई विचलन है तो, यह मण्डल को रिपोर्ट किये जाने हेतु एक

# CORPORATE GOVERNANCE

## BANK'S VISION AND MISSION

The Bank has codified its ethos, values, culture and aspirations in its Vision and Mission statements. The Vision and Mission statements were last revised in the year 2009-10 and the revised statements are as under:-

**Vision:** *"To be a state-of-the-art, customer-centric, values driven and professionally managed banking organisation; committed to the highest standards of good corporate governance practices; perpetual enhancement of the wealth of the shareholders and welfare of all stakeholders and the society".*

**Mission:** *"To provide one stop solutions to all the banking needs of customers through a highly motivated, professional and efficient human resources pool with quality of service, customer care and customers' business in focus by efficient use of Information Technology in a cost effective manner; meeting the expectations of all stakeholders through transparent, true and fair disclosures and responsive management principles in all the activities; to strive to fulfil corporate social responsibility with special emphasis on financial inclusion throughout the State of Rajasthan and aiming to provide the best banking services to one and all".*

The major distinguishing features of the revised Vision and Mission Statements were laying emphasis on being state-of-the-art Bank, adopting good corporate governance practices, welfare of all stakeholders and the society, providing one stop solutions to all customers, efficient use of information technology in a cost effective manner, transparent/ true/ fair disclosures, responsive management principles, fulfilling corporate social responsibility and implementing financial inclusion in the State of Rajasthan.

## BANK'S CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

Adoption of best corporate governance and practices is the first step in realising the goals set forth in our Vision and Mission statements and accordingly the Bank has adopted its code of Corporate Governance:

The State Bank of Bikaner and Jaipur is committed to the best practices in the area of Corporate Governance. The Bank believes that proper Corporate Governance facilitates effective management and control of business, which in turn, enables the Bank to deliver the best results to all its stakeholders. The objectives can be summarised as:

- To enhance shareholders' value.
- To protect interests of shareholders and other stakeholders including customers, employees and society at large.
- To comply with directives of RBI, SEBI and other regulatory authorities.
- To ensure transparency and integrity in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.
- To ensure accountability for performance and to achieve excellence at all the levels.
- To provide corporate leadership of the highest standard for others to emulate.

### The Bank is committed to:

- Ensure that the Bank's Board of Directors meets regularly, provides effective leadership, exercises control over management and monitors executive performance.
- Establish a framework of strategic control and continuously review its efficacy.
- Establish clearly documented and transparent management processes for policy development, implementation and review, decision-making, monitoring, control and reporting.
- Provide free access to the Board to all relevant information, advice, resources as are necessary to enable it to carry out its role effectively.
- Ensure that the Managing Director has line of responsibility for all aspects of executive management and is accountable to the Board for the ultimate performance of the Bank and implementation of the policies laid down by the Board. The role of the Managing Director is also guided by the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and Subsidiary Banks General Regulations, 1959 with all amendments.
- Ensure that a senior executive is made responsible to the Board

वरिष्ठ कार्यपालक को निदेशक मण्डल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है।

## निदेशक मण्डल

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का गठन 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के विलय से हुआ। बैंक समय-समय पर संशोधित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 एवं समनुषंगी बैंक सामान्य विनियम 1959 से शासित होता है। निदेशक मण्डल का गठन अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया गया है। जो स्टॉक एक्सचेंज सूची बाध्यता समझौते के उपबन्धों की भी अनुपालना करता है।

निदेशक मण्डल का नेतृत्व भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के पदेन अध्यक्ष के रूप में किया जाता है। बैंक के निदेशक मण्डल के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं: प्रबन्ध निदेशक (कार्यपालक), दो नामित निदेशक (एक भारत सरकार से एवं एक भारतीय रिज़र्व बैंक से), अधिकतम पाँच निदेशक भारतीय स्टेट बैंक से जिनमें से, अधिकतम तीन उस बैंक के अधिकारी हों (केन्द्र सरकार की सलाह से भारतीय स्टेट बैंक गैर अधिकारी निदेशक नामित करेगा), एक-एक निदेशक प्रत्येक कामगार और गैर-कामगार कर्मचारियों से और अंशधारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत चुने हुए अधिकतम तीन निदेशक (भारतीय स्टेट बैंक से नामित को सम्मिलित करते हुए)।

वर्तमान में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के अतिरिक्त, बारह निदेशक हैं, इनमें से तीन निदेशकों को अंशधारियों द्वारा चुना/नामित किया गया है।

अनुलग्नकों I (क) व I (ख) में क्रमशः निदेशक मण्डल की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिती तथा अन्य निदेशक मण्डलों/मण्डल समितियों, जिसमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं, विवरण दिया गया है। गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-II में दिया गया है।

निदेशकों को सामान्य यात्रा एवं विराम व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा मण्डल की बैठक में शामिल होने के लिए प्रति बैठक ₹10,000 तथा निदेशक मण्डल की समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए प्रति बैठक ₹5,000 (18.10.2011 से) शुल्क का भुगतान किया जाता है। बैठक में शामिल होने के लिए अध्यक्ष, बैंक के प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक, जो भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारत सरकार के अधिकारी हैं, को शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों ने यह घोषणा की है कि उनका स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है।

## वर्ष 2011-12 में प्रबन्ध निदेशक को भुगतान किया गया वेतन एवं भत्ते

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री शिव कुमार को कुल वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹19,93,284.00 का भुगतान किया गया। वर्ष 2010-11 के दौरान प्रबन्ध निदेशक श्री सुप्रतीक चटर्जी, श्री अरुण शाण्डिल्य एवं श्री टी सी ए रंगनाथन को पारिश्रमिक क्रमशः ₹3,60,753.00, ₹1,48,168.00 एवं ₹52,237.00 का भुगतान किया गया। इसमें अनुलाभों पर बैंक द्वारा भुगतान किया गया कर सम्मिलित है:-

## वर्ष 2011-12 में निदेशकों को बैठकों के लिए दिया गया शुल्क

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशकों को मण्डल तथा इसकी विभिन्न समितियों की बैठकों के लिए कुल ₹4,27,500/- के शुल्क का भुगतान किया गया।

## निदेशक मण्डल: वर्ष के दौरान परिवर्तन

**श्री प्रतीप चौधरी,** भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959, की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन दिनांक 07.04.2011 से अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

**श्री राजेश टी मनुबरवाला,** भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959, की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन बैंक के निदेशक बोर्ड में दिनांक 20.04.2011 से शामिल हुए।

**श्री भारत रतन,** भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959, की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन बैंक के निदेशक बोर्ड में दिनांक 15.05.2011 से शामिल हुए।

**श्री श्यामल आचार्य,** उप प्रबन्ध निदेशक (सहयोगी एवं समनुषंगी समूह) भारतीय स्टेट बैंक, दिनांक 01.07.2011 से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किये गए।

**श्री अरुण के सराफ,** भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959, की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड

(₹ में)

| क्रम-संख्या | नाम | वेतन एवं भत्ते | प्रोत्साहन | अनुलाभ | अनुलाभों पर कर | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री शिव कुमार | 15,92,674.00 | 33,973.00 | 2,49,024.00 | 1,17,613.00 | 19,93,284.00 |
| 2 | श्री सुप्रतीक चटर्जी | -- | 3,60,753.00 | -- | -- | 3,60,753.00 |
| 3 | श्री अरुण शाडिल्य | 1,48,168.00 | -- | -- | -- | 1,48,168.00 |
| 4 | श्री टी.सी.ए. रंगनाथन | 44,566.00 | 7,671.00 | -- | -- | 52,237.00 |

to ensure compliance with all applicable statutes, regulations and other procedures, policies as laid down by the Board and report deviation, if any, to the Board.

## BOARD OF DIRECTORS

The State Bank of Bikaner & Jaipur was formed in 1963 by amalgamation of the State Bank of Bikaner & State Bank of Jaipur. The Bank is governed by State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and Subsidiary Banks General Regulations, 1959, as amended from time to time. Board of Directors is constituted according to the provisions of the Act and also complies with the provisions of the Listing Agreement entered with the Stock Exchanges.

The Board of Directors is headed by the Chairman of State Bank of India, as ex-officio Chairman of the Bank. Other members of the Board are; the Managing Director (Executive), two nominee Directors (one from the Govt. of India and other from RBI), not more than 5 Directors nominated by State Bank of India, of whom not more than 3 shall be officers of that Bank (nomination of non-official director by SBI shall be in consultation with Central Government) , one Director each from employees - workmen and non workmen, respectively and not more than three Directors elected in the prescribed manner by the shareholders (including nominated by SBI).

At present, besides the Chairman and the Managing Director, there are twelve Directors on the Board including three Directors elected/ nominated by the shareholders.

Details of attendance of each Director at the meetings of the Board of Directors and number of other Committees of the Board of Directors in which he is a member or chairperson are given in annexure I(a) and I(b) respectively. Brief resume of the other non-executive Directors are also presented in Annexure II.

The Directors are paid sitting fee of ₹10,000 for attending every meeting of the Board of Directors and ₹5,000 for attending meetings of the various Committees of the Board (w.e.f. 18.10.2011) apart from reimbursement of usual traveling and halting expenses. Sitting fees are not paid to the Chairman, the Managing Director and the Directors who are officials of SBI, RBI and Government of India.

All the non-executive Directors have declared that they do not have any pecuniary relationship vis-à-vis the Bank.

## SALARY AND ALLOWANCES PAID TO THE MANAGING DIRECTORS IN 2011-12

A sum of ₹19,93,284.00 were paid as total remuneration to Shri Shiva Kumar, Managing Directors of the Bank during the financial year 2011-12. Further, ₹3,60,753.00, ₹1,48,168.00 and ₹52,237.00 were paid as total remuneration to Shri Supratik Chatterjee, Shri Arun Shandilya and Shri T C A Ranganathan, the Managing Directors of the Bank during the financial year 2010-11. It includes tax on perquisites paid by the Bank and incentives as given below:

## SITTING FEES PAID TO DIRECTORS IN 2011-12

A sum of ₹4,27,500 was paid as total sitting fees to the Directors for the meetings of the Board and its various Committees during the financial year 2011-12.

## BOARD OF DIRECTORS : CHANGES DURING THE YEAR

**Shri Pratip Chaudhuri,** appointed as the Chairman of the Bank's Board w.e.f on 07.04.2011 under clause (a) of sub-section (1) of section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

**Shri Rajesh T. Manubarwala,** joined the Bank's Board on 20.04.2011. He is appointed under clause (c) of sub-section (1) of the Section 25 of the SBI (Subsidiary Banks) Act 1959.

**Shri Bharat Rattan,** joined the Bank's Board on 15.05.2011. He is appointed under clause (c) of sub-section (1) of the Section 25 of the SBI (Subsidiary Banks) Act 1959.

**Shri Shyamal Acharya,** Dy. Managing Director (A & S Group) SBI, nominated on the Board by State bank of India on 01.07.2011.

(In ₹)

| S No. | Name | Salary & Allowance | Incentive | Perquisites | Tax on Perquisites | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri Shiva Kumar | 15,92,674.00 | 33,973.00 | 2,49,024.00 | 1,17,613.00 | 19,93,284.00 |
| 2 | Shri Supratik Chatterjee | -- | 3,60,753.00 | -- | -- | 3,60,753.00 |
| 3 | Shri Arun Shandilya | 1,48,168.00 | -- | -- | -- | 1,48,168.00 |
| 4 | Shri T.C.A. Ranganathan | 44,566.00 | 7,671.00 | -- | -- | 52,237.00 |

(डी) के अधीन अंशधारकों द्वारा दिनांक 12.08.2011 को निदेशक निर्वाचित हुए।

**श्री ए.के. देब,** मुख्य महाप्रबन्धक (सहयोगी एवं समनुषंगी समूह) भारतीय स्टेट बैंक, श्री बी.एस. गोपालकृष्ण के 04.09.2011 को कॉरपोरेट कार्यालय से स्थानातारित हो जाने के कारण निदेशक मण्डल में 05.09.2011 से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किये गए।

**श्री रतन कुमार रुंगटा,** भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959, की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन दिनांक 11.08.2011 को कार्यकाल पूर्ण होने पर निदेशक मण्डल से भार मुक्त हुए।

निदेशक मण्डल, श्री रतन कुमार रुंगटा एवं श्री बी.एस. गोपालकृष्ण को मण्डल के साथ उनके साहचर्य के दौरान किये गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी हार्दिक प्रशंसा अभिलिखित करता है एवं नये निदेशकों का स्वागत करता है।

## मण्डल के नये निदेशकों का परिचय

वर्ष 2011-2012 के दौरान मण्डल में शामिल हुए निदेशकों की संक्षिप्त जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही है:-

**श्री राजेश टी मनुबरवाला,** पेशे से सनदी लेखाकार है एवं भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के तहत चुने गए हैं।

**श्री भारत रतन,** पेशे से सनदी लेखाकार है एवं भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के तहत चुने गए हैं।

**श्री श्यामल आचार्य,** उप प्रबन्ध निदेशक, निदेशक मण्डल में शामिल हुए भारतीय स्टेट बैंक में 35 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने महाप्रबन्धक एवं मुख्य महाप्रबन्धक के विभिन्न समनुदेशन का निर्वहन किया है। उप प्रबन्ध निदेशक के पद पर पदस्थापना से पूर्व वे डीएमडी (मिड कोर्प) के पद पर कार्यरत थे। भारतीय स्टेट बैंक की कनाडा शाखा में भी वे सेवारत रहे।

**श्री अरुण कुमार सराफ**, जाने माने व्यवसायी एवं होटल व्यवसाय में रत कई कम्पनियों के निदेशक एवं भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959, की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के तहत चुने गए हैं। उन्हें नये होटल के विकास, योजनाओं की वित्त व्यवस्था और विविध भूमि क्रय करार का वृहत अनुभव हैं।

**श्री ए.के. देब**, मुख्य महाप्रबन्धक, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक में तीन दशकों का कार्यानुभव है। भारतीय स्टेट बैंक में अपने कार्यसमय में कई समानुदेशन यथा महाप्रबन्धक एवं मुख्य महाप्रबन्धक का निर्वहन किया है।

अन्य गैर कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक II में दिया गया है।

## निदेशक मण्डल की बैठकें

वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मण्डल की 8 बैठकें दिनांक 28.04.2011, 24.05.2011, 06.06.2011, 19.07.2011, 22.10.2011, 01.02.2012, 17.02.2012 एवं 21.03.2012 को हुईं। निदेशक मण्डल की बैठकों में उपस्थिति का विस्तृत विवरण अनुलग्नक 1(क) में दिया गया है।

## साधारण सभा की बैठकें

बैंक के अंशधारियों की वर्ष 2010-11 की 50वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक 06 जून 2011 को मध्यान 12 बजे महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें निदेशक मण्डल के निम्न 11 निदेशकों ने भाग लिया:-

| | |
|---|---|
| श्री प्रतीप चौधरी | श्री शिव कुमार |
| श्री बी.एस. गोपालकृष्ण | श्री अमरीक सिंह |
| श्री संजीव शर्मा | श्री कुनाल डालमिया |
| श्री रतन कुमार रुंगटा | श्री राजेन्द्र कुमार शाह |
| श्री राजेश टी. मनुबरवाला | श्री भारत रतन |
| श्री डी.के. जैन | |

इससे पूर्व की दो वार्षिक साधारण सभाओं की बैठकें वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए क्रमश: दिनांक 02.06.2009 (प्रात: 11:30 बजे) एवं 02.06.2010 (प्रात: 11:30 बजे) जयपुर में आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त अंशधारकों की एक साधारण सभा दिनांक 11.08.2011 को जयपुर में भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन निदेशक के चुनाव हेतु की गई। बैठक में निदेशक श्री संजीव शर्मा, अध्यक्ष, श्री शिव कुमार, प्रबन्ध निदेशक, श्री रतन कुमार रुंगटा, श्री राजेन्द्र कुमार शाह एवं श्री डी.के. जैन ने भाग लिया। उक्त बैठक में श्री अरुण के. सराफ निर्वाचित घोषित किये गये।

## मण्डल की समितियाँ

निदेशक मण्डल ने निदेशकों की निम्नलिखित 9 समितियाँ गठित की हैं, जो हैं-

1. निदेशक मण्डल की कार्यकारिणी समिति
2. निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति
3. निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति
4. निदेशक मण्डल की निदेशक समिति
5. बड़ी राशि की धोखाधड़ियों के अनुवीक्षण हेतु विशेष समिति
6. निदेशक मण्डल की ग्राहक सेवा समिति

**Shri Arun K Saraf,** a Director elected by shareholders under clause (d) of sub-section (1) of the Section 25 of the SBI (Subsidiary Banks) Act 1959 on 12.08.2011.

**Shri A.K. Deb,** Chief General Manager (A & S Group), SBI nominated on the Board by SBI on 05.09.2011 vice Shri B. S. Gopalakrishna, who relinquished the office on 04.09.2011 on his transfer from Corporate Office.

**Shri Ratan Kumar Roongta,** a Director, under clause (d) of sub-section (1) of the Section 25 of the SBI (Subsidiary Banks) Act 1959 demitted the office after completion of his tenure on 11.08.2011.

The Board of Directors places on record its deep sense of appreciation for the valuable contributions made by Shri Ratan Kumar Roongta and Shri B. S. Gopalakrishna during their association with the Board and welcomes the new Directors on the Board.

## BIO-DATA OF THE NEW DIRECTORS OF THE BOARD

Brief resume of the Directors who joined the Board of Directors during 2011-12 is furnished below: -

**Shri Rajesh T. Manubarwala**, is a Chartered Accountant by profession, he is appointed under clause (c) of sub-section (1) of the Section 25 of the SBI (Subsidiary Banks) Act 1959.

**Shri Bharat Rattan,** is a Chartered Accountant by profession, he is appointed under clause (c) of sub-section (1) of the Section 25 of the SBI (Subsidiary Banks) Act 1959.

**Shri Shyamal Acharya,** Dy. Managing Director, has 35 years experience in SBI. During the 35 years span of his career with SBI, he handled various assignments as General Manager and Chief General Manager. Prior to assuming charge as Dy. Managing Director ( A&S), he was DMD (Mid Corp) .He also served in SBI's Canada Branch

**Shri Arun Kumar Saraf,** elected under section 25(1) (d) of SBI (Subsidiaries Banks) Act, 1959 is well known businessman and Director on the Boards of various companies engaged in hotel business. He is having rich experience of development of new hotels, mobilizing funds for the projects, inking various land-purchase agreements

**Sh. A.K. Deb**, Chief General Manager, has more than three decades experience in SBI. During his career with SBI, he handled various assignments as General Manager and Chief General Manager.

Brief Bio-Data of other Non Executive Directors is furnished in Annexure-II.

## BOARD MEETINGS

During the year 2011-12, 8 meetings of the Board of Directors were held on 28/04/2011,24/05/2011,06/06/2011, 19/07/2011,22/10/2011,01/02/2012, 17/02/2012 & 21/03/2012. Details of the attendance of the Directors are as per Annexure I (a).

## GENERAL BODY MEETINGS

50th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for the financial year 2010-11 was held at Maharana Pratap Auditorium, Jaipur on, 06.06.2011 at 12.00 noon. and was attended by the following 11 Directors on the Board:

| | |
|---|---|
| Shri Pratip Chaudhuri | Shri Shiva Kumar |
| Shri B.S. Gopalakrishna | Shri Amrik Singh |
| Shri Sanjeev Sharma | Shri Kunal Dalmia |
| Shri Ratan Kumar Roongta | Shri Rajendra Kumar Shah |
| Shri Rajesh T. Manubarwala | Shri Bharat Rattan |
| Shri D.K. Jain | |

The previous two Annual General Meetings for the financial year 2008-09 and 2009-10 were held at Jaipur on 02.06.2009 (11.30 a.m.) and 02.06.2010 (11.30 a.m.) respectively. Besides, a meeting of the General Body of shareholders was convened at Jaipur on 11.08.2011 to elect director under clause (d) of sub section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiray Banks) Act, 1959. The meeting was attended by directors viz. Shri Sanjeev Sharma, Chairman, Shri Shiva Kumar, Managing Director, Shri Ratan Kumar Roongta, Shri Rajendra Kumar Shah and Shri D.K. Jain. Shri Arun Kumar Saraf was declared elected in the above meeting.

## COMMITTEES OF THE BOARD

The Board of Directors has constituted 9 Committees of the Board, viz.

1. Executive Committee of the Board
2. Audit Committee of the Board
3. Risk Management Committee of the Board
4. Directors' Committee of the Board
5. Special Committee to Monitor Large Value Frauds
6. Customer Service Committee of the Board

7. निदेशक मण्डल की अंशधारकों/ निवेशकों की शिकायत-निवारण समिति

8. निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति

9. निदेशक मण्डल की नामांकन समिति

## निदेशक मण्डल की कार्यकारिणी समिति (ईसी)

निदेशक मण्डल की कार्यकारिणी समिति का गठन समनुषंगी बैंक सामान्य विनियम 1959 के नियम 38 (1) (ए), (बी) एवं (सी) के प्रावधानों के तहत किया गया हैं, जिसमें प्रबन्ध निदेशक तीन निदेशक जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25 उपधारा (1) के खण्ड (सी), जिनमें से अधिकतम दो भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी होगें और एक निदेशक अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन अंशधारियों द्वारा चुना गया हो, नामित किया गया है। समिति का पिछला पुनर्गठन दिनांक 05.09.2011 को हुआ। अन्य कोई निदेशक, जो बैठक में भाग लेने के इच्छुक हों, भाग ले सकते हैं। कार्यकारिणी समिति मण्डल के समय-समय पर विशेष अथवा सामान्य निर्देशों के अलावा बैंक के सभी तात्कालिक विषयों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत है।

कार्यकारिणी समिति की बैठक कम से कम माह में एक बार होनी चाहिए। वर्ष 2011-12 के दौरान कार्यकारिणी समिति की 14 बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण अनुलग्नक 1 (ग) में दिया गया हैं।

## निदेशक मण्डल की अंकेक्षण समिति (एसीबी)

निदेशक मण्डल की अंकेक्षण समिति का पुर्नगठन दिनांक 06.09.2011 हुआ। अंकेक्षण समिति में वर्तमान में निदेशक मण्डल के 4 सदस्य हैं जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक एवं एवं भारतीय स्टेट बैंक के मनोनीत निदेशक तथा दो स्वतंत्र गैर-कार्यपाल निदेशक हैं। श्री भारत रतन, इस समिति के 07.09.2011 से अध्यक्ष हैं। 31.03.2012 को अंकेक्षण समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:-

(i) श्री भारत रतन-अध्यक्ष

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक-सदस्य

(iii) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित निदेशक-सदस्य

(iv) श्री संजीव शर्मा - सदस्य

मण्डल की अंकेक्षण समिति बैंक के कुल लेखा परीक्षा कार्य के अवलोकन के साथ-साथ दिशा-निर्देश भी उपलब्ध कराती है। मण्डल की अंकेक्षण समिति की मुख्य भूमिका, कार्यों एवं अधिकारों में सम्मिलित हैं:-

- बैंक की वित्तीय सूचना प्रक्रिया को देखना एवं यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण में वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय है।
- सांविधिक अंकेक्षक द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं हेतु सांविधिक अंकेक्षक के भुगतान को अनुमोदित करना।
- मण्डल को वार्षिक वित्तीय विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के पूर्व प्रबन्धन के साथ समीक्षा करना, विशेष संदर्भ में:
  - (अ) मण्डल की रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने हेतु, निदेशक दायित्व विवरण में शामिल करने के लिए मामलों की आवश्यकता।
  - (ब) लेखांकन नीतियों एवं कार्यप्रणाली में परिवर्तन, यदि कोई हो, कारण सहित।
  - (स) प्रबन्धन द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर अनुमान आधारित मुख्य लेखांकन प्रविष्टियाँ।
  - (द) अंकेक्षण के दौरान ज्ञात वित्तीय विवरण में किये गये महत्त्वपूर्ण समायोजन।
  - (य) वित्तीय विवरण के संबंध में सूचीबद्ध एवं अन्य कानूनी आवश्यकताओं की अनुपालना।
  - (र) सम्बधित पक्षों के लेनदेन को प्रकट करना।
  - (ल) अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रारूप में योग्यता।
- मण्डल को तिमाही वित्तीय विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबन्धन के साथ समीक्षा करना।
- सांविधिक एवं आन्तरिक अंकेक्षकों के कार्य निष्पादन, आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि की पर्याप्तता की प्रबन्धन के साथ समीक्षा करना।
- निरीक्षण एवं अंकेक्षण कार्यों की पर्याप्तता, यदि कोई हो, आंतरिक अंकेक्षण विभाग के ढाँचे, विभाग के कार्यकारी विभागाध्यक्ष की वरीयता एवं स्टॉफ, रिपोर्टिंग का ढाँचा, आंतरिक अंकेक्षण की निरंतरता एवं कार्यक्षेत्र सहित, की समीक्षा करना।
- महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उनके अनुवर्तन पर आंतरिक अंकेक्षको के साथ विचार-विमर्श करना।
- ऐसे मामलों में, जहां सन्देहात्मक जालसाज़ी एवं अनियमितता या महत्त्वपूर्ण प्रकृति की आन्तरिक नियंत्रण विधि की विफलता, जो कि आन्तरिक अंकेक्षकों द्वारा आन्तरिक अन्वेषणों के दौरान पाई गई परिणामों की समीक्षा मण्डल को सूचित करना।
- अंकेक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व सांविधिक अंकेक्षको से अंकेक्षण की प्रकृति एवं

7. Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board
8. Remuneration Committee of the Board
9. Nomination Committee of the Board

## EXECUTIVE COMMITTEE OF THE BOARD (EC)

The Executive Committee of the Board is constituted as per the regulation 38(1) (a), (b) and (c) of the Subsidiary Banks General Regulations 1959 and consists of Managing Director, three Directors nominated under clause (c) of sub section (1) of Section 25 of the SBI (SB) Act, 1959 by State Bank of India of whom not more than two shall be officers of the State Bank of India, and one Director elected by the shareholders under clause (d) of sub section (1) of Section 25 of the Act. The Committee was last reconstituted on 05/09/2011. Any other Director wishing to attend the meeting has an option to do so. The Executive Committee, apart from the special or general directions of the Board given from time to time, is empowered to take decisions in respect of all current business of the Bank.

The meeting of the Executive Committee is required to be held at least once in a calendar month. 14 meetings of the Executive Committee were held during the year 2011-12 {details given in Annexure 1(c)}.

## AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB)

The Audit Committee of the Board was reconstituted on 06/09/2011. ACB has presently 4 members of the Board of Directors, including RBI and SBI Nominee Directors and two independent non-executive Directors. Shri Bharat Rattan, is the Chairman of the Committee w.e.f. 07/09/2011. The members of ACB as on 31.03.2012 are:

i) Shri Bharat Rattan - Chairman
ii) RBI Nominee Director - Member
iii) SBI Nominee Director - Member
iv) Shri Sanjeev Sharma - Member

ACB provides directions as also oversees the total audit function in the Bank. The major role, functions and powers of the ACB include: -

- to oversee the Bank's financial reporting process and disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.
- to approve any payment to Statutory Auditors for any other service rendered by the Statutory Auditors.
- to review, with the Management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to:
  (a) Matters required to be included in the Director's Responsibility Statement to be included in the Board's Report.
  (b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same.
  (c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by Management.
  (d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings.
  (e) Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements.
  (f) Disclosure of any related party transactions.
  (g) Qualifications in the draft audit report.
- Review, with the Management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval.
- Review, with the Management, performance of Statutory and Internal Auditors, adequacy of the internal control systems.
- Review the adequacy of inspection and audit function, if any, including the structure of the Internal Audit Department, staffing and seniority of the official heading the Department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.
- Discuss with Internal Auditors of any significant findings and follow up thereon.
- Review the findings of any internal investigations by the Internal Auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discuss with Statutory Auditors before the audit commences, about the nature and scope

क्षेत्र के साथ-साथ किसी भी संबंधित क्षेत्र को ज्ञात करने हेतु अंकेक्षण के पश्चात् वार्तालाप करना।

- जमाकर्त्ताओं, बंधकधारकों, अंशधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न होने के मामले में) एवं लेनदारों को भुगतान में सम्भावित चूक के कारणों को देखना।
- विशल ब्लोवर मैकेनिज़्म की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना।
- अन्तर-शाखा समायोजन खाते, अन्तर-बैंक एवं नोस्ट्रो खाते में लम्बे समय से प्रविष्टियों का मिलान न होना, शाखाओं की शेष पुस्तकों में बकाया, जालसाजी एवं सभी मुख्य आन्तरिक प्रबंध व्यवस्था पर अनुवर्ती कार्यवाही।

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की अनिवार्य रूप से समीक्षा करती है :-

(अ) प्रबन्धन वार्तालाप एवं वित्तीय स्थिति मूल्यांकन एवं परिचालन परिणाम।

(ब) प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण सम्बधित पक्ष लेन-देन (अंकेक्षण समिति द्वारा परिभाषित) का विवरण।

(स) प्रबन्धकीय पत्र/सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कमियों के लिए पत्र।

(द) आंतरिक नियंत्रण की कमियों के संबंध में आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।

उपरोक्त भूमिका का निर्वहन करते हुए मण्डल की अंकेक्षण समिति में सन्दर्भित शर्तों के अन्तर्गत किसी भी कार्यकलाप का अन्वेषण करवाने, कर्मचारियों से सूचना लेने एवं बाहरी स्त्रोत से कानूनी एवं व्यावसायिक सलाह लेने की शक्ति निहित है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, अंकेक्षण समिति की 7 बैठकें हुई, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित की गई। (जिनका विवरण अनुलग्नक I (घ) में दिया गया है।)

## निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसीबी)

निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति में निदेशक मण्डल के 5 सदस्य यथा प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित निदेशक, और तीन गैर-कार्यपालक निदेशक (श्री संजीव शर्मा, श्री भारत रतन एवं श्री राजेश टी.मनुबरवाला) हैं। जोखिम प्रबन्धन समिति का पिछला पुनर्गठन 06.09.2011 को किया गया। मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति एकीकृत जोखिम प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न जोखिमों से निपटने के लिए नीति निर्धारित करती है। वर्ष 2011-12 के दौरान, मण्डल की जोखिम प्रबन्धन समिति की 7 बैठकें आयोजित की गईं।

## मण्डल की निदेशक समिति

भारत सरकार के दिनांक 24.10.1990 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक में निदेशक समिति कार्य कर रही है। समिति में उप प्रबन्ध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी बैंक) भारतीय स्टेट बैंक, प्रबन्ध निदेशक (एसबीबीजे), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित एवं भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक सदस्य हैं। निदेशक समिति सतर्कता एवं अनुशासन सम्बन्धी अन्य मामलों के निस्तारण की समीक्षा करती है। वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं।

## बड़ी राशि की धोखाधड़ियों के अनुवीक्षण हेतु विशेष समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक करोड़ रुपये एवं उससे अधिक की राशियों वाली धोखाधड़ियों की निगरानी एवं अनुवर्तन हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। समिति का पुनर्गठन 06.09.2011 को किया गया था। इस विशेष समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आयोजित की जाती है तथा जब भी कोई 1 करोड़ रूपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी सामने आती है उसकी समीक्षा की जाती है। समिति के सदस्यों में प्रबन्ध निदेशक, श्री भारत रतन, श्री संजीव शर्मा, श्री कुनाल डालमिया एवं श्री राजेन्द्र कुमार शाह है। वर्ष 2011-12 के दौरान इस समिति की 4 बैठके आयोजित की गई।

## मण्डल की ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मण्डल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया गया। समिति का पुनर्गठन 06.09.2011 को किया। वर्तमान समिति के 3 सदस्य हैं यथा (1) प्रबन्ध निदेशक, (2) श्री राजेश टी. मनुबरवाला एवं (3) श्री कुनाल डालमिया (गैर कार्यपालक निदेशक)। वर्ष 2011-12 के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं।

## निदेशक मण्डल की अंशधारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति (एसजीसीबी)

स्टॉफ एक्सचेन्जों के साथ सूचीबद्ध समझौते के खण्ड 49 की अनुपालना में निदेशक मण्डल की अंशधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति का पुनर्गठन 06.09.2011 को गैर कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में किया गया। एसजीसीबी में निहित वर्तमान निदेशकों के नाम हैं: श्री अरुण कुमार सराफ, अंशधारी निदेशक-अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक-सदस्य और श्री कुनाल डालमिया, अंशधारी निदेशक-सदस्य।

वर्ष 2011-12 के दौरान, प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा के लिए एसजीसीबी की 4 तिमाही बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान 54 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी का निपटान एक महीने में संतोषजनक रूप से किया गया। दिनांक 31.03.2012 को कोई शिकायत लम्बित नहीं थी। दिनांक 31.03.2012 को अंशों के हस्तांतरण से सम्बधित एक माह पुराना कोई आवेदन लम्बित नहीं है। बैंक अदावाकृत लाभांश

of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.

- Look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors.
- Review the functioning of the Whistle Blower mechanism.
- Focus on follow up of Inter-Branch adjustment account, unreconciled long outstanding entries in Inter-Bank and Nostro Account, arrears in balancing books of branches, frauds and all major areas of housekeeping.

The Audit Committee mandatorily reviews the following information:

(a) Management discussion and analysis of financial condition and results of operations.

(b) Statement of significant related party transactions (as defined by the Audit Committee), submitted by Management.

(c) Management letters/letters of internal control weaknesses issued by the Statutory Auditors.

(d) Internal Audit reports relating to internal control weaknesses.

In fulfillment of the above role, the Audit Committee has the powers to investigate any activity within its terms of reference, to seek information from employees and to obtain outside legal and professional advise.

7 meetings of ACB were held during the year 2011-12, with at least one meeting in each quarter {details furnished in Annexure 1(d)}.

## RISK MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD (RMCB)

The RMCB consists of 5 members of the Board of Directors viz. Managing Director, SBI Nominee Director and three Non-Executive Directors (viz. Shri Sanjeev Sharma, Shri Bharat Rattan and Shri Rajesh T. Manubarwala). The RMCB was last reconstituted on 06.09.2011. RMCB oversees the policy and strategy for integrated risk management related to various risk exposures of the Bank. 7 meetings of RMCB were held during the year 2011-12.

## DIRECTORS' COMMITTEE OF THE BOARD

In terms of Govt. of India directives dated 24.10.1990, the Directors' Committee of the Board is functioning in the Bank. The Committee consists of Dy. Managing Director & Group Executive (Associate Banks) SBI, the Managing Director (SBBJ), RBI Nominee Director and the Govt. Nominee Director. The Committee is required to review the disposal of vigilance and other disciplinary action cases. 4 meetings of the Committee were held during the year 2011-12.

## SPECIAL COMMITTEE TO MONITOR LARGE VALUE FRAUDS

In terms of RBI guidelines, a Special Committee of Directors was constituted for monitoring and follow-up of cases of frauds involving amounts of Rs.1 crore and above. The committee was reconstituted on 06/09/2011. The Special Committee meets and reviews at least four times in a year and as and when a fraud involving an amount of Rs.1 crore and above comes to light. The members of the Committee are Managing Director, Shri Bharat Rattan, Shri Sanjeev Sharma, Shri Kunal Dalmia and Shri Rajendra Kumar Shah. 4 meetings of this Committee were held during the year 2011-12.

## CUSTOMER SERVICE COMMITTEE OF THE BOARD

The Customer Service Committee of the Board was constituted in terms of RBI guidelines. The Committee was reconstituted on 06/09/2011. The present Committee consists of 3 members viz. Managing Director, Shri Rajesh T. Manubarwala and Shri Kunal Dalmia (Non-Executive Directors). 4 meetings of the Committee were held during the year 2011-12.

## SHAREHOLDERS' INVESTORS' GRIEVANCE COMMITTEE OF THE BOARD (SGCB)

In terms of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, the Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board (SGCB) has been reconstituted on 06/09/2011 under the Chairmanship of an independent Director. The SGCB presently consists of the following Directors, viz. Shri Arun Kumar Saraf, Shareholder Director–Chairman, Managing Director–Member and Shri Kunal Dalmia, Shareholder Director–Member.

The SGCB held 4 quarterly meetings

के मामलों के लिए अंशधारकों से नियमित अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा है।

## निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैकिंग प्रभाग), के पत्र एफ सं 20/1/2005-बीओ.1 दिनांक 9 मार्च 2007 के अनुसार सरकार ने यह निश्चय किया है कि भारत सरकार से स्वीकार्य उद्देश्यात्मक वक्तव्य (एसओआई) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक निष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स पर आधारित व्यापक परिमाणात्मक मानकों के तहत निष्पादन से संबधित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगें। निष्पादन का मूल्यांकन मण्डल की एक उप-समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक, (2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं (3) दो अन्य निदेशक शामिल होंगे। दिनांक 06.09.2011 को पारिश्रमिक समिति का पुर्नगठन किया गया है यथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक, एवं दो अन्य निदेशक यथा (i) श्री संजीव शर्मा व (ii) श्री भारत रतन। वर्ष 2011-12 के दौरान इस समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

## निदेशक मण्डल की नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, चुने हुए निदेशकों की ''योग्य एवं समुचित'' स्थिति का निर्धारण हेतु निदेशक मण्डल की नामांकन समिति का पुनर्गठन दिनांक 19.07.2011 को हुआ। समिति में निहित वर्तमान निदेशकों के नाम हैं: (i) श्री भारत रतन-अध्यक्ष (ii) सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं (iii) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित निदेशक। वर्ष के दौरान, इस समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

## अनुपालन अधिकारी का नाम व पद (शेयर्स एण्ड बॉण्ड्स)

श्रीमती अरुणा नितिन दक, मुख्य प्रबन्धक (शेयर्स एण्ड बॉण्ड्स) को अनुपालना अधिकारी पदस्थापित किया गया है।

## लेखा पद्धति में परिवर्तन

बैंक के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किये जाते हैं जो कि भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखा सिद्धान्त हैं। इसमें वैधानिक प्रावधान, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक/सहायतार्थ नोट एवं भारत में बैंकिंग उद्योग में स्वीकार्य व्यवहार शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्था के लेखा मानक एवं स्वीकार्य लेखा के सम्पूर्ण विवरण तुलन पत्र की अनुसूची 18 में हैं।

## कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्त्व

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते, बैंक ने कई कार्य किये हैं। वित्तीय समावेशन पर अधिक बल देने से अब तक बैंकिंग सेवा से अछूते रहे जनसंख्या के बड़े वर्ग तक पहुँचने में बैंक समर्थ हो सका। बैंक सामाजिक सेवाएं जैसे वृक्षारोपण, नि:शुल्क चिकित्सा शिविरों जिनमें रक्तदान शिविर भी समाहित हैं, प्याऊ का संचालन, खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, इत्यादि गतिविधियां भी संचालित कर रहा है। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने कोटा कैंसर सोसायटी, कोटा एवम् आशाधाम आश्रम उदयपुर को एक एक एम्बूलैंस कैंसर रोगियों और समाज के अन्य सुविधाविहिन रोगियों की सुविधा हेतु प्रदान की गई। एक शव-वाहन श्री अमरापुर जनकल्याण चेरेटिबल ट्रस्ट, जयपुर को प्रदान किया गया। बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा सरकारी / म्यूनिसिपल विद्यालय में अध्ययनरत गरीब परिवार की एक-एक छात्रा को शिक्षा हेतु गोद लेते हुए उसे वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा गया है। बैंक ने दो स्कूलों जो गरीब और समाज के कमजोर तबके के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवा रहे है को कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ को ब्रेल प्रिण्टर और एक लेप-टाप नेत्रहीन बच्चों की मदद हेतु उपलब्ध करवाया गया है। अन्य प्रयासों में जरूरतमंद लोगों को कंबल / रजाइयां / स्वेटर प्रदान करना। राज्य के मेरिट धारी छात्रों को बैंक द्वारा नकद राशि पारितोषिक स्वरुप प्रदान की गई।

## आचार संहिता

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किये गये सूचीबद्ध समझौते के अनुच्छेद 49 के अन्तर्गत बैंक द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धन अधिकारियों हेतु आदर्श आचार संहिता को अपनाया गया जो कि बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संबंधित व्यक्तियों से आचार संहिता की अनुपालना का घोषणा पत्र किया गया है एवं अनुपालना का प्रमाण पत्र अनुलग्नक III में दर्शाया गया है।

बैंक ने अपने निदेशकों एवं पदस्थापित कामगारों के लिए भी बैंक की प्रतिभूति के आन्तरिक व्यापार को रोकने के लिए एक आचार संहिता बनायी है। दिनांक 31.03.2012 को निदेशकों के पास बैंक के अंशों की सूची अनुलग्नक 1 (ड.) में दर्शाई गई है।

## अन्य प्रकटन

बैंक, अपने प्रमोटरों, निदेशकों एवं प्रबन्धन, उनके अनुषंगियों अथवा संबंधियों के साथ किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक लेन-देन से असम्बद्ध रहा है जो वृहत्तर स्तर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल हो।

during 2011-12 to review the position of complaints received. During the year, 54 complaints were received and all were satisfactorily resolved. As on 31.03.2012, no complaint was pending. No application for transfer of shares was pending for more than one month as on 31.03.2012. The Bank is regularly following up with the shareholders in the matter of unclaimed dividends.

## REMUNERATION COMMITTEE OF THE BOARD

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) letter F.No.20/1/2005-BO.I dated March 9, 2007, the Government has decided that the whole time Directors of Public Sector Banks would be entitled to performance linked incentives subject to achievement of broad quantitative parameters under the Statement of Intent (SoI) entered into with the Government of India. The evaluation of performance would be done by a Sub-Committee of the Board consisting of (i) Government Nominee Director, (ii) RBI Nominee Director, and (iii) two other Directors. The Remuneration Committee was reconstituted on 06/09/2011 with the Directors viz. Government Nominee Director, RBI Nominee Director and two other Directors, viz. (i) Shri Sanjeev Sharma, and (ii) Shri Bharat Rattan. One meeting of the Committee was held during 2011-12.

## NOMINATION COMMITTEE OF THE BOARD

In terms of RBI's guidelines, a Nomination Committee of the Board was constituted to determine 'fit and proper' status of the elected Directors. The Committee was reconstituted on 19/07/2011. The Committee consists of the following Directors viz. (i) Shri Bharat Rattan – Chairman, (ii) Government Nominee Director, and (iii) SBI Nominee Director. During the year, one meeting of the Committee was held.

## NAME AND DESIGNATION OF COMPLIANCE OFFICER (SHARES AND BONDS)

Smt Aruna Nitin Dak, Chief Manager (Share & Bonds) has been designated as the Compliance Officer.

## CHANGES IN ACCOUNTING TREATMENT

The financial statements of the Bank are prepared under the historical cost convention. They conform to the Generally Accepted Accounting Principles in India, which comprise the statutory provisions, regulatory/ RBI guidelines, accounting standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. Detailed disclosures as per RBI guidelines/ accounting standards of ICAI and accounting treatment are given in Schedule 18 of the Balance Sheet.

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

As a responsible Corporate Citizen, the Bank continues to undertake community based social activities such as tree plantation, free medical camps, blood donation camps, establishing water-huts, sports competition etc. During 2011-12, the Bank provided Ambulances to "Kota Cancer Society", Kota and "Ashadham Ashram", Udaipur each for the treatment of Cancer Patients and other regular patients who are under-priviledged members of the society. One mortuary van was also given to "Shree Amrapur Jankalyan Charitable Trust", Jaipur. Every branch of the Bank adopted one girl child each from poor families with an objective of providing financial assistance for pursuing studies in Govt./Municipal schools. The Bank provided financial assistance to two schools, which are imparting education to the children of poor/down-trodden families of the Society for purchase of computers, furniture, peripherals etc. To help visually challenged children, one braille printer and a laptop were provided to Rajasthan Netraheen Kalyan Sangh. Blankets / quilts / sweaters were distributed to the needy people in another initative. The Bank also honoured the meritorious students of the state with cash reward.

## CODE OF CONDUCT

In terms of Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, the Bank has adopted a Model Code of Conduct for its Board Members and senior management functionaries, which has also been uploaded on the Bank's website. The declaration for compliance with the Code of Conduct has been taken from the persons concerned and a certificate affirming the compliance is placed at Annexure-III.

The Bank has also framed a code of conduct for its Directors and designated employees for prevention

बैंक के स्टाक एक्सचेन्जों, सेबी, भारिबैं अथवा पूँजी बाजार से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रयोज्य सभी नियमों और विनियमों का विगत 3 वर्षों के दौरान पालन किया है। इनके द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध समझौते के अनुच्छेद 49 की सभी शर्तों को पूरा किया है-बशर्ते की अनुच्छेद की अपेक्षाएं भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों, उन प्रावधानों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भरतीय रिजर्व बैंक एंव भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अतिक्रमण न कर रहे हों।

निदेशक मण्डल का गठन, लेखा-परीक्षा समिति का गठन और उसका कोरम, गैर कार्यपालक निदेशकों को प्रतिपूर्ति, सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और उनकी फीस के निर्धारण के संबंध में अनुच्छेद 49 की सांविधिक अपेक्षाएं बैंक पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों, सामान्य विनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान हैं।

## अनुपालन प्रमाण पत्र

संस्थागत अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में शेयर बाजारों के साथ हुए सूचीबद्धता समझौते के खण्ड 49 (vii) में नियमानुसार एक प्रमाण पत्र लेखा परीक्षकों से प्राप्त कर लिया गया है और उसे अनुलग्नक IV के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह संपुष्टि की जाती है कि खण्ड 49 की शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है।

## वार्षिक सामान्य सभा: 2010-11

06 जून, 2011 को हुई पिछली वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा ''लाभ-हानी खाता एवं तुलन पत्र'' से संबंधित मामलों में दिये गये विभिन्न परिदर्शनों एवं बैंक के प्रत्युत्तर अनुलग्नक V में दिये हैं।

## बासेल-II के अधीन प्रकटन

बैंक दिनांक 31 मार्च, 2008 से बासेल-II के मानकों की ओर पारगमित हो चुका है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत, बासेल- II के अन्तर्गत विभिन्न प्रकटन अनुलग्नक- VI में दिये गये हैं।

## सम्प्रेषण माध्यम

वर्ष 2011-12 के अर्द्ध-वार्षिक एवं तिमाही परिणाम एक अंग्रेजी वित्तीय दैनिक समाचार-पत्र के सभी संस्करणों में और एक/दो क्षेत्रीय हिन्दी समाचार-पत्रों (राजस्थान के समस्त संस्करणों) में प्रकाशित करवाये गये। इन परिणामों को बैंक की वेवसाइट www.sbbjbank.com पर भी उपलब्ध करवाया गया।

## हरित पहल

कारपोरेट अफेयर मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या 17/2011 दिनांक 21.04.2011 एवं परिपत्र संख्या 18/2011 दिनांक 29.04.2011 के साथ पठित कारपोरेट अभिशासन में हरित पहल के तहत बिना कागज के इलेक्ट्रोनिक माध्यम से बिना पेपर अनुपालना स्वीकृत की गई है। उपरोक्त सरकारी पहल के अन्तर्गत बैंके नोटिस/प्रपत्र, वार्षिक प्रतिवेदन द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 जिसमें तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, निदेशकों की रिपोर्ट, अंकेक्षको की रिपोर्ट इत्यादि इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अंश धारकों एवं डिपोजटरी द्वारा बैंक को उपलब्ध करवाये गये ई-मेल पते पर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

बैंक की वैबासाइट www. sbbjbank. com पर भी प्रलेख का पूरा मूल पाठ उपलब्ध रहेगा। बैंक के रजिस्टर्ड कार्यालय पर नोटिस/प्रलेखों की वास्तविक प्रतियां मय वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालय समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी।

## ई-मेल पते का पंजीकरण

भौतिक रुप में धारित अंशों के अंश धारक अपना ई-मेल पता gogreensbbj@mcsdel.com पर अपना नाम और फोलियों नम्बर के साथ बैंक को भिजवा सकते हैं।

इलेक्ट्रोनिक रुप में धारित अंशों के अंश धारकों से निवेदन है कि वे अपने जमा भागीदार (डीपी) के यहाँ अपना ई-मेल पता दर्ज करवायें।

of insider trading in Bank's securities. Number of Bank's shares held by the Directors as on 31.03.2012 is given in Annexure 1(e).

## OTHER DISCLOSURES

The Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters, Directors, or Management, their subsidiaries or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by stock exchanges, SEBI, RBI or any other statutory authority relating to the capital markets during the last three years. No penalties or strictures have been imposed by them on the Bank.

The Bank has complied in all respects with the requirements of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, to the extent that the requirements of the Clause do not violate the provisions of State Bank of India (Subsidiaries Banks) Act, 1959, the Rules and Regulations made thereunder and guidelines or directives issued by the Reserve Bank of India and State Bank of India.

Mandatory requirements of Clause 49 as to the composition of the Board of Directors, composition and quorum of the Audit Committee, Non-executive directors' compensation, the appointment, re-appointment of the statutory Auditors and fixation of their fees are not binding on the Bank, as separate provisions in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, General Regulations and the Reserve Bank of India guidelines deal with the same.

## CERTIFICATE OF COMPLIANCE

A certificate of compliance of conditions of Corporate Governance, as stipulated in Clause 49(vii) of the Listing Agreement with the Stock Exchanges has been obtained from the Auditors and placed at Annexure-IV. It is confirmed that stipulations of Clause 49 have been complied with.

## ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE FINANCIAL YEAR 2010-11

The various observations in respect of the matters pertaining to the "Profit and Loss Account and the Balance Sheet" made by the shareholders in the last Annual General Meeting held on 06.06.2011 and the Bank's responses are given in Annexure V.

## DISCLOSURES UNDER BASEL-II

The Bank has migrated towards Basel-II norms w.e.f. March 31, 2008. In terms of RBI guidelines, the various disclosures under Basel-II are given in Annexure VI.

## MEANS OF COMMUNICATION

Half-yearly and quarterly results of the Bank for the year 2011-12 were published in one English financial daily (all editions) and one/two Regional Hindi newspapers (all Rajasthan editions). The results are also displayed on the Bank's website www.sbbjbank.com.

## GREEN INITIATIVE

The Ministry of Corporate Affairs (M C A), Government of India, has advocated "Green Initiative in Corporate Governance" through its Circular No. 17/2011 dated 21.04.2011 read with Circular No. 18/2011 dated 29.04.2011 by allowing paperless compliances through electronic mode for service of documents. In line with the Government initiative as above, the Bank will send henceforth notices/ documents including Annual Report comprising of balance sheet, profit and loss account, Director's report, auditor's report etc. from the financial year 2011-12 in electronic form to the email address provided by the shareholders and made available to the Bank by the Depositories.

Full text of the documents will also be made available on the Bank's website www.sbbjbank.com. As before, physical copies of the notices/ documents including Annual Reports, will be available for inspection during office hours at the Registered Office of the Bank.

## REGISTRATION OF EMAIL ADDRESS

For shares held in physical form, shareholders can register their email address at 'gogreensbbj@mcsdel.com' mentioning their name and folio number or write to the Bank.

For shares held in electronic form, Shareholders are requested to register their email address with their Depository Participant (DP).

## समान्य अंशधारियों के लिए सूचना

| | |
|---|---|
| (क) अंशधारियों की वार्षिक सामान्य सभा | |
| स्थान | जयपुर |
| स्थल | महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम, भारतीय विद्या भवन, के.एम. मुंशी मार्ग, ओ.टी.एस. के सामने,जयपुर |
| दिनांक एवं समय | गुरूवार, 24 मई 2012, 11.30 पूर्वाह्न |
| (ख) वित्तीय कैलेण्डर | 01.04.2011 से 31.03.2012 |
| (ग) खाताबन्दी/रिकार्ड की तिथि | अंतरिम लाभांश हेतु रिकार्ड तिथि 27.03.2012<br>वासास हेतु खाताबन्दी 17 मई, 2012 से 23 मई, 2012 |
| (घ) लाभांश भुगतान तिथि | अन्तरिम लाभांश : 03.04.2012 |
| (ड.) अंश बाजार में सूचीकरण | बी.एस.ई. व एन.एस.ई., मुम्बई एवं जे.एस.ई., जयपुर |
| (च) स्टॉक कोड | 501061 (मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज), 231 (जयपुर स्टॉक एक्सचेंज) एवं एसबीबीजे (एन.एस.ई.) |
| (छ) अंश अन्तरण अभिकर्ता | मेसर्स एमसीएस लिमिटेड, यूनिट - एसबीबीजे,<br>एफ-65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-**I,** नई दिल्ली-110020 |
| (ज) अंश अन्तरण प्रणाली | अंश अन्तरण अभिकर्त्ता के माध्यम से अंशों का अन्तरण/नामान्तरण बैंक की "अन्तरगृही अंश अन्तरण समिति" के अनुमोदन द्वारा। |
| (झ) अंशों का अभौतिकीकरण व तरलता | बैंक के अंशों का अभौतिकीकरण हो चुका है। एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त आईएसआईएन संख्या आईएनई 648ए01026 है। दिनांक 31.03.2012 तक 94.90**%** बैंक अंशों का अभौतिकीकरण हो चुका है। |
| (ट) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारन्ट या कोई परिवर्तनीय विलेखों के परिवर्तन की तिथि और पूँजी पर सम्भाव्य प्रभाव | शून्य |
| (ठ) अदावाकृत लाभांश | जिन शेयर धारकों ने विगत वर्षों के लाभांश वारण्ट नहीं भुनाये है अथवा लाभांश प्राप्त नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वे शेयर्स एवं बॉण्ड्स विभाग, प्रधान कार्यालय, जयपुर से डुप्लीकेट लाभांश वारण्ट जारी किये जाने हेतु सम्पर्क करें। |

### बाज़ार मूल्य आँकड़े

| माह | एसबीबीजे का अंश मूल्य (बीएसई) (₹में) | | बीएसई सूचकांक | | बीएसई बैंकेक्स | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अधिकतम | न्यूनतम | अधिकतम | न्यूनतम | अधिकतम | न्यूनतम |
| अप्रैल 2011 | 594.90 | 518.20 | 19,811.14 | 18,976.19 | 13,656.63 | 12,997.49 |
| मई 2011 | 600.00 | 510.00 | 19,253.87 | 17,786.13 | 13,146.15 | 11,782.65 |
| जून 2011 | 536.70 | 465.10 | 18,873.39 | 17,314.38 | 12,857.88 | 11,777.88 |
| जुलाई 2011 | 532.00 | 470.00 | 19,131.70 | 18,131.86 | 13,465.21 | 12,303.30 |
| अगस्त 2011 | 514.65 | 391.00 | 18,440.07 | 15,765.53 | 12,635.59 | 10,196.90 |
| सितम्बर 2011 | 450.05 | 393.10 | 17,211.80 | 15,801.01 | 11,429.81 | 10,503.80 |
| अक्टूबर 2011 | 407.70 | 366.00 | 17,908.13 | 15,745.43 | 11,557.53 | 9,889.76 |
| नवम्बर 2011 | 416.05 | 332.00 | 17,702.26 | 15,478.69 | 11,457.10 | 9,482.09 |
| दिसम्बर 2011 | 353.00 | 302.25 | 17,003.71 | 15,135.86 | 10,676.19 | 8,947.37 |
| जनवरी 2012 | 369.00 | 304.65 | 17,258.97 | 15,358.02 | 11,423.18 | 9,058.86 |
| फरवरी 2012 | 470.00 | 364.00 | 18,523.78 | 17,061.55 | 12,892.33 | 11,232.52 |
| मार्च 2012 | 440.00 | 390.00 | 18,040.69 | 16,920.61 | 12,564.57 | 11,346.13 |

## अंशधारियों का संवितरण (31 मार्च, 2012 को) :

| अंशधारकों का वर्ग | धारित अंशों की संख्या | कुल अंशों से धारित अंशों का प्रतिशत |
|---|---|---|
| प्रवर्तक समूह (भारतीय स्टेट बैंक एवं समनुषंगी) | 52549924 | 75.07 |
| अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/ओसीबी/एनआरआई) | 3684448 | 5.26 |
| बैंक, वित्तीय संस्थाएँ बीमा कंपनियों सहित | 1489567 | 2.13 |
| म्युचुअल फंड भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित | 775567 | 1.11 |
| घरेलू कंपनियां/प्राइवेट कॉरपोरेट बॉडीज़/ट्रस्ट | 2646343 | 3.78 |
| अन्य, निवासी व्यक्तियों सहित | 8854151 | 12.65 |
| **कुल** | **70000000** | **100.00** |

पत्र व्यवहार के लिए पता:

**मुख्य प्रबन्धक** (शेयर्स एण्ड बॉण्ड्स)
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर-302 005 (राजस्थान)
फोन: 5101539 फैक्स: 0141-5101176
ई- मेल: cmshare@sbbj.co.in

एमसीएस लिमिटेड यूनिट - एसबीबीजे,
एफ-65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I
फोन 011-41406149 फेक्स : 011-41406148
ई-मेल : admin@mcsdel.com

# INFORMATION FOR GENERAL SHAREHOLDERS

| | | |
|---|---|---|
| a) | Annual General Meeting | |
| | Place | Jaipur |
| | Venue | Maharana Pratap Auditorium, Bhartiya Vidya Bhawan, K.M. Munshi Marg, Opp. O.T.S., Jaipur |
| | Date & Time | Thursday, 24th May 2012, 11.30 AM. |
| b) | Financial Year | 01.04.2011 to 31.03.2012 |
| c) | Date of Book Closure/ Record Date | Record Date for Interim Dividend: 27.03.2012<br>Book Closure for AGM: 17th May, 2012 to 23rd May, 2012 |
| d) | Dividend Payment Date | Interim Dividend :- 03.04.2012 |
| e) | Listing on Stock Exchanges | BSE & NSE, Mumbai and JSE, Jaipur |
| f) | Stock Code | 501061 (BSE), 231 (Jaipur Stock Exchange) & SBBJ (NSE) |
| g) | Share Transfer Agent | M/s. MCS Limited F 65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi- 110020 |
| h) | Share Transfer System | Through Share Transfer Agent. Transfer/Transmission of shares approved by the Bank's "In-house Share Transfer Committee". |
| i) | Dematerialisation of Shares and liquidity | The Shares of the Bank have been dematerialized. The ISIN No. allotted by NSDL/ CDSL is INE 648A01026. As on 31.03.2012, 94.90% shares of the bank have been dematerialized. |
| j) | Details of outstanding GDRs/ ADRs/ warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity. | NIL |
| k) | Unclaimed Dividend | The shareholders who have not encased their dividend warrants or have not received dividend of previous years, are requested to contact Shares & Bonds Department at Head Office, Jaipur for issue of duplicate dividend warrants. |

## MARKET PRICE DATA

| MONTHS | SBBJ's Share Price (BSE) (in ₹) | | BSE SENSEX | | BSE BANKEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW |
| April 2011 | 594.90 | 518.20 | 19,811.14 | 18,976.19 | 13,656.63 | 12,997.49 |
| May 2011 | 600.00 | 510.00 | 19,253.87 | 17,786.13 | 13,146.15 | 11,782.65 |
| June 2011 | 536.70 | 465.10 | 18,873.39 | 17,314.38 | 12,857.88 | 11,777.88 |
| July 2011 | 532.00 | 470.00 | 19,131.70 | 18,131.86 | 13,465.21 | 12,303.30 |
| August 2011 | 514.65 | 391.00 | 18,440.07 | 15,765.53 | 12,635.59 | 10,196.90 |
| September 2011 | 450.05 | 393.10 | 17,211.80 | 15,801.01 | 11,429.81 | 10,503.80 |
| October 2011 | 407.70 | 366.00 | 17,908.13 | 15,745.43 | 11,557.53 | 9,889.76 |
| November 2011 | 416.05 | 332.00 | 17,702.26 | 15,478.69 | 11,457.10 | 9,482.09 |
| December 2011 | 353.00 | 302.25 | 17,003.71 | 15,135.86 | 10,676.19 | 8,947.37 |
| January 2012 | 369.00 | 304.65 | 17,258.97 | 15,358.02 | 11,423.18 | 9,058.86 |
| February 2012 | 470.00 | 364.00 | 18,523.78 | 17,061.55 | 12,892.33 | 11,232.52 |
| March 2012 | 440.00 | 390.00 | 18,040.69 | 16,920.61 | 12,564.57 | 11,346.13 |

## DISTRIBUTION OF SHAREHOLDINGS (As on 31st March, 2012)

| Shareholders' Category | No. of shares held | % of shares held to Total No. of shares |
|---|---|---|
| Promoter Group (State Bank of India & Subsidiaries) | 52549924 | 75.07 |
| Non-residents (FIIs/OCBs and NRIs) | 3684448 | 5.26 |
| Banks/ Financial Institutions including Insurance Cos | 1489567 | 2.13 |
| Mutual Funds including UTI | 775567 | 1.11 |
| Domestic Companies/Private Corporate Bodies/Trust | 2646343 | 3.78 |
| Other including resident individuals | 8854151 | 12.65 |
| **TOTAL** | **70000000** | **100.00** |

Address for correspondence :

Chief Manager (Shares & Bonds)
State Bank of Bikaner and Jaipur
Head Office, Tilak Marg, "C" Scheme
JAIPUR - 302 005
Phone : 0141-5101539
Fax : 0141-5101176
E-mail : cmshare@sbbj.co.in

MCS Limited Unit: SBBJ, F-65,
1st Floor, Okhla Industrial Area,
Phase- I, New Delhi- 110020
Phone: 011- 41406149
Fax: 011-41406148
Email: admin@mcsdel.com

अनुलग्नक - I (क)

## वर्ष 2011-12 में आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें | बैठकें जिनमें उपस्थित हुए | क्या वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित थे | अन्य निदेशक मण्डल/मण्डल समितियों की संख्या, जिनमें ये निदेशक/सदस्य/अध्यक्ष है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री प्रतीप चौधरी (07.04.2011) से प्रभावी | 8 | 3 | उ. | अध्यक्ष/निदेशक-21<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-14 |
| 2. | श्री शिव कुमार | 8 | 8 | उ | अध्यक्ष/निदेशक-शून्य<br>समिति सदस्य-1 समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 3. | श्री श्यामल आचार्य (01.07.2011) से प्रभावी | 5 | 1 | ला. | अध्यक्ष/निदेशक-14<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 4. | श्री राजेश वर्मा | 8 | 7 | अ. | अध्यक्ष/निदेशक-शून्य<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 5. | श्री ए.के. देब (05.09.2011) से प्रभावी | 4 | 4 | ला. | अध्यक्ष/निदेशक - 4<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 6. | श्री बी. रमेश बाबू | 8 | 3 | अ. | अध्यक्ष/निदेशक-1<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 7. | श्री बी.एस. गोपालकृष्ण (04.09.2011 तक) | 4 | 3 | उ. | अध्यक्ष/निदेशक-शून्य<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 8. | श्री संजीव शर्मा | 8 | 6 | उ. | अध्यक्ष/निदेशक-1<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 9. | श्री कुनाल डालमिया | 8 | 1 | उ. | अध्यक्ष/निदेशक-11<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 10. | श्री अमरीक सिंह | 8 | 6 | उ. | अध्यक्ष/निदेशक-शून्य<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 11. | श्री रतन कुमार रूंगटा (11.08.2011) तक | 4 | 4 | उ. | अध्यक्ष/निदेशक-शून्य<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 12. | श्री राजेन्द्र कुमार शाह | 8 | 7 | उ. | अध्यक्ष/निदेशक-शून्य<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 13. | श्री डी.के. जैन | 8 | 8 | उ. | अध्यक्ष/निदेशक-शून्य<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 14. | श्री राजेश टी. मनुबरवाला (20.04.2011) से प्रभावी | 8 | 6 | उ. | अध्यक्ष/निदेशक-शून्य<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 15. | श्री भारत रतन (15.05.2011) से प्रभावी) | 7 | 7 | उ. | अध्यक्ष/निदेशक-शून्य<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |
| 16. | श्री अरुण के. सराफ (12.08.2011) से प्रभावी | 4 | 3 | ला. | अध्यक्ष/निदेशक-15<br>समिति सदस्य/समिति अध्यक्ष-शून्य |

उ.-उपस्थित अ.-अनुपस्थित ला.-लागू नहीं

**ANNEXURE- I(a)**

## DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS AT THE MEETINGS OF BOARD OF DIRECTORS DURING 2011-12

| S.No. | Name of Director | Meetings held during his / her tenure | Meetings Attended | Whether attended AGM | No. of other BODs / Board Committees he/ she is a member Director/ Chairperson |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Pratip Chaudhuri (w.e.f. 07.04.2011) | 8 | 3 | P | Chairman/Director-21 Committee member/ Committee Chairman-14 |
| 2. | Shri Shiva Kumar | 8 | 8 | P | Chairman/Director- Nil Committee member-1 Committee Chairman-0 |
| 3. | Shri Shyamal Acharya (w.e.f. 01.07.2011) | 5 | 1 | N.A. | Chairman/Director- 14 Committee member/ Committee Chairman-Nil |
| 4. | Shri Rajesh Verma | 8 | 7 | N | Chairman/Director- Nil Committee member/ Committee Chairman-Nil |
| 5. | Shri A. K. Deb (w.e.f. 05.09.2011) | 4 | 4 | N.A. | Chairman/Director- 4 Committee member/ Committee Chairman-Nil |
| 6. | Shri B. Ramesh Babu | 8 | 3 | N | Chairman/Director- 1 Committee member/ Committee Chairman-Nil |
| 7. | Shri B.S. Gopalakrishna (upto 04/09/2011) | 4 | 3 | P | Chairman/Director-N.A. Committee member/ Committee Chairman-N.A. |
| 8. | Shri Sanjeev Sharma | 8 | 6 | P | Chairman/Director-1 Committee member/ Committee Chairman-Nil |
| 9. | Shri Kunal Dalmia | 8 | 1 | P | Chairman/Director- 11 Committee member/ Committee Chairman-Nil |
| 10. | Shri Amrik Singh | 8 | 6 | P | Chairman/Director- Nil Committee member/ Committee Chairman Nil |
| 11. | Shri Ratan Kumar Roongta (upto 11.08.2011) | 4 | 4 | P | Chairman/Director- N.A. Committee member/ Committee Chairman-N.A. |
| 12. | Shri Rajendra Kumar Shah | 8 | 7 | P | Chairman/Director- Nil Committee member/ Committee Chairman Nil |
| 13. | Shri D. K. Jain | 8 | 8 | P | Chairman/Director- Nil Committee member/ Committee Chairman Nil |
| 14. | Shri Rajesh T. Manubarwala (w.e.f. 20.04.2011) | 8 | 6 | P | Chairman/Director- Nil Committee member/ Committee Chairman Nil |
| 15. | Shri Bharat Rattan (w.e.f. 15.05.2011) | 7 | 7 | P | Chairman/Director- Nil Committee member/ Committee Chairman Nil |
| 16. | Shri Arun Kumar Saraf (w.e.f. 12.08.2011) | 4 | 3 | N.A. | Chairman/Director-15 Committee member/ Committee Chairman-Nil |

P -Attended N - Not attended N.A.-Not applicable

अनुलग्नक - I ( ख )

## 31.03.2012 को निदेशक मण्डल में निदेशकों का विवरण

| निदेशक का नाम | पद | से नियुक्त | पता | समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य/अध्यक्ष हैं |
|---|---|---|---|---|
| श्री प्रतीप चौधरी | अध्यक्ष | 07.04.2011 | अध्यक्ष,<br>भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट सेन्टर,<br>मेडम कामा रोड़, मुम्बई - 400 021 | अध्यक्ष - शून्य<br>समिति के सदस्य - शून्य |
| श्री शिव कुमार | प्रबन्ध निदेशक | 01.03.2011 | प्रबन्ध निदेशक,<br>स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर,<br>प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग,<br>जयपुर 302005 | अध्यक्ष - 4<br>समिति के सदस्य - 2 |
| श्री राजेश वर्मा | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मनोनीत निदेशक | 03.01.2011 | मुख्य महाप्रबन्धक, ग्राहक सेवा विभाग,<br>भारतीय रिज़र्व बैंक,<br>अमर बिल्डिंग, प्रथम तल, सर पी एम रोड,<br>फोर्ट, मुम्बई - 400 001 | अध्यक्ष - शून्य<br>समिति के सदस्य - 3 |
| श्री श्यामल आचार्य | भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत निदेशक | 01.07.2011 | उप प्रबन्ध निदेशक एवं जी.ई.,(ए एवं एस ग्रुप),<br>भारतीय स्टेट बैंक,<br>कारपोरेट सेन्टर, मुम्बई - 400 021 | अध्यक्ष - 1<br>समिति के सदस्य - शून्य |
| श्री ए.के. देब | भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत निदेशक | 05.09.2011 | मुख्य महाप्रबन्धक, (ए एवं एस ग्रुप),<br>भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर,<br>मुम्बई - 400 021 | अध्यक्ष - शून्य<br>शून्य समिति के सदस्य - 4* |
| श्री बी रमेश बाबू | भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत निदेशक | 25.12.2010 | उप महाप्रबन्धक, (ए एवं एस),<br>सहयोगी बैंक विभाग,<br>भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट सेन्टर<br>मुम्बई - 400 021 | अध्यक्ष - शून्य<br>समिति के सदस्य - 4* |
| श्री राजेश टी. मनुबरवाला | निदेशक | 20.04.2011 | 9, अमीजाधव बंगलों, आशिष होटल के पास,<br>एबीसी चौकड़ी भरूच - 392001 | अध्यक्ष - 1<br>समिति के सदस्य - 3 |
| श्री भारत रतन | निदेशक | 15.05.2011 | बी. रतन एण्ड एसोसियेट्स<br>दुकान सं. 408-409, महक टावर,<br>कैलाश सिनेमा रोड, सिविल लाइस,<br>लूधियाना - 141001 | अध्यक्ष - 2<br>समिति के सदस्य - 3 |
| श्री अरुण कुमार सराफ | शेयरधारियों से चयनित निदेशक | 12.08.2011 | प्रबन्ध निदेशक, ज्यूनिपर होटलस् प्रा. लि.,<br>ग्रांड हयात मुम्बई, शान्ताक्रूज, मुम्बई-400 005 | अध्यक्ष - 1<br>समिति के सदस्य - शून्य |
| श्री संजीव शर्मा | निदेशक | 15.05.2009 | द्वारा क्वॉण्टम बैंकिंग रिसोर्सेज सेन्टर (प्रा.) लि.,<br>ए-703, 'समुद्रा' टेलीफोन एक्सचेंज के पास,<br>सी जी रोड के सामने अहमदाबाद-380006 | अध्यक्ष - शून्य<br>समिति के सदस्य - 5 |
| श्री कुनाल डालमिया | शेयरधारियों से चयनित निदेशक | 12.08.2010 | लिन्डसे टॉवर, नवम तल,<br>13, नेलीसेन गुप्ता सारनी, कोलकाता-700087 | अध्यक्ष - शून्य<br>समिति के सदस्य - 3 |
| श्री अमरीक सिंह | केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक | 09.06.2008 | अवर सचिव, भारत सरकार,<br>वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग,<br>(बैंकिंग प्रभाग) तृतीय तल, जीवन द्वीप<br>बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 | अध्यक्ष - 1<br>समिति के सदस्य - 2 |
| श्री राजेन्द्र कुमार शाह | अधिकारी कर्मचारी निदेशक | 15.02.2010 | 1346, अजव घर का रास्ता, किशनपोल बाजार<br>जयपुर - 302003 | अध्यक्ष - शून्य<br>समिति के सदस्य - 1 |
| श्री डी.के. जैन | कामगार कर्मचारी निदेशक | 12.01.2011 | एकल खिडकी परिचालक, स्टेट बैंक ऑफ<br>बीकानेर एण्ड जयपुर, अ.का., पटेल सर्किल,<br>उदयपुर 313001 | अध्यक्ष - शून्य<br>समिति के सदस्य - शून्य |

* श्री ए.के. देब एवं श्री बी. रमेश बाबू को मण्डल की अंकेक्षण समिति में प्रतिनिधि के रूप में मनोनित किया गया है।

ANNEXURE - I (b)

## LIST OF BOARD OF DIRECTORS AS ON 31.03.2012

| Name of Director | Designation | Appointed since | Address | No. of Committees of which he/ she is a Member/ Chairperson |
|---|---|---|---|---|
| Shri Pratip Chaudhuri | Chairman | 07.04.2011 | Chairman,<br>State Bank of India,<br>Corporate Centre, Madame Cama Road, Mumbai-400021 | Chairman- Nil<br>Committee Member-Nil |
| Shri Shiva Kumar | Managing Director | 01.03.2011 | Managing Director,<br>State Bank of Bikaner and Jaipur,<br>Head Office,<br>Tilak Marg, Jaipur - 302 005 | Chairman-4<br>Committee Member-2 |
| Shri Rajesh Verma | RBI Nominee Director | 03.01.2011 | Chief General Manager, Customer Service Deptt, Reserve Bank of India, Amar Building, Ist Floor,<br>Sir P.M. Road, Fort, Mumbai-1 | Chairman- Nil<br>Committee Member-3 |
| Shri Shyamal Acharya | SBI Nominee Director | 01.07.2011 | Dy. Managing Director & G.E., (A & S Group), State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai - 400 021 | Chairman-1<br>Committee Member-Nil |
| Shri A.K.Deb | SBI Nominee Director | 05.09.2011 | Chief General Manager (A & S Group), State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai | Chairman- Nil<br>Committee Member-4* |
| Shri B. Ramesh Babu | SBI Nominee Director | 25.12.2010 | Dy. General Manager (A&S),<br>Associate Banks Department,<br>State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai-400021 | Chairman-Nil<br>Committee Member-4* |
| Shri Rajesh T. Manubarwala | Director | 20.04.2011 | 9, Amijadav Bunglows, Near Hotel Ashish, ABC Chokdi,Bharuch -392001 | Chairman-1<br>Committee Member-3 |
| Shri Bharat Rattan | Director | 15.05.2011 | B. Rattan & Associates,Shop No. 408-409, Mahak Tower, Kailash Cinema Road, Civil Lines Ludhiana-141001 | Chairman-2<br>Committee Member-3 |
| Shri Arun K Saraf | Shareholder's elected director | 12.08.2011 | Managing Director, Juniper Hotels Pvt Ltd., Grand Hyatt Mumbai, Santacruz,MUMBAI-400005 | Chairman-1<br>Committee Member-Nil |
| Shri Sanjeev Sharma | Director | 15.05.2009 | C/o Quantum Banking Resources Centre(P) Ltd., A-703, Samudra". Near Telephone Exchange, Off C.G. Road, AHMEDABAD- 380 006 | Chairman-Nil<br>Committee Member-5 |
| Shri Kunal Dalmia | Shareholder's elected director | 12.08.2010 | Lindsay Tower, 9th Floor,13, Nelisen Gupta Sarnee,Kolkata-700087 | Chairman- Nil<br>Committee Member-3 |
| Shri Amrik Singh | Central Government Nominee Director | 09.06.2008 | Under Secretary., Govt. of India, Ministry of Finance, Deptt. of Financial Services (Banking Division), 3rd Floor, Jeevan Deep Bldg., Parliament Street, New Delhi.-110001 | Chairman- 1<br>Committee Member-2 |
| Shri Rajendra Kumar Shah | Officer Employee Director | 15.02.2010 | 1346, Ajab-ghar Ka Rasta, Kishanpole Bazar, Jaipur-302003 | Chairman- Nil<br>Committee Member-1 |
| Shri D.K. Jain | Workmen Employee Director | 12.01.2011 | S. W. O. State Bank of Bikaner & Jaipur, Z. O., Patel circle, Udaipur-313001 | Chairman- Nil<br>Committee Member-Nil |

* Shri Shri B. Ramesh Babu and Shri A.K. Deb are nominated on the Audit Committee of the Board in their respective capacities.

अनुलग्नक - I (ग)

## वर्ष 2011-12 में आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें | बैठकें जिनमें उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1. | **प्रबन्ध निदेशक**<br>श्री शिव कुमार | <br>14 | <br>14 |
| 2. | **भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित**<br>श्री ए.के. देब<br>श्री बी.एस गोपालकृष्ण<br>श्री बी. रमेश बाबू | 14 | <br>3<br>1<br>10 |
| 3. | श्री संजीव शर्मा | 14 | 13 |
| 4. | श्री रतन कुमार रुगंटा | 2 | 2* |
| 5. | श्री डी.के. जैन | 14 | 11* |
| 6. | श्री राजेन्द्र कुमार शाह | 14 | 4* |
| 7. | श्री राजेश टी. मनुबरवाला | 14 | 6(4*) |
| 8. | श्री भारत रतन | 12 | 3* |

*समिति के गैर सदस्य के रूप में बैठक में उपस्थित

अनुलग्नक - I (घ)

## वर्ष 2011-12 में आयोजित मंडल की अंकेक्षण समिति की बैठकों में उपस्थित

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें | बैठकें जिनमें उपस्थित हुए |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री संजीव शर्मा<br>(गैर कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष 06.09.20111 तक)<br>श्री भारत रतन<br>(गैर कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष 07.09.2011 से प्रभावी | 7<br><br>5 | 6<br><br>5 |
| 2. | **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित**<br>श्री राजेश वर्मा | <br>7 | <br>6 |
| 3. | **भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित**<br>श्री ए. के. देब<br>श्री बी एस गोपालकृष्ण<br>श्री बी रमेश बाबू<br>श्री श्रीकान्त होता | 7 | <br>3<br>0<br>3<br>1 |
| 4. | श्री कुनाल डालमिया<br>(गैर कार्यपालक निदेशक, सदस्य<br>29.11.2010 से 06.09.2011 तक) | 2 | 0 |

ANNEXURE - I(c)

## ATTENDENCE OF EC MEETINGS DURING 2011-12

| S.No. | NAME OF DIRECTOR | MEETINGS HELD DURING HIS/HER TENURE | MEETINGS ATTENDED |
|---|---|---|---|
| 1. | **Managing Director**<br>Shri Shiva Kumar | 14 | 14 |
| 2. | **SBI Nominee**<br>Shri A.K. Deb<br>Shri B S Gopalakrishna<br>Shri B Ramesh Babu | 14 | 3<br>1<br>10 |
| 3. | Shri Sanjeev Sharma | 14 | 13 |
| 4. | Shri Ratan Kumar Roongta | 2 | 2* |
| 5. | Shri D. K. Jain | 14 | 11* |
| 6. | Shri Rajendra Kumar Shah | 14 | 4* |
| 7. | Shri Rajesh T. Manubarwala | 14 | 6(4*) |
| 8. | Shri Bharat Rattan | 12 | 3* |

*Meeting attended as non member of the Committee.

ANNEXURE - I(d)

## ATTENDENCE OF ACB MEETINGS DURING 2011-12

| S.NO | NAME OF DIRECTOR | MEETINGS HELD DURING HIS/ HER TENURE | MEETINGS ATTENDED |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri Sanjeev Sharma<br>(Non Executive Director, Chairman upto 6/09/2011)<br>Shri Bharat Rattan<br>(Non Executive Director, Chairman w.e.f. 07/09/2011) | 7<br><br>5 | 6<br><br>5 |
| 2. | **RBI Nominee**<br>Shri Rajesh Verma | 7 | 6 |
| 3. | **SBI Nominee**<br>Shri A.K. Deb<br>Shri B S Gopalakrishna<br>Shri B Ramesh Babu<br>Shri Srikant Hota | 7 | <br>3<br>0<br>3<br>1 |
| 4. | Shri Kunal Dalmia<br>(Non Executive Director, Member from 29.11.2010 upto 06/09/2011) | 2 | 0 |

अनुलग्नक - I ( ङ.)

## निदेशकों के पास अंशों की संख्या
## ( 31.03.2012 को )

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | निदेशकों को पास अंशों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्री प्रतीप चौधरी | शून्य |
| 2. | श्री शिव कुमार | शून्य |
| 3. | श्री राजेश वर्मा | शून्य |
| 4. | श्री श्यामल आचार्य | शून्य |
| 5. | श्री ए.के. देब | शून्य |
| 6. | श्री बी. रमेश बाबू | शून्य |
| 7. | श्री राजेश टी. मनुबरवाला | शून्य |
| 8. | श्री भारत रतन | शून्य |
| 9. | श्री अरुण के सराफ | 100 |
| 10. | श्री संजीव शर्मा | शून्य |
| 11. | श्री कुनाल डालमिया | 1901 |
| 12. | श्री अमरीक सिंह | शून्य |
| 13. | श्री राजेन्द्र कुमार शाह | 138 |
| 14. | श्री डी. के. जैन | शून्य |

ANNEXURE -I(e)

## NUMBER OF SHARES HELD BY THE DIRECTORS
## (AS ON 31.03.2012)

| No. | Name of Director | No. of Shares held by the Director |
|---|---|---|
| 1. | Shri Pratip Chaudhuri | Nil |
| 2. | Shri Shiva Kumar | Nil |
| 3. | Shri Rajesh Verma | Nil |
| 4. | Shri Shyamal Acharya | Nil |
| 5. | Shri A.K.Deb | Nil |
| 6. | Shri B. Ramesh Babu | Nil |
| 7. | Shri Rajesh T. Manubarwala | Nil |
| 8. | Shri Bharat Rattan | Nil |
| 9. | Shri Arun K Saraf | 100 |
| 10. | Shri Sanjeev Sharma | Nil |
| 11. | Shri Kunal Dalmia | 1901 |
| 12. | Shri Amrik Singh | Nil |
| 13. | Shri Rajendra Kumar Shah | 138 |
| 14. | Shri D.K. Jain | Nil |

**अनुलग्नक - II**

## अन्य गैर-कार्यापालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

**श्री संजीव शर्मा**

श्री संजीव शर्मा, विज्ञान में स्नातक हैं। वे विधि में स्नातक हैं तथा सीएआईआईबी के अतिरिक्त बैंकिंग मैनेजमेन्ट (पीजीडीबीएम) में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी हैं। वे व्यावसायिक परामर्शदाता हैं तथा क्वाण्टम बैंकिंग रिसोर्स सेन्टर प्रा. लि. में प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और अल्फा आईसीए (इण्डिया) लि. में निदेशक हैं।

**श्री अमरीक सिंह**

श्री अमरीक सिंह, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिग प्रभाग) में अवर सचिव हैं।

**श्री राजेन्द्र कुमार शाह**

श्री राजेन्द्र कुमार शाह राजस्थान विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर (एम.एससी. सांख्यिकी) उपाधि प्राप्त हैं तथा बैंकिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में 34 वर्षों का उन्हें कार्यानुभाव हैं। वर्तमान में वे बैंक के सामाजिक सेवा बैंकिग विभाग प्रधान कार्यालय, जयपुर में कार्यरत हैं।

**श्री राजेश वर्मा** मुख्य महाप्रबन्धक, ग्राहक सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई, 03.01.2011 से बोर्ड में शामिल हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित है

**श्री बी. रमेश बाबू** उप महाप्रबन्धक (ए एण्ड एस), भारतीय स्टेट बैंक, निदेशक मण्डल में 25.12.2010 से शामिल हुए। वे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत निदेशक हैं।

**श्री कुनाल डालमिया** प्रसिद्ध उद्योगपति तथा अनिवार्य उत्पादों लुगदी तथा कागज निर्माण, इंजीनियरिंग उत्पादों की निर्यातक, स्थावर सम्पदाओं वाली विभिन्न कम्पनियों के निदेशक मंडलों में निदेशक हैं। वे आर्सेल मित्तल रिपेक्ट्रीज, पोलेण्ड के अध्यक्ष हैं। वे विभिन्न चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा औद्योगिक संगठनों से सम्बद्ध हैं।

**श्री डी.के. जैन** एकल खिड़की परिचालक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, अंचल कार्यालय उदयपुर में कार्यरत हैं।

**अनुलग्नक - III**

## आचार संहिता की अनुपालन सम्बन्धी घोषणा

मैं वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बैंक आचार संहिता की सभी मण्डल सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा अनुपालना की अभिपुष्टि सुनिश्चित करता हूँ।

मुम्बई (शिव कुमार)

20.04.2012 प्रबन्ध निदेशक

**ANNEXURE - II**

## BRIEF RESUME OF OTHER NON-EXECUTIVE DIRECTORS

**Shri Sanjeev Sharma**
Shri Sanjeev Sharma holds a Bachelor Degree in Science. He is Law Graduate and holds Post Graduate Diploma in Banking Management (PGDBM) in addition to CAIIB. He is professional consultant and is MD and CEO of Quantum Banking Resources Center P Ltd and a Director of Alfa ICA (India) Limited.

**Shri Amrik Singh**
Shri Amrik Singh is an Under Secretary in the Ministry of Finance, Department of Financial Services (Banking Division), Government of India.

**Shri Rajendra Kumar Shah**
Shri Rajendra Kumar Shah holds Master Degree in Science (M.Sc. Statistics) from University of Rajasthan and having 34 years of experience in Banking Industry in various fields. He is presently working in the Bank's Community Service Banking Department, Head Office, Jaipur.

**Shri Rajesh Verma** is Chief General Manager, Customer Service Department, Reserve Bank of India, Mumbai, nominated by Reserve Bank of India, joined the Board on 03.01.2011.

**Shri B Ramesh Babu,** Dy. General Manager (A&S), SBI, joined the Board of Directors of the Bank on 25.12.2010. He is an official Director nominated by SBI.

**Shri Kunal Dalmia,** is renowned Industrialist and director on the Board of various companies engaged in manufacturing refractory products, pulp and paper, Export of Engineering products, Real Estate etc.. He is President of Arcelor Mittal Refractories, Poland. He is also associated with various chambers of Commerce and Industries Organisations

**Shri D. K. Jain** is Single window Operator, SBBJ and working at Zonal Office, Udaipur.

**ANNEXURE - III**

## DECLARATION OF COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT

I confirm that all Board Members and Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2011-12.

Mumbai
20.04.2012

**(Shiva Kumar)**
Managing Director

**अनुलग्नक - IV**

## संस्थागत अभिशासन के सम्बन्ध में लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में सदस्यगण
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर

हमने 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा संस्थागत अभिशासन की शर्तो, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता समझौते के अनुच्छेद 49 में अभिवर्णित है, की अनुपालना का परीक्षण किया है।

संस्थागत अभिशासन के शर्तो की अनुपालना प्रबन्धन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा परीक्षण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्व ारा संस्थागत अभिशासन की शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अंगीकृत विधि एवं इसके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो एक लेखा परीक्षण है और न ही स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में अभिमत का प्रकटीकरण हैं।

हमारे अभिमत में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने उपर्युक्त वर्णित सूचीबद्धता समझौते में निर्दिष्ट संस्थागत अभिशासन की शर्तो की अनुपालना की है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि अंशधारियों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति के अभिलेखानुसार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के विरूद्ध निवेशकों की कोई शिकायत एक महिने से अधिक समय से लम्बित नहीं है।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि इस प्रकार की अनुपालना न तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रबन्धन द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के कार्यकलापों के संचालन की कुशलता अथवा प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन हैं।

वास्ते **एस. डागा एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**( सीए शान्ति लाल डागा )**
(स.स.एफ-11617)
*साझेदार*
*फर्म पंजकरण संख्या 000669 एस*

वास्ते **एस.सी.जे. एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
**( सीए एस.सी. जैन )**
(स.स. 070138)
*साझेदार*
*फर्म पंजीकरण संख्या 003131 सी*

वास्ते **बी. खोसला एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**( सीए विजय के. जैन )**
(स.स.070758)
*साझेदार*
*फर्म पंजकरण संख्या 000205 सी*

वास्ते **एस.एल. छाजेड़ एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**( सीए अभय छाजेड़ )**
(स.स. 079662)
*साझेदार*
*फर्म पंजीकरण संख्या 000709 सी*

वास्ते **एल.यू. कृष्णन एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**( सीए पी.के. मनोज )**
(स.स. 207550)
*साझेदार*
*फर्म पंजीकरण संख्या 001527 एस*

वास्ते **अग्रवाल अनिल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**( सीए अनिल अग्रवाल )**
(स.स. 082103)
*साझेदार*
*फर्म पंजीकरण संख्या 003222 एन*

मुम्बई
अप्रैल 20, 2012

**ANNEXURE - IV**

## AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

**TO THE MEMBERS OF**
**State Bank of Bikaner and Jaipur**

We have examined the compliance of conditions of corporate governance by the State Bank of Bikaner and Jaipur, for the year ended on the 31st March, 2012 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the State Bank of Bikaner and Jaipur with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the State Bank of Bikaner and Jaipur for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the State Bank of Bikaner and Jaipur.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the State Bank of Bikaner and Jaipur has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the State Bank of Bikaner and Jaipur as per the records maintained by the Shareholders'/Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the State Bank of Bikaner & Jaipur nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of State Bank of Bikaner & Jaipur.

**For S. DAGA & Co.**
*Chartered Accountants*
**(CA SHANTI LAL DAGA)**
(M.No. F-11617)
PARTNER
*Firm Reg. No.000669 S*

**For S.C.J. ASSOCIATES**
*Chartered Accountants*
**(CA S.C. JAIN)**
(M. No.070138)
PARTNER
Firm Reg. No. 003131 C

**For B. KHOSLA & CO.**
*Chartered Accountants*
**(CA VIJAY K. JAIN)**
(M. No.070758)
PARTNER
Firm Reg. No. 000205 C

**For S.L. CHHAJED & CO.**
*Chartered Accountants*
**(CA ABHAY CHHAJED)**
(M. No.079662)
PARTNER
Firm Reg. No. 000709 C

**For L.U. KRISHNAN & CO.**
*Chartered Accountants*
**(CA P.K. MANOJ)**
(M. No.207550)
PARTNER
Firm Reg. No. 001527 S

**For AGARWAL ANIL & CO.**
*Chartered Accountants*
**(CA ANIL AGRAWAL)**
(M. No. 082103)
PARTNER
Firm Reg. No. 003222 N

**MUMBAI**
**April 20, 2012**

**अनुलग्नक - V**

## 06 जून, 2011 को संपन्न, विगत वार्षिक साधारण सभा में अंशधारकों द्वारा लाभ-हानि खाता एवं तुलन पत्र से सम्बन्धित विभिन्न अभिमत एवं उनके प्रत्युत्तर

| क्र. सं. | अभिमत | प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| 1. | बैंक की पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष अग्रिमों की स्थिति संतोषप्रद नहीं हैं। | अग्रिमों में, भारत सरकार की ऋण राहत योजना के तहत ₹381 करोड़ के कृषि ऋण राहत योजना के तहत बाहर किये गये है। इससे ऋणों के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ा है। फिर भी, हमारा नकद जमा अनुपात समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 75.7 प्रतिशत की तुलना में 77.3 प्रतिशत (मार्च 11 में) रहा जो कि 160 आधार बिन्दू अधिक है। |
| 2. | कृपया पूँजी पर्याप्तता अनुपात में कमी की स्थिति के बारे बताएँ। | यह बिना पूँजी में बढ़ोत्तरी किये हुए (कोष आधारित/गैर कोष आधारित) व्यवसाय में बढ़ोत्तरी के कारण है। अप्रैल 2011 में की गयी ₹780 करोड़ की पूँजी में बढोतरी पूँजी पर्यप्यतता अनुपात को वर्ष 2011-12 में बनाये रखने में मददगार सिद्ध होगी।<br>फिर भी बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत से काफी अधिक है जो बैंक द्वारा बनाये रखा जायेगा। |
| 3. | परिचालन व्यय अनुपात में बढोत्तरी के कारण बताएँ। | परिचालन व्यय अनुपात में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण स्टाफ को वेतन, भत्ते एवं अन्य भुगतान मजदूरी पुर्ननिर्धारण से ₹137.57 करोड (30.50 प्रतिशत) और स्टाफ को ₹187.57 करोड़ स्टाफ खर्चे के प्रति प्रावधान, द्वितीय पेंशन विकल्प और वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी की सीमा ₹3.50 से ₹10.00 लाख होने के कारण हैं। |
| 4. | बैंक की ₹ 307.56 करोड़ की पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता को भारतीय रिर्जव बैंक के निर्देशानुसार छूट प्रदान है, जिससे बैंक का लाभ ₹ 550.88 करोड़ हैं। यदि छूट नहीं प्रदान की गई होती तो बैंक का निवल लाभ ₹ 243.32 करोड़ होता, ऐसी स्थिति में बैंक की स्थिति संतोषजनक नहीं हो सकती। | भा.रि.बै. के निर्देशानुसार बैंक द्वारा नये पेंशन विकल्प की देयताएँ पांच वर्ष के लिए परिशोधित गई हैं। |
| 5. | यह अच्छा होता कि गैर निष्पादित आस्तिया का कारणशः प्रभाव बैंक की लाभप्रदता पर बताया जाता। क्यों एक विशिष्ट खाता गैर निष्पादित अस्ति समूह किया है, 3-4 समूह बताये जाने से यह सरल हो जाता है क्योंकि गैर निष्पादित अस्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 100 करोड़ से बढ़ रही है | गैर निष्पादित अस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार परिभाषित किया जाता है। भारत में सभी बैंकों पर भा.रि.बैं. द्वारा यह लागू किया जाता है। एक खाता गैर निष्पादित होने के कई कारण है जैसे एक उद्यमी अनुमानित लाभ नहीं प्राप्त कर रहा हो, मांग में कमी के कारण पूरी उत्पादन क्षमता का कम प्रयोग। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार वार्षिक प्रतिवेदन में पर्याप्त प्रकटीकरण किया गया है। |

ANNEXURE-V

## SHAREHOLDER'S QUERIES WITH REGARD TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND BALANCE SHEET RAISED IN THE LAST ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON JUNE 6, 2011 AND THEIR RESPONSES

| | OBSERVATIONS | REPLIES |
|---|---|---|
| 1 | Bank performance is not satisfactory this year in comparison to the previous year in respect of Advances. | In advances, Agriculture advances to the tune of Rs.381 crore were taken out of books under Agriculture Debt Waiver and Debt Relief scheme of Government of India. This had a direct impact to the level of advances. However, our CD ratio at 77.3% against ASCBs average of 75.7% (as on March 11) is higher by 160 bps. |
| 2 | Please explain the position regarding reduction in Capital Adequacy Ratio | This is on account of increase in business (Fund Based/ Non-Fund Based) without any infusion of fresh capital. Capital of Rs.780 crores infused during April 2011 will help maintain a higher level of Capital Adequacy Ratio in 2011-12.<br><br>However, the Bank's Capital Adequacy is well above the minimum stipulation of 9% by Reserve Bank of India, which will be maintained by the Bank. |
| 3 | Explain the reason for increase in Operating Expenses ratio. | Operating expenses ratio has increased mainly on account of Rs. 137.57 crore (30.50%) in salary, allowances and other payments to staff and an increase of Rs187.57 crores towards provisions for staff expenses on account of wage revision, 2nd pension option and increase in ceiling of gratuity from Rs 3.50 lac to Rs. 10.00 lacs during the year. |
| 4 | As per RBI guidelines Pension and Gratuity Liability of the Bank to the extent of Rs 307.56 crores has been exempted on account of that bank profit is Rs.550.88 crores . If not granted in that case bank net profit has come down to Rs.243.32 crores, in that case bank position cannot be satisfactory. | Bank has provided as per RBI Guidelines and the liability on account of the new pension option is amortized over five years. |
| 5 | Concern on NPAs, it would be better to understand the impact of NPAs on profitability of the Bank, if reason wise NPA is given. Why a particular account been grouped as NPA, 3-4 grouping maybe provided so that it is easier to understand. Why NPA is increasing over Rs. 100 crore as compared to the previous year. | NPA is defined as per the norms of Reserve Bank of India. This is enforced on all the Banks in India by RBI. There are several reasons for accounts becoming NPAs like an entrepreneur not getting his estimated profit, under utilization of the full production capacity due to lack of demand etc. Adequate disclosures as per the RBI Guidelines are made in the Annual Report. |

## बासेल-II प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के नये पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के दिशानिर्देशों के अंतर्गत, बैंक के पिलर-III (बासेल-II) प्रकटीकरण दिनांक 31.03.2012 को निम्नानुसार है:

**पूँजी प्रबन्धन**

पूँजी प्रबन्धन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक द्वारा निर्धारित व्यवसाय व्यूहरचना कार्यान्वयन के लिये बैंक के पास पर्याप्त पूँजी उपलब्ध है और विपरीत विपणन स्थितियों एवं बाहरी कारकों के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित संकटों से पार पाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त कुशन भी उपलब्ध है।

9% के विनियामक न्यूनतम स्तर के विरुद्ध उच्च पूँजी पर्याप्तता अनुपात को बनाये रखना बैंक का उद्देश्य है। विनियामक न्यूनतम के ऊपर आधिक्य पूँजी, भावी अग्रिम व्यवसाय वृद्धि को समर्थन प्रदान करने तथा साथ ही साथ किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए एक सुरक्षा भण्डार का कार्य करेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विपरीत परिस्थितियों में भी बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात विनियामक न्यूनतम स्तर से नीचे नहीं आ सके।

**जोखिम प्रबन्धन**

जोखिम, पूँजी एवं आय के मध्य सम्बन्धों के वृहद् सन्दर्भ मे, बैंक द्वारा जोखिम प्रबन्धन प्रक्रियाएँ एवं व्यवहार विकसित किये गये हैं।

मंडल द्वारा निर्धारित उद्देश्य, बैंक की जोखिम लेने की क्षमता को निश्चित करते हैं, जो कि बैंक की पूँजी आयोजना एवं निष्पादन प्रबन्धन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हैं। बैंक द्वारा निष्पादित किये जाने वाले व्यवसाय में जोखिम प्रवृत्ति एक अधिकतम जोखिम होता है, जो बैंक वहन करने का इच्छुक है ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी बैंक की लाभप्रदता एवं पूँजी आधार सुरक्षित रखा जा सकें। इन जोखिमों का प्रबन्धन, सीमाओं अथवा निवारक बिन्दुओं को, पूँजी, आय की अस्थिरता एवं केन्द्रीकृत जोखिमों के समस्त आयामों के लिये प्रयोग किया जा रहा है। सुपरिभाषित अधिकतम जोखिम प्रवृत्ति द्वारा इन सीमाओं का निर्धारण किया जाता है।

एकीकृत जोखिम प्रबन्धन दृष्टिकोण को अपनाते हुए, बैंक सुनिश्चित करना चाहता है कि जोखिमों की पहचान करने एवं उनको परिमाणित करने, प्रभावी जोखिम प्रबन्धन प्रणाली को विकसित करने के साथ, आय एवं जोखिम में एक उचित सन्तुलन बनाया जा सके। विशिष्ट जोखिमों के केन्द्रीकरण को दूर किया जा सके, उचित पूँजी ढाँचा तैयार किया जा सके, संसाधनों के इष्टतम आवंटन को प्राप्त किया जा सके तथा उच्च आस्ति गुणवत्ता को निरन्तर बनाये रखा जा सके। यह बैंक की वित्तीय स्थिति सुदृढ करने एवं अंशधारको के लिये अधिकतम लाभ अर्जित करने में योगदान देता है।

बैंक वृहद् रूप से जोखिम प्रकारों को निम्नानुसार वर्गीकृत एवं पारिभाषित करता है:

| | |
|---|---|
| साख जोखिम | प्रतिपक्षकारों की साख की स्थिति में गिरावट द्वारा उत्पन्न साख आस्तियों में वित्तीय हानि का जोखिम (ऑफ-बैलेंस शीट विलेखों सहित)। |
| बाजार जोखिम | मार्केट कारकों के विपरीत दिशा में जाने, जैसे ब्याज दरों, प्रतिभूतियों का मूल्य माल का मूल्य एवं विदेशी विनिमय दरों में आये परिवर्तनों के द्वारा पड़ने वाले विपरीत प्रभावों से बैंक की आस्तियों एवं देयताओं के मूल्यों से उत्पन्न वित्तीय हानियाँ। |
| तरलता जोखिम | जब बिना अस्वीकार्य हानियों के बैंक अपनी देयताओं को देय तिथि पर पूरा करने में असमर्थ लगे, इस कारण से उत्पन्न बैंक की आय एवं पूँजी का जोखिम। |
| परिचालन जोखिम | अपर्याप्त अथवा अकारगर आन्तरिक प्रक्रियाओं, लोगों अथवा प्रणाली के असफल रहने पर अथवा किन्हीं अन्य बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का जोखिम। |
| बैंकिंग बही में ब्याज | यह एक ऐसा जोखिम है जब ब्याज दरों में आये परिवर्तनों के कारण बैंक की वित्तीय आस्तियों के मूल्यों में कोई कमी आ |
| दर जोखिम | जाती है और/अथवा बैंक की देयताओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ब्याज दर जोखिम प्राथमिक तौर पर आस्तियों एवं देयताओं में परिपक्वता असन्तुलन से उत्पन्न होता है। इसका समग्र उद्देश्य ब्याज दर जोखिम से चालू एवं भावी आय अस्थिरता का प्रबन्ध करना है। |

बैंक के समग्र जोखिम प्रबन्धन के लिए इसकी निम्नलिखित जोखिम प्रबन्धन समितियाँ हैं: बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति, साख जोखिम प्रबन्धन समिति, बाजार जोखिम प्रबन्धन समिति एवं परिचालनात्मक जोखिम प्रबन्धन समिति। इन समितियों के अतिरिक्त, बैंक की आस्ति एवं देयता प्रबन्धन समिति सतत् रूप से तरलता पथ एवं दर संवेदनशीलता का निर्धारण करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की निगरानी करती हैं।

विभिन्न जोखिम प्रबन्धन समितियाँ गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिप्रेक्ष्यों के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के जोखिमों पर चर्चा करती हैं एवं उनका गतिशीलतापूर्वक प्रबन्धन भी करती हैं। इन समितियों द्वारा किये गये विचार-विमर्शो के आधार पर विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए बैंक का निदेशक मण्डल, बैंक की जोखिम प्रबन्धन नीतियों का निर्धारण करता है।

बासेल-II ढाँचे पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये निर्देशों के सन्दर्भ में, बैंक ने साख जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए बेसिक इण्डिकेटर दृष्टिकोण को अंगीकार किया है। पिलर-I के अनुसार विनियामक पूँजी आवश्यकता गणना के अतिरिक्त, बैंक अन्य जोखिमों का आकलन करता है तथा मार्केट के दबावों एवं बाहरी कारकों से पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को झेलने के लिए कुशन के रूप में पूँजी की पर्याप्तता का निर्धारण करता रहता है।

# BASEL-II DISCLOSURES

In terms of Reserve Bank of India guidelines on New Capital Adequacy Framework (NCAF), Pillar-III Disclosures of the Bank as on 31.03.2012 are as under:

## Capital Management

Capital management is aimed at ensuring that there is sufficient capital to meet the requirement of the Bank as determined by its underlying business strategy and also that sufficient cushion is available to absorb unexpected shocks that could arise out of adverse market conditions and external factors.

The Bank aims to maintain Capital Adequacy Ratio (CAR) well above the regulatory minimum level of 9%. Excess capital above the regulatory minimum is for supporting anticipated future business growth and to serve as a buffer for any unexpected shocks thereby ensuring that the Bank's CAR does not fall below the regulatory minimum level even in adverse conditions.

## Risk Management

The risk management processes and practices employed by the Bank have been developed in the wider context of the relationships between risk, capital and earnings.

The strategic objectives set by the Board determine the Bank's risk appetite, which is an important input for its capital planning and performance management. Risk appetite is the maximum risk the Bank is willing to accept in executing its business strategy while staying protected against events that may have an adverse impact on its profitability and capital base. Risks are being managed by using limits or checkpoints set across all dimensions of capital, earnings volatility and concentration risk. These limits are determined by a well-defined maximum risk appetite.

By adopting an integrated risk management approach, the Bank seeks to improve its methods for identifying and quantifying risks, to develop a more effective risk management system, to achieve a stable balance between earnings and risk, to eliminate concentrations of specific risks, to create an appropriate capital structure, to achieve optimal allocation of resources, and to sustain high asset quality. This contributes to the strengthening of the financial health of the Bank and maximizing of shareholders' value.

The Bank broadly classifies and defines risk types as under:

| | |
|---|---|
| Credit Risk | The risk of financial loss in credit assets (including off-balance sheet instruments) caused by deterioration in the credit conditions of counterparties. |
| Market Risk | The risk of financial loss where the value of assets and liabilities could be adversely affected by changes in market variables such as interest rates, securities prices and foreign exchange rates. |
| Liquidity Risk | The risk to earnings and capital arising from a bank's potential inability to meet its liabilities when they become due without incurring unacceptable losses. |
| Operational Risk | The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems, or from external events. |
| Interest Rate Risk in Banking Book | The risk that the value of bank's financial assets may decrease and/or the value of the bank's liabilities may increase because of changes in interest rates. Interest Rate Risk arises primarily from the maturity mismatch of assets and liabilities. The overall objective is to manage current and future earnings sensitivity to interest rate risk exposure. |

The Bank has the following risk management committees in place for its overall risk management: Risk Management Committee of the Board, Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee and Operational Risk Management Committee. Besides these committees, the Bank's Assets-Liabilities Management Committee (ALCO) monitor the build-up of assets and liabilities across maturities for liquidity tracking and assessing rate sensitivity on an ongoing basis.

The various risk management committees discuss and dynamically manage the different types of risks both from qualitative and quantitative perspectives. The Board of Directors lays down the Bank's risk management policies for various types of risk based on the discussions held by these committees.

In terms of RBI guidelines on Basel-II framework, the Bank has adopted the Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. In addition to regulatory capital requirement of computation as per Pillar-I, the Bank also assesses other risks for adequacy of the capital available as a cushion to withstand shocks from market forces and external factors.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों एवं हमारी प्रकटीकरण नीति के सन्दर्भ में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक प्रकटीकरण, प्रकटीकरण सारणी (DF) 1 से 10 में संलग्न है।

## प्रकटीकरण सारणी - 1: लागू क्षेत्र

बासेल-II ढाँचा, बैंक में एकल स्तर पर लागू है। इसकी कोई अनुषंगी नहीं है। तथापि, एमजीबी ग्रामीण बैंक, पाली (जिसमें बैंक का 35% शेयर है) में निवेश को स्तरीय-I एवं स्तरीय-II पूँजी में से प्रत्येक में 50-50% की कटौती की गई है।

## प्रकटीकरण सारणी-2: पूँजी ढाँचा

**गुणात्मक प्रकटीकरण**

(अ) सारांश:

| पूँजी का प्रकार | विशेषताएँ |
|---|---|
| इक्विटी (स्तरीय-I) | जारी अंश |
| | भारतीय स्टेट बैंक (75.07%) |
| | पब्लिक (24.93%) |
| नवोन्मेषी विलेख (स्तरीय-I) | नवोन्मेषी शाश्वत ऋण बॉण्ड्स: बेजमानती, अपरिवर्तनीय, अधीनस्थ, प्रॉमीसरी नोट के रूप में शाश्वत बॉण्ड्स, 10 वर्ष के पश्चात् माँग विकल्प एवं स्टेप-अप कूपन (उस समय भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त अनुमोदन की शर्त पर) |
| स्तरीय-II | अधीनस्थ ऋण विलेख, उदाहरणार्थ बैंक द्वारा जारी अपर स्तरीय-II एवं लोअर स्तरीय-II बॉण्ड्स बेजमानती, मोचनीय एवं अपरिवर्तनीय बॉण्ड्स हैं। अपर स्तरीय-II बॉण्डों के लिए माँग विकल्प 10 वर्ष के पश्चात् (उस समय भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त अनुमोदन की शर्त पर) उपलब्ध है।<br>अवधि: 111 महीनों से 180 महीनों की सीमा तक |

स्तरीय-I एवं स्तरीय-II ऋण निर्गमों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण:** (₹ करोड़ में)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ब) | **स्तरीय-I पूँजी (i + ii + iii + iv – v)** | : | **4355.70** |
| | (i) चुकता पूँजी | : | 70.00 |
| | (ii) आरक्षित निधि | : | 4092.59 |
| | (iii) नवोन्मेषी विलेख | : | 200.00 |
| | (iv) अन्य पूँजी विलेख | : | 0.00 |
| | (v) स्तरीय-I पूँजी में से घटायी गई राशि (आस्थगित कर-आस्ति एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेश) | : | (6.89) |
| (स) | **कुल पात्र स्तरीय-II पूँजी (कटौतियों कर निवल राशि)** (i+ii+iii-iv) | : | **1785.44** |
| | (i) अपर स्तरीय -II पूँजी में शामिल करने हेतु पात्र ऋण पूँजी विलेख | : | |
| | • कुल बकाया राशि | : | 450.00 |
| | • जिसमें से वर्ष के दौरान उठाई गई राशि | : | 0.00 |
| | • पूँजी के रूप में गणना हेतु पात्र राशि | : | 450.00 |
| | (ii) लोअर स्तरीय-II पूँजी में शामिल करने हेतु पात्र अधीनस्थ ऋण | : | |
| | • कुल बकाया राशि | : | 1500.00 |
| | • जिसमें से वर्ष के दौरान उठाई गई राशि | : | 500.00 |
| | • पूँजी के रूप में गणना हेतु पात्र राशि | : | 1100.00 |
| | (iii) सामान्य प्रावधान एवं हानि आरक्षितियां | : | 242.33 |
| | (iv) पूँजी में से की गई अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हों | : | (6.89) |
| (द) | **कुल पात्र स्तरीय-III पूँजी, यदि कोई हो** | : | 0.00 |
| (य) | **कुल पात्र पूँजी (स्तरीय-I एवं स्तरीय-II पूँजी में से की गई कटौतियों कर निवल राशि) [ब+स+द]** | : | **6141.14** |

Qualitative and quantitative disclosures in terms of RBI guidelines and our Disclosure Policy are appended in the Disclosure Tables (DF) 1 to 10.

## DF-1 SCOPE OF APPLICATION

Basel-II framework is applicable to the Bank at solo level. It has no subsidiary. However, investment in MGB Gramin Bank, Pali (in which Bank has 35% equity stake) has been deducted from Tier-I and Tier-II capital -50% each.

## DF-2 : CAPITAL STRUCTURE:

### Qualitative Disclosures:

(a) Summary:

| Type of Capital | Features |
|---|---|
| Equity (Tier-I) | Shares issued to |
| | SBI (75.07%) |
| | Public (24.93%) |
| Innovative Instruments | |
| (Tier-I) | Innovative Perpetual Debt Bonds: Unsecured, non-convertible, subordinated, perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option and step-up coupon available after 10 years (subject to RBI approval at the time). |
| Tier-II | Subordinated Debt Instruments i.e. Upper Tier-II and Lower Tier-II bonds issued by the Bank are unsecured, redeemable, non-convertible bonds. Call option available for Upper Tier-II bonds after 10 years (subject to RBI approval at the time)<br>Period : ranges from 111 months to 180 months |

Details of Tier-I and Tier-II debt issues given in Appendix I.

### Quantitative Disclosures:

(₹ in Crores)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (b) | **Tier-I Capital (i + ii + iii + iv – v)** | | : | **4355.70** |
| | (i) | Paid-up Share Capital | : | 70.00 |
| | (ii) | Reserves | : | 4092.59 |
| | (iii) | Innovative Instruments | : | 200.00 |
| | (iv) | Other Capital Instruments | : | 0.00 |
| | (v) | Amount deducted from Tier-I Capital (i.e. Deferred Tax Asset & Investment in RRB) | : | (6.89) |
| (c) | **Total Eligible Tier -2 Capital (Net of deductions)** (i+ii+iii-iv) | | : | **1785.44** |
| | (i) | Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier-2 Capital: | : | |
| | • | Total amount outstanding | : | 450.00 |
| | • | Of which raised during Current year | : | 0.00 |
| | • | Amount eligible for being reckoned as Capital | : | 450.00 |
| | (ii) | Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier-2 Capital: | : | |
| | • | Total amount outstanding | : | 1500.00 |
| | • | Of which amount raised during current year | : | 500.00 |
| | • | Amount eligible for being reckoned as Capital | : | 1100.00 |
| | (iii) | General Provision and Loss Reserves | : | 242.33 |
| | (iv) | Deduction from Tier- 2 Capital, if any | : | (6.89) |
| (d) | **Total Tier-III capital, if any** | | : | 0.00 |
| (e) | **Total Eligible Capital (net of deductions from Tier I & Tier II Capital) [Total of (b), (c), (d)]** | | : | **6141.14** |

## प्रकटीकरण सारणी - 3: पूँजी पर्याप्तता

**गुणात्मक प्रकटीकरण**

- बैंक की आइकाप (ICAAP) की नीति बोर्ड से अनुमोदित है।
- चालू व्यवसाय स्तर एवं अनुमानित भावी व्यवसाय के लिए पूँजी की आवश्यकता का निर्धारण आइकाप द्वारा किया गया है।
- पूँजी पर्याप्तता अनुपात बासेल-I एवं बासेल-II के दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाला गया है। पूँजी पर्याप्तता का आकलन विनियामक न्यूनतम 9% के स्तर के ऊपर आँका गया है।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण** (₹ करोड़ में)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (अ) | साख जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता<br>• मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत | : | 3673.69 |
| (ब) | विपणन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता<br>• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण | : | 46.23 |
| (स) | परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता<br>• बेसिक इण्डिकेटर दृष्टिकोण | : | 295.27 |
| | विनियामक न्यूनतम 9% के स्तर पर कुल पूँजी की आवश्यकता | : | 4015.19 |
| (द) | कुल एवं स्तरीय-I पूँजी पर्याप्तता अनुपात : कुल पूँजी पर्याप्तता अनुपात | : | 13.76% |
| | : स्तरीय-I पूँजी पर्याप्तता अनुपात | : | 9.76% |

## प्रकटीकरण सारणी-4: साख जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण (ईक्विटी सहित)

**गुणात्मक प्रकटीकरण:**

**(अ) सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण**

I. अनर्जक (Impaired) आस्तियों की परिभाषा: बैंक इन श्रेणियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की मौजूदा परिभाषाओं का पालन कर रहा है। (प्रयुक्त परिभाषाएँ परिशिष्ट-II में दी गई हैं)।

II. **साख जोखिम प्रबन्धन :**

- जोखिम गवर्नेंस ढाँचा मौजूद है (संगठन चार्ट परिशिष्ट-VI के अनुसार)
- साख जोखिम प्रबन्धन समिति एवं बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति प्रमुख समितियाँ हैं, जो साख जोखिम प्रबन्धन की समीक्षा करती हैं।
- साख जोखिम से सम्बन्धित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ निम्नानुसार हैं :
  - साख जोखिम प्रबन्धन एवं ऋण नीति
  - साख जोखिम प्रशमन एवं सम्पार्श्विक प्रबन्धन नीति
  - दाब परीक्षण नीति
- बैंक की नीतियाँ बेहतर साख जोखिम प्रबन्धन की आवश्यकताओं एवं जोखिम संकेन्द्रण को दूर करने की आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं।
- इन नीतियों की समीक्षा आवधिक अन्तरालों पर की जाती है।
- एकल ऋणी, समूह अस्तित्वों, विभिन्न श्रेणियों के ऋणियों, विशिष्ट उद्योग/क्षेत्र आदि के लिए ऋण जोखिम सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।
- मूल्यांकन एवं स्वीकृति, प्रलेखन, निरीक्षण एवं अनुश्रवण, नवीनीकरण, रख-रखाव, पुनर्वास एवं आस्तियों के प्रबन्धन के विशिष्ट मानदण्डों एवं दिशा-निर्देशों का निर्धारण, साख जोखिम प्रबन्धन एवं ऋण नीति में किया गया है तथा साथ ही साथ उचित प्राधिकारी ढाँचे के अन्तर्गत अनुमत नवोन्मेषण एवं विचलन के लिए पर्याप्त गुंजाइश का प्रावधान किया गया है।
- अग्रिमों का दाब परीक्षण त्रैमासिक अंतराल पर सीआरएमसी एंव आरएमसीबी के समक्ष समीक्षा हेतु रखा जाता है।

## DF-3 : CAPITAL ADEQUACY

### Qualitative Disclosures:

- Bank has a Board-approved ICAAP(Internal Capital Adequacy Assessment Process) Policy
- Capital requirement for current business levels and estimated future business has been assessed as per ICAAP
- CAR (Capital Adequacy Ratio) has been worked out based on Basel-I and Basel-II guidelines. CAR is estimated to be above the regulatory minimum level of 9%

### Quantitative Disclosures:

(₹ in Crores)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (a) | Capital requirements for credit risk: | | | |
| | • Portfolios subject to standardised approach | | : | 3673.69 |
| (b) | Capital requirements for market risk: | | | |
| | • Standardised duration approach | | : | 46.23 |
| (c) | Capital requirements for operational risk: | | | |
| | • Basic indicator approach | | : | 295.27 |
| Total Capital Requirement at regulatory minimum level of 9% | | | : | 4015.19 |
| (d) | Total and Tier I capital adequacy ratio | : Total CAR | : | 13.76% |
| | | : CAR (Tier-I) | : | 9.76% |

## DF-4 : CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES: (INCLUDING EQUITIES):

### Qualitative Disclosures:

### (a) General Qualitative Disclosures

i. Definitions of “Impaired Assets”: Bank is following extant RBI definitions of these categories. (The definitions used are given in Appendix-II).

ii. Credit Risk Management:

- Risk Governance Structure is in place (organization chart as per Appendix-VI).
- Credit Risk Management Committee and Risk Management Committee of the Board are the principal committees that review credit risk management
- Following Board-approved policies with regard to credit risk are in place:
  - Credit Risk Management and Loan Policy
  - Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy
  - Stress Testing Policy
- Bank’s policies take into account the need for better credit risk management and avoidance of risk concentration
- Policies are reviewed periodically.
- Exposure limits for Single Borrower, Group Entities, different categories of borrowers, specific industry /sector, etc. have been stipulated.
- Specific norms and guidelines for appraisal and sanction, documentation, inspection and monitoring, renewal, maintenance, rehabilitation and management of assets have been stipulated in the Credit Risk Management and Loan Policy, with provision of adequate leg room for innovation and deviation permissible under a proper authority structure.
- Stress test on advances is carried out at quarterly intervals and placed before the CRMC and RMCB for review.

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण:**

ब) साख जोखिम प्रशमन तकनीकी, अर्थात् सम्पार्श्विक एवं नैटिंग, के प्रभाव के बिना कुल सकल साख ऋण जोखिम (कोष-आधारित एवं गैर-कोष आधारित)

(₹ करोड़ में)

| | ऋण जोखिम एक्सपोजर | राशि | कुल योग |
|---|---|---|---|
| **कोष आधारित** | ऋण एवं अग्रिम | 49986.29 | |
| | अन्य | 6614.33 | |
| | (अन्य आस्तियों में सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक पर दावे, बैंकों के पास शेष, माँग उधारियाँ, अन्त: कार्यालय शेष, परिसर एवं एफईएफ आदि शामिल हैं) | | 56600.62 |
| **$गैर-कोष आधारित** | साख पत्र, बैंक गारण्टियाँ (सकल) | 6807.18 | |
| | वायदा संविदाएं आदि | 6570.31 | |
| | अन्य | 6756.36 | 20133.85 |
| | (इसमें अनुपयुक्त सीमा, हामीदारी एवं आपातोपयोगी वचनबद्धताएँ, बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें कर्ज के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है एवं अन्य) | | |
| **निवेश** (केवल बैंकिंग बही) | | 15305.50 | 15305.50 |
| | **साख जोखिम का कुल बकाया योग** | | 92039.97 |

$ साख परिवर्तन कारक को लागू किये बिना सकल ऋण जोखिम

(₹ करोड़ में)

| | | |
|---|---|---|
| (स) | साख जोखिम ऋण का भौगोलिक वितरण: | |
| | • घरेलू | 92039.97 |
| | • समुद्रपारीय | शून्य |
| (द) | ऋण जोखिमों का उद्योग-वार वितरण (कोष आधारित एवं गैर-कोष आधारित): परिशिष्ट-III | |
| (य) | आस्तियों की अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता एवं ब्याज दर संवेदनशीलता का विश्लेषण : परिशिष्ट-IV (अ), (ब), (स) एवं (द) के अनुसार | |
| (र) | सकल गैर-निष्पादित आस्तियों की राशि | 1651.47 |
| | • अवमानक | 997.54 |
| | • संदिग्ध- 1 | 354.43 |
| | • संदिग्ध-2 | 183.69 |
| | • संदिग्ध-3 | 31.09 |
| | • हानि | 84.72 |
| (ल) | निवल गैर-निष्पादित आस्तियाँ | 945.41 |
| (व) | गैर-निष्पादित आस्तियों का अनुपात | |
| | सकल अग्रिमों के प्रति सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ | 3.30% |
| | निवल अग्रिमों के प्रति निवल गैर-निष्पादित आस्तियाँ | 1.92% |

## Quantitative Disclosures:

b) Total Gross Credit Exposures (Fund-Based and Non-Fund based separately), without taking into account the effect of Credit Risk Mitigation techniques, e.g. Collaterals and Netting

(₹ in Crores)

| | EXPOSURE | AMOUNT | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **FUND-BASED** | LOANS & ADVANCES | 49986.29 | |
| | OTHER ASSETS | 6614.33 | |
| | (other assets include claims on Govt./RBI, balances with banks, call lendings, inter-office balances, premises, furniture & fixtures and other sundry items) | | 56600.62 |
| **$ NON FUND BASED** | LETTERS OF CREDIT, BANK GUARANTEES (Gross) | 6570.31 | |
| | FOREIGN EXCHANGE FORWARD CONTRACTS. | 6807.18 | |
| | OTHERS | 6756.36 | 20133.85 |
| | (others includes un-utilised limit, underwriting & standby commitments, claims against the bank not acknowledged as debts and other contingent items) | | |
| **INVESTMENTS** (Banking Book only) | | 15305.50 | 15305.50 |
| GRAND TOTAL OF CREDIT RISK OUTSTANDING EXPOSURE | | | 92039.97 |

$ Gross exposure without applying credit conversion factor.

(₹ in Crores)

| | | |
|---|---|---|
| (c) | Geographic Distribution of Credit Risk Exposure: | |
| | • DOMESTIC | 92039.97 |
| | • OVERSEAS | NIL |
| (d) | Industry-wise distribution of outstanding credit risk exposures (Fund-based and Non-Fund-Based): As per Appendix-III | |
| (e) | Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets & Interest Rate Sensitivity<br>As per Appendix-IV (a), (b), (c) and (d) | |
| (f) | Amount of Gross NPAs | 1651.47 |
| | • Substandard | 997.54 |
| | • Doubtful 1 | 354.43 |
| | • Doubtful 2 | 183.69 |
| | • Doubtful 3 | 31.09 |
| | • Loss | 84.72 |
| (g) | Net NPAs | 945.41 |
| (h) | NPA Ratios | |
| | Gross NPA to Gross Advances | 3.30% |
| | Net NPA to Net Advances | 1.92% |

| | | |
|---|---|---|
| (श) | सकल गैर-निष्पादित आस्तियों में उतार-चढ़ाव: | |
| | प्रारम्भिक शेष (01.04.2011 को)) | 835.40 |
| | परिवर्द्धन | 1571.93 |
| | कमी | 755.86 |
| | अन्तिम शेष (31.03.2012 को) | 1651.47 |
| (ष) | गैर-निष्पादित आस्तियों के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव: | |
| | प्रारम्भिक शेष (01.04.2011 को) | 494.07 |
| | अवधि के दौरान किये गये प्रावधान | 486.07 |
| | अवधि के दौरान किये गये अपलेखन | 275.09 |
| | अवधि के दौरान आधिक्य प्रावधानों का पुनरांकन | 0.00 |
| | अन्तिम शेष (31.03.2012 को) | 705.05 |
| (ह) | बैंकिंग बही में गैर-निष्पादित निवेशों (सकल) की राशि | 0.00 |
| (क्ष) | गैर-निष्पादित निवेशों (बैंकिंग बही) के लिए किये गये प्रावधान की राशि | 0.00 |
| (त्र) | निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव | |
| | प्रारंम्भिक शेष एन.पी.आई. प्रावधान (01.04.2011) | 21.29 |
| | स्थित मूल्यहास प्रावधान/अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रावधान | 23.51 |
| | अपलेखन | 21.67 |
| | आधिक्य प्रावधानों का पुनरांकन | 0.00 |
| | अंतिम शेष (31.03.2012) को | 23.13 |

## प्रकटीकरण सारणी-5: साख जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर पोर्टफोलियो प्रकटीकरण

**गुणात्मक प्रकटीकरण:**

| 5(अ) | गुणात्मक प्रकटीकरण | टिप्पणी |
|---|---|---|
| I | उपयोग की गई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों के नाम | घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियाँ: क्रिसिल, इकरा, केअर एवं फिच इण्डिया<br>अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियाँ (IRA): फिच, मूडीज एवं एस एण्ड पी |
| II. | अभिज्ञानित रेटिंग एजेन्सियों मे पूर्व अवधि प्रकटीकरण से परिवर्तन, यदि कोई हो, एवं उनके कारण | कोई परिवर्तन नहीं |
| III | ऋण जोखिमों के प्रकार, जिनके लिए प्रत्येक एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है/ प्रयोग किया जाना है। | विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए, अभिज्ञानित रेटिंग एजेन्सी की रेटिंग का प्रयोग निम्नानुसार किया जाता है: |
| | | (i) एक वर्ष से कम या इसके समान अवधि की संविदात्मक परिपक्वता सहित ऋण जोखिमों (नकद साख, अधिविकर्ष एवं अन्य परिक्रामी साखों को छोड़कर) के लिये अल्पावधि रेटिंग लागू होगी। |
| | | (ii) घरेलू नकद साख, अधिविकर्ष एवं अन्य परिक्रामी साखों (अवधि पर विचार किये बिना) एवं एक साल की अवधि के ऊपर दीर्घावधि ऋणों के लिए दीर्घावधि रेटिंग लागू होगी। |
| | | (iii) समुद्रपारीय ऋण जोखिमों के लिए, संविदात्मक परिपक्वता पर विचार किये बिना, आईआरए द्वारा दी गई दीर्घावधि रेटिंग लागू होगी। |

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Movement of Gross NPAs | |
| | Opening balance (as on 01.04.2011) | 835.40 |
| | Additions | 1571.93 |
| | Reductions | 755.86 |
| | Closing balance (as on 31.03.2012) | 1651.47 |
| (j) | Movement of NPA Provisions: | |
| | Opening balance (01.04.2011) | 494.07 |
| | Provisions made during the period | 486.07 |
| | Write-offs during the period | 275.09 |
| | Write-back of excess provisions during the period | - |
| | Closing balance (31.03.2012) | 705.05 |
| (k) | Amount of Non-Performing Investments (gross) Banking Book | 0.00 |
| (l) | Amount of Provisions held for Non- Performing Investments (Banking Book) | 0.00 |
| (m) | Opening Balance NPI Provisions(01.04.2011) | 21.29 |
| | Provisions held for Depreciation/Additional Provisions made during the period | 23.51 |
| | Write offs | 21.67 |
| | Write-back of excess provisions | 0.00 |
| | Closing Balance (31.03.2012) | 23.13 |

## DF-5 CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO STANDARDISED APPROACH:

### Qualitative Disclosures:

| 5(a) | Qualitative Disclosures | Remarks |
|---|---|---|
| I | Names of credit rating agencies used | Domestic Credit Rating Agencies:<br>CRISIL, ICRA, CARE and FITCH India |
| | | International Rating Agencies (IRA):<br>FITCH, Moody's and S& P |
| II. | Changes, if any, since prior period disclosures in the identified rating agencies and reasons for the same | No change |
| III | Types of exposures for which each agency used/ to be used | Ratings done by the identified rating agency are to be used for various types of exposures as follows: |
| | | (i) For exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short-term Ratings will be applicable. |
| | | (ii) For domestic Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits (irrespective of the period) and for Long Term exposures of over 1 year, Long Term Ratings will be applicable. |
| | | (iii) For overseas exposures, irrespective of the contractual maturity, Long Term Ratings given by IRAs will be applicable. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IV | बैंकिंग बही में सार्वजनिक निर्गमित रेटिंग का तुलनात्मक आस्तियों में अन्तरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं का वर्णन | दीर्घावधि निर्गम विशिष्ट रेटिंग (हमारे निजी ऋण जोखिम अथवा उसी ऋणी-ग्राहक/काउण्टर पार्टी द्वारा अन्य जारी ऋण) अथवा निर्गमकर्ता (ऋणी-ग्राहक/काउण्टर पार्टी), रेटिंग निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/काउण्टर पार्टी को अन्य बिना रेटिंग किये गये ऋण जोखिमों में लागू किया जा सकता है। | |
| | | (i) | अगर निर्गम विशिष्ट रेटिंग अथवा निर्गमकर्ता रेटिंग उसी काउण्टर पार्टी पर, बिना रेटिंग ऋण जोखिम पर समान जोखिम भार अथवा उससे अधिक जोखिम भार को प्रतिचित्रित करता है, तो उस पर वही जोखिम भार समनुदेशित किया जायेगा, अगर ऋण जोखिम सब तरह से रेटिंग किये गये ऋण जोखिम के बराबर अथवा कम है। |
| | | (ii) | उन मामलों में जहाँ ऋणी-ग्राहक/काउण्टर पार्टी ने कोई ऋण जारी किया है (जो कि हमारे बैंक से उधारी नहीं है), उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के बिना रेटिंग किये गये ऋण जोखिम पर लागू की जा सकती है अगर बैंक का ऋण जोखिम विशिष्ट रेटिंग किये गये ऋण जोखिम के बराबर अथवा वरिष्ठ है और बैंक का बिना रेटिंग किया गया ऋण जोखिम, रेटिंग किये गये ऋण की परिपक्वता के बाद वाला नहीं है। |

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण:**

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, जोखिम प्रशमन के बाद बकाया राशि रेटिंग एवं बिना रेटिंग को एक साथ लेकर, का विभिन्न जोखिम श्रेणियों के अतंर्गत विवरण एवं उनमे से घटायी गयी राशि निम्नानुसार है :-

| | (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| • 100% जोखिम भार से कम: | 57785.04 |
| • 100% जोखिम भार की दर से: | 25495.97 |
| • 100% जोखिम भार से अधिक: | 6721.28 |
| • कटौती की गई राशि, यदि कोई हो: (साख जोखिम प्रशमन, स्टाफ सहित) | 2037.68 |
| **योग** | **92039.97** |

## प्रकटीकरण सारणी-6: साख जोखिम प्रशमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

**गुणात्मक प्रकटीकरण :**

I **सम्पार्श्वित मूल्यांकन एवं प्रबन्धन के लिए नीति एवं प्रक्रिया**

ऋण जोखिम कम करने की एवं समपार्श्व प्रबन्धन की नीति स्थित है जो बैंक के पूंजी गणना के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम कम करने वाले तत्वों के प्रति बैंक के दृष्टकोण को दर्शाती है। इस नीति का यह उद्देश्य ऋण जोखिम कम करने वाले तत्वों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन इस तरह करने का है जिससे विनियामक पूंजी समन्वय उनको प्रतिबिम्बित कर सकें।

नीति में व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जो ऋण जोखिम के संपार्श्व (उचित हेयरकट के बाद) को पूर्णत: घटाते हुए संपार्श्व के मूल्य तक ऋण-जोखिम राशि में प्रभावी कमी लाता है। नीति में निम्नलिखित विषयों को संबोधित किया गया है:-

(i) ऋण जोखिम कम करने वाले तत्वों का वर्गीकरण
(ii) ग्रहणीय ऋण जोखिम कम करने वाले तत्व
(iii) ऋण जोखिम कम करने वाले तत्वों का आवश्यक प्रलेखीकरण एवं कानूनी प्रक्रिया
(iv) समपार्श्व का मूल्यांकन
(v) समपार्श्व की अभिरक्षा
(vi) बीमा
(vii) ऋण जोखिम कम करने वाले तत्वों की निगरानी

| | | |
|---|---|---|
| IV | Description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book | Long-term issue-specific ratings (our own exposures or other issuance of debt by the same borrower-constituents/counter-party) or issuer (borrower-constituents/ counter-party) ratings can be applied to other unrated exposures of the same borrower-constituents/ counter-party in the following cases: |
| | | (i) If the issue-specific rating or issuer rating maps to a risk weight equal to or higher than the unrated exposures any other un-rated exposure on the same counter-party will be assigned the same risk weight, if the exposure ranks pari-passu or junior to the rated exposure in all respects. |
| | | (ii) In cases where the borrower-constituent/ counter-party has issued a debt (which is not a borrowing from our Bank), the rating given to that debt may be applied to Bank's unrated exposures if the Bank's exposure ranks pari-passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of Bank's unrated exposures are not later than maturity of rated debt. |

### Quantitative Disclosures:

The exposure amount after Risk Mitigation subject to Standardised Approach i.e. amount of outstanding (rated and unrated taken together) in different risk-buckets as well as the amount that are deducted, if any:

| | (₹ in Crore) |
|---|---|
| • Below 100 % Risk Weight : | ₹ 57785.04 |
| • @100% Risk Weight: | ₹ 25495.97 |
| • More than 100% Risk weight: | ₹ 6721.28 |
| • Amount Deducted, if any: (credit risk mitigation including from staff) | ₹ 2037.68 |
| **TOTAL** | **₹ 92039.97** |

## DF-6 CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH:

### (a) General Qualitative Disclosures:

Policies and Processes for Collateral Valuation and Management

A Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, addressing the Bank's approach towards the credit risk mitigants used for capital calculation is in place. The objective of this Policy is to enable classification and valuation of credit risk mitigants in a manner that allows regulatory capital adjustment to reflect them.

The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. The following issues are addressed in the Policy:

(i) Classification of credit risk mitigants
(ii) Acceptable credit risk mitigants
(iii) Documentation and legal process requirements for credit risk mitigants
(iv) Valuation of collateral
(v) Custody of collateral
(vi) Insurance
(vii) Monitoring of credit risk mitigants

## II साख जोखिम प्रबन्धन तकनीक के मुख्य प्रकार

| क्र. सं. | गुणात्मक प्रकटीकरण | टिप्पणी |
|---|---|---|
| i) | पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक | (i) बैंक में जमा रोकड़ (ऋणदाता बैंक द्वारा जारी जमा प्रमाण-पत्र अथवा तुलनात्मक विलेख, स्थिर जमा रसीदों सहित) |
| | | (ii) बुलियन एवं ज्वैलरी, दोनों सहित, सोना। तथापि, सम्पार्श्विक ज्वैलरी का मूल्य 99.99% की शुद्धता पर आनुमानिक परिवर्तन (Notionally Convert) करने पर |
| | | (iii) केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ |
| | | (iv) किसान विकास पत्र एवं राष्ट्रीय बचत पत्र, जिनके लिए कोई लॉक-इन-पीरियड परिचालन में नहीं है तथा जहाँ उन्हें धारित अवधि के अन्तर्गत भुनाया जा सकता है। |
| | | (v) बीमा कम्पनी के घोषित समर्पण मूल्य सहित जीवन बीमा पॉलिसियाँ, जिन्हें बीमा क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित किया जाता है। |
| | | (vi) मान्यता प्राप्त साख रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग की गई ऋण प्रतिभूतियाँ, जिनके बारे में बैंक को उनकी मार्केट तरलता के बारे में पूर्ण विश्वास है, जो कि रेटिंगकृत है -<br>अ) कम से कम बीबीबी (-) जब इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी/संस्था और अन्य कम्पनी/संस्था द्वारा जारी किया जाता है (बैंकों एवं प्राइमरी डीलरों सहित) अथवा<br>ब) अल्पावधि ऋण विलेखों के लिए कम से कम पीआर3/पी3/एफ3/ए3 |
| | | (vii) ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ, जिनकी रेटिंग मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा नहीं की गई है, ये प्रतिभूतियाँ हैं :<br>अ) किसी बैंक द्वारा जारी; एवम<br>ब) किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में सूचीबद्ध; एवम<br>स) वरिष्ठ ऋण के रूप में वर्गीकृत; एवम<br>द) जारीकर्ता बैंक के समान वरिष्ठता वाले समस्त रेटिंग किये गये निर्गमों की रेटिंग कम से कम बीबीबी (-) अथवा पीआर3/पी3/एफ3/ए3 किसी चुनी हुई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा; एवम<br>य) ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके द्वारा इंगित गया हो कि निर्गम बीबीबी (-) अथवा पीआर3/पी3/एफ3/ए3 से नीचे रेटिंग किया गया है (जैसा कि लागू हो); एवम<br>र) प्रतिभूति की विपणन तरलता के बारे में बैंक को पूर्ण विश्वास है। |
| | | (viii) बैंक के परिचालन क्षेत्र में प्रतिभूति विनियामक द्वारा विनियमित म्यूचुअल फण्ड्स की यूनिट, जहाँ :<br>• यूनिट का मूल्य प्रतिदिन सार्वजनिक रूप से उद्धत किया जाता है अर्थात् जहाँ पब्लिक क्षेत्र में एन ए वी (NAV) प्रतिदिन उपलब्ध है;<br>• अनुच्छेद -II(i) में सूचीबद्ध विलेखों में निवेश हेतु म्यूचुअल फण्ड सीमित है। |
| ii) | ऑन-बैलेंस शीट नैटिंग | जहाँ बैंक -<br>अ) के पास यह निष्कर्ष के लिए सुस्थापित विधिक आधार है कि नैटिंग अथवा ऑफसैटिंग अनुबन्ध प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में प्रवर्तनीय है भले ही काउण्टर पार्टी की कोई हैसियत नहीं हो या वह पार्टी दिवालिया हो;<br>ब) उसी पार्टी के साथ ऋणों/अग्रिमों एवं जमाओं को, किसी भी समय निश्चित करने के लिए समर्थ है, जो कि नैटिंग अनुबन्ध की शर्त पर हो; और<br>स) नैट आधार पर उचित ऋण जोखिमों का निगरानी एवं नियन्त्रण करता है। |
| iii) | गारण्टी | जहाँ प्रत्याभूतियाँ प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अखण्डनीय एवं बिना शर्त की हों तथा जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों में वर्णित परिचालनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों। |

## II Main types of credit risk management techniques:

| S.No. | Qualitative Disclosures | Remarks |
|---|---|---|
| i) | Eligible financial collaterals | (i) Cash (as well as certificates of deposit or comparable instruments, including fixed deposit receipts, issued by the lending bank) on deposit with the Bank |
| | | (ii) Gold including both bullion and jewellery. However, the value of the collateralized jewellery is arrived at after notionally converting these to 99.99 % purity. |
| | | (iii) Securities issued by Central and State Governments. |
| | | (iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates for which no lock-in-period is operational and where they can be encashed within the holding period. |
| | | (v) Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by an insurance sector regulator. |
| | | (vi) Debt securities rated by a recognized Credit Rating Agency in respect of which the Bank is sufficiently confident about the market liquidity, where these are rated<br>a) at least BBB(-) when issued by public sector entities and by other entities (including banks and Primary Dealers); or<br>b) at least PR3/P3/F3/A3 for short-term debt instruments. |
| | | (vii) Debt securities not rated by a recognized Credit Rating Agency where these are:<br>a) issued by a bank; and<br>b) listed on a recognized exchange; and<br>c) classified as senior debt; and<br>d) all rated issues of the issuing bank of the same seniority are rated at least BBB(-) or PR3/ P3 / F3 / A3 by a chosen Credit Rating Agency; and<br>e) there is no information available that suggests that the issue justifies a rating below BBB(-) or PR3/ P3 / F3 / A3 (as applicable) and;<br>f) Bank is sufficiently confident about the market liquidity of the security. |
| | | (viii) Units of Mutual Funds regulated by the securities regulator in the jurisdiction of the Bank's operation, where:<br>• a price for the units is publicly quoted daily i.e., where the daily NAV is available in public domain; and<br>• the mutual fund is limited to investing in the instruments listed in this paragraph, para II (i). |
| ii) | On-balance sheet netting | Where the Bank<br>a) has a well-founded legal basis for concluding that the netting or offsetting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counter-party is insolvent or bankrupt;<br>b) is able at any time to determine the loans/advances and deposits with the same counter-party that are subject to the netting agreement; and<br>c) monitors and controls the relevant exposures on a net basis, |
| iii) | Guarantees | Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional and satisfy the operational requirements detailed in the RBI guidelines |

III जमानती काउण्टर पार्टी के मुख्य प्रकार एवं उनकी ऋण पात्रता:

पात्र जमानतीयों की श्रृंखला (प्रति-जमानती)

(i) सम्प्रभु, सम्प्रभु कम्पनियाँ/संस्थाएँ (बीआईएस, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपियन केन्द्रीय बैंक एवं यूरोपियन कम्यूनिटी के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों में सन्दर्भित एमडीबी, ईसीजीसी एवं सीजीटीएसआई), बैंक एवं काउण्टर पार्टी के कम जोखिम भार सहित प्राइमरी डीलर्स;

(ii) अन्य कम्पनियाँ/संस्थाएँ जिनकी रेटिंग एए (-) अथवा इससे बेहतर हो। इनमें मुख्य, अनुषंगी एवं सम्बद्ध कम्पनियों, जिनका कि देनदार की अपेक्षा कम जोखिम भार है, के द्वारा उपलब्ध कराया गया गारण्टी कवर, प्रतिभू की रेटिंग किसी कम्पनी/संस्था की रेटिंग की तरह होनी चाहिए, जो कम्पनी/संस्था (प्रत्याभूति सहित) समस्त देयताओ एवं वचनबद्धताओं को पूरा करती हो।

IV लिये गये प्रशमन के अन्तर्गत जोखिम संकेन्द्रण (साख अथवा विपणन) के बारे में सूचना :

(परिशिष्ट - V के अनुसार)

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण :**

(ब) मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत प्रकटीकृत साख जोखिम पोर्टफोलिओ के लिए, कुल ऋण जोखिम जो कि आच्छादित किया गया है :

- हेयरकट्स के पश्चात् पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक (स्टॉफ ऋणों को छोड़कर) : ₹ 2037.68 करोड़

(स) प्रत्येक पृथक दर्शाये पोर्टफोलिओ में, गारंटी/साख डेरिवेटिव से पूरित एक्सपोजर (जब भी भारतीय रिज़र्व बैंक से विशेषत: अनुमति प्राप्त हो) : शून्य

## प्रकटीकरण सारणी - 7: प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

**गुणात्मक प्रकटीकरण**

- प्रतिभूतिकरण गतिविधि के सम्बन्ध में उत्तोलन (Leverage) अनुपातों, आस्ति निष्पादन एवं गुणवत्ता, वांछनीय निवेश एवं परिपक्वता विशेषताओं को प्राप्त करना बैंक का उद्देश्य है।
- विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) को आस्तियों के ट्रान्सफर पर बिक्री से होने वाली राशि को बैंक द्वारा अपफ्रंट के रूप में मान्यता प्रदान की जायेगी।
- विशेष उदेश्य वाहन द्वारा जारी अथवा जारी की जाने वाली प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ को, बैंक द्वारा, उन प्रमाण पत्र के द्वारा जारी आस्तियों के बाकी जीवन के ऊपर परिशोधित किया जायेगा।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण :**

**अ) बैंकिंग बही:** प्रतिभूति कृत एक्सपोज़र राशि: शून्य
**ब) ट्रेडिंग बही:** प्रतिभूति कृत एक्सपोज़र राशि जिसमें बाजार जोखिम है: शून्य

## प्रकटीकरण सारणी - 8: ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

**गुणात्मक प्रकटीकरण:**

- मानकीकृत अवधि दृष्टकोण आधारित बाजार जोखिम गणना हेतु निम्न पोर्टफोलियो लिए गए है:
  - क्रय-विक्रय के लिए धारित एवं विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणियों की प्रतिभूतियाँ
  - क्रय-विक्रय धारित एवं विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणियों की प्रतिभूतियाँ की हेजिंग हेतु किए गए डेरिवेटिव व ट्रेडिंग हेतु किए गए डेरिवेटिव
- बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रय-विक्रय नितियाँ, निवेश नीति, विभिन्न आस्ति वर्गो के लिए परिभाषित बाजार जोखिम प्रबंधन क्षेत्रों सहित बाजार जोखिम प्रबंधन निति बनी हुयी है।
- कोष परिचालन मे जोखिम की पहचान, निर्धारण, निगरानी एवं प्रतिवेदन की जिम्मेदारी बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग व मिड-आफिस की है।
- जोखिम प्रबंधन, निर्दिष्ट अंतरालों पर उच्च प्रबंधन वर्ग, बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति को वस्तु-स्थिति से अवगत कराते हुए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

III Main types of guarantor counter-party and their creditworthiness:

Range of eligible guarantors (counter-guarantors):

i) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as MDBs referred to in RBI guidelines, ECGC and CGTSI), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counter-party;

(ii) Other entities rated AA(-) or better. These include guarantee cover provided by parent, subsidiary and affiliate companies that have a lower risk weight than the obligor. The rating of the guarantor should be an entity rating which has factored in all the liabilities and commitments (including guarantees) of the entities.

IV Information about (credit or market) risk concentration within the mitigation taken:

As per Appendix V

### Quantitative Disclosures:

(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on-or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.

- Eligible Financial Collateral after haircuts (excl. Staff loans): ₹ 2037.68 crores

(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on-or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI): NIL

## DF-7 SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

### Qualitative Disclosures

- Bank's objective in relation to Securitisation activity is to achieve improvements in leverage ratios, asset performance & quality and to achieve desirable investment & maturity characteristics.
- Loss on sale on transfer of assets to Special Purpose Vehicle (SPV) shall be recognized upfront by the Bank.
- Bank shall amortize the profit on sale of the securitised assets over the life of the Pass Through Certificates (PTC) assets issued or to be issued by SPV.

### Quantitative Disclosures:

**a) Banking Book:** The amount of exposure securitized: NIL

**b) Trading Book:** The amount of exposure securitized which is subject to market risk: NIL

## DF-8 MARKET RISK IN TRADING BOOK

### Qualitative Disclosures:

- The following portfolios are covered by the Standardised Duration approach for calculation of Market Risk:
  - ■ Securities held under the Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) categories.
  - ■ Derivatives entered into for hedging HFT & AFS securities and Derivatives entered into for Trading.
- Board approved Trading Policies, Investment Policy, Market Risk Management Policy with defined market risk management parameters for various asset classes are in place.
- Market Risk Management Department and Mid-Office are responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of market risk in treasury operations.
- Risk monitoring is an on-going process with the position reported to the top management, Market Risk Management Committee and Risk Management Committee of the Board at stipulated intervals.

- एएफएस प्रतिभूतियों अथवा ट्रेडिंग के लिए कोई भी डिराइवेटिव नहीं किये गये हैं।
- जोखिम प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग निम्न पैमानों यथा - संशोधित अवधि, पीवी 01, ऋण जोखिम एवं अन्तर सीमाओं, वीएआर (VaR) आदि पर आधारित हैं।
- क्रॉस करेंसी ट्रेडिंग के सम्बन्ध में विदेशी विनिमय की खुली पोजीशन सीमाएँ (डेलाइट/ओवरनाइट), व्यवहार-वार, कट-लॉस सीमाएँ, स्टॉप लॉस सीमाएँ, लाभ/हानि की समुचित रूप से निगरानी की जाती है तथा अपवाद सूचनाएँ (Exception Reports) नियमित आधार पर देखी जाती है।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण:**

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अन्तर्गत विपणन जोखिम हेतु पूँजी की आवश्यकता (9% की दर से):

| | | (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| • ब्याज दर जोखिम | : | 7.52 |
| • ईक्विटी पोजीशन जोखिम | : | 37.36 |
| • विदेशी विनिमय जोखिम | : | 1.35 |
| **कुल योग** | **:** | **46.23** |

## प्रकटीकरण सारणी - 9: परिचालनात्मक जोखिम

**गुणात्मक प्रकटीकरण:**

- बैंक की परिचालन जोखिम प्रबन्धन नीति निर्धारित की हुई है, जो परिचालन जोखिम के व्यवस्थित एवं अग्रसक्रिय पहचान, आंकलन, मापन, निगरानी एवं परिचालन जोखिम में कमी हेतु एक निरंतर समान संरचना स्थपित करती है। यह नीति बैंक के अन्दर सभी व्यवसायों एवं कार्यक्षेत्रों पर लागू होती है। बैंक की परिचालन जोखिम प्रबन्धन नीति समय समय पर अद्यतन किए जाने वाले परिचालन तंत्र प्रक्रियाओं एवं दिशा निर्देशों द्वारा पूरित है। परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति गठित की गई है।
- बैंक ने परिचालन जोखिम को नियंत्रित एवं कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:
  1) बैंक की निर्देश पुस्तिका, परिपत्रों, जॉब कार्ड, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि
  2) विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए विभिन्न अधिकारी स्तर पर वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन
  3) परिचालन जोखिम पर प्राप्त सुझावों को संबन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया है
  4) बैंक संभावित परिचालन जोखिमों हेतु बीमा कवर प्राप्त करता है
  5) गबन की रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करने के लिए तंत्र मौजूद है
- बैंक की शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों में परिचालनात्मक जोखिमों की पहचान करने एवं प्रशमन के लिए जोखिम नियन्त्रण एवं स्व-निर्धारण को प्रारम्भ किया जा चुका है।
- अंचलवार, व्यवसाय-वार एवं समग्र बैंक-स्तर हीट-मैप को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वैब-आधारित एप्लीकेशन विकसित की गई है तथा विभिन्न आरसीएसए की कार्यशालाओं में प्रत्युत्तरों के स्वचालित मिलान के लिए उस एप्लीकेशन को जारी भी किया गया है।
- आपदा वसूली नीति एवं व्यवसाय निरन्तरता योजना प्रचलन में है।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण:**

परिचालनात्मक जोखिम पर पूँजी प्रभार : **₹ 295.27 करोड़**

(विनियामक पूँजी आवश्यकता के अनुसार)

- No Derivatives have been entered into for AFS securities or Trading.
- Risk management and reporting is based on parameters such as Modified Duration, PVO1, Exposure and Gap Limits, VaR, etc.,
- Forex Open Position limits (Daylight / Overnight), deal-wise cut-loss limits stop-loss limit, Profit / Loss in respect of cross currency trading are properly monitored and exception reporting is regularly carried out.

### Quantitative Disclosures:

Capital Requirement for Market Risk under Standardised Duration Approach (@ 9%):

| | | |
|---|---|---|
| • Interest Rate Risk | : | 7.52 |
| • Equity Position Risk | : | 37.36 |
| • Forex Risk | : | 1.35 |
| **TOTAL** | **:** | **46.23** |

## DF-9 OPERATIONAL RISK

### Qualitative Disclosures:

- Operational Risk Management Policy of the Bank is in place, which establishes a consistent framework for systematic and proactive identification, assessment, measurement, monitoring and mitigation of operational risk. The policy applies to all business and functional areas within the Bank. The Operational Risk Management Policy is supplemented by operational systems, procedures and guidelines which are periodically updated. Operational Risk Management Committee has been constituted.
- Bank has put in place the following measures to control and mitigate operational risks:
  - Book of instructions, circulars, job cards, training programmes etc.
  - Delegation of financial powers at various levels of officers for different type of financial transactions
  - Inputs on operational risk are included in the relevant training programmes
  - Bank obtains insurance cover for potential operational risks
  - A system of prompt submission of reports on frauds is in place
- Risk Control and Self Assessment (RCSA) exercise for identifying and mitigating operational risks has been initiated at the Bank's branches and Zonal Offices.
- A web-based application has been developed and rolled out for automatic collation of responses in different RCSA workshops to facilitate generation of Zone-wise, Business Segment-wise and Whole-Bank-level heat-maps.
- Disaster Recovery Policy and Business Continuity Planning Policy have been put into place

### Quantitative Disclosures:

Capital Charge on Operational Risk : **₹ 295.27 crores**
(As per minimum regulatory capital requirement)

## प्रकटीकरण सारणी - 10: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम ( IRRBB )

**गुणात्मक प्रकटीकरण:**

- पारम्परिक अन्तर विश्लेषण पद्धति का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के आस्ति एवं देयता प्रबन्धन दिशा-निर्देशों के अनुसार, आय-जोखिम का निर्धारण किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अवधि अन्तर विश्लेषण पद्धति, समग्र बैलेंस शीट को लेते हुए ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का मापन किया जाता है।
- ईक्विटी के बाजार मूल्य का निर्धारण, अवधि अन्तर विश्लेषण का प्रयोग करते हुए भी किया जाता है, जिसमें सुपरवाइजरी रिव्यू प्रक्रिया पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल बैंकिंग बही ऋण जोखिमों को परिकलित किया जाता है। (बेसल-II ढाँचे का पिलर-II)
- व्यावहारिक अध्ययनों पर आधारित प्रमुख पूर्वानुमान :

  अ) बचत बैंक खाता : ऐसी जमाओं के 100% को ब्याज सहित माना गया
  ब) सावधि जमाएँ : अंत: स्थापित विकल्प के कारण ऐसी जमाओं का 2%, समय से पुर्व भुगतान
  स) चालू जमाएँ : भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आई.आर.आर. उद्देश्य के लिए दर संवेदनशीलता के रूप में नहीं लिया गया।
  द) मियादी ऋण : कुल मियादी ऋणों का 2%, समय से पूर्वभुगतान।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण :**

(i) निवल ब्याज अंतर में परिवर्तन:

हमारी आस्तियों/देयताओं के वर्तमान स्तर पर, एनआईआई में **₹ 168.46 करोड़** की वृद्धि/कमी की सम्भावना है, अगर ब्याज दर में 1% के ऊपर/नीचे की तरफ कोई चलन होता है (आस्तियों एवं देयतओं पर समानान्तर ब्याज दर परिवर्तन का अनुमान लगाते हुए बचत बैंक दर जो स्थिर रही, को छोड़कर)।

(ii) ईक्विटी के बाजार मूल्य (MVE) में परिवर्तन:

अ) सम्पूर्ण तुलन-पत्र पर विचार करते हुए ईक्विटी के बाजार मूल्य में **₹ 127.65 करोड़** की वृद्धि/कमी होगी, अगर ब्याज दर में 1% के ऊपर/नीचे की तरफ चलन होता है।

ब) केवल बैंकिंग बही ऋण जोखिमों पर विचार करते हुए ईक्विटी के बाजार मूल्य में **₹ 119.81 करोड़** की वृद्धि/कमी होगी, अगर ब्याज दर में 1% के ऊपर/नीचे का चलन होता है।

## DF-10 INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK (IRRBB)

### Qualitative Disclosures:

- Earning at Risk (EaR) is measured as per ALM guidelines of RBI using Traditional Gap Analysis method.
- Impact of change in Interest Rates on Market Value of Equity (MVE) is measured using Duration Gap Analysis method, taking whole Balance Sheet, as per RBI guidelines.
- MVE is also measured using Duration Gap Analysis method, taking only Banking Book exposures into account as per RBI guidelines on Supervisory Review Process (Pillar-II of Basel-II framework).
- Key Assumptions used based on behavioral studies:

  a) Saving Bank deposits: 100% of such deposits treated as interest bearing
  b) Term deposits: 2% of such deposits prepaid due to embedded option
  c) Current deposits: taken as rate sensitive for IRR purpose as per RBI guidelines
  d) Term Loans: prepayment @ 2% of total term loans

### Quantitative Disclosures:

(i) Change in NII:

At the present level of our assets / liabilities, NII is likely to increase / decrease by **₹ 168.46 crore**., if there is a upward / downward movement in interest rate by 1% (assuming parallel interest rate change on both assets and liabilities except Savings Bank rate remaining constant).

(ii) Change in MVE:

e) Taking the whole Balance Sheet into account, Market Value of Equity (MVE) will increase / decrease by **₹127.65 crore** if there is an upward / downward movement in interest rate by 1%.

f) Taking only Banking Book exposures into account, Market Value of Equity (MVE) will increase / decrease by **₹119.81 crore** if there is an upward / downward movement in interest rate by 1%.

नवोन्मेष, जटिल(Complex) अथवा हाइब्रिड पूँजी विलेख सहित, जो कि स्तरीय-I एवं स्तरीय-II पूँजी में शामिल करने योग्य हैं, समस्त पूँजी विलेखों की मुख्य विशेषताओं के नियमों एवं शर्तों पर संक्षिप्त सूचना :

| पूँजी का प्रकार | प्रमुख विशेषताएँ |
|---|---|
| लोअर स्तरीय-II<br>गौण बॉण्ड्स (तीसरी सीरीज)<br>21.02.2005 | विलेख का प्रकार : प्रॉमिसरी नोट की प्रकृति के अनुरुप, असुरक्षित, मोचनीय, एंव अपरिवर्तनीय गौण बौण्ड्स। बिना पुट और कॉल ऑप्शन की विशिष्ट विशेषताओं के, ये सादे वनीला (Vanilla) बॉण्ड्स हैं।<br>**अन्य विवरण:**<br>राशि : ₹ 200 करोड़ कूपन : 7.20% (स्थिर, वार्षिक देय)<br>अवधि : 111 माह परिपक्वता दिनांक : 21.05.2014 रेटिंग : क्रिसिल द्वारा 'AAA' |
| लोअर स्तरीय-II गौण<br>बॉण्ड्स (चौथी सीरीज)<br>17.11.2005 | विलेख का प्रकार : प्रॉमिसरी नोट की प्रकृति के अनुरुप, असुरक्षित, मोचनीय, एंव अपरिवर्तनीय गौण बौण्ड्स। बिना पुट और कॉल ऑप्शन की विशिष्ट विशेषताओं के, ये सादे वनीला (Vanilla) बॉण्ड्स हैं।<br>**अन्य विवरण:**<br>राशि : ₹ 300 करोड़ कूपन : 7.45% (स्थिर, वार्षिक देय)<br>अवधि : 111 माह परिपक्वता दिनांक : 17.02.2015 रेटिंग : क्रिसिल द्वारा 'AAA' एवं इकरा द्वारा 'LAAA' |
| लोअर स्तरीय-II गौण<br>बॉण्ड्स (पाँचवी सीरीज)<br>10.08.2006 | विलेख का प्रकार : प्रॉमिसरी नोट की प्रकृति के अनुरुप, असुरक्षित, मोचनीय, एंव अपरिवर्तनीय गौण बौण्ड्स। बिना पुट और कॉल ऑप्शन की विशिष्ट विशेषताओं के, ये सादे वनीला (Vanilla) बॉण्ड्स हैं।<br>**अन्य विवरण:**<br>राशि : ₹ 500 करोड़ कूपन : 9.15% (स्थिर, वार्षिक देय)<br>अवधि : 120 माह परिपक्वता दिनांक : 10.08.2016 रेटिंग : क्रिसिल 'AAA/स्थिर' एवं इकरा 'LAAA/स्थिर' |
| अपर स्तरीय-II<br>गौण बॉण्ड्स<br>22.03.2007 | विलेख का प्रकार : प्रॉमिसरी नोट की प्रकृति के अनुरुप, असुरक्षित, मोचनीय, एंव अपरिवर्तनीय गौण अपर स्तरीय-II बौण्ड्स। कॉल ऑप्शन 120 माह बाद उपलब्ध है (उस समय भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति की शर्त पर)।<br>**अन्य विवरण:**<br>राशि : ₹ 150 करोड़ कूपन : 10.25% (स्थिर, वार्षिक देय)<br>अवधि : 180 माह परिपक्वता दिनांक : 22.03.2022 रेटिंग : केयर 'AAA' एवं क्रिसिल 'AAA/स्थिर' |
| अपर स्तरीय-II<br>गौण बॉण्ड्स<br>15.10.2007 | विलेख का प्रकार : प्रॉमिसरी नोट की प्रकृति के अनुरुप असुरक्षित, मोचनीय, एंव अपरिवर्तनीय गौण अपर स्तरीय-II बौण्ड्स। कॉल ऑप्शन 120 माह बाद उपलब्ध है (उस समय भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति की शर्त पर)।<br>**अन्य विवरण:**<br>राशि : ₹ 300 करोड़ कूपन : 9.78% (स्थिर, वार्षिक देय)<br>अवधि : 180 माह परिपक्वता दिनांक : 15.10.2022 रेटिंग : केयर 'AAA' एवं क्रिसिल 'AAA/स्थिर' |
| नवोन्मेषी शाश्वत ऋण<br>विलेख 20.03.2008 | विलेख का प्रकार : प्रॉमिसरी नोट की प्रकृति के अनुरुप असुरक्षित, अपरिवर्तनीय, गौण एवं शाश्वत बाँण्ड्स। कॉल ऑप्शन एवं स्टेप-अप कूपन 10 वर्ष पश्चात उपलब्ध है (उस समय भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति की शर्त पर)।<br>**अन्य विवरण:**<br>राशि : ₹ 200 करोड़ कूपन : 9.85% (स्थिर, वार्षिक देय)<br>अवधि : शाश्वत रेटिंग : केयर द्वारा 'AAA' एवं क्रिसिल द्वारा 'AAA' - स्थिर |
| लोअर स्तरीय-II गौण बॉण्ड्स<br>20.03.2012 | विलेख का प्रकार : प्रॉमिसरी नोट की प्रकृति के अनुरुप असुरक्षित, मोचनीय एवं अपरिवर्तित गौण बॉण्ड्स। बिना पुट और काल आप्शन की विशिष्ट विशेषताओं के, ये सादे वनीला (vanilla) बॉण्ड्स हैं।<br>**अन्य विवरण:**<br>राशि : ₹ 500 करोड़ कूपन : 9.02% (स्थिर, वार्षिक देय)<br>अवधि : 120 माह परिपक्वता दिनांक : 20.03.2022 रेटिंग : क्रिसिल द्वारा 'AAA' इकरा द्वारा 'LAAA' |

**APPENDIX – I**

Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, including innovative, complex or hybrid capital instruments eligible for inclusion in Tier-I or Tier-II capital :

| Type of Capital | Main features |
|---|---|
| Lower Tier-II Subordinated Bonds (Third Series) 21.02.2005 | Type of instrument : Unsecured, redeemable, non-convertible subordinated bonds in the nature of Promissory Note. These are plain vanilla bonds with no special features like put or call option.<br>**Other details:**<br>Amount : ₹ 200 cr<br>Tenure : 111 months maturing on: 21.05.2014<br>Coupon : 7.20% (fixed, payable annually)<br>Rating : 'AAA' by CRISIL |
| Lower Tier-II Subordinated Bonds (Fourth Series) 17.11.2005 | Type of instrument : Unsecured, redeemable, non-convertible subordinated bonds in the nature of Promissory Note. These are plain vanilla bonds with no special features like put or call option.<br>**Other details:**<br>Amount : ₹ 300 cr<br>Tenure : 111 months maturing on: 17.02.2015<br>Coupon : 7.45% (fixed, payable annually)<br>Rating : 'AAA' by CRISIL and 'LAAA' by ICRA |
| Lower Tier-II Subordinated Bonds (Fifth Series) 10.08.2006 | Type of instrument : Unsecured, redeemable, non-convertible subordinated bonds in the nature of Promissory Note. These are plain vanilla bonds with no special features like put or call option.<br>**Other details:**<br>Amount : ₹ 500 cr<br>Tenure : 120 months maturing on: 10.08.2016<br>Coupon : 9.15% (fixed, payable annually)<br>Rating : AAA/Stable (CRISIL)<br>LAAA (Stable) (ICRA) |
| Upper Tier-II Subordinated Bonds 22.03.2007 | Type of Instrument : Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option is available after 120 months(subject to RBI permission at the time).<br>**Other details:**<br>Amount : ₹ 150 cr<br>Tenor : 180 months maturing on: 22.03.2022<br>Coupon : 10.25% (fixed, payable annually)<br>Rating : CARE 'AAA' and CRISIL 'AAA/Stable' |
| Upper Tier-II Subordinated Bonds 15.10.2007 | Type of Instrument : Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option is available after 120 months(subject to RBI permission at the time).<br>**Other details:**<br>Amount : ₹ 300 cr<br>Tenor : 180 months maturing on: 15.10.2022<br>Coupon : 9.78% (fixed, payable annually)<br>Rating : CARE 'AAA' and CRISIL 'AAA/Stable' |
| Innovative Perpetual Debt Instruments 20.03.2008 | Unsecured, non-covertible, subordinated, Perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option and step-up coupon available after 10 years (subject to RBI permission at the time).<br>**Other details:**<br>Amount: ₹ 200 cr.<br>Tenor : Perpetual (call option available after 10 years with permission of RBI).<br>Coupon: 9.85% payable annually.<br>Ratings: AAA by CARE and AAA-Stable by CRISIL. |
| Lower Tier-II Subordinated Bonds 20.03.2012 | Type of instrument : Unsecured, redeemable, non-convertible subordinated bonds in the nature of Promissory Note. These are plain vanilla bonds with no special features like put or call option.<br>**Other details:**<br>Amount : ₹ 500 cr<br>Tenure : 120 months maturing on: 20.03.2022<br>Coupon : 9.02% (fixed, payable annually)<br>Rating : 'AAA' by CRISIL and 'LAAA' by ICRA |

# अनर्जक आस्तियाँ: परिभाषाएँ

**गैर-निष्पादित आस्तियाँ**

पट्टाकृत आस्ति सहित एक ऐसी आस्ति तब गैर-निष्पादित हो जाती है, जब वह बैंक के लिए आय अर्जन करना बन्द कर देती है।

कोई भी ऋण या अग्रिम गैर-निष्पादित आस्ति हो जाता है जब:

मियादी ऋण के सम्बन्ध में ब्याज और/अथवा मूलधन की किश्तें 90 दिनों से अधिक होने पर अतिदेय हो जाती हैं।

अधिविकर्ष/नकद साख से सम्बन्धित खाता अनियमित हो जाता है।

क्रय किये गये एवं बट्टाकृत बिलों के मामले में कोई बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है।

अल्पावधि फसली ऋणों के मामले में मूलधन की किश्तें अथवा उस पर ब्याज दो फसली मौसमों तक अतिदेय पड़ा रहता है।

दीर्घावधि फसली ऋणों के मामले में मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज एक फसली मौसम तक अतिदेय पड़ा रहता है।

1 फरवरी 2006 को जारी किए गए प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनविधि सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहे तो।

डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में किसी डेरिवेटिव संविदा का सकारात्मक बाजार आधारित मूल्य दर्शानेवाली अतिदेय प्राप्य राशियां यदि भुगतान की निर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिन की अवधि तक बकाया रह जाएं।

अगर किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज उस तिमाही की समाप्ति से 90 दिनों मे पूर्णतया वसूल नहीं होता है, तब उस खाते को गैर-निष्पादित आस्तियो के रुप में वर्गीकृत किया जाता है ।

**'अनियमित स्थिति'**

अगर किसी खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण सीमा से आधिक्य में लगातार पड़ी रहती है तब उस खाते को अनियमित खाता कहा जाता है। उन मामलों में जहाँ मूल परिचालन खाते मे बकाया राशि आहरण सीमा से कम है, लेकिन या तो उस खाते में लगातार 90 दिनों तक कोई जमा प्राप्त नहीं हुई या उसी अवधि के दौरान नामे की गई ब्याज की राशि जमा की गई राशि द्वारा पूर्णतया शिधित नहीं होती, तब ऐसे खातों को अनियमित खातों के रूप में जाना जाता है।

**'अतिदेय'**

किसी भी सुविधा के अधीन बैंक की बकाया राशि अतिदेय कहलाती है, अगर उस राशि का भुगतान बैंक को नियत तिथि तक नहीं किया जाता है।

## DEFINITIONS OF IMPAIRED ASSETS

### Non-performing assets

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

Non-Performing Asset (NPA) is a loan or an advance where:

Interest and/ or installments of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan,

The account remains 'out of order', in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/ CC),

The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,

The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops,

The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitisation transaction undertaken in terms of guidelines on securitisation dated February 1, 2006.

In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

In case the interest due & charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter the account is classified as NPA

### 'Out of order' status

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but either there are no credits continuously for 90 days in the account as on the date of balance sheet or the credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are also treated as 'out of order'.

### Overdue

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

# ऋण जोखिमों का उद्योगवार वितरण - कोष एवं गैर कोष आधारित

(₹ करोड़ में)

| कूट | उद्योग | कुल कोष आधारित बकाया | मानक आस्तियां | गैर निष्पादित आस्तियाँ | गैर कोष आधारित बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कोयला | 193.62 | 193.59 | 0.03 | 12.30 |
| 2 | खान | 1046.45 | 1041.07 | 5.38 | 0.29 |
| 3 | लौह एवं इस्पात | 3028.31 | 2953.55 | 74.76 | 6.30 |
| 4 | धातु उत्पाद | 888.41 | 878.20 | 10.21 | 0.00 |
| 5 | समस्त अभियान्त्रिकी | 2058.56 | 2049.45 | 9.12 | 35.20 |
| 5.1 | जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स | 934.72 | 931.34 | 3.38 | 33.11 |
| 6 | विद्युत | 2367.22 | 2367.21 | 0.01 | 0.00 |
| 7 | कॉटन टैक्सटाइल्स | 1577.51 | 1532.37 | 45.14 | 0.00 |
| 8 | जूट टैक्सटाइल्स | 11.23 | 10.26 | 0.98 | 3.43 |
| 9 | अन्य टैक्सटाइल्स | 1739.94 | 1638.27 | 101.67 | 0.04 |
| 10 | चीनी | 85.37 | 85.33 | 0.04 | 0.00 |
| 11 | चाय | 6.77 | 6.75 | 0.02 | 0.00 |
| 12 | खाद्य प्रसंस्करण | 670.79 | 662.82 | 7.97 | 0.00 |
| 13 | वैजीटेबिल तेल एवं वनस्पति | 508.91 | 508.23 | 0.68 | 0.08 |
| 14 | तम्बाकू/तम्बाकू उत्पाद | 37.00 | 36.99 | 0.01 | 0.00 |
| 15 | कागज/कागज उत्पाद | 440.83 | 372.76 | 68.07 | 0.00 |
| 16 | रबड़/रबड़ उत्पाद | 666.21 | 652.48 | 13.73 | 0.05 |
| 17 | कैमिकल्स/डाइज/पेण्ट्स आदि | 674.24 | 644.68 | 29.56 | 0.04 |
| 17.1 | जिसमें से खाद | 73.37 | 67.59 | 5.78 | 0.00 |
| 17.2 | जिसमें से पेट्रोकैमिकल्स | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 |
| 17.3 | जिसमें से ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स | 224.01 | 223.84 | 0.17 | 0.00 |
| 18 | सीमेण्ट | 601.48 | 599.95 | 1.53 | 0.45 |
| 19 | चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद | 57.11 | 50.50 | 6.61 | 0.00 |
| 20 | रत्न एवं जवाहरात | 654.84 | 654.06 | 0.78 | 75.00 |
| 21 | निर्माण | 157.18 | 155.40 | 1.78 | 0.00 |
| 22 | पेट्रोलियम | 956.92 | 955.92 | 1.00 | 0.00 |
| 23 | ऑटोमोबाइल्स एवं ट्रक | 185.87 | 167.20 | 18.67 | 0.00 |
| 24 | कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | बुनियादी ढाँचा | 3399.05 | 3316.98 | 82.06 | 0.49 |
| 25.1 | जिसमें से ऊर्जा | 1389.16 | 1389.14 | 0.02 | 0.04 |
| 25.2 | जिसमें से दूरसंचार | 210.97 | 132.53 | 78.44 | 0.00 |
| 25.3 | जिसमें से सड़क एवं बन्दरगाह | 1559.12 | 1558.07 | 1.05 | 0.03 |
| 26 | अन्य उद्योग | 557.07 | 532.29 | 24.79 | 0.36 |
| 27 | एन.बी.एफ.सी. | 3290.40 | 3290.37 | 0.02 | 0.00 |
| 28 | शेष अग्रिम | 24166.75 | 23124.38 | 1146.83 | 6434.31 |
| | **अन्य आस्तियाँ (बैंकिग बही को जोड़ते हुए)** | **21878.08** | **21878.08** | **0.00** | **13532.32** |
| | **कुल योग** | **71906.12** | **70359.11** | **1651.47** | **20133.85** |

APPENDIX-III

## INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF EXPOSURES - FUND BASED & NON-FUND BASED

(₹ in crores)

| CODE | INDUSTRY | FUND BASED OUTSTANDING | STANDARD ASSETS | NON PERFORMING ASSETS | NON-FUND BASED OUTSTANDING |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COAL | 193.62 | 193.59 | 0.03 | 12.30 |
| 2 | MINING | 1046.45 | 1041.07 | 5.38 | 0.29 |
| 3 | IRON & STEEL | 3028.31 | 2953.55 | 74.76 | 6.30 |
| 4 | OTHER METAL & METAL PRODUCTS | 888.41 | 878.20 | 10.21 | 0.00 |
| 5 | ALL ENGINEERING | 2058.56 | 2049.45 | 9.12 | 35.20 |
| 5.1 | (OF WHICH ELECTRONICS) | 934.72 | 931.34 | 3.38 | 33.11 |
| 6 | ELECTRICITY | 2367.22 | 2367.21 | 0.01 | 0.00 |
| 7 | COTTON TEXTILES | 1577.51 | 1532.37 | 45.14 | 0.00 |
| 8 | JUTE TEXTILES | 11.23 | 10.26 | 0.98 | 3.43 |
| 9 | OTHER TEXTILES | 1739.94 | 1638.27 | 101.67 | 0.04 |
| 10 | SUGAR | 85.37 | 85.33 | 0.04 | 0.00 |
| 11 | TEA | 6.77 | 6.75 | 0.02 | 0.00 |
| 12 | FOOD PROCESSING | 670.79 | 662.82 | 7.97 | 0.00 |
| 13 | VEGETABLE OILS & VANASPATI | 508.91 | 508.23 | 0.68 | 0.08 |
| 14 | TOBACCO & TOBACCO PRODUCTS | 37.00 | 36.99 | 0.01 | 0.00 |
| 15 | PAPER & PAPER PRODUCTS | 440.83 | 372.76 | 68.07 | 0.00 |
| 16 | RUBBER & RUBBER PRODUCTS | 666.21 | 652.48 | 13.73 | 0.05 |
| 17 | CHEMICALS,DYES, PAINTS ETC | 674.24 | 644.68 | 29.56 | 0.04 |
| 17.1 | OF WHICH FERTILISERS | 73.37 | 67.59 | 5.78 | 0.00 |
| 17.2 | OF WHICH PETRO-CHEMICALS | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 |
| 17.3 | OF WHICH DRUGS & PHARMACEUTICALS | 224.01 | 223.84 | 0.17 | 0.00 |
| 18 | CEMENT | 601.48 | 599.95 | 1.53 | 0.45 |
| 19 | LEATHER & LEATHER PRODUCTS | 57.11 | 50.50 | 6.61 | 0.00 |
| 20 | GEMS & JEWELLERY | 654.84 | 654.06 | 0.78 | 75.00 |
| 21 | CONSTRUCTIONS | 157.18 | 155.40 | 1.78 | 0.00 |
| 22 | PETROLEUM | 956.92 | 955.92 | 1.00 | 0.00 |
| 23 | AUTOMOBILES INCULDING TRUCKS | 185.87 | 167.20 | 18.67 | 0.00 |
| 24 | COMPUTER SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | INFRASTRUCTURE | 3399.05 | 3316.98 | 82.06 | 0.49 |
| 25.1 | OF WHICH POWER (excl ELECTRICITY at 6) | 1389.16 | 1389.14 | 0.02 | 0.04 |
| 25.2 | OF WHICH TELECOMMUNICATIONS | 210.97 | 132.53 | 78.44 | 0.00 |
| 25.3 | OF WHICH ROAD & PORTS | 1559.12 | 1558.07 | 1.05 | 0.03 |
| 26 | OTHER INDUSTRIES | 557.07 | 532.29 | 24.79 | 0.36 |
| 27 | NBFC | 3290.40 | 3290.37 | 0.02 | 0.00 |
| 28 | OTHERS ADVANCES | 24166.75 | 23124.38 | 1146.83 | 6434.31 |
| | OTHER ASSETS (INCLUDING BANKING BOOK) | 21878.08 | 21878.08 | 0.00 | 13532.32 |
| | **TOTAL CREDIT RISK OUTSTANDING** | **71906.12** | **70359.11** | **1651.47** | **20133.85** |

# ढाँचागत तरलता का विवरण

| | | | | अनुयोग | अवशिष्ट परिपक्वता | | | | | | | (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **बहिर्गमन** | दिन 1 | 2-7 दिन | 8-14 दिन | 1-14 दिन | 15-28 दिन | 29 दिन-3 माह | >3-6 माह | >6-12 माह | >1-3 वर्ष | >3-5 वर्ष | > 5 वर्ष | कुल योग |
| 1. पूँजी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
| 2. आरक्षित निधि एवं अधिशेष | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409488 | 409488 |
| 3. जमाराशियाँ | 7372 | 197818 | 113407 | 318598 | 50570 | 580807 | 412084 | 858712 | 1911910 | 1095292 | 915127 | 6143100 |
| (I) चालू जमाराशियाँ | 767 | 9975 | 11637 | 22379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124128 | 124128 | 116370 | 387005 |
| (II) बचत बैंक जमाराशियाँ | 5461 | 32769 | 38231 | 76461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611684 | 611684 | 611685 | 1911514 |
| (III) मियादी जमाराशियाँ | 1144 | 30751 | 39023 | 70919 | 38355 | 166078 | 235309 | 704705 | 1176098 | 359480 | 187072 | 2938016 |
| (IV) जमा प्रमाण-पत्र | 0 | 124323 | 24516 | 148839 | 12215 | 414729 | 176775 | 154007 | 0 | 0 | 0 | 906565 |
| 4. उधार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 7500 | 50000 | 165000 | 237500 |
| (I) मांग एवं अल्प सूचना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (II) अन्तर बैंक (सावधि) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (III) पुनर्वित्त | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 22500 |
| (IV) अन्य (टियर-I एवं II बण्डस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 165000 | 215000 |
| 5. अन्य देयताएँ एवं प्रावधान | 5004 | 63631 | 12624 | 81259 | 20163 | 30094 | 48364 | 2988 | 121160 | 4181 | 9963 | 318172 |
| (I) देय बिल | 1408 | 8448 | 9856 | 19712 | 19712 | 0 | 0 | 0 | 101377 | 0 | 0 | 140801 |
| (II) अन्तर कार्यालय समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (III) प्रावधान | 203 | 300 | 450 | 953 | 451 | 30094 | 532 | 1280 | 12427 | 2870 | 5103 | |
| (IV) अन्य | 3393 | 54883 | 2318 | 60594 | 0 | 0 | 47832 | 1708 | 7356 | 1311 | 4860 | 123661 |
| 6. प्रतिबद्ध अधिकतम ऋण सीमा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (I) संस्थाओं | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (II) ग्राहक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट/ कार्यशील पूंजी के मांग ऋण के घटक का उपयोग नहीं किया गया भाग | 51 | 305 | 356 | 712 | 713 | 2138 | 2138 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 14250 |
| 8 साख पत्र/बैंक गारण्टियां | 200 | 1200 | 1400 | 2800 | 2800 | 2800 | 3779 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
| 9. रैपो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. पुनः भुनाये गये बिल (DUPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. स्वैप (क्रय/विक्रय) परिपक्व होने वाले वायदे | 6011 | 39757 | 19733 | 65501 | 12543 | 92411 | 100056 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 330704 |
| MATURING FORWARDS | | | | | | | | | | | | |
| 12. देय ब्याज | 81 | 2172 | 1245 | 3498 | 555 | 6378 | 4525 | 9430 | 20996 | 12028 | 10052 | 67462 |
| 13. अन्य (निर्दिष्ट करें) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (क) कुल बहिर्गमन | **18719** | **304883** | **148765** | **472368** | **87344** | **714628** | **585946** | **941693** | **2061566** | **1161501** | **1516630** | **7541676** |
| संचयी बहिर्गमन | 18719 | 323602 | 472368 | 472368 | 559712 | 1274340 | 1860286 | 2801979 | 4863545 | 6025046 | 7541676 | |

**APPENDIX - IV (a)**

# STATEMENT OF STRUCTURAL LIQUIDITY

| | | | | Sub-Total | Residual Maturity | | | | | | | (₹ in Lacs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTFLOWS | Day 1 | 2-7 Days | 8-14 DAYS | 1-14 days | 15-28 DAYS | 29D-3MTHS. | >3-6 MTHS. | >6-12 MTHS. | >1-3 YEARS | >3-5 YEARS | > 5 YEARS | TOTAL |
| 1. CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
| 2. RESERVES AND SURPULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409488 | 409488 |
| 3. DEPOSITS | 7372 | 197818 | 113407 | 318598 | 50570 | 580807 | 412084 | 858712 | 1911910 | 1095292 | 915127 | 6143100 |
| (I) CURRENT DEPOSITS | 767 | 9975 | 11637 | 22379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124128 | 124128 | 116370 | 387005 |
| (II) SAVINGS BANK DEPOSITS | 5461 | 32769 | 38231 | 76461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611684 | 611684 | 611685 | 1911514 |
| (III) TERM DEPOSITS | 1144 | 30751 | 39023 | 70919 | 38355 | 166078 | 235309 | 704705 | 1176098 | 359480 | 187072 | 2938016 |
| (IV) CERTIFICATE OF DEPOSITS | 0 | 124323 | 24516 | 148839 | 12215 | 414729 | 176775 | 154007 | 0 | 0 | 0 | 906565 |
| 4. BORROWINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 7500 | 50000 | 165000 | 237500 |
| (I) CALL AND SHORT NOTICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (II) INTER-BANK(TERM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (III) REFINANCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 22500 |
| (IV) OTHERS (Tier I&II Bonds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 165000 | 215000 |
| 5.OTHER LIABILITIES AND PROV. | 5004 | 63631 | 12624 | 81259 | 20163 | 30094 | 48364 | 2988 | 121160 | 4181 | 9963 | 318172 |
| (I) BILLS PAYABLE | 1408 | 8448 | 9856 | 19712 | 19712 | 0 | 0 | 0 | 101377 | 0 | 0 | 140801 |
| (II) INTER-OFFICE ADJUSTMENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (III) PROVISIONS | 203 | 300 | 450 | 953 | 451 | 30094 | 532 | 1280 | 12427 | 2870 | 5103 | |
| (IV) OTHERS (currency Trans., Adjusting others, Asso. Bank Trans. etc.) | 3393 | 54883 | 2318 | 60594 | 0 | 0 | 47832 | 1708 | 7356 | 1311 | 4860 | 123661 |
| 6. LINES OF CREDIT COMMITTED TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (I) INSTITUTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (II) CUSTOMERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. UNAVAILED PORTION OF CASH | | | | | | | | | | | | |
| CREDIT/OD/DL/ COMPONY | 51 | 305 | 356 | 712 | 713 | 2138 | 2138 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 14250 |
| 8 LCs/BGs | 200 | 1200 | 1400 | 2800 | 2800 | 2800 | 3779 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
| 9.REPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.BILLS REDISCOUNTED(DUPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. SWAPS(BUY/SELL)/ MATURING FORWARDS | 6011 | 39757 | 19733 | 65501 | 12543 | 92411 | 100056 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 330704 |
| MATURING FORWARDS | | | | | | | | | | | | |
| 12.INTEREST PAYABLE | 81 | 2172 | 1245 | 3498 | 555 | 6378 | 4525 | 9430 | 20996 | 12028 | 10052 | 67462 |
| 13. OTHERS(SPECIFY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A. TOTAL OUTFLOWS** | **18719** | **304883** | **148765** | **472368** | **87344** | **714628** | **585946** | **941693** | **2061566** | **1161501** | **1516630** | **7541676** |
| Cumulative out flows | 18719 | 323602 | 472368 | 472368 | 559712 | 1274340 | 1860286 | 2801979 | 4863545 | 6025046 | 7541676 | |

# ढाँचागत तरलता का विवरण

| | | | | अनुयोग | अवशिष्ट परिपक्वता | | | | | | | (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **अन्तर्प्रवाह** | दिन 1 | 2-7 दिन | 8-14 दिन | 1-14 दिन | 15-28 दिन | 29 दिन-3 माह | >3-6 माह | >6-12 माह | >1-3 वर्ष | >3-5 वर्ष | > 5 वर्ष | कुल योग |
| 1. नकद | 35142 | 0 | 0 | 35142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35142 |
| 2. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष | 102660 | 9540 | 5469 | 117669 | 2439 | 28011 | 19874 | 41413 | 92207 | 52823 | 44134 | 398570 |
| 3. अन्य बैंकों के पास शेष | 1926 | 0 | 0 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926 |
| (i) चालू खाता | **1926** | **0** | **0** | **1926** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1926** |
| (ii) माँग मुद्रा एवं अल्पसूचना पर देय धन, मियादी जमाराशियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. निवेश (रेपो के अंतर्गत निवेश सहित परंतु रिवर्स रेपो रहित) | 567 | 27652 | 0 | 28219 | 200 | 52081 | 30785 | 6832 | 303635 | 367051 | 880458 | 1669261 |
| 5. अग्रिम (अर्जक) | 42141 | 62281 | 93483 | 197905 | 93570 | 243174 | 110491 | 265604 | 2579474 | 595762 | 683563 | 4769543 |
| (i) खरीदे गये एवं भुनाये गये बिल (डीयूपीन के अंतर्गत आने वाले बिलों सहित) | 34323 | 9971 | 16203 | 60497 | 21475 | 69722 | 16483 | 368 | 0 | 0 | 1425 | 169970 |
| (ii) नकदी ऋण, अधिविकर्ष और माँग पर प्रतिदेय ऋण | 2894 | 17365 | 20259 | 40518 | 60777 | 0 | 0 | 0 | 1924617 | 0 | 0 | 2025912 |
| (iii) मियादी ऋण | 4924 | 34945 | 57021 | 96890 | 11318 | 173452 | 94008 | 265236 | 654857 | 595762 | 682138 | 2573661 |
| (iv) प्राप्य कृषि कर्ज राहत/ अधित्याग के तहत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. अनर्जक आस्तियां (अग्रिम और निवेश) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78803 | 15738 | 94541 |
| 7. अचल सम्पत्तियाँ/पट्टाकृत आस्तियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20208 | 20208 |
| 8. अन्य आस्तियाँ | 13671 | 44497 | 7608 | 65776 | 123 | 25387 | 0 | 1230 | 34123 | 201 | 1616 | 128456 |
| (i) अन्य (अन्तर: कार्यालय समायोजन, समाशोधन खाता एटीएम आदि) | 0 | 19039 | 0 | 19039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19039 |
| (ii) अन्य (उचन्त खाता, शाखा सिस्टम उचन्त आदि) | 13671 | 25458 | 7608 | 46737 | 123 | 25387 | 0 | 1230 | 34123 | 201 | 1616 | 109417 |
| 9. प्रतिवर्ति रैपो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. स्वैप (विक्रय/क्रय) परिपक्व होने वाला वायदा | 227 | 50598 | 10557 | 61382 | 4020 | 116690 | 102781 | 66110 | 0 | 0 | 0 | 350983 |
| 11. पुन: भुनाये गये बिल (डीयुपीन) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. प्राप्य ब्याज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27208 | 39097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66305 |
| 13. प्रतिबद्ध ऋण व्यवस्था | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. (अ) अन्य (Devolvable LCs/BGs) (साख-पत्र/बैंक गारंटियाँ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 3779 | 1821 | 0 | 0 | 14000 |
| 15. निर्यात पुनर्वित्त | 64179 | 0 | 0 | 64179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64179 |
| ब. कुल अन्तर्प्रवाह | 260513 | 194568 | 117117 | 572198 | 103152 | 495351 | 305828 | 384968 | 3011260 | 1094640 | 1645717 | 7613114 |
| स. असन्तुलन (ब-क) | 241794 | -110315 | -31648 | 99830 | 15808 | -219277 | -280118 | -556725 | 949694 | -66861 | 129087 | 71438 |
| द. संचयी असन्तुलन | 241794 | 131479 | 99830 | 99830 | 115638 | -103639 | -383757 | -940481 | 9212 | -57649 | 71438 | |
| य. बहिर्गमन के % के तौर पर असन्तुलन | 1292% | -36% | -21% | 21% | 18% | -31% | -48% | -59% | 46% | -6% | 9% | |
| र. संचयी बहिर्गमन के % के तौर पर संचयी असन्तुलन | 1292% | 41% | 21% | 21% | 21% | -8% | -21% | -34% | 0% | -1% | 1% | |
| असन्तुलन का विवेकपूर्ण स्तर | @ | @ | @ | @ | @ | -50% | -50% | -60% | -60% | -60% | -60% | |
| संचयी असन्तुलन के लिए विवेकपूर्ण स्तर | -5%* | -10%* | -15%* | -15%* | -20%* | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | |

**APPENDIX - IV (b)**

## STATEMENT OF STRUCTURAL LIQUIDITY

| | | | | Sub-Total | Residual Maturity | | | | | | | (₹ in Lacs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFLOWS | Day 1 | 2-7 Days | 8-14 DAYS | 1-14 days | 15-28 DAYS | 29D-3MTHS. | >3-6 MTHS. | >6-12 MTHS. | >1-3 YEARS | >3-5 YEARS | > 5 YEARS | TOTAL |
| 1 CASH | 35142 | 0 | 0 | 35142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35142 |
| 2. BALANCES WITH RBI | 102660 | 9540 | 5469 | 117669 | 2439 | 28011 | 19874 | 41413 | 92207 | 52823 | 44134 | 398570 |
| 3. BALANCES WITH OTHER BANKS | 1926 | 0 | 0 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926 |
| (i) CURRENT ACCOUNT | 1926 | 0 | 0 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926 |
| (ii) MONEY AT CALL AND SHORT/TERM/ PLACEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. INVESTMENTS (INCLUDING REPOS | 567 | 27652 | 0 | 28219 | 200 | 52081 | 30785 | 6832 | 303635 | 367051 | 880458 | 1669261 |
| 5. ADVANCES (PERFORMING) | 42141 | 62281 | 93483 | 197905 | 93570 | 243174 | 110491 | 265604 | 2579474 | 595762 | 683563 | 4769543 |
| (i) BILLS PURCHASED AND DISCTD | 34323 | 9971 | 16203 | 60497 | 21475 | 69722 | 16483 | 368 | 0 | 0 | 1425 | 169970 |
| (ii) CASH CREDITS, OVERDRAFTS,DEMAND LOAN | 2894 | 17365 | 20259 | 40518 | 60777 | 0 | 0 | 0 | 1924617 | 0 | 0 | 2025912 |
| (iii) TERM LOANS | 4924 | 34945 | 57021 | 96890 | 11318 | 173452 | 94008 | 265236 | 654857 | 595762 | 682138 | 2573661 |
| (iv) Rceivable under Agr Debt Relief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. NPAs (ADVANCES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78803 | 15738 | 94541 |
| 7. FIXED ASSETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20208 | 20208 |
| 8. OTHER ASSETS | 13671 | 44497 | 7608 | 65776 | 123 | 25387 | 0 | 1230 | 34123 | 201 | 1616 | 128456 |
| (i) INTER OFFICE ADJ. (IBIT,clearing a/c, ATM) | 0 | 19039 | 0 | 19039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19039 |
| (ii) OTHERS (Suspence A/c, Br. Sys. Susp. etc) | 13671 | 25458 | 7608 | 46737 | 123 | 25387 | 0 | 1230 | 34123 | 201 | 1616 | 109417 |
| 9. REVERSE REPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. SWAPS (SELL/BUY)/ | 227 | 50598 | 10557 | 61382 | 4020 | 116690 | 102781 | 66110 | 0 | 0 | 0 | 350983 |
| 11. BILLS REDISCOUNTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. INTEREST RECEIVABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27208 | 39097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66305 |
| 13. COMMITTED LINES OF CREDIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 (A) OTHERS (Devolvable LCs/BGs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 3779 | 1821 | 0 | 0 | 14000 |
| 15. Export Refinance Limit | 64179 | 0 | 0 | 64179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64179 |
| B. TOTAL INFLOWS | 260513 | 194568 | 117117 | 572198 | 103152 | 495351 | 305828 | 384968 | 3011260 | 1094640 | 1645717 | 7613114 |
| C. MISMATCH (B-A) | 241794 | -110315 | -31648 | 99830 | 15808 | -219277 | -280118 | -556725 | 949694 | -66861 | 129087 | 71438 |
| D. CUMULATIVE MISMATCH | 241794 | 131479 | 99830 | 99830 | 115638 | -103639 | -383757 | -940481 | 9212 | -57649 | 71438 | |
| E. C AS % TO A | 1292% | -36% | -21% | 21% | 18% | -31% | -48% | -59% | 46% | -6% | 9% | |
| F. D AS % TO CUMULATIVE OUTFLOWS | 1292% | 41% | 21% | 21% | 21% | -8% | -21% | -34% | 0% | -1% | 1% | |
| Prudential Level for mismatch | @ | @ | @ | @ | @ | -50% | -50% | -60% | -60% | -60% | -60% | |
| Prudential Level for cumulative mismatch | -5%* | -10%* | -15%* | -15%* | -20%* | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | |

@ RBI has prescribed cumulative mismatch limits as -5%, -10%, -15% and -20% for Day-1, 2-7 days, 8-14 days and 15 - 28 days respectively against the earlier indivisual limit of (-) 20% each for 1 to 14 days and 15 to 28 days buckets.

* Figures in italics indicate limits prescribed by RBI.

# ब्याज दर संवदेनशीलता का विवरण

(₹ लाख में)

| देयताएँ | 1-28 दिन | 29 दिन- 3 माह | >3-6 माह | >6-12 माह | >1-3 वर्ष | >3-5 वर्ष | > 5 वर्ष | असंवेदनशील | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. पूँजी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
| 2. आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409488 | 409488 |
| 3. जमा राशियाँ | 320819 | 531376 | 2324004 | 858749 | 1175352 | 359463 | 186332 | 387005 | 6143100 |
| (I) चालू जमा राशियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387005 | 387005 |
| (II) बचत बैंक जमा राशियाँ | 0 | 0 | 1911514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911514 |
| (III) सावधि जमा राशियाँ | 159765 | 116647 | 235715 | 704742 | 1175352 | 359463 | 186332 | 0 | 2938016 |
| (IV) जमा प्रमाण-पत्र | 161054 | 414729 | 176775 | 154007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906565 |
| 4. उधार | 0 | 0 | 15000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 215000 | 237500 |
| (I) माँग और अल्प सूचना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (II) अन्तर:बैंक (सावधि) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (III) पुनर्वित्त | 0 | 0 | 15000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 22500 |
| (IV) अन्य (टियर-I एवं II बण्डस) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 215000 |
| 5. अन्य देयताएँ एवं प्रावधान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318172 | 318172 |
| (I) देय बिल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140801 | 140801 |
| (II) अन्तर: कार्यालय समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (III) प्रावधान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53710 | 53710 |
| (IV) अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123661 | 123661 |
| 6. रैपोज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. पुन: बट्टागत बिल (DUPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. स्वैप (क्रय/विक्रय) | 78044 | 92411 | 100056 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330704 |
| देय ब्याज | 4053 | 6378 | 4525 | 9430 | 20996 | 12028 | 10052 | 0 | 67462 |
| 9. अन्य (स्पष्ट करें) | | | | | | | | | |
| अ. कुल देयताएँ | **402916** | **630165** | **2443585** | **928372** | **1203848** | **371491** | **196384** | **1336665** | **7513426** |

**APPENDIX - IV (c)**

## STATEMENT OF INTEREST RATE SENSITIVITY

| | | | | | Residual Maturity | | | | (₹ in Lacs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIABILITIES | 1-28 Days | 29D-3MTHS | >3-6 MTHS | >6-12 MTHS | >1-3 YEARS | >3-5 YEARS | > 5 YEARS | N-SENSITIVE | TOTAL |
| 1. CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
| 2. RESERVES AND SURPULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409488 | 409488 |
| 3. DEPOSITS | 320819 | 531376 | 2324004 | 858749 | 1175352 | 359463 | 186332 | 387005 | 6143100 |
| (I) CURRENT DEPOSITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387005 | 387005 |
| (II) SAVINGS BANK DEPOSITS | 0 | 0 | 1911514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911514 |
| (III) TERM DEPOSITS | 159765 | 116647 | 235715 | 704742 | 1175352 | 359463 | 186332 | 0 | 2938016 |
| (IV) CERTIFICATE OF DEPOSITS | 161054 | 414729 | 176775 | 154007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906565 |
| 4. BORROWINGS | 0 | 0 | 15000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 215000 | 237500 |
| (I) CALL AND SHORT NOTICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (II) INTER-BANK(TERM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (III) REFINANCES | 0 | 0 | 15000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 22500 |
| (IV) OTHERS (Tier I&II Bonds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 215000 |
| 5. OTHER LIABILITIES AND PROV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318172 | 318172 |
| (I) BILLS PAYABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140801 | 140801 |
| (II) INTER-OFFICE ADJUSTMENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (III) PROVISIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53710 | 53710 |
| (IV) OTHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123661 | 123661 |
| 6. REPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. BILLS REDISCOUNTED(DUPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. SWAPS(BUY/SELL)/ | 78044 | 92411 | 100056 | 60193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330704 |
| INTEREST PAYABLE | 4053 | 6378 | 4525 | 9430 | 20996 | 12028 | 10052 | 0 | 67462 |
| 9. OTHERS(SPECIFY) | | | | | | | | | |
| **A. TOTAL LIABILITIES** | **402916** | **630165** | **2443585** | **928372** | **1203848** | **371491** | **196384** | **1336665** | **7513426** |

# ब्याज दर संवदेनशीलता का विवरण

| | | | | | अवशिष्ट परिपक्वता | (₹ लाख में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आस्तियाँ | 1-28 दिन | 29 दिन-3 माह | >3-6 माह | >6-12 माह | >1-3 वर्ष | >3-5 वर्ष | > 5 वर्ष | असंवेदनशील | कुल योग |
| 1. नकद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35142 | 35142 |
| 2. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398570 | 398570 |
| 3. अन्य बैंकों के पास शेष | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 1926 |
| 3.1 चालू खाता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 1926 |
| 3.2 माँग मुद्रा एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य नियोजन | | | | | | | | | |
| 4. निवेश (रेपोज सहित परन्तु रिर्वस रेपो के बिना) | 23186 | 52081 | 30785 | 6832 | 306612 | 367051 | 867065 | 15649 | 1669261 |
| 4.अ. जिनमें से जो परिपक्व हुई | 1035 | 0 | 199 | 1219 | 297228 | 366051 | 861099 | 5095 | 1531926 |
| 5. अग्रिम (अर्जक) | 191679 | 243249 | 3811507 | 36462 | 88926 | 81094 | 113261 | 189115 | 4755293 |
| (i) खरीये गये एवं बट्टागत बिल | 81972 | 69722 | 16483 | 368 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 169970 |
| (ii) नकद साख, अधिविकष एवं मांग ऋण | 1499 | 75 | 1794324 | 942 | 2137 | 2137 | 21433 | 189115 | 2011662 |
| (iii) मियादी ऋण | 108208 | 173452 | 2000700 | 35152 | 86789 | 78957 | 90403 | 0 | 2573661 |
| (iv) Receivable under Agr Debt Relief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. गैर-निष्पादित आस्तियाँ (ऋण) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78803 | 15738 | 0 | 94541 |
| 7. अचल आस्तियाँ/पट्टे वाली आस्तियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20208 | 20208 |
| 8. अन्य आस्तियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128456 | 128456 |
| (i) अन्तः कार्यालय समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19039 | 19039 |
| (ii) अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109417 | 109417 |
| 9. रिवर्स रेपोज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. स्वैप (विक्रय/क्रय) | 65402 | 116690 | 102781 | 66110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350983 |
| MATURING FORWARDS | | | | | | | | | |
| 11. पुनः भुनाये गये बिल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. प्राप्य ब्याज | 0 | 27208 | 39097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66305 |
| 13. वचनबद्ध स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. अन्य (स्पष्ट करें) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ब. कुल आस्तियाँ | **280267** | **439228** | **3984170** | **109404** | **395538** | **526948** | **996064** | **789066** | **7520685** |
| स. अन्तर (ब-अ) | -122649 | -190937 | 1540585 | -818968 | -808310 | 155457 | 799680 | -547599 | 7259 |
| द. संचयी अन्तर | -122649 | -313586 | 1226999 | 408031 | -400279 | -244822 | 554858 | 7259 | |
| य. ब के प्रति स का % | -44% | -43% | 39% | -749% | -204% | 30% | 80% | -69% | |
| र. ब के प्रति द का % | -44% | -44% | 26% | 8% | -8% | -4% | 8% | 0% | |
| ल. कुल आरएसए के प्रति स का % | -1.82% | -2.84% | 22.89% | -12.17% | -12.01% | 2.31% | 11.88% | -8.13% | |
| अन्तर के लिए विवेकपूण स्तर (से अधिक नहीं) | 35% | 35% | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | | |

**APPENDIX - IV (d)**

## STATEMENT OF INTEREST RATE SENSITIVITY

| | | | | | RESIDUAL MATURITY | | | | (₹ in Lacs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSETS | 1-28 DAYS | 29D-3MTHS | >3-6 MTHS | >6-12 MTHS | >1-3 YEARS | >3-5 YEARS | > 5 YEARS | N-SENSITIVE | TOTAL |
| 1. CASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35142 | 35142 |
| 2. BALANCES WITH RBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398570 | 398570 |
| 3. BALANCES WITH OTHER BANKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 1926 |
| 3.1 CURRENT ACCOUNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 1926 |
| 3.2 MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE, TERM DEPOSITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOTICE, TERM DEPOSITS AND OTHER PLACEMENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. INVESTMENTS (INCLUDING REPOS BUT EXCLUDING REV. REPOS | 23186 | 52081 | 30785 | 6832 | 306612 | 367051 | 867065 | 15649 | 1669261 |
| 4. A OUT of WHICH HELD TO MATURITY | 1035 | 0 | 199 | 1219 | 297228 | 366051 | 861099 | 5095 | 1531926 |
| 5. ADVANCES (PERFORMING) | 191679 | 243249 | 3811507 | 36462 | 88926 | 81094 | 113261 | 189115 | 4755293 |
| (i) BILLS PURCHASED & DISCOUNTED | 81972 | 69722 | 16483 | 368 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 169970 |
| (ii) CASH CREDITS,OVERDRAFTS &DEMAND LOANS | 1499 | 75 | 1794324 | 942 | 2137 | 2137 | 21433 | 189115 | 2011662 |
| (iii) TERM LOANS | 108208 | 173452 | 2000700 | 35152 | 86789 | 78957 | 90403 | 0 | 2573661 |
| (iv) Receivable under Agr Debt Relief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. NPAs (ADVANCES ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78803 | 15738 | 0 | 94541 |
| 7. FIXED ASSETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20208 | 20208 |
| 8. OTHER ASSETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128456 | 128456 |
| (i) INTER OFFICE ADJUSTMENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19039 | 19039 |
| (ii) OTHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109417 | 109417 |
| 9. REVERSE REPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. SWAPS (SELL/BUY) MATURING FORWARDS | 65402 | 116690 | 102781 | 66110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350983 |
| MATURING FORWARDS | | | | | | | | | |
| 11. BILLS REDISCOUNTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. INTEREST RECEIVABLE | 0 | 27208 | 39097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66305 |
| 13. COMMITTED LINES OF CREDIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. OTHERS (SPECIFY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B. TOTAL ASSETS** | **280267** | **439228** | **3984170** | **109404** | **395538** | **526948** | **996064** | **789066** | **7520685** |
| C. GAP(B-A) | -122649 | -190937 | 1540585 | -818968 | -808310 | 155457 | 799680 | -547599 | 7259 |
| D. CUMULATIVE GAP | -122649 | -313586 | 1226999 | 408031 | -400279 | -244822 | 554858 | 7259 | |
| E. C AS % TO B | -44% | -43% | 39% | -749% | -204% | 30% | 80% | -69% | |
| F. D AS % TO B | -44% | -44% | 26% | 8% | -8% | -4% | 8% | 0% | |
| G.C AS % TO TOATL RT.SENS. ASSETS | -1.82% | -2.84% | 22.89% | -12.17% | -12.01% | 2.31% | 11.88% | -8.13% | |
| Prudential Level for Gap(Not exceed to) | 35% | 35% | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | | |

परिशिष्ट - V

## कुल जोखिम प्रशामकों ( Mitigants ) के अन्तर्गत जोखिम सघनीकरण

| वित्तीय जोखिम प्रशामक | जोखिम प्रशामकों की बकाया राशि ( कोष एवं गैर कोष आधारित एक्सपोज़र के लिये ) ( ₹ करोड़ में ) | जोखिम सघनीकरण ( प्रतिशत में ) |
|---|---|---|
| नकद एवं बैंक जमा (साख पत्र/बैंक गारंटी पर मार्जिन सहित) | 1859.56 | 91.26 |
| सोना | 0.61 | 0.03 |
| एल.आई.सी. | 7.70 | 0.38 |
| एन.एस.सी/के.वी.पी./आई.वी.पी. | 148.60 | 7.29 |
| शेयर एवं प्रतिभूतिया | 14.01 | 0.69 |
| प्रत्याभूतिदाता एवं प्रतिप्रत्याभूति | 0.00 | 0.00 |
| सरकारी प्रतिप्रत्याभूति (राष्ट्रीय बचत-पत्रों के अलावा) | 7.20 | 0.35 |
| पारस्परिक (Mutual) निधि | 0.00 | 0.00 |
| अन्य | 0.00 | 0.00 |
| कुल योग | **2037.68** | **100.00** |

परिशिष्ट-VI

## एकीकृत जोखिम प्रबन्धन ( ए.जो.प्र. ) विभाग का संगठनात्मक चार्ट

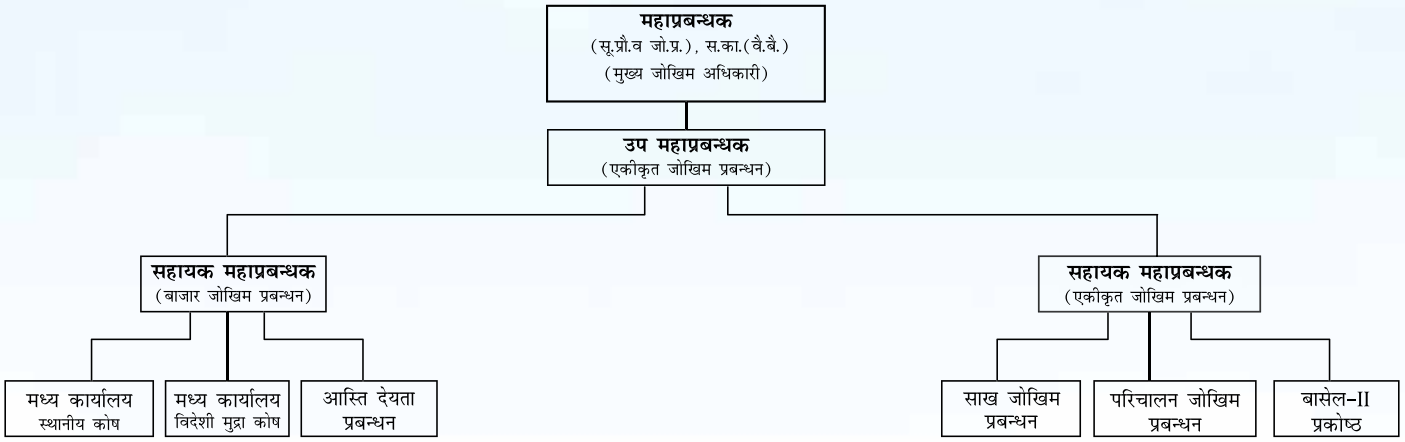

**APPENDIX - V**

## Risk Concentrations within the total risk mitigants

| Financial Risk Mitigants | Outstanding amount of Risk Mitigants (after haircut)(For Fund Based & Non Fund Based Exposures) ₹ in crores | Risk Concentration % |
|---|---|---|
| Cash & Bank Deposit (Including margin kept for LC/BG) | 1859.56 | 91.26 |
| Gold | 0.61 | 0.03 |
| LIC | 7.70 | 0.38 |
| NSCs, KVP, IVP | 148.60 | 7.29 |
| Shares and Debentures | 14.01 | 0.69 |
| Guarantors & Counter Parties | 0.00 | 0.00 |
| Government Securities Excluding NSC | 7.20 | 0.35 |
| Mutual Funds | 0.00 | 0.00 |
| Others | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **2037.68** | **100.00** |

**APPENDIX-VI**

## ORGANISATIONAL CHART OF INTERGRATED RISK MANAGEMENT DEPARTMENT

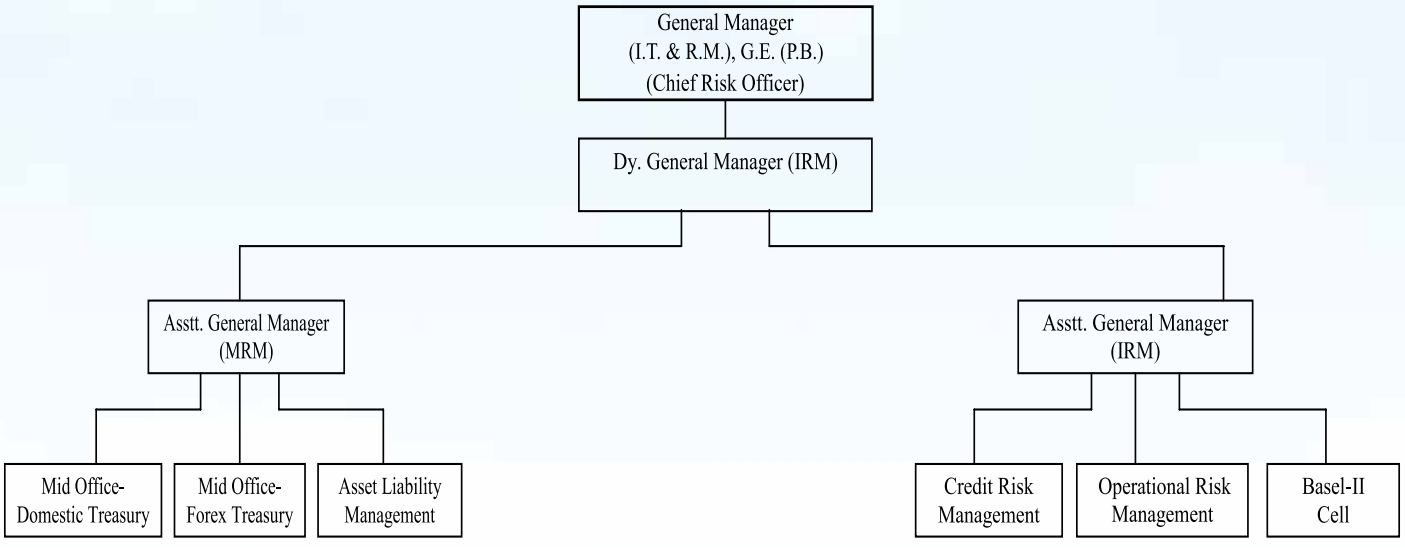

# तुलन-पत्र एवं
# लाभ हानि लेखा
# BALANCE SHEET AND
# PROFIT & LOSS ACCOUNT

सिटी पैलेस, जयपुर, राजस्थान

CITY PALACE , JAIPUR, RAJASTHAN

# लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

**भारतीय स्टेट बैंक**

हम, भारतीय स्टेट बैक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 41(1) के तहत नियुक्त अधोहस्ताक्षरकर्ता अंकेक्षक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के 31 मार्च, 2012 के तुलन-पत्र एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते और नकदी प्रवाह विवरण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

1. हमने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के 31 मार्च, 2012 के संलग्न तुलन-पत्र एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते तथा बैंक का नकदी प्रवाह विवरण, जो अनुलग्नित है और जिनमें हमारे द्वारा अंकेक्षित 20 शाखाओं एवं 26 कार्यालयों की विवरणियाँ, 806 शाखाओं एवं 34 प्रक्रियागत केन्द्रों को शाखा अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित एवं 124 शाखाओं से सम्बद्ध अनअंकेक्षित विवरणियाँ शामिल है, की लेखा परीक्षा की है। इन अनअंकेक्षित शाखाओं में अग्रिमों का 0.87 प्रतिशत, निक्षेपों का 2.27 प्रतिशत, ब्याज से आय का 0.51 प्रतिशत व व्यय किए ब्याज का 1.93 प्रतिशत लेखांकन है। हमारे द्वारा एवं अन्य अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित शाखाओं का चयन, बैंक द्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है। वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व बैंक प्रबन्धन का है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारे अंकेक्षण के आधार पर राय प्रस्तुत करना है।

2. हमने हमारा अंकेक्षण भारत में सामान्यत: स्वीकृत अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया है। उक्त मानकों की आवश्यकता है कि हम अंकेक्षण की योजना एवं क्रियान्वयन इस प्रकार सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हों। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण तथा राशियों के आधार पर तथ्यों की परीक्षण जाँच शामिल है। प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये अर्थपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ प्रस्तुत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी लेखा परीक्षा में शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

3. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र क्रमश: 'अ' एवं 'ब' के अनुसार बनाये गये हैं एवं ये भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमन के प्रावधान के अनुसार वांछित सूचना प्रकट करते हैं।

4. ऊपर पैरा-1 में प्रदर्शित लेखा परीक्षण की सीमाओं एवं भारतीय स्टेट बैंक (समनुंषगी बैंक) अधिनियम 1959 की आवश्यकता तथा इसमें उल्लेखित विनियमन एवं प्रकटीकरण की आवश्यकता की सीमाओं को देखते हुए हम निम्नानुसार प्रतिवेदन करते हैं:-

   अ) हमने ऐसी सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थी, प्राप्त की एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

   ब) बैंक के जो भी लेन-देन हमारी जानकारी में आये हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र में रहे हैं।

   स) बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ, हमारे अंकेक्षण प्रयोजन के लिए सामान्यत: पर्याप्त पायी गयी है।

5. हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों की अनुपालना करते हैं।

6. बैंक की बहियों में दर्शाये गये तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार हमारी राय में:-

   i) प्रमुख लेखा नीतियों तथा टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर यह तुलन-पत्र समस्त आवश्यक विवरणों सहित पूर्ण एवं उचित तुलन-पत्र है और इसे 31 मार्च, 2012 को बैंक कार्यों की वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रदर्शित करने के लिए समुचित रूप से तैयार किया गया है एवं भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है।

   ii) लाभ-हानि खाता जिसे प्रमुख लेखा नीतियों एवं उनकी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाये, जो वर्ष समाप्ति की तिथि पर भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप यथार्थ लाभ का शेष दर्शाता है।

   iii) वर्ष समाप्ति तिथि को नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह की वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रदर्शित करता है।

# AUDITORS' REPORT

**The State Bank of India**

We, the undersigned auditors of STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR, appointed under section 41 (1) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, do hereby report on the Balance Sheet as at 31st March, 2012, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date.

1. We have audited the attached Balance Sheet of STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR as at 31st March, 2012, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank for the year ended on that date, annexed thereto, and in which are incorporated the returns of 20 branches and 26 offices audited by us, 806 branches and 34 Processing Centres audited by branch auditors and unaudited returns in respect of 124 branches/offices. These unaudited branches account for 0.87 per cent of advances, 2.27 per cent of deposits, 0.51 per cent of interest income and 1.93 per cent of interest expenses. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank, in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. These Financial Statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. The Balance Sheet and the Profit & Loss Account have been drawn up in forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, and they give the information as required to be given in accordance with the provisions of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and regulations made there under.

4. Subject to the limitations of the audit as indicated in para 1 above and as required by the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and regulations mentioned therein and also subject to the limitations of disclosure required therein, we report as under :-

   a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

   c) The returns received from the offices and branches of the Bank have generally been found adequate for the purpose of our audit.

5. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank :-

   i) The Balance Sheet read together with the Principal Accounting Policies and Notes thereon, is full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2012 in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

   ii. The Profit and Loss Account read together with the Principal Accounting Policies and Notes thereon shows a true balance of the profit for the year ended on that date in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

   iii. The cash flow statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

**7. विषय वस्तु की प्रमुखता:**

हमारी सशर्त रहित राय के, हम वित्तीय विवरणियों के बिन्दु संख्या 7 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें बैंक के पेंशन एवं उपदान दायित्व को ₹230.67 करोड़ तक स्थगन करने को वर्णित किया गया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र क्रमांक डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुन: उपलब्ध कराने एवं उपदान सीमा में वृद्धि - प्रुडेन्शियल लीगल ट्रीटमैन्ट के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लेखा मानक-15, कर्मचारी लाभों के प्रावधानों को लागू करने से छूट अनुमत की गई है।

वास्ते **एस. डागा एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**( सीए शान्ति लाल डागा )**
(स.स.एफ-11617)
*साझेदार*
फर्म पंजकरण संख्या 000669 एस

वास्ते **एस.सी.जे. एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
**( सीए एस.सी. जैन )**
(स.स. 070138)
*साझेदार*
फर्म पंजीकरण संख्या 003131 सी

वास्ते **बी. खोसला एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**( सीए विजय के. जैन )**
(स.स.070758)
*साझेदार*
फर्म पंजकरण संख्या 000205 सी

वास्ते **एस.एल. छाजेड़ एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**( सीए अभय छाजेड़ )**
(स.स. 079662)
*साझेदार*
फर्म पंजीकरण संख्या 000709 सी

वास्ते **एल.यू. कृष्णन एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**( सीए पी.के. मनोज )**
(स.स. 207550)
*साझेदार*
फर्म पंजीकरण संख्या 001527 एस

वास्ते **अग्रवाल अनिल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**( सीए अनिल अग्रवाल )**
(स.स. 082103)
*साझेदार*
फर्म पंजीकरण संख्या 003222 एन

मुम्बई, अप्रैल 20, 2012

**7. Emphasis of matter :**

Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No.7 to the financial statements, which describe the deferment of Pension and Gratuity Liability of the Bank to the extent of ₹ 230.67 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the provisions of Accounting Standards (AS) 15, Employees Benefits vide its circular No.DBOD.BPBC/80/21.04.018/2010-11 on reopening of Pension option to Employees of Public Sector Banks and enhancement in Gratuity Limits – Prudential Legal Treatment.

**For S. DAGA & CO.**
Chartered Accountants
**(CA SHANTI LAL DAGA)**
(M.No. F-11617)
PARTNER
Firm Reg. No.000669 S

**For S.C.J. ASSOCIATES**
Chartered Accountants
**(CA S.C. JAIN)**
(M. No.070138)
PARTNER
Firm Reg. No. 003131 C

**For B. KHOSLA & CO.**
Chartered Accountants
**(CA VIJAY K. JAIN)**
(M. No.070758)
PARTNER
Firm Reg. No. 000205 C

**For S.L. CHHAJED & CO.**
Chartered Accountants
**(CA ABHAY CHHAJED)**
(M. No.079662)
PARTNER
Firm Reg. No. 000709 C

**For L.U. KRISHNAN & CO.**
Chartered Accountants
**(CA P.K. MANOJ)**
(M. No.207550)
PARTNER
Firm Reg. No. 001527 S

**For AGARWAL ANIL & CO.**
Chartered Accountants
**(CA ANIL AGRAWAL)**
(M. No. 082103)
PARTNER
Firm Reg. No. 003222 N

**MUMBAI, April 20, 2012**

## स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
## BALANCE SHEET OF STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR AS ON 31ST MARCH, 2012

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | अनुसूची Schedule | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|
| **पूँजी और दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES** | | | |
| पूँजी Capital | 1 | **70,00,00** | 50,00,00 |
| आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves and Surplus | 2 | **40,94,87,89** | 28,00,81,29 |
| निक्षेप Deposits | 3 | **6,15,72,09,16** | 5,38,52,32,51 |
| उधार Borrowings | 4 | **29,54,97,50** | 30,13,91,06 |
| अन्य दायित्व तथा प्रावधान Other liabilities and provisions | 5 | **38,36,18,78** | 32,37,44,31 |
| **योग / TOTAL :** | | **7,25,28,13,33** | 6,29,54,49,17 |
| **आस्तियां ASSETS** | | | |
| नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Cash and balances with Reserve Bank of India | 6 | **43,37,11,52** | 53,76,84,14 |
| बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with banks and money at call and short notice | 7 | **1,17,21,58** | 6,70,02,45 |
| विनिवेश Investments | 8 | **1,66,69,47,51** | 1,35,20,70,70 |
| अग्रिम Advances | 9 | **4,92,44,32,71** | 4,12,06,65,11 |
| अचल सम्पत्तियां Fixed Assets | 10 | **2,02,07,98** | 2,09,48,17 |
| अन्य आस्तियां Other Assets | 11 | **19,57,92,03** | 19,70,78,60 |
| **योग / TOTAL :** | | **7,25,28,13,33** | 6,29,54,49,17 |

## स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
## BALANCE SHEET OF STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR AS ON 31ST MARCH, 2012

पूर्वानुबद्ध / Contd.
('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | अनुसूची Schedule | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|
| आकस्मिक देयताएं Contingent liabilities | 12 | **1,27,20,85,95** | 93,22,72,51 |
| संग्रहण हेतु बिल Bills for Collection | | **40,86,37** | 54,37,62 |
| प्रमुख लेखा नीतियां Principal Accounting Policies | 17 | | |
| खातों पर टिप्पणियां Notes on accounts | 18 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| शिव कुमार<br>प्रबन्ध निदेशक<br>SHIVA KUMAR<br>Managing Director | प्रतीप चौधरी<br>अध्यक्ष<br>PRATIP CHAUDHURI<br>Chairman | श्यामल आचार्य<br>SHYAMAL ACHARYA | ए.के. देब<br>A.K. DEB | बी. रमेश बाबू<br>B. RAMESH BABU |
| ए. करुनानिथि<br>महाप्रबन्धक<br>(कोष, वि.एवं ले., नि.) एवं सीएफओ<br>A. KARUNANITHI<br>GENERAL MANAGER<br>(TRY., F&A, INSP.) & CFO | अरुण बिसारिया<br>मुख्य महाप्रबन्धक<br>ARUN BISARIA<br>Chief General Manager | संजीव शर्मा<br>SANJEEV SHARMA | भारत रतन<br>BHARAT RATTAN | अमरीक सिंह<br>AMRIK SINGH |
| किशोर बाबू सी.पी.<br>उपमहाप्रबन्धक<br>(वित्त एवं लेखा)<br>KISHOR BABU C. P.<br>DY. GENERAL MANAGER<br>(FINANCE & ACCOUNTS) | | अरुण के. सराफ़<br>ARUN K. SARAF<br><br>राजेन्द्र कुमार शाह<br>RAJENDRA KUMAR SHAH | राजेश टी. मनुबरवाला<br>RAJESH T. MANUBARWALA<br><br>डी.के. जैन<br>D.K. JAIN | |

निदेशक DIRECTORS

**इसी दिनांक की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वास्ते **एस. डागा एण्ड कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>**(सीए शान्ति लाल डागा)**<br>(स.स.एफ-11617)<br>साझेदार<br>फर्म पंजकरण संख्या 000669 एस | वास्ते **एस.सी.जे. एसोसिएट्स**<br>सनदी लेखाकार<br>**(सीए एस.सी. जैन)**<br>(स.स. 070138)<br>साझेदार<br>फर्म पंजीकरण संख्या 003131 सी | वास्ते **बी. खोसला एण्ड कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>**(सीए विजय के. जैन)**<br>(स.स.070758)<br>साझेदार<br>फर्म पंजकरण संख्या 000205 सी | वास्ते **एस.एल. छाजेड़ एण्ड कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>**(सीए अभय छाजेड़)**<br>(स.स. 079662)<br>साझेदार<br>फर्म पंजीकरण संख्या 000709 सी | वास्ते **एल.यू. कृष्णन एण्ड कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>**(सीए पी.के. मनोज)**<br>(स.स. 207550)<br>साझेदार<br>फर्म पंजीकरण संख्या 001527 एस | वास्ते **अग्रवाल अनिल एण्ड कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>**(सीए अनिल अग्रवाल)**<br>(स.स. 082103)<br>साझेदार<br>फर्म पंजीकरण संख्या 003222 एन |

As per our separate report of even date

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **For S. DAGA & CO.**<br>Chartered Accountants<br>**(CA SHANTI LAL DAGA)**<br>(M.No. F-11617)<br>PARTNER<br>Firm Reg. No.000669 S | **For S.C.J. ASSOCIATES**<br>Chartered Accountants<br>**(CA S.C. JAIN)**<br>(M. No.070138)<br>PARTNER<br>Firm Reg. No. 003131 C | **For B. KHOSLA & CO.**<br>Chartered Accountants<br>**(CA VIJAY K. JAIN)**<br>(M. No.070758)<br>PARTNER<br>Firm Reg. No. 000205 C | **For S.L. CHHAJED & CO.**<br>Chartered Accountants<br>**(CA ABHAY CHHAJED)**<br>(M. No.079662)<br>PARTNER<br>Firm Reg. No. 000709 C | **For L.U. KRISHNAN & CO.**<br>Chartered Accountants<br>**(CA P.K. MANOJ)**<br>(M. No.207550)<br>PARTNER<br>Firm Reg. No. 001527 S | **For AGARWAL ANIL & CO.**<br>Chartered Accountants<br>**(CA ANIL AGRAWAL)**<br>(M. No. 082103)<br>PARTNER<br>Firm Reg. No. 003222 N |

मुम्बई, अप्रैल 20, 2012
**MUMBAI, April 20, 2012**

## 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता
## PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | अनुसूची Schedule | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|---|
| I. | **आय INCOME** | | | |
| | अर्जित ब्याज Interest earned | 13 | **62,91,35,75** | 47,96,48,28 |
| | अन्य आय Other income | 14 | **5,98,97,18** | 6,39,69,32 |
| | | **योग / TOTAL :** | **68,90,32,93** | 54,36,17,60 |
| II. | **व्यय EXPENDITURE** | | | |
| | व्यय किया गया ब्याज Interest expended | 15 | **40,69,96,13** | 30,26,75,87 |
| | परिचालन व्यय Operating expenses | 16 | **13,30,75,35** | 12,69,16,89 |
| | प्रावधान और आकस्मिक व्यय Provisions and contingencies | | **8,37,58,27** | 5,89,36,79 |
| | | **योग / TOTAL :** | **62,38,29,75** | 48,85,29,55 |
| III. | **लाभ PROFIT** | | | |
| | वर्ष का शुद्ध लाभ Net Profit for the year | | **6,52,03,18** | 5,50,88,05 |
| | अग्रानीत लाभ Profit brought forward | | **5** | 4 |
| | | **योग / TOTAL** | **6,52,03,23** | 5,50,88,09 |
| IV. | **विनियोजन APPROPRIATIONS** | | | |
| | वैधानिक आरक्षित निधियों को अन्तरण Transfer to Statutory Reserves | | **1,95,60,95** | 1,65,26,42 |
| | पूंजी आरक्षित निधियों को अन्तरण Transfer to Capital Reserves | | **7,80,07** | 6,74,35 |
| | विनिवेश आरक्षित निधियों से अन्तरण Transfer from Investment Reserves | | **-11,11,78** | -1,69,63 |
| | आयकर अधिनियम की धारा 36 (i) (viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधियां Special Reserve U/S 36(i)(viii) of IT Act | | **44,17,00** | 0 |
| | राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अन्तरण Transfer to Revenue and Other Reserves | | **2,97,60,40** | 2,63,10,60 |
| | वित्तिय वर्ष 2011-12 के लिये अन्तरिम लाभांश भुगतान Interim Dividend Paid for the FY 2011-12 | | **1,01,50,00** | 1,00,40,00 |

## 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता
## PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

पूर्वानुबद्ध / Contd.
('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | अनुसूची Schedule | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|
| लाभांश कर Dividend Tax | | **16,46,58** | 17,06,30 |
| लाभ एवं हानि खाते का अतिशेष Balance of Profit & Loss Account | | **1** | 5 |
| **योग / TOTAL** | | **6,52,03,23** | 5,50,88,09 |
| प्रति शेयर मूल अर्जन (₹ में) Basic Earnings per Share (in ₹) | | **95.05** | 101.53 |
| प्रति शेयर अवमिश्रित अर्जन (₹ में) Diluted Earnings per Share (in ₹) | | **95.05** | 101.53 |
| प्रमुख लेखा नीतियां Principal Accounting Policies | 17 | | |
| खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts | 18 | | |

शिव कुमार
प्रबन्ध निदेशक
SHIVA KUMAR
Managing Director

प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष
PRATIP CHAUDHURI
Chairman

श्यामल आचार्य
SHYAMAL ACHARYA

ए.के. देब
A.K. DEB

बी. रमेश बाबू
B. RAMESH BABU

ए. करुनानिथि
महाप्रबन्धक
(कोष, वि.एवं ले., नि.) एवं सीएफओ
A. KARUNANITHI
GENERAL MANAGER
(TRY., F&A, INSP.) & CFO

अरुण बिसारिया
मुख्य महाप्रबन्धक
ARUN BISARIA
Chief General Manager

संजीव शर्मा
SANJEEV SHARMA

भारत रतन
BHARAT RATTAN

अमरीक सिंह
AMRIK SINGH

किशोर बाबू सी.पी.
उपमहाप्रबन्धक
(वित्त एवं लेखा)
KISHOR BABU C. P.
DY. GENERAL MANAGER
(FINANCE & ACCOUNTS)

अरुण के. सराफ़
ARUN K. SARAF

राजेश टी. मनुबरवाला
RAJESH T. MANUBARWALA

राजेन्द्र कुमार शाह
RAJENDRA KUMAR SHAH

डी.के. जैन
D.K. JAIN

निदेशक DIRECTORS

**इसी दिनांक की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार**

वास्ते **एस. डागा एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**(सीए शान्ति लाल डागा)**
(स.स.एफ-11617)
साझेदार
फर्म पंजकरण संख्या 000669 एस

वास्ते **एस.सी.जे. एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
**(सीए एस.सी. जैन)**
(स.स. 070138)
साझेदार
फर्म पंजीकरण संख्या 003131 सी

वास्ते **बी. खोसला एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**(सीए विजय के. जैन)**
(स.स.070758)
साझेदार
फर्म पंजकरण संख्या 000205 सी

वास्ते **एस.एल. छाजेड़ एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**(सीए अभय छाजेड़)**
(स.स. 079662)
साझेदार
फर्म पंजीकरण संख्या 000709 सी

वास्ते **एल.यू. कृष्णन एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**(सीए पी.के. मनोज)**
(स.स. 207550)
साझेदार
फर्म पंजीकरण संख्या 001527 एस

वास्ते **अग्रवाल अनिल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
**(सीए अनिल अग्रवाल)**
(स.स. 082103)
साझेदार
फर्म पंजीकरण संख्या 003222 एन

**As per our separate report of even date**

**For S. DAGA & Co.**
Chartered Accountants
**(CA SHANTI LAL DAGA)**
(M.No. F-11617)
PARTNER
Firm Reg. No.000669 S

**For S.C.J. ASSOCIATES**
Chartered Accountants
**(CA S.C. JAIN)**
(M. No.070138)
PARTNER
Firm Reg. No. 003131 C

**For B. KHOSLA & CO.**
Chartered Accountants
**(CA VIJAY K. JAIN)**
(M. No.070758)
PARTNER
Firm Reg. No. 000205 C

**For S.L. CHHAJED & CO.**
Chartered Accountants
**(CA ABHAY CHHAJED)**
(M. No.079662)
PARTNER
Firm Reg. No. 000709 C

**For L.U. KRISHNAN & CO.**
Chartered Accountants
**(CA P.K. MANOJ)**
(M. No.207550)
PARTNER
Firm Reg. No. 001527 S

**For AGARWAL ANIL & CO.**
Chartered Accountants
**(CA ANIL AGRAWAL)**
(M. No. 082103)
PARTNER
Firm Reg. No. 003222 N

मुम्बई, अप्रैल 20, 2012
**MUMBAI, April 20, 2012**

**अनुसूची 1**
**SCHEDULE 1**

**पूँजी**
**CAPITAL**

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|
| **प्राधिकृत पूँजी** (₹10/- प्रति शेयर वाले 50,00,00,000 ईक्विटी शेयर) | | |
| Authorised Capital (50,00,00,000 equity shares of ₹10/- each) | **5,00,00,00** | 5,00,00,00 |
| **निर्गमित पूँजी** (₹10/- प्रति शेयर वाले 7,00,00,000 ईक्विटी शेयर) (गत वर्ष ₹10/- प्रति शेयर वाले 5,00,00,000 इक्विटी शेयर) | | |
| Issued Capital (7,00,00,000 equity shares of ₹10/- each) (Last year 5,00,00,000 equity shares of ₹ 10/- each) | **70,00,00** | 50,00,00 |
| **अभिदत्त, आहूत तथा प्रदत्त पूँजी** (₹10/- प्रति शेयर वाले 5,00,00,000 ईक्विटी शेयर) (गत वर्ष ₹10/- प्रति शेयर वाले 5,00,00,000 इक्विटी शेयर) | | |
| Subscribed, Called-up & Paid-up Capital (7,00,00,000 equity shares of ₹10/- each) (Last year 5,00,00,000 equity shares of ₹ 10/- each) | **70,00,00** | 50,00,00 |
| **योग / TOTAL :** | **70,00,00** | 50,00,00 |

अनुसूची 2
**SCHEDULE 2**

आरक्षित निधियां और अधिशेष
**RESERVES & SURPLUS**

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012 | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011 |
|---|---|---|---|
| **I.** | **वैधानिक आरक्षित निधियाँ / Statutory Reserves** | ₹ | ₹ |
| | अथशेष | **10,77,77,90** | 9,12,51,48 |
| | Opening Balance | | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन | | |
| | Additions during the year | **1,95,60,95** | 1,65,26,42 |
| | वर्ष के दौरान कटौतियां | | |
| | Deductions during the year | **0** | 0 |
| | **योग / TOTAL :** | **12,73,38,85** | 10,77,77,90 |
| **II.** | **पूँजी आरक्षित निधियाँ / Capital Reserves** | | |
| | अथशेष | **33,60,51** | 26,86,16 |
| | Opening Balance | | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन | **7,80,07** | 6,74,35 |
| | Additions during the year | | |
| | वर्ष के दौरान कटौतियां | **0** | 0 |
| | Deductions during the year | | |
| | **योग / TOTAL :** | **41,40,58** | 33,60,51 |
| **III.** | **शेयर प्रीमियम / Share Premium** | | |
| | अथशेष | **1,06,64,49** | 1,06,64,49 |
| | Opening Balance | | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन | **7,60,00,00** | 0 |
| | Additions during the year | | |
| | वर्ष के दौरान कटौतियां | **0** | 0 |
| | Deductions during the year | | |
| | **योग / TOTAL :** | **8,66,64,49** | 1,06,64,49 |
| **IV.** | **विनिवेश आरक्षित निधियाँ/ Investment Reserves** | | |
| | अथशेष | **13,41,09** | 15,10,72 |
| | Opening Balance | | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन | **0** | 0 |
| | Additions during the year | | |
| | वर्ष के दौरान कटौतियां | **11,11,78** | 1,69,63 |
| | Deductions during the year | | |
| | **योग / TOTAL :** | **2,29,31** | 13,41,09 |
| **V.** | **राजस्व एवं आरक्षित निधियाँ/ Revenue & Other Reserves** | | |
| | अथशेष | **15,69,37,25** | 13,06,26,65 |
| | Opening Balance | | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन | **2,97,60,40** | 2,63,10,60 |
| | Additions during the year | | |
| | वर्ष के दौरान कटौतियां | **0** | 0 |
| | Deductions during the year | | |
| | **योग / TOTAL :** | **18,66,97,65** | 15,69,37,25 |
| **VI.** | आयकर अधिनियम की धारा 36 **(i) (viii)** के अन्तर्गत विशेष आरक्षितियाँ | | |
| | **Special Reserve U/S 36 (i)(viii) of IT Act** | | |
| | अथशेष | **0** | 0 |
| | Opening Balance | | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन | | |
| | Additions during the year | **44,17,00** | 0 |
| | वर्ष के दौरान कटौतियां | | |
| | Deduction during the year | **0** | 0 |
| | **योग / TOTAL :** | **44,17,00** | 0 |
| **VII.** | **लाभ और हानि खाते का अतिशेष** | **1** | 5 |
| | **Balance In Profit & Loss Account** | | |
| | **योग : (I, II, III, IV, V, VI एवं VII)** / TOTAL (I, II, III. IV, V, VI and VII) | **40,94,87,89** | **28,00,81,29** |

## अनुसूची 3 — निक्षेप
## SCHEDULE 3 — DEPOSITS

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार<br>As on 31.03.2012<br>₹ | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार<br>As on 31.03.2011<br>₹ |
|---|---|---|---|---|
| क.<br>A. | I. | **मांग निक्षेप**<br>**Demand Deposits** | | |
| | | i) बैंकों से / From banks | **2,79,76,19** | 4,20,92,29 |
| | | ii) अन्य से / From others | **35,99,25,49** | 31,59,24,86 |
| | II. | **बचत बैंक निक्षेप**<br>**Savings Bank Deposits** | **1,91,15,13,89** | 1,71,59,07,34 |
| | III. | **सावधि निक्षेप**<br>**Term Deposits** | | |
| | | i) बैंकों से / From Banks | **37,05,93** | 1,11,98,58 |
| | | ii) अन्य से / From Others | **3,85,40,87,66** | 3,30,01,09,44 |
| | | योग : (I, II एवं III) TOTAL (I, II and III) | **6,15,72,09,16** | 5,38,52,32,51 |
| B. | i) | भारत में शाखाओं के निक्षेप<br>Deposits of branches in India | **6,15,72,09,16** | 5,38,52,32,51 |
| | ii) | भारत के बाहर की शाखाओं के निक्षेप<br>Deposits of branches outside India | **0** | 0 |
| | | **योग / TOTAL :** | **6,15,72,09,16** | 5,38,52,32,51 |

## अनुसूची 4 — उधार
## SCHEDULE 4 — BORROWINGS

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार<br>As on 31.03.2012<br>₹ | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार<br>As on 31.03.2011<br>₹ |
|---|---|---|---|---|
| I. | | **भारत में उधार**<br>**Borrowings in India** | | |
| | i) | भारतीय रिज़र्व बैंक<br>Reserve Bank of India | **0** | 0 |
| | ii) | अन्य बैंक (भारतीय स्टेट बैंक)<br>Other Banks (State Bank of India) | **45,78,75** | 0 |
| | iii) | अन्य संस्थाए और अभिकरण<br>Other Institutions and Agencies | **2,25,00,00** | 2,40,00,00 |
| | | भारत में कुल उधार<br>Total Borrowing in India | **2,70,78,75** | 2,40,00,00 |
| II. | | **भारत के बाहर से उधार**<br>**Borrowings outside India**<br>[विदेशी मुद्रा मिरॅर (नोस्ट्रो) खातों में जमा शेष राशि ₹ 534.18 करोड़ सहित (गत वर्ष ₹ 519.65 करोड़)]<br>[including ₹ 534.18 crores being credit balance in Foreign Currency Mirror (NOSTRO) Accounts. Previous Year ₹ 519.65 crores] | **5,34,18,75** | 11,23,91,06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| III. | सतत टियर-I ( आई.पी.डी.आई ) बंधपत्र सीरिज-I<br>**Perpetual Tier-I (IPDI) Bonds Series-I** | **2,00,00,00** | 2,00,00,00 |
| IV. | गौण देयताएं<br>**Subordinated Debts** | | |
| | A. i) गौण देयताएं /बन्ध पत्र टियर-II पूंजी<br>Subordinate Debts/Bonds Forming Tier-II Capital | **15,00,00,00** | 10,00,00,00 |
| | ii) समिश्र देयताएं/बन्ध पत्र टियर-II पूंजी<br>Hybrid Debts/Bonds Forming Tier-II Capital | **4,50,00,00** | 4,50,00,00 |
| | **योग : (I से IV)/ TOTAL : (I to IV)** | **29,54,97,50** | 30,13,91,06 |
| | उपर्युक्त में सम्मिलित जमानती कर्ज<br>Secured borrowings included in above | **2,25,00,00** | 13,63,91,06 |

## अनुसूची 5 / SCHEDULE 5
## अन्य दायित्व और प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(‘000 को छोड़ दिया गया है)
(‘000 omitted)

| | | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार<br>As on 31.03.2012<br>₹ | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार<br>As on 31.03.2011<br>₹ |
|---|---|---|---|
| I. | संदेय बिल<br>**Bills Payable** | **14,08,01,05** | 10,84,57,30 |
| II. | अंश पत्र आवेदन राशि<br>**Share Application Money** | **0** | 1,38,52 |
| III. | अंतर-कार्यालय समायोजन ( निवल )<br>**Inter-office adjustments (net)** | **0** | 0 |
| IV. | उपचित ब्याज<br>**Interest accrued** | **6,77,59,38** | 5,34,01,39 |
| V. | आस्थगित कर दायित्व ( निवल )<br>**Deffered Tax Liability (Net)** | **6,40,98** | 0 |
| VI | अन्य ( इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं<br>**Others (including provision)** | **17,44,17,37** | 16,17,47,10 |
| | **योग / TOTAL :** | **38,36,18,78** | 32,37,44,31 |

## अनुसूची 6 / SCHEDULE 6
## नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष / CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(‘000 को छोड़ दिया गया है)
(‘000 omitted)

| | | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार<br>As on 31.03.2012<br>₹ | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार<br>As on 31.03.2011<br>₹ |
|---|---|---|---|
| I. | हाथ में नकदी<br>**Cash in hand**<br>(इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं)<br>(including foreign currency notes) | **3,51,41,97** | 3,18,57,89 |
| II. | भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष<br>**Balance with Reserve Bank of India** | | |
| | i) चालू खातों में In Current Accounts | **39,85,69,55** | 50,58,26,25 |
| | ii) अन्य खातों में in Other Accounts | **0** | 0 |
| | **योग : (I एवं II) / TOTAL : (I & II)** | **43,37,11,52** | 53,76,84,14 |

अनुसूची 7
**SCHEDULE 7**

## बैंको में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
## BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|
| **I.** | **भारत में In India** | | |
| | i) **बैंकों में अतिशेष Balance with banks** | | |
| | क) चालू खातों में a) In Current Accounts | **19,26,46** | 34,22,63 |
| | ख) अन्य जमा खातों में b) In Other Deposit Accounts | **0** | 0 |
| | ii) **मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice** | | |
| | a) बैंकों के पास With banks | **0** | 0 |
| | b) अन्य संस्थाओं के पास With other institutions | **0** | 0 |
| | **योग : (i एवं ii) / TOTAL : (i & ii)** | **19,26,46** | 34,22,63 |
| **II.** | **भारत के बाहर Outside India** | | |
| | i) चालू खातों में In Current Accounts | **97,95,12** | 6,35,79,82 |
| | ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts | **0** | 0 |
| | iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice | **0** | 0 |
| | **योग : (i, ii एवं iii) / TOTAL : (i, ii & iii)** | **97,95,12** | 6,35,79,82 |
| | **योग : (I एवं II) / TOTAL : (I & II)** | **1,17,21,58** | 6,70,02,45 |

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|
| **I.** | **भारत में विनिवेश Investments in India in** | | |
| i) | सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities | **1,61,70,94,73** | 1,31,37,12,55 |
| ii) | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities | **13,73,30** | 20,27,80 |
| iii) | अंश पत्र / Shares | **1,43,38,13** | 1,45,68,79 |
| iv) | ऋणपत्र और बंधपत्र / Debentures and Bonds | **93,45,17** | 1,06,80,02 |
| v) | समनुषंगी और / अथवा संयुक्त उद्यम / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Subsidiaries and/or joint ventures/Regional Rural Banks | **13,77,58** | 13,77,58 |
| vi) | अन्य / Others | | |
| | • प्रतिभूति रसीद / Security Receipts | **3,79,61** | 4,30,88 |
| | • वाणिज्यिक पत्र /Commercial Paper | **22,32,80** | 0 |
| | • भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंशदायी शेयर Contributory shares of UTI | **0** | 0 |
| | • नाबार्ड के पास आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत जमा Deposit with NABARD under RIDF Scheme | **18,81,17** | 28,25,75 |
| | • निक्षेप प्रमाण पत्र / Certificate of Deposit | **18,16,16** | 0 |
| | • म्युच्युअल फंड / Mutual Funds | **1,71,08,86** | 64,47,33 |
| | **योग ( i से vi ) / TOTAL (i to vi):** | **1,66,69,47,51** | 1,35,20,70,70 |
| **II.** | **भारत के बाहर विनिवेश Investments outside India in** | | |
| i) | सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) Government securities (including local authorities) | **0** | 0 |
| ii) | विदेशों में समनुषंगी और / अथवा संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures abroad | **0** | 0 |
| iii) | अन्य विनिवेश Other investments | **0** | 0 |
| | **योग ( i से iii ) / TOTAL (i to iii) :** | **0** | 0 |
| | **योग : (I एवं II) / TOTAL : (I & II)** | **1,66,69,47,51** | 1,35,20,70,70 |

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|---|
| (क) A. | i) | क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र Bills purchased and discounted | **18,60,15,59** | 17,79,36,78 |
| | ii) | नकद-साख, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रति-संदेय उधार Cash Credits, overdrafts and loans repayable on demand | **2,08,38,40,31** | 1,73,51,86,58 |
| | iii) | सावधि उधार Term loans | **2,65,45,76,81** | 2,20,75,41,75 |
| | | **योग / TOTAL :** | **4,92,44,32,71** | 4,12,06,65,11 |
| (ख) B. | i) | मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के विरूद्ध अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts) | **4,04,20,10,80** | 3,30,33,81,87 |
| | ii) | बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees | **18,52,60,25** | 22,82,86,80 |
| | iii) | अप्रतिभूत Unsecured | **69,71,61,66** | 58,89,96,44 |
| | | **योग / TOTAL :** | **4,92,44,32,71** | 4,12,06,65,11 |
| (ग) C. | **I.** | **भारत में अग्रिम Advances in India** | | |
| | i) | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector | **1,74,08,45,43** | 1,50,60,96,71 |
| | ii) | सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector | **44,14,60,42** | 31,44,82,32 |
| | iii) | बैंक Banks | **14,22** | 41,41 |
| | iv) | अन्य Others | **2,74,21,12,64** | 2,30,00,44,67 |
| | | **योग / TOTAL :** | **4,92,44,32,71** | 4,12,06,65,11 |
| | **II.** | **भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India** | | |
| | i) | बैंकों से प्राप्य Due from Banks | **0** | 0 |
| | ii) | अन्य से प्राप्य Due from others | | |
| | | क. a) क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र Bills purchased and discounted | **0** | 0 |
| | | ख. b) सामूहिक उधार Syndicated loans | **0** | 0 |
| | | ग. c) अन्य Others | **0** | 0 |
| | | **योग / TOTAL :** | **0** | 0 |
| | | **योग : (ग.I एवं ग.II) / TOTAL : (C.I & C.II)** | **4,92,44,32,71** | 4,12,06,65,11 |

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|
| **I.** | **परिसर**<br>**Premises** | | |
| | पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर<br>At cost as on 31st March of the preceding year | **70,84,63** | 70,04,89 |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन<br>Additions during the year | **0** | 79,73 |
| | वर्ष के दौरान कटौतियां<br>Deductions during the year | **0** | 0 |
| | अब तक मूल्यहास/Depreciation to date | **34,09,58** | 32,37,31 |
| | **योग / TOTAL :** | **36,75,05** | 38,47,31 |
| **II.** | **अन्य अचल सम्पत्तियां**<br>**Other Fixed Assets**<br>(फर्नीचर और जुड़नार सहित)<br>(including furniture and fixtures)<br>पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर<br>At cost as on 31st March of the preceding year | **6,23,70,63** | 5,56,35,04 |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन<br>Additions during the year | **69,07,29** | 81,13,18 |
| | वर्ष के दौरान कटौतियां<br>Deductions during the year | **22,65,09** | 13,77,59 |
| | अब तक मूल्य हास / Depreciation to date<br>(₹1215.31 लाख के विक्रय /अपलेखन के कारण समायोजन के पश्चात् शुद्ध; गत वर्ष ₹ 481.20 लाख)<br>(Net of adjustments on account of sale/write-off ₹1215.31 lacs; Previous year ₹ 481.20 lacs) | **5,05,05,64** | 4,52,95,51 |
| | **योग / TOTAL :** | **1,65,07,19** | 1,70,75,12 |
| **III.** | ***पट्टाकृत आस्तियां**<br>***Leased Assets** | | |
| | पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर<br>At cost as on 31st March of the preceding year | **45,20,02** | 45,20,02 |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन<br>Additions during the year | **0** | 0 |
| | वर्ष के दौरान कटौतियां<br>Deductions during the year | **0** | 0 |
| | अब तक मूल्य हास / Depreciation to date | **40,49,57** | 40,49,57 |
| | पट्टा समायोजन / Lease Adjustment | **-4,70,45** | -4,70,45 |
| | *(पूर्ण परिशोध्य आस्तियां, जिनका समस्त पट्टा प्रतिफल प्राप्त हो गया है)<br>*(Represents fully amortised assets where entire lease consideration has been received) | | |
| | **योग / TOTAL :** | **0** | 0 |
| **IV.** | **पूँजीगत कार्य प्रगति पर**<br>**Capital Work in Progress** | **25,74** | 25,74 |
| | **योग : ( I, II, III एवं IV ) / TOTAL : (I, II, III & IV)** | **2,02,07,98** | 2,09,48,17 |

अनुसूची 11
**SCHEDULE 11**

अन्य आस्तियां
**OTHER ASSETS**

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|
| I. | अंतर-कार्यालय समायोजन ( निवल ) **Inter-office adjustments (net)** | **1,90,39,47** | 2,64,40,82 |
| II. | उपचित ब्याज **Interest accrued** | **6,63,05,00** | 5,47,58,82 |
| III. | अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर ( प्रावधानों को घटाकर ) **Tax paid in advance/Tax deducted at source (net of provisions)** | **2,22,78,76** | 1,48,24,72 |
| IV. | आस्थगित कर आस्तियाँ ( निवल) **Deferred Tax Assets (Net)** | **0** | 8,81,91 |
| V. | लेखन-सामग्री और स्टाम्प **Stationery and Stamps** | **4,96,41** | 5,28,38 |
| VI. | दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गयी गैर बैंककारी आस्तियां **Non-banking assets acquired in satisfaction of claims** | **4,53** | 5,23 |
| VII. | अन्य **Others** | **8,76,67,86** | 9,96,38,72 |
| | **योग / TOTAL :** | **19,57,92,03** | 19,70,78,60 |

अनुसूची 12
**SCHEDULE 12**

## आकस्मिक दायित्व
## CONTINGENT LIABILITIES

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|
| I. | बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है **Claims against the bank not acknowledged as debts** | **43,93,69** | 60,56,66 |
| II. | अंशतः संदत्त विनिवेशों के लिए दायित्व **Liability for partly paid investments** | **7,58,02** | 12,13,34 |
| III. | बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व **Liability on account of outstanding forward exchange contracts** | **68,07,18,15** | 44,00,50,73 |
| IV. | संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां @ **Guarantees given on behalf of constituents @** | | |
| | क) भारत में **a) In India** | **24,03,44,31** | 21,28,46,82 |
| | ख) भारत के बाहर **b) Outside India** | **0** | 0 |
| V. | स्वीकृत बिल, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ # **Acceptances, endorsements and other obligations #** | **30,00,44,56** | 22,87,52,55 |
| VI. | अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है **Other items for which the bank is contingently liable** | **4,58,27,22** | 4,33,52,41 |
| | **योग / TOTAL :** | **1,27,20,85,95** | 93,22,72,51 |

@ ₹582.08 करोड़ से नकदी मार्जिन घटाकर निवल (गत वर्ष ₹528.97 करोड़)
Net after deducting cash margin of ₹582.08 crores. (Previous year ₹528.97 crores)

# ₹584.33 करोड़ से नकदी मार्जिन घटाकर निवल (गत वर्ष ₹ 206.15 करोड़)
Net after deducting cash margin of ₹ 584.33 crores. (Previous year ₹ 206.15 crores)

अनुसूची 13
**SCHEDULE 13**

## अर्जित ब्याज
## INTEREST EARNED

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|
| I. | अग्रिमों/ विनिमय पत्रों पर ब्याज / मितीकाटा **Interest/discount on advances/bills** | **50,77,91,28** | 37,72,16,97 |
| II. | विनिवेशों पर आय **Income on investments** | **11,65,53,93** | 9,90,73,72 |
| III. | भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज **Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds** | **18,90,61** | 18,55,67 |
| IV. | **अन्य / Others** | **28,99,93** | 15,01,92 |
| | **योग / TOTAL :** | **62,91,35,75** | 47,96,48,28 |

अनुसूची 14
**SCHEDULE 14**

## अन्य आय
## OTHER INCOME

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|
| I. | कमीशन, विनिमय और दलाली<br>**Commission, exchange and brokerage** | **5,51,22,91** | 5,25,70,23 |
| II. | विनिवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)<br>**Profit on sale of investments (net)** | **28,58,58** | 41,17,93 |
| III. | विनिवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ<br>**Profit on revaluation of investments** | **0** | 0 |
| IV. | भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय/अपलेखन पर लाभ/हानि<br>**Profit/Loss on sale/write off of land, building and other assets** | **5** | 0 |
| V. | विनिमय लेनदेनों पर लाभ (निवल)<br>**Profit on exchange transactions (net)** | **3,58,15** | 42,21,42 |
| VI. | विदेश / भारत में स्थापित समनुषंगी / कम्पनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय<br>**Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India** | **0** | 0 |
| VII. | पट्टा किराया<br>**Lease Rental** | **0** | 0 |
| | पट्टा समकरण<br>**Lease Equalisation** | **0** | 0 |
| VIII. | विविध आय<br>**Miscellaneous Income** | **15,57,49** | 30,59,74 |
| | **योग / TOTAL :** | **5,98,97,18** | 6,39,69,32 |

अनुसूची 15
**SCHEDULE 15**

## व्यय किया गया ब्याज
## INTEREST EXPENDED

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|
| I. | निक्षेपों पर ब्याज<br>**Interest on Deposits** | **38,38,72,42** | 28,47,90,89 |
| II. | भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज<br>**Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings** | **79,90,45** | 31,83,86 |
| III. | अन्य<br>**Others** | **1,51,33,26** | 1,47,01,12 |
| | **योग / TOTAL :** | **40,69,96,13** | 30,26,75,87 |

अनुसूची 16
**SCHEDULE 16**

परिचालन व्यय
**OPERATING EXPENSES**

('000 को छोड़ दिया गया है)
('000 omitted)

| | | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 ₹ | 31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011 ₹ |
|---|---|---|---|
| I. | कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान<br>**Payments to and provisions for employees** | **8,19,81,83** | 8,26,96,17 |
| II. | किराया, कर और रोशनी<br>**Rent, taxes and lighting** | **1,08,92,63** | 83,86,53 |
| III. | मुद्रण और लेखन-सामग्री<br>**Printing and stationery** | **19,20,82** | 16,46,37 |
| IV. | विज्ञापन और प्रचार<br>**Advertisement and publicity** | **9,07,87** | 5,71,95 |
| V. | बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास<br>**Depreciation on Bank's property** | **53,82,39** | 57,38,55 |
| VI. | पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास<br>**Depreciation on Leased Assets** | **0** | 0 |
| VII. | निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय<br>**Directors' fee, allowances and expenses** | **38,25** | 32,23 |
| VIII. | लेखा-परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों सहित)<br>**Auditors' fee and expenses (including branch auditors)** | **12,91,65** | 11,41,01 |
| IX. | विधि प्रभार<br>**Law charges** | **3,13,40** | 2,90,28 |
| X. | डाक, तार, टेलीफोन<br>**Postage, Telegrams, Telephones** | **21,43,93** | 18,66,06 |
| XI. | मरम्मत और अनुरक्षण<br>**Repairs and maintenance** | **13,79,82** | 17,62,76 |
| XII. | बीमा<br>**Insurance** | **47,87,60** | 41,21,75 |
| XIII. | अन्य व्यय<br>**Other expenditure** | **2,20,35,16** | 1,86,63,23 |
| | **योग / TOTAL :** | **13,30,75,35** | 12,69,16,89 |

## अनुसूची 17

# प्रमुख लेखा नीतियाँ

### 1. सामान्य

#### 1.1 तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणियाँ, अवधिगत लागत आधार पर तैयार की जाती है। वे भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, नियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक/मार्गदर्शी टिप्पणियाँ और भारत में बैंकिग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल हैं।

#### 1.2 प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबन्धन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताऐं सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एंव व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है । प्रबन्धन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेक पूर्ण और यथोचित है । भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं । लेखा प्राक्कलनों में किसी संशोधनों का वर्तमान और भविष्यगत अवधियों के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से अभिज्ञान किया गया है ।

### 2. राजस्व अभियान

2.1 आय एवं व्यय की गणना उपार्जित आधार पर की जाती है, सिवाय निम्नांकित आय के, जिनकी गणना नकद आधार पर की जाती है :

i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसी नियमों के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों पर ब्याज एवं अन्य आय।

ii) गैर निष्पादित निवेशों पर ब्याज ।

iii) साख-पत्रों एवं प्रत्याभूतियों पर कमीशन (आस्थागित भुगतान प्रत्याभूतियों के अतिरिक्त)

iv) बीमा दावे

v) अंश एवं म्युच्युअल फण्ड यूनिटों पर लाभांश।

vi) खरीदे गये अतिदेय माँग बिलों पर ब्याज।

vii) लॉकर किराया

viii) कर वापसी पर ब्याज।

ix) परस्पर विक्रय कार्य से कमीशन

2.2 विनिवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है, तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के विनिवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को लागू करों और 'पूंजी आरक्षित खाते' में सांविधिक आरक्षित निधि हेतु अंतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को घटाने के बाद समायोजित किया गया है।

2.3 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के विनिवेश, जो अंकित मूल्य से बट्टे पर प्राप्त किये गये हैं, पर आय (ब्याज को छोड़कर) को निम्नानुसार अभिज्ञानित किया गया है:

(अ) ब्याज धारित प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय अभिज्ञान में लिया गया है।

(ब) शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखों में लिया गया है।

### 3. विदेशी विनिमय के अन्तर्गत संव्यवहार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के विदेशी विनिमय व्यवहारों के रूपान्तरण से सम्बन्धित लेखा मानक संख्या-11 (संशोधित 2003) का बैंक द्वारा अनुसरण किया गया है एवं तदनुसार:

## SCHEDULE 17

# PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

## 1. GENERAL

### 1.1 Basis of Preparation:

The accompanying financial statements are prepared under the historical cost convention. They conform to Generally Accepted Accounting Principles in India, which comprises the statutory provisions, regulatory /Reserve Bank of India (RBI) Guidelines, Accounting Standards/guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the Banking Industry in India.

### 1.2 Use of Estimates:

The preparation of financial statements require the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

## 2. REVENUE RECOGNITION

2.1 Income & Expenditure are recognised on accrual basis except the following income, which are recognised on cash basis:

i) Interest and other income on Non Performing Assets as per IRAC norms prescribed by RBI

ii) Interest on Non-performing Investments

iii) Commission on L.Cs. and Guarantees (excluding Deferred Payment Guarantees)

iv) Insurance claims

v) Dividend on shares and units of Mutual Funds

vi) Interest on overdue demand bills purchased

vii) Locker Rent

viii) Interest on Tax refund

ix) Commission from Cross Selling Activities

2.2 Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account, however, the profit on sale of investments in the 'Held to Maturity' category is appropriated net of applicable taxes and amount required to be transferred to statutory reserve to 'Capital Reserve Account'.

2.3 Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows :

a) On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/redemption.

b) On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

## 3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

The Bank has followed the Accounting Standard-11 (Revised 2003) issued by the Institute of Chartered Accountants of India regarding foreign exchange transactions and accordingly:-

3.1 विदेशी मुद्रा से संव्यवहारों को लेन-देन की तिथि पर विदेशी मुद्रा राशि को प्रतिवेदित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर के प्रयोग द्वारा फलित प्रतिवेदित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया जाता है।

3.2 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को फेडई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग कर प्रतिवेदित किया जाता है तथा इससे परिणामित लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में ले जाया जाता है।

3.3 मौद्रिक मदों को दर्ज करने की दरों एवं उनके निपटान पर आए विनिमय अन्तर को उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय में शामिल किया गया है।

3.4 विदेशी मुद्रा में जारी किये गये प्रत्याभूति, साख पत्र तथा आगामी विनिमय वायदा सौदे फेडई दर पर तुलन-पत्र की तिथि को तय किये जाते हैं।

## 4. विनिवेश

4.1 सरकारी एवं अन्य प्रतिभूतियों में किये गये लेन-देन "निपटान तिथि" को लेखो मे लिये गये है।

4.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार विनिवेश संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा

i. परिपक्वता तक धारित,

ii. विक्रय के लिए उपलब्ध,

iii. व्यवसाय के लिए रखी गई।

4.3 तथापि, तुलन-पत्र में दर्शाने हेतु इन्हें छः समूहों में वर्गीकृत किया गया है:

i. सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

iii. अंश-पत्र,

iv. ऋण-पत्र एवं बन्ध-पत्र,

v. समनुषंगी/संयुक्त उद्यम,

vi. अन्य

4.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मूल्यांकन के उद्देश्य से निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाये गये है:

i) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियाँ पुस्तक मूल्य पर मूल्यांकित है, लेकिन स्थायी कमी होने पर इसको उस कमी के निवल दर्शाया जाता है। अंकित मूल्य से पुस्तक मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता में शेष रही अवधि में स्थिर प्रतिफल पद्धति प्रयुक्त कर परिशोधित किया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन को "विनिवेशों पर ब्याज" के अन्तर्गत आय में समायोजित किया जाता है।

ii) "विक्रय के लिए उपलब्ध" श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों को प्रत्येक तिमाही के अन्त में बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है, जिन्हें पर्णक-अनुसार मूल्यांकित किया जाता है एवं तुलन-पत्र में दर्शायी गई प्रत्येक श्रेणी के लिए ह्रास/वृद्धि को समेकित किया जाता है। शुद्ध ह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है एवं शुद्ध आधिक्य को छोड़ दिया जाता है।

iii) "व्यवसाय के लिए रखी गई" श्रेणी की प्रतिभूतियों को मासिक अन्तराल पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है एवं शुद्ध ह्रास की पहचान की जाती है तथा शुद्ध वृद्धि को छोड़ दिया जाता हैं।

iv) ऋण लिखतो पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

v) लागत का निर्धारण भारित लागत प्रणाली के अनुसार किया गया है।

3.1 Foreign Currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

3.2 Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rate and resultant gain / loss is carried to Profit and Loss Account.

3.3 Exchange differences arising on the settlement of monetary items at the rates different from those at which they were recorded, are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

3.4 Guarantees, Letters of Credit and Forward Exchange Contracts issued in foreign currencies are translated at FEDAI rates on the Balance Sheet date.

## 4. INVESTMENTS

4.1 The transactions in Government and other Securities are accounted on "Settlement Date".

4.2 The investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the Reserve Bank of India guidelines into three categories viz.

i. Held to Maturity,

ii. Available for Sale,

iii. Held for Trading.

4.3 However, for disclosure in the Balance Sheet, these are classified under six groups:

i. Govt. Securities,

ii. Other Approved securities,

iii. Shares,

iv Debentures & Bonds,

v Subsidiaries/Joint Ventures,

vi Others.

4.4 For the purpose of valuation, in terms of RBI guidelines, the following principles have been adopted :-

i. Securities held in 'Held To Maturity' category are valued at book value. However, in case of permanent diminution, the same is stated at net of such diminution. The excess of book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity using constant yield method. Such amortization of premium is adjusted against income under the head "Interest on Investment".

ii. Securities classified as "Available For Sale" are marked to market at the end of each quarter, which are valued scrip-wise and depreciation/appreciation for each category as disclosed in the Balance Sheet is aggregated. Net depreciation, if any, is provided for, while net appreciation is ignored.

iii. Securities in "Held For Trading" category are revalued at monthly intervals and the net depreciation is recognised and net appreciation is ignored.

iv. Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/sale consideration.

v. Cost is determined on the weighted average cost method.

4.5 "विक्रय के लिए उपलब्ध" तथा "व्यवसाय के लिए रखी गई" श्रेणी में वर्गीकृत की गई प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ | फिमडा द्वारा उद्धरित बाजार मूल्य दर पर |
| 2. | राज्य विकास ऋण, राज्य/केन्द्र प्रत्याभूत प्रतिभूतियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बन्ध-पत्र | फिमडा द्वारा दी गई परिपक्वता प्रतिफल दर पर |
| 3. | कोषागार बिल/वाणिज्यिक प्रपत्र/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेश | वहन मूल्य पर |
| 4. | समता अंश | बाजार मूल्य पर, यदि उद्धरित हो, अन्यथा पुस्तक मूल्य पर यदि नवीनतम तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) उपलब्ध हो या ₹ 1/- प्रति कम्पनी |
| 5. | अधिमान अंश, ऋण पत्र | बाजार मूल्य पर, यदि उद्धरित हो, अथवा परिपक्वता पर उचित प्रतिलाभ आधार पर जो शोधन मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। |
| 6. | म्युच्युअल फण्ड यूनिट | बाजार मूल्य पर, यदि उद्धरित हो, अन्यथा पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य पर |

4.6 किसी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) लिखतों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तदनुसार, उन मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक ही सीमित है, वहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य, की गणना ऐसे विनिवेशों के मूल्यन के लिए की गई है।

4.7 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार गैर-निष्पादित विनिवेशों की पहचान की जाती है और ह्रास/प्रावधान किया जाता है।

4.8 "विक्रय के लिये उपलब्ध"/"व्यवसाय के लिये रखी गयी'' श्रेणी में वर्गीकृत प्रतिभूतियों को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में पुस्तक मूल्य तथा बाजार मूल्य में जो कम हो, पर स्थानान्तरित किया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित", श्रेणी से "विक्रय के लिये उपलब्ध"/"व्यवसाय के लिये रखी गयी" श्रेणी में स्थानान्तरण करते समय बट्टागत प्रतिभूतियों को अर्जक मूल्य पर तथा प्रीमियम वाली प्रतिभूतियों को परिशोधित मूल्य पर स्थानान्तरित किया जाता है। "विक्रय के लिये उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिये रखी गयी" श्रेणी की प्रतिभूतियों को आपस में स्थानान्तरण करते समय स्थानान्तरण की तिथि को प्रतिभूतियों का पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

4.9 विनिवेशों की लागत प्राप्त प्रारंभिक प्रोत्साहन, दलाली एवं कमीशन के समायोजन के पश्चात है।

4.10 विनिवेशों के विक्रय पर लाभ या हानि का अभिज्ञान भारित औसत लागत पर किया जाता है।

4.11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेश को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

4.12 **रिपो तथा प्रत्यावर्तित रिपो लेन देनः-**

i) रिपो तथा प्रत्यावर्तित रिपो लेन-देन (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) को लेखे में लेने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित "समान लेखा प्रक्रिया" को अपनाया है, तदनुसार, रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त विक्रय/क्रय माना गया है और उन्हें रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो खातों के लेखे में लिया गया है तथा इन प्रविष्टियों का परिपक्वता तिथि को प्रत्यावर्तन किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो खाते की शेष राशि का समायोजन विनिवेश खाते की शेष राशि के सापेक्ष किया गया है।

ii) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों को विनिवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रत्यावर्तित किया गया है। उन पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

4.5 The securities classified, as "Available For Sale" and "Held For Trading" are valued as follows:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Govt. of India Securities | At market price as per quotation put out by FIMMDA. |
| 2. | State Development Loans, Securities guaranteed by Central/State Govt., PSU Bonds | As per YTM put out by FIMMDA. |
| 3. | Treasury Bills/Commercial Papers/Investment in Regional Rural Banks | At Carrying Cost. |
| 4. | Equity Shares | At market price, if quoted, otherwise at Book value if latest Balance Sheet is available (not more than 1 year old) or ₹ 1/- per company. |
| 5. | Preference Shares, Debentures | At market price, if quoted or at appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value. |
| 6. | Mutual Fund Units | At market price, if quoted otherwise at repurchase price/Net Asset Value. |

4.6 Security receipts issued by an asset reconstruction company (ARC) are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the security receipts issued by the ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the ARC, is reckoned for valuation of such investments.

4.7 The non-performing investments are identified and depreciation/provision is made as per RBI guidelines.

4.8 Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category are made at the lower of book value or market value. However, in the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, discounted securities are transferred at the acquisition cost and premium bearing securities are transferred at amortised cost. In case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer.

4.9 The cost of investment is net of upfront incentives, brokerage and commission received.

4.10 Profit or Loss on sale of Investments is recognised on the basis of weighted average cost.

4.11 Investments in Regional Rural Banks are classified under Held To Maturity (HTM) Category.

4.12 Repo and Reverse Repo Transactions

i) The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Accordingly, the securities sold/ purchased under Repo/Reverse Repo are treated as outright sales/purchases and accounted for in the Repo/Reverse Repo Accounts and the entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo/Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

ii) Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

## 5. अग्रिम

5.1 गैर निष्पादित अग्रिमों के सम्बन्ध में आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आय अभिज्ञान एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) के मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

5.2 अग्रिमों को विशेष ऋण हानि प्रावधान, अस्थाई प्रावधान, ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावे, पुनर्बट्टाकृत बिल, उचित मूल्य में हुई कमी एवं त्याग किये गये ब्याज से निवल दिखाया गया है।

5.3 अनर्जक आस्तियों पर कतिपय प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलपनपत्र की अनुसूची-5 के 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निवल अनर्जक आस्तियां निकालने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।

5.4 वाद दायर हो चुके खातों में विधिक व्यय को राजस्व व्यय माना जाता है तथा इनमें हुई वसूली को राजस्व व्यय में जमा किया जाता है।

5.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशानुसार लेखों में लिया गया है:-

i) यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है तो इस अंतर राशि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

ii) यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो आधिक्य की राशि को भविष्य में विक्रय की जाने वाली गैर निष्पादित आस्तियों पर कमी या हानि की पूर्ति के लिए पृथक से रखा जाता है।

iii) अपलिखित खातों की बिक्री के मामले में वसूल की गई राशि को लाभ एवं हानि खाते में जमा किया जाता है।

5.6 अग्रिमों की पुनर्रचना/चुकौती-कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी ब्याज के वर्तमान मूल्य और संशोधित करार के अनुसार भावी ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए पुनर्रचना/पुनर्निर्धारण के समय प्रावधान किया गया है।

## 6. अस्थायी प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में अग्रिमों, विनिधानों तथा सामान्य प्रयोजनों के लिए पृथक् रूप में अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु अनुमोदित नीति है, सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में किया जाएगा, इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

## 7. पट्टाकृत आस्तियाँ

7.1 पट्टा आय भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आई.सी.ए.आई.) के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के अनुरूप पट्टे की प्राथमिक अवधि में आन्तरिक प्रतिफल दर से अभिज्ञानित कर लेखित की जाती है।

7.2 ह्रास का प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-14 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर समान दर विधि से किया जाता है। अतिरिक्त पट्टा मूल्यह्रास को लागू दिशा-निर्देशानुसार पट्टा समायोजन खाते के द्वारा पट्टाकृत आस्तियों की लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

7.3 गैर-निष्पादित पट्टाकृत आस्तियों पर प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अग्रिमों पर लागू आईआरएसी के मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

## 8. व्युत्पन्नः

8.1 बैंक तुलनपत्र की /तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्य संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय, परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार निष्पादित करता है, तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो, इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है।

8.2 सभी डेरीवेटिव्स लिखतों को तुलनपत्र में आस्तियों या देयताओं के रूप में शामिल किया गया है और इनकी बाजार के अंकित मूल्य के अनुसार गणना की गई है।

8.3 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है, बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती है जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हो।

## 5. ADVANCES

5.1 Assets Classification and provisioning in respect of Non-Performing Advances is made as per Income Recognition, Asset Classification & Provisioning (IRAC) norms issued by the Reserve Bank of India.

5.2 Advances are net of specific loan loss provisions, floating provision, ECGC claims received, bills rediscounted, provision for diminution in fair value and interest sacrifice.

5.3 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets. These provisions are reflected in Schedule 5 of the balance sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at Net NPAs.

5.4 Legal expenses incurred in respect of suit filed accounts are treated as revenue expenditure and on recovery the same are credited to revenue expenditure.

5.5 The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI :-

i) In case the sale is at a price lower than the Net Book value (NBV), the deficit is charged to Profit & Loss Account.

ii) In case the sale is at price higher than the NBV, the surplus is kept separately for meeting the shortfall/ losses, if any, on future sale of other NPAs.

iii) In case of sale of written off accounts, the amount realized is credited to Profit & Loss account.

5.6 In case of restructuring /rescheduling of advances, erosion in the fair value of advances is provided on the basis of present values computed in the manner prescribed by the RBI.

## 6. FLOATING PROVISION

In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created would be assessed at the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

## 7. LEASED ASSETS

7.1 Lease income is recognised based on the internal rate of return method over the primary period of the leased assets and accounted for in accordance with guideline/Accounting Standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

7.2 Depreciation is provided on Straight Line Method at rates prescribed under Schedule-XIV of the Companies Act 1956. Extra lease depreciation, in accordance with the applicable guidelines, is adjusted against the cost of Lease assets through lease equalization account.

7.3 Provision for Non-Performing leased assets is made on the basis of IRAC norms applicable to advances, as per RBI guidelines.

## 8. DERIVATIVES

8.1 Derivative contracts, such as foreign currency options, interest rate swaps, currency swaps, cross currency interest rate swaps and forward rate agreements are entered, in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of the underlying assets and accounted in accordance with the principles of hedge accounting.

8.2 All derivative instruments are recognized as assets or liabilities in the balance sheet and measured at marked to market.

8.3 Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying Assets / Liabilities are also marked to market.

8.4 सिवाय उपर्युक्त के, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार मूल्य के अनुसार अंकित की गई हैं, बाजार मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किये गए हैं।

8.5 संदत्त या प्राप्त प्रिमियम विकल्प, विकल्प की अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए विकल्पों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर विकल्पों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

## 9. स्थिर आस्तियाँ

9.1 स्थिर आस्तियों का संचित मूल्य ह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है

9.2 परिसर में पट्टाकृत सम्पत्तियों के साथ-साथ पूर्ण स्वामित्व वाली सम्पत्तियां सम्मिलित हैं।

9.3 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थल की तैयारी, संस्थापन लागत और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई फीस शामिल है। तद्नुसार उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गये अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ अथवा इन आस्तियों की व्यवहारिक क्षमता को बढाते हैं ।

9.4 स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान निम्न प्रकार से किया गया है:-

| | | |
|---|---|---|
| i | कम्प्यूटर एंव ए.टी.एम. पर | : समान दर विधि के अनुसार 33.33% की दर से प्रतिवर्ष |
| ii | कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अविभाज्य भाग नहीं है | : 100% की दर से अधिग्रहित वर्ष में |
| iii | पटाकृत भूमि एवं भवन पर | : पट्टे की अवधि के अनुसार परिशोधित |
| iv | सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अविभाज्य भाग है, समेत शेष आस्तियों पर | : आयकर नियम, 1962 में निर्धारित दरों एवं प्रावधानों के अनुसार ह्रासमान तुलनविधि से |

9.5 जहाँ कहीं भूमि एवं भवन का मूल्य अलग-अलग पहचान योग्य नहीं है, वहाँ परिसर पर मूल्य ह्रास का प्रावधान समिश्र लागत पर किया जाता है।

9.6 वर्ष के दौरान बिक्री/निस्तारित की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया जाता है।

9.7 पूँजीगत कार्य प्रगति पर, में आस्ति क्रय के लिए किया गया अग्रिम भुगतान सम्मिलित है।

## 10. आस्तियों की अपसामान्यता

लेखा मानक-28 के अनुसार जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों को अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है, धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है, यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रानीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

## 11. कर्मचारी लाभ

### 11.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ की अघोषित राशि यथा चिकित्सा लाभ, आकस्मिक अवकाश इत्यादि जो कि कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवाओं के बदले में भुगतान की जाती है, को इस अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कारण अभिज्ञानित किया गया हैं।

8.4 Except as mentioned above, all other derivative contracts are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry. In respect of derivative contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account in the period of change.

8.5 Option premium paid or received is recorded in profit and loss account at the expiry of the option. The Balance in the premium received on options sold and premium paid on options bought have been considered to arrive at Marked to Market value for forex Over the Counter options.

## 9. FIXED ASSETS

9.1 Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation.

9.2 Premises include freehold as well as leasehold properties.

9.3 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

9.4 Depreciation on Fixed Assets is provided as under :-

| | | |
|---|---|---|
| i | On Computers & ATM | Straight Line Method @ 33.33%. every year |
| ii | On Computer Software not forming integral part of hardware | @ 100%, in the year of acquisition. |
| iii | Leasehold land and Building | Amortised as per the life of the lease. |
| iv | On rest of the assets including Software forming integral part of hardware | On diminishing balance method at the rates and in the manner prescribed under Income Tax Rules 1962 |

9.5 Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and building is not separately identifiable.

9.6 No depreciation is provided on assets sold/disposed off during the year.

9.7 Capital Work in Progress also includes advance payment for purchase of assets.

## 10. IMPAIRMENT OF ASSETS

As per Accounting Standard – 28, Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

## 11. EMPLOYEE BENEFITS

### 11.1 Short Term Employee Benefit:

The undisclosed amount of short term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by the employees are recognized during the period when the employee renders the service.

## 11.2 नियोजनोत्तर लाभ योजनायें

### i) निर्धारित लाभ योजना

बैंक अपने समस्त पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना संचालित करता हैं। बैंक ने उन कर्मचारियों के लिए जिन्होने पेंशन विकल्प नहीं दिया हैं, के लिए अपना मासिक अंशदान एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के मूल वेतन एवं देय योग्य भत्ते का 10%) का योगदान करता है। अंशदान की राशि को इस उद्देश्य के लिए स्थापित अनुमोदित ट्रस्ट को हस्तांतरित किया जाता है एवं जिसे लाभ हानि खाते के नामे किया जाता है।

बैंक उपदान एवं पेंशन योजनाओं का संचालन करता है जो निर्धारित लाभ योजनाए हैं।

बैंक समस्त पात्र कर्मचारियों के लिए उपदान राशि का प्रावधान करता हैं। उपदान राशि जो उपदान अधिनियम, 1972 के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्रदत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के योग्य वेतन के बराबर अधिकतम ₹ 10,00,000/- भुगतान की जाती है जब तक कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, (कर्मचारियों को उपदान राशि भुगतान) विनियम, 1970 के अधीन अधिक न हो। इसके लिए बैंक द्वारा वार्षिक अंशदान जो प्रत्येक वर्ष एक स्वतंत्र बाहरी एक्चुरियल मूल्यांकन पर आधारित होता है, को एक निधि को अन्तरित किया जाता है जिसका संचालन न्यासियों द्वारा किया जाता है।

बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अनुसार समस्त पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। यह लाभ पात्र कर्मचारियों का मासिक पेंशन के रूप में होता है। इसके लिए बैंक, न्यासियों द्वारा नियंत्रित एक कोष में प्रतिवर्ष बाह्य एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक अंशदान करता है।

निर्धारित लाभों को प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को एक्चुरियल मूल्यांकन के तहत प्रॉजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड (एएस-15 के तहत अनुशंसित मेथड) द्वारा किया जाता है।

लाभ/हानि को लाभ एवं हानि विवरणी में अभिज्ञानित किया जाता है एवं आस्थगित नहीं किया जाता।

### ii) परिभाषित अंशदान योजनाएं

बैंक द्वारा 1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आये सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) परिचालित की गई है, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, बैंक की सेवा में आनेवाले ऐसे नए अधिकारी/कर्मचारी विद्यमान एस.बी.बी.जे. पेंशन योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं। इस विस्तृत योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक, इस योजना के अंतर्गत आनेवाले कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत इस योजना में अंशदान करते हैं और साथ में उतना ही अंशदान बैंक से किया जाता है। ये अंशदान बैंक में जमा के रूप में रखा जाता है और उसी दर से ब्याज अर्जित करते हैं जो भविष्य निधि शेष के चालू खाते के लिए लागू हैं। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों एवं ब्याज को उसी वर्ष में एक व्यय के रूप में अभिज्ञानित करता है जिससे वे संबंधित होते हैं।

### iii) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक के समस्त पात्र कर्मचारी क्षतिपूरित अनुपस्थित, यात्रा रियायत अवकाश, सेवानिवृत्ति पारितोष एवं रिसेटलमेंट भत्तों के लिए पात्र हैं। ऐसे दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की लागत बैंक द्वारा आन्तरिक निधिक की जाती है।

अन्य दीर्घकालीन लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को मूल्यांकक द्वारा प्रक्षेपित इकाई साख विधि से मूल्यांकन कर किया जाता है।गत सेवा लागत को आस्थगित न कर लाभ हानि खाता विवरणी में अभिज्ञानित किया जाता है।

## 12. प्रति शेयर आय

12.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-20 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है, प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

12.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया हो तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आयेगी।

12.3 तनुकृत प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और संम्भाव्य इक्विटी शेयरो के द्वारा की जाती है।

## 13. आय पर कर

13.1 आयकर व्यय के अन्तर्गत वर्तमान कर, आस्थगित कर एवं धन कर की कुल राशि है। वर्तमान वर्ष के करों का निर्धारण प्रचलित कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर किया गया है। वर्ष के दौरान आस्थगित कर समायोजनों में, आस्थगित आस्तियां अथवा दायित्वों में परिवर्तन समाविष्ट है।

**11.2 Post Employment Benefits:**

**i) Defined Benefit Plan**

The Bank operates a Provident Fund scheme for its all eligible employees. The Bank contributes monthly its contribution for the employees who have not opted for pension, at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to an approved trust established for this purpose and are charged to Profit & Loss Account.

The Bank operates gratuity and pension schemes, which are defined benefits plans.

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The gratuity, an amount equivalent of 15 days eligible salary payable for each completed year of service, is paid subject to a maximum amount of ₹10,00,000/- as per Gratuity Act, 1972 unless the same is higher in terms of the State Bank of Bikaner & Jaipur (Payment of Gratuity to Employees ) Regulation, 1970. The Bank makes annual contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

The Bank provides for pension to all eligible employees as per the State Bank of Bikaner & Jaipur (Employees') Pension Regulation, 1995. The benefit is in form of monthly pension to eligible employees. The Bank makes annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method (recommended method under AS-15), with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date.

Gains/ losses are recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

**ii) Defined Contribution Plans**

The bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing SBBJ Pension Scheme. Pending finalisation of the detailed scheme, the employees covered under the scheme contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. These contributions are retained as deposits in the bank and earn interest at the same rate as that of the current account of Provident Fund balance. The bank recognises such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.

**iii) Other Long Term Employee benefits:**

All eligible employees of the bank are eligible for compensated absences, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the bank.

The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

## 12. EARNINGS PER SHARE

12.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 'Earnings per Share ' issued by the ICAI . Basic earnings per share are computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

12.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year.

12.3 Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and diluted potential equity shares outstanding at year end.

## 13. TAXES ON INCOME

13.1 Income Tax expense is the aggregate amount of current tax, deferred tax and wealth tax. Current year taxes are determined in accordance with the prevailing tax rates and tax laws. Deferred tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year.

13.2 आस्थगित कर आस्तियों और दायित्वों को विवेक सम्मत आधार पर सम्पत्तियों एवं दायित्वों के वहनीय मूल्यों और उनसे सबंधित कर आधार एवं अगले लाभों से घाटापूर्ति के बीच समय अन्तरालों के भावी कर परिणामों हेतु अभिज्ञानित किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों तथा दायित्वों का मापन कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर किया गया है जो कि तुलन पत्र की तिथि से पूर्व अधिनियमित अथवा अनुवर्ती अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तनों का प्रभाव लाभ-हानि खाते में अभिज्ञानित किया जाता है।

13.3 आस्थगित कर आस्तियां एएस-22 एवं प्रबन्धन के निर्णय के आधार पर यदि वसूली निश्चिय मानी गई हो, तो प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि को निर्धारित एवं पुन: मूल्यांकित की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल तभी अभिज्ञानित किया जाता है यदि सही मायने में यह सम्भव हो, कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली भावी कर योग्य आय से की जा सकेगी।

13.4 कटौती का लाभ प्राप्त करने के लिये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) में दिये प्रावधानों के अन्तर्गत विशेष आरक्षित खाता बनाया गया है। बैंक द्वारा इस विशेष आरक्षित खाते से कोई आहरण नहीं करने का निर्णय लिया गया है। यह विशेष आरक्षित खाता अप्रत्यावर्तन के स्वभाव का होगा तथा इस प्रकार यह स्थायी आधार पर होगा अत: इस पर आस्थागत कर दायित्व नहीं बनाया जायेगा।

## 14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आस्तियाँ

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ'', में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का अभिज्ञान नहीं किया गया है:

i) पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी अथवा

ii) किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योकि

अ यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ब. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

iii) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि आय के निर्धारण पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, जबकि इसकी वसूली नहीं की जा सकती।

## 15. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ नकदी एवं एटीएम में नकदी तथा धारित स्वर्ण, भारतीय रिज़र्व बैंक, अन्य बैंकों के साथ जमायें एवं मांग पर देय व अल्प सूचना पर प्राप्य धन शामिल है।

## 16. निवल लाभ एवं आकस्मिकता निधि

(अ) निवल लाभ की गणना निम्नानुसार प्रावधान एवं आकस्मिकताएं करने के पश्चात की गई है:-

i) निवेशों पर मूल्यहास

ii) आयकर एवं सम्पदा कर हेतु प्रावधान

iii) ऋण हानियों हेतु प्रावधान

iv) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान एवं

v) अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधानों और आकस्मिकताओं में अन्तरण

(ब) आकस्मिक निधियों को तुलन पत्र में अनुसूची-5 में "अन्य दायित्वों एवं प्रावधानों" शीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकृत/समूहित किया गया है।

13.2 Deferred tax assets and liabilities are recognised on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax basis and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or subsequently enacted prior to the balance sheet date. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

13.3 Deferred tax assets are recognized and reassessed at each reporting date, in accordance with AS -22 and based upon management's judgment as to whether realisation is considered certain. Deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

13.4 Special Reserve Account has been created under section 36 (i) (viii) of the Income Tax, 1961 from the Financial Year 2011-12, to avail the deduction. Bank has decided that it has no intention to make withdrawal from such Special Reserve created and maintained. Further such special reserve is in the nature of non-reversible and thus becomes a permanent difference and accordingly no deferred tax liability is created

## 14. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

14.1 In conformity with AS 29, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

14.2 No provision is recognized for:

i) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

ii) Any present obligation that arises from past events but is not recognized because

a) it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

b) a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

iii) Contingent Assets are not recognized in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realised.

## 15. CASH & CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash on hand and in ATM’s, and gold in hand, balances with RBI, balances with other banks, and money at call and short notice.

## 16. NET PROFIT AND CONTINGENCY FUND

a) Net Profit is arrived at after accounting for the following "Provisions and Contingencies".

i) Depreciation on Investments

ii) Provision for Income Tax and Wealth Tax

iii) Provision for Loan Losses

iv) Provision for Standard Assets and

v) Other usual and necessary provisions and transfer to contingencies.

b) Configerency funds are grouped in Schedule-5 of the Balance sheet under the head "other Liabilities and Provision"

## अनुसूची 18

### टिप्पणियाँ, जो कि तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते का संरूपित भाग है:

1. तत्काल सकल निपटान (आर.टी.जी.एस)/रेपो/सी.बी.एल.ओ. लेनेदेन के लिए ₹4940.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2720.00 करोड़) के विनिधान भारतीय रिज़र्व बैंक/क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इडिंया के पास मार्जिन के रूप में रखे गये हैं।

2. (अ) परिसरों के सम्बन्ध में, जिनका सकल मूल्य ₹0.42 करोड़ (गत वर्ष ₹0.42 करोड़) है, के मामले में नियत कानूनी औपचारकताओं के पूरा न होने के कारण, स्वत्वाधिकार विलेखों का बैंक के पक्ष में निष्पादन/पंजीयन होना अब तक शेष है।

   (ब) स्थिर आस्तियां: स्थिर आस्तियों का सकल मूल्य (परिसर के अलावा) ₹70.63 करोड़ (गत वर्ष ₹64.25 करोड़) यह राशि बैंक के 10 प्रतिशत हिस्से का भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य सहयोगी बैंकों के संयुक्त स्वामित्व राशि ₹706.47 करोड़ (गत वर्ष ₹642.62 करोड़) का प्रतिनिधित्व करती है।

3. पुनसंचरित/पुन:निर्धारित अग्रिमों पर त्याग की राशि की व्यवस्था हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी हेतु ₹36.13 करोड़ की (पिछले वर्ष ₹ 43.19 करोड़) की व्यवस्था की गयी है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार कृषि ऋण छूट व ऋण राहत योजना 2008 के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्न है:-

   (अ) बैंक ने ₹ 14.00 करोड़ ऋण माफी के तथा ₹ 22.63 करोड़ ऋण राहत योजना के लिए भारत सरकार से अन्तिम दावा पेश किया था। वर्ष के दौरान सम्पूर्ण दावा राशि ₹ 36.63 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हो गई है।

   (ब) ऋण माफी तथा ऋण राहत योजनान्तर्गत शेष दावा राशि पर भारत सरकार से प्राप्त ब्याज की राशि ₹ 38.50 करोड़ को जो कि 16.12.2008 से 28.01.2012 की अवधि तक थी, को वर्ष के दौरान आय के रूप में चिन्हित किया गया है।

5. बैक की टियर-1 पूंजी में बढ़ोतरी हेतु वर्तमान शेयर धारकों को प्रति 5 शेयर पर 2 शेयर के अनुपात में 2,00,00,000 इक्विटी शेयर ₹390/- प्रति शेयर की दर पर, जिसमें ₹ 380/- प्रीमियम शामिल है, कुल ₹ 780 करोड़ का राईट्स ईश्यू जारी किया गया। परिणाम स्वरूप बैंक की पूंजी व अंश प्रीमियम खातों में क्रमश: ₹ 20 करोड़ व ₹ 760 करोड़ की वृद्धि हुई है।

6. निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ₹145% यथा ₹14.50 प्रति शेयर (शेयर अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर) अन्तरिम लाभांश की घोषणा की गई है।

7. **अविलीनीकृत पेंशन एवं उपदान दायित्व**

   वित्तीय वर्ष 2010-11 मे बैंक द्वारा ₹384.45 करोड़ का दायित्व, जो पेंशन विकल्प पुन: खोलने से (₹234.45 करोड़) व उपदान सीमा में वृद्धि से (₹150.00 करोड़) था, वहन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी/बीपी/बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के दिशानिर्देशानुसार बैंक ने उपरोक्त दायित्व को वर्ष 2010-11 से 5 वर्ष मे विलीन करने का निश्चय किया है। तदानुसार ₹76.89 करोड़ (जो ₹384.45 करोड़ का 1/5 वा हिस्सा है) चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के लाभ हानि खाते में नामे किया गया है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

| विवरण | मूल दायित्व | पिछला शेष आगे लाया गया | वर्ष के दौरान विलीन किया गया | शेष अग्रेषित किया गया |
|---|---|---|---|---|
| पेंशन | 234.45 | 187.56 | 46.89 | 140.67 |
| उपदान | 150.00 | 120.00 | 30.00 | 90.00 |
| कुल | 384.45 | 307.56 | 76.89 | 230.67 |

## SCHEDULE 18

### NOTES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT

1. Investments amounting to ₹ 4940.00 crores (previous year ₹ 2720.00 crores) are kept as margin with the Reserve Bank of India/Clearing Corporation of India Limited towards Real Time Gross Settlement (RTGS)/REPO/CBLO transactions.
2. (a) In respect of premises having gross value of ₹ 0.42 crore (Previous year: ₹ 0.42 crore) pending completion of certain legal formalities/ procedural actions, title deeds are yet to be executed/ registered in favour of the Bank.
   (b) Fixed Assets : Gross Value of fixed assets ( other than premises) includes ₹ 70.63 crores (previous year ₹. 64.25 crores ) representing 10% of Bank's share jointly owned by State Bank of India and other Associate Bank's amounts to ₹ 706.47 Crores (previous year ₹. 642.62 crores)
3. In terms of the RBI guidelines on provision for the sacrifice amount on restructured / rescheduled advances, erosion in fair value of advances has been provided amounting to ₹ 36.13 crores (previous year ₹ 43.19 crores).
4. Pursuant to the guidelines of the RBI in respect of Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008 :
   a) The bank has made a final claim from the Government of India for ₹ 14.00 Crores towards waiver of Debts and ₹ 22.63 Crores towards Debt Relief. The entire amount ₹ 36.63 crores is received from Government of India during the year.
   b) A sum of ₹ 38.50 Crore toward Interest from the Government of India in respect of balance amount of claims towards debt waiver and debt relief for the period 16.12.2008 to 28.01.2012 received and taken as a income during the year.
5. To augment Tier I Capital of Bank, a right issue of 2,00,00,000 equity shares at a price of ₹ 390/- per share including a premium of ₹ 380/- aggregating ₹ 780.00 crore to the existing share holders on right basis in the ratio of 2 right equity shares for every 5 equity shares was issued. Consequently, the Capital and Share Premium Account of the Bank has been increased by ₹ 20 crores and ₹ 760 crores respectively.
6. The Board of Directors have declared an interim dividend of 145% i.e. ₹ 14.50 per share ( face value of share ₹ 10/- per share) during the FY 2011-12.
7. **Unamortised Pension and Gratuity Liabilities**

   During the FY 2010-11, the Bank has incurred a liability amounting ₹ 384.45 Crores on account of reopening of pension option ₹ 234.45 Crores and enhancement of Gratuity Ceiling ₹ 150.00 crores. The Bank has amortised the said liability over a period of five years commencing from FY 2010-11 in terms of RBI circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 9th February 2011. Accordingly, ₹ 76.89 Crores (Representing one fifth of ₹ 384.45 Crores) has been charged to Profit & Loss Account during the current FY 2011-12. The detailed break-up is as under:-

(₹ in Crores)

| Particulars | Original Liability | Balance Brought Forward | Amortized during the year | Balance Carried Forward |
|---|---|---|---|---|
| Pension | 234.45 | 187.56 | 46.89 | 140.67 |
| Gratuity | 150.00 | 120.00 | 30.00 | 90.00 |
| Total | 384.45 | 307.56 | 76.89 | 230.67 |

## भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार आवश्यक प्रकटीकरण

### 8. पूंजी

### (अ) पूंजी पर्याप्तता अनुपात

| | विवरण | बासेल-I | | बासेल-II | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **चालू वर्ष** | पिछला वर्ष | **चालू वर्ष** | पिछला वर्ष |
| i. | सीआरएआर (%) | **12.81%** | 11.32% | **13.76%** | 11.68% |
| ii. | सीआरएआर-टियर I पूंजी (%) | **9.09%** | 7.68% | **9.76%** | 7.92% |
| iii. | सीआरएआर - टियर II पूंजी (%) | **3.72%** | 3.64% | **4.00%** | 3.76% |

### (ब) अंशधारिता

(करोड़ ₹ में)

| | विवरण | **चालू वर्ष** | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| i. | (क) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत | **शून्य** | शून्य |
| | (ख) भारतीय स्टेट बैंक की शेयरधारिता का प्रतिशत | **75.07%** | 75.00% |
| ii. | आई.पी.डी.आई. की राशि | **200.00** | 200.00 |
| iii. | लोअर टियर-II पूंजी के रूप में गौण ऋण की राशि | **1100*** | 800.00 |
| iv. | अपर टियर-II बंधपत्र की राशि | **450.00** | 450.00 |

* वर्ष के दौरान जुटाये गये ₹ 500.00 करोड़ सहित

### 9. विनिवेश

(करोड़ ₹ में)

| | विवरण | **चालू वर्ष** | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| **(1)** | **निवेशों का मूल्य** | | |
| | **i. निवेशों का सकल मूल्य** | **16692.61** | 13542.00 |
| | (क) भारत में | **16692.61** | 13542.00 |
| | (ख) भारत के बाहर | **शून्य** | शून्य |
| | **ii. मूल्यह्रास के लिए प्रावधान** | **23.13** | 21.29 |
| | (क) भारत में | **23.13** | 21.29 |
| | (ख) भारत के बाहर | **शून्य** | शून्य |
| | **iii. निवेशों का निवल मूल्य** | **16669.48** | 13520.71 |
| | (क) भारत में | **16669.48** | 13520.71 |
| | (ख) भारत के बाहर | **शून्य** | शून्य |
| **(2)** | **निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का उतार-चढ़ाव** | | |
| | i. अथ शेष | **21.29** | 20.50 |
| | ii. जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान | **23.51** | 3.67 |
| | iii. घटायें : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये/प्रतिलेखन किये अतिरिक्त प्रावधान | **21.67** | 2.88 |
| | iv. इति शेष | **23.13** | 21.29 |

### 10. रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य के रूप में)

(करोड़ ₹ में)

| | | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| **रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां** | | | | | |
| (1) | सरकारी प्रतिभूतियां | 10.00 | 20.00 | 0.11 | शून्य |
| (2) | कम्पनी ऋण प्रतिभूतियां | - | - | - | - |
| **रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां** | | | | | |
| (1) | सरकारी प्रतिभूतियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | शून्य |
| (2) | कम्पनी ऋण प्रतिभूतियां | - | - | - | - |

## DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

### 8. CAPITAL

**(a) Capital adequacy ratio:**

| | Particulars | Basel-I | | Basel-II | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Current Year** | Previous Year | **Current Year** | Previous Year |
| i. | CRAR (%) | **12.81%** | 11.32% | **13.76%** | 11.68% |
| ii. | CRAR – Tier- I capital (%) | **9.09%** | 7.68% | **9.76%** | 7.92% |
| iii. | CRAR – Tier- II capital (%) | **3.72%** | 3.64% | **4.00%** | 3.76% |

**(b) Share holding** (₹ in crore)

| | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| i. | (A) Percentage of the shareholding of the Government of India | **Nil** | Nil |
| | (B) Percentage of the shareholding of State Bank of India | **75.07%** | 75.00% |
| ii. | Amount of IPDI | **200.00** | 200.00 |
| iii. | Amount of subordinated debt as Lower Tier-II capital | **1100*** | 800.00 |
| iv. | Amount of Upper Tier - II Instruments | **450.00** | 450.00 |

***** Including amount of ₹ 500.00 Crores raised during the Year

### 9. INVESTMENTS

(₹ in crore)

| | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| **(1)** | **Value of Investments** | | |
| | **i. Gross Value of Investments** | **16692.61** | 13542.00 |
| | a) In India | **16692.61** | 13542.00 |
| | b) Outside India | **NIL** | NIL |
| | **ii. Provisions for Depreciation** | **23.13** | 21.29 |
| | a) In India | **23.13** | 21.29 |
| | b) Outside India | **NIL** | NIL |
| | **iii. Net Value of Investments** | **16669.48** | 13520.71 |
| | a) In India | **16669.48** | 13520.71 |
| | b) Outside India | **NIL** | NIL |
| **(2)** | **Movement of provisions held towards depreciation on investments.** | | |
| | i. Opening balance | **21.29** | 20.50 |
| | ii. Add: Provisions made during the year | **23.51** | 3.67 |
| | iii. Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year | **21.67** | 2.88 |
| | iv. Closing balance | **23.13** | 21.29 |

### 10. REPO TRANSACTIONS ( In face value terms)

(₹ in crore)

| | | Minimum outstanding during the year | Maximum outstanding during the year | Daily Average outstanding during the year | As on March 31, 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Securities sold under repos | | | | | |
| (1) | Government Securities | 10.00 | 20.00 | 0.11 | NIL |
| (2) | Corporate Debt Securities | - | - | - | - |
| Securities purchased under reverse repos | | | | | |
| (1) | Government Securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NIL |
| (2) | Corporate Debt Securities | - | - | - | - |

## 11. गैर एसएलआर विनिवेशों का संविभाग

### i) गैर एसएलआर विनिवेशों का निर्गमकर्ता संघटन

(करोड़ ₹ में)

| क्र. सं. | निर्गमकर्ता | राशि | निजी नियोजन का विस्तार | 'निवेश श्रेणी से नीचे' प्रतिभूतियो का विस्तार | 'अनिर्धारित' प्रतिभूतियों का विस्तार | ''गैर सूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों का विस्तार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| i | सरकारी क्षेत्र के उपक्रम | 43.87 | 0.00 | 0.00 | 18.81 | 0.00 |
| ii | वित्तीय संस्थाएं | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii | बैंक | 52.99 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iv | निजी कॉर्पोरेट | 32.33 | 32.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| v | सहायक संस्थाएं/संयुक्त उपक्रम | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 13.78 |
| vi | अन्य | 330.81 | 281.64 | 0.00 | 0.00 | 61.61 |
| | **उप योग** | **499.62** | **352.58** | **0.00** | **0.00** | **75.39** |
| vii | मूल्यह्रास के संबंध में धारित प्रावधान | 14.83 | x | x | x | x |
| | **योग** | **484.79** | **x** | **x** | **x** | **x** |

### ii) अनर्जक गैर एसएलआर विनिवेश

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | राशि |
|---|---|
| प्रारंभिक शेष 01.04.2011 को | **0.00** |
| 1 अप्रैल 2011 से वर्ष के दौरान परिवर्धन | **12.55** |
| उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी | **0.00** |
| इतिशेष 31.03.2012 का | **12.55** |
| कुल धारित प्रावधान | **12.55** |

**iii)** "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी की प्रतिभूतियों को/ से स्थानान्तरित तथा विक्रय की गई राशि, वर्ष के प्रारंभ में "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी की प्रतिभूतियों में विनिवेश के पुस्तक मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

## 12. व्युत्पन्न

### गुणात्मक प्रकटीकरण:

अ. बैंक के पास व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन हेतु अग्र, मध्य एवं बैक-ऑफिस की स्पष्ट भूमिका के साथ पूर्ण परिभाषित संरचना एवं संगठन है।

ब. जोखिम माप एवं अनुवर्तन हेतु एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग, समय-समय पर बकाया वायदा संविदा का अनुवर्तन करता है एवं उच्च बीस ऋणी खातों के बकाया वायदा संविदा को उपयोगकर्ता विभाग को सूचित करता है।

स. बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न एवं अग्रिम दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप में कोई दायित्व/वचन बद्ध नहीं करता है।

द. बैंक स्वयं के खाते में व्युत्पन्न संव्यवहार में कोई व्यापार नहीं करता है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अपने घटकों के लिए तुलन पत्र/तुलन पत्र इत्तर आस्तियों/दायित्वों के बचाव हेतु प्रतिपक्ष के साथ आगामी वायदा संविदा करता है।

य. इस तरह दर्ज किए गए वायदा संविदा, प्रतिपक्ष से पृष्ठाधान/दुतरफा संरक्षित होते है।

र. सभी बकाया वायदा संविदाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बाजार दर पर मूल्यांकित किया जाता है और तुलन पत्र में आकस्मिक दायित्व के रूप में दिखाया जाता है।

### परिमाणात्मक प्रकटीकरण

### ( वायदा संविदा घटकों के आधार पर दर्ज किये जाते हैं )

| क्र.सं. | विवरण | मुद्रा व्युत्पन्न | ब्याज दर व्युत्पन्न |
|---|---|---|---|
| **(i)** | **व्युत्पन्न ( अनुमानिक मूल मूल्य )** | | |
| | अ. प्रतिरक्षा हेतु | 6807.18 | शून्य |
| | ब. व्यापार हेतु | शून्य | शून्य |

## 11. Non- SLR Investment Portfolio

### i) Issuer composition of Non- SLR Investments

(₹ in crore)

| S.No. | Issuer | Amount | Extent of private placement | Extent of 'below investment grade' securities | Extent of 'unrated' securities | Extent of 'unlisted' securities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| i | PSUs | 43.87 | 0.00 | 0.00 | 18.81 | 0.00 |
| ii | FIs | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii | Banks | 52.99 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iv | Private Corporates | 32.33 | 32.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| v | Subsidiaries/Joint Ventures | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 13.78 |
| vi | Others | 330.81 | 281.64 | 0.00 | 0.00 | 61.61 |
| | **Sub Total** | **499.62** | **352.58** | **0.00** | **0.00** | **75.39** |
| vii | Provision held towards depreciation | 14.83 | x | x | x | x |
| | **Total** | **484.79** | **x** | **x** | **x** | **x** |

### ii) Non-performing Non-SLR Investment

(₹ in crore)

| Particulars | Amount |
|---|---|
| Opening balance as on 01.04.2011 | **0.00** |
| Additions during the year since 1st April 2011 | **12.55** |
| Reductions during the above period | **0.00** |
| Closing balance as on 31.03.2012 | **12.55** |
| Total provisions held | **12.55** |

iii) The value of sales and transfer of securities to/from HTM category does not exceeds 5% of the book value of Investments held in HTM category at the beginning of the year.

## 12. Derivatives

### Qualitative Disclosure

a. The Bank has well defined structure and organization for management of risk in derivatives, with clear role of Front, Mid and Back office for Risk Management.

b. For risk measurement and monitoring, Integrated Risk Management Department is periodically monitoring risk on account of outstanding forward contracts and outstanding forward contracts of top 20 borrower account is advised to the user department.

c. Bank is not undertaking Exchange Traded Interest Rate Derivatives and Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swaps

d. Bank is not undertaking any trading in derivative transaction in its own account. The Bank undertakes Forward contracts with counter parties only on behalf of its constituents in order to hedge their on balance-sheet/ off-balance-sheet assets and liabilities as per the RBI directives.

e. Forward contracts so booked are covered back to back with counter parties.

f. All outstanding forward contracts are marked to market as per the RBI directives and are shown in the balance-sheet as contingent liabilities.

### Quantitative Disclosure

**(Forward Contracts booked on behalf of constituents)**

(₹ in crore)

| S. No. | Particular | Currency Derivative | Interest rate Derivative |
|---|---|---|---|
| **(i)** | **Derivative (Notional Principal Value)** | | |
| | a) For hedging | 6807.18 | NIL |
| | b) For Trading | NIL | NIL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(ii)** | **बाजार मूल्य पर अंकित** | | |
| | अ. आस्तियां | 3722.74 | शून्य |
| | ब. दायित्व | 3184.79 | शून्य |
| **(iii)** | **साख विनिधान** | 71.25 | शून्य |
| **(iv)** | **ब्याज दर में 1% परिवर्तन का सम्भाव्य प्रभाव** ( 100*PV01 ) | | |
| | अ. प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर | शून्य | शून्य |
| | ब. व्यापार व्युत्पन्न पर | शून्य | शून्य |
| **(v)** | **100*PV01 का वर्ष के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम टिप्पण** | | |
| | अ. प्रतिरक्षा पर | शून्य | शून्य |
| | ब. व्यापार पर | शून्य | शून्य |

## 13. आस्ति गुणवत्ता

**i) अनर्जक आस्ति**

(करोड़ ₹ में)

| | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| (i) | **निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्ति ( % )** | **1.92%** | 0.83% |
| (ii) | **अनर्जक आस्तियों ( सकल ) का उतार-चढ़ाव** | | |
| | (क) अथ शेष | **835.40** | 611.85 |
| | (ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (नई अनर्जक आस्तियां) | **1571.93** | 616.71 |
| | (ग) **उप योग ( क+ख )** | **2407.33** | 1228.56 |
| | (घ) वर्ष के दौरान कमी | | |
| | i. उन्नयन | **253.32** | 74.21 |
| | ii. वसूली (उन्नयन खातो से वसूली को छोड़कर) | **227.45** | 153.19 |
| | iii. अपलेखन | **275.09** | 165.76 |
| | **उप योग ( घ )** | **755.86** | 393.16 |
| | (च) **इति शेष ( ग-घ )** | **1651.47** | 835.40 |
| (iii) | **निवल अनर्जक आस्तियों का उतार-चढ़ाव** | | |
| | (क) अथ शेष | **341.33** | 270.18 |
| | (ख) वर्ष के दौरान वृद्धि | **1334.13** | 413.69 |
| | (ग) **उप योग ( क+ख )** | **1675.46** | 683.87 |
| | (घ) वर्ष के दौरान कमी | | |
| | i. उन्नयन | **234.74** | 60.88 |
| | ii. वसूली (उन्नयन खातों से वसूली को छोड़कर) | **220.22** | 115.90 |
| | iii. अपलेखन | **275.09** | 165.76 |
| | **उप योग ( क + ख )** | **730.05** | 342.54 |
| | (च) **इति शेष ( ग-घ )** | **945.41** | 341.33 |
| (iv) | **अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव** (मानक आस्तियों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर) चल प्रावधानों को सम्मिलित कर (जैसा कि नोट संख्या 22 में बताया गया है) | | |
| | (क) अथ शेष | **494.07** | 338.24 |
| | (ख) वर्ष दौरान किए गए प्रावधान | **486.07** | 301.24 |
| | (ग) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन/समायोजन | **275.09** | 145.41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(ii)** | **Marked to Market** | | | |
| | a) | Assets | 3722.74 | NIL |
| | b) | Liabilities | 3184.79 | NIL |
| **(iii)** | **Credit Exposure** | | 71.25 | NIL |
| **(iv)** | **Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)** | | | |
| | a) | on hedging derivatives | NIL | NIL |
| | b) | on trading derivatives | NIL | NIL |
| **(v)** | **Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year** | | | |
| | a) | on hedging | NIL | NIL |
| | b) | on trading | NIL | NIL |

## 13. Asset Quality

### i) Non-Performing Asset

(₹ in crore)

| | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| (i) | Net NPAs to Net Advances (%) | **1.92%** | 0.83% |
| (ii) | Movement of Gross NPAs | | |
| | a. Opening balance | **835.40** | 611.85 |
| | b. Additions (Fresh NPA) during the year | **1571.93** | 616.71 |
| | c. **Sub-total (a+b)** | **2407.33** | 1228.56 |
| | d. Reductions during the year by way of : | | |
| | i. Up gradations | **253.32** | 74.21 |
| | ii. Recoveries (exc. Recoveries made from upgraded A/c) | **227.45** | 153.19 |
| | iii. Write- off | **275.09** | 165.76 |
| | **Sub-total (d)** | **755.86** | 393.16 |
| | e. **Closing balance (c-d)** | **1651.47** | 835.40 |
| (iii) | Movement of Net NPAs | | |
| | a. Opening balance | **341.33** | 270.18 |
| | b. Additions during the year | **1334.13** | 413.69 |
| | c. **Sub-total (a+b)** | **1675.46** | 683.87 |
| | d. Reductions during the year by way of : | | |
| | i. Up gradations | **234.74** | 60.88 |
| | ii. Recoveries (exc. Recoveries made from upgraded A/c) | **220.22** | 115.90 |
| | iii. Write- off | **275.09** | 165.76 |
| | **Sub-total (d)** | **730.05** | 342.54 |
| | e. **Closing balance (c-d)** | **945.41** | 341.33 |
| (iv) | Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets) including floating provision (as stated in Note No.22) | | |
| | a. Opening balance | **494.07** | 338.24 |
| | b. Provisions made during the year | **486.07** | 301.24 |
| | c. Write-off/write back/adjustment of excess provisions | **275.09** | 145.41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (घ) | कृषि ऋण माफी तथा राहत योजना में शामिल मानक खातो हेतु प्रावधान | **0.00** | 15.41 |
| (च) | कृषि ऋण माफी तथा राहत योजना में शामिल मानक खातो के अपलेखन हेतु प्रावधान का उपयोग | **0.00** | -15.41 |
| (छ) | **इतिशेष** | **705.05** | 494.07 |

### ii) प्रावधान आच्छादन अनुपात

31.03.12 को बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियों पर 58.26% का प्रावधान है (पूर्व वर्ष में 71.74%), एयूसीए सहित।

### iii) क्षेत्र अनुसार अव मानक आस्तियां

| क्र.सं. | क्षेत्र | संबंधित क्षेत्र में कुल अग्रिम का गैर निष्पादित आस्तियों का % |
|---|---|---|
| 1 | कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियाँ | 6.21 |
| 2 | उद्योग (माइक्रो और लघु, मध्यम और बड़े) | 2.63 |
| 3 | सेवाएँ | 3.83 |
| 4 | वैयक्तिक ऋण | 2.26 |

### iv) पुनर्संरचित खातों का विवरण

(करोड़ ₹ में)

| | | सी. डी. आर. संरचन | एस. एम. ई. ऋण पुनर्रचना | अन्य |
|---|---|---|---|---|
| मानक ऋण पुनर्रचित | ऋण की संख्या | 16 | 1272 | 26899 |
| | बकाया राशि | 421.90 | 7.19 | 2354.47 |
| | त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) | 21.32 | 0 | 14.59 |
| अवमानक ऋण | ऋण की संख्या | 1 | 3983 | 6108 |
| पुनर्रचित | बकाया राशि | 25.09 | 11.91 | 91.72 |
| | त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) | 0 | 0 | 0.22 |
| संदिग्ध ऋण | ऋण की संख्या | 0 | 2322 | 564 |
| पुनर्रचित | बकाया राशि | 0 | 9.05 | 3.77 |
| | त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) | 0 | 0 | 0 |
| हानि आस्तियां | ऋण की संख्या | 0 | 1011 | 275 |
| पुनर्रचित | बकाया राशि | 0 | 3.36 | 1.05 |
| | त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) | 0 | 0 | 0 |
| कुल | ऋण की संख्या | 17 | 8588 | 33846 |
| | बकाया राशि | 446.99 | 31.52 | 2451.01 |
| | त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) | 21.32 | 0 | 14.81 |

### v) आस्तियों की पुनर्संरंचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरंचना कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों का विवरण

(करोड़ ₹ में)

| | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| i. | खातों की संख्या | **शून्य** | शून्य |
| ii. | एस सी/आर सी को बेचे खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को छोड़कर) | **शून्य** | शून्य |
| iii. | कुल प्रतिफल | **शून्य** | शून्य |
| iv. | पिछले वर्षों में अंतरित किए गए खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल | **शून्य** | शून्य |
| v. | निवल पुस्तक मूल्य की तुलना में कुल लाभ/हानि | **शून्य** | शून्य |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | d. | Provision made for standard accounts covered under ADWR Scheme | **0.00** | 15.41 |
| | e. | Provision used for writing off standard accounts covered under ADWR Scheme | **0.00** | -15.41 |
| | f. | **Closing Balance** | **705.05** | 494.07 |

### ii) Provisioning Coverage Ratio

Provisioning to Gross Non-Performing Assets of the Bank as on 31st March, 2012 is 58.26%. (prev. year 71.74%), including AUCA.

### iii) Sector-wise NPAs

| S. No. | Sector | % of NPAs to Total Advance in that sector |
|---|---|---|
| 1 | Agriculture & allied activities | 6.21 |
| 2 | Industry (Micro & small, medium and large) | 2.63 |
| 3 | Services | 3.83 |
| 4 | Personal Loans | 2.26 |

### iv) Particulars of Accounts Restructured

(₹ in crore)

| | | CDR Mechanism | SME Debt Rest. | Others |
|---|---|---|---|---|
| Standard advance restructured | No of borrowers | 16 | 1272 | 26899 |
| | Amount Outstanding | 421.90 | 7.19 | 2354.47 |
| | Sacrifice (diminution in fair value) | 21.32 | 0 | 14.59 |
| Sub standard advance restructured | No of borrowers | 1 | 3983 | 6108 |
| | Amount Outstanding | 25.09 | 11.91 | 91.72 |
| | Sacrifice (diminution in fair value) | 0 | 0 | 0.22 |
| Doubtful advance restructured | No of borrowers | 0 | 2322 | 564 |
| | Amount Outstanding | 0 | 9.05 | 3.77 |
| | Sacrifice (diminution in fair value) | 0 | 0 | 0 |
| Loss Assets restructured | No of borrowers | 0 | 1011 | 275 |
| | Amount Outstanding | 0 | 3.36 | 1.05 |
| | Sacrifice (diminution in fair value) | 0 | 0 | 0 |
| Total | No of borrowers | 17 | 8588 | 33846 |
| | Amount Outstanding | 446.99 | 31.52 | 2451.01 |
| | Sacrifice (diminution in fair value) | 21.32 | 0 | 14.81 |

### v) Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crore)

| | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| i. | No. of accounts | **Nil** | Nil |
| ii. | Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC | **Nil** | Nil |
| iii. | Aggregate consideration | **Nil** | Nil |
| iv. | Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | **Nil** | Nil |
| v. | Aggregate gain/loss over net book value. | **Nil** | Nil |

### vi) अनर्जक वित्तीय आस्तियों के क्रय/विक्रय का विवरण

**(अ) अनर्जक वित्तीय आस्तियों के क्रय का विवरण** (करोड़ ₹ में)

| | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | (अ) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या | **शून्य** | शून्य |
| | (ब) कुल बकाया | **शून्य** | शून्य |
| 2. | (अ) इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों की संख्या | **शून्य** | शून्य |
| | (ब) कुल बकाया | **शून्य** | शून्य |

**(ब) अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विक्रय का विवरण** (करोड़ ₹ में)

| | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | विक्रय किये गये खातों की संख्या | **शून्य** | शून्य |
| 2. | कुल बकाया | **शून्य** | शून्य |
| 3. | कुल प्राप्त प्रतिफल | **शून्य** | शून्य |

### vii) मानक आस्तियों संबंधी प्रावधान

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान | **64.19** | 28.59 |
| मानक आस्तियों के लिए संचयी प्रावधान | **224.65** | 160.46 |

### viii) विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां तथा आय

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | राशि |
|---|---|
| कुल सम्पतियाँ | **शून्य** |
| कुल गैर-निष्पादित आस्तियाँ | **शून्य** |
| कुल आय | **शून्य** |

## 14. कारोबारी अनुपात

| | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| i. | कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय | **9.60%** | 8.37% |
| ii. | कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय | **0.91%** | 1.12% |
| iii. | कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ | **2.27%** | 1.99% |
| iv. | आस्तियों पर प्रतिफल | **0.99%** | 0.96% |
| v. | प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम) (करोड़ ₹ में) | **8.27** | 7.51 |
| vi. | प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (करोड़ ₹ में) | **0.05** | 0.05 |

## 15. आस्ति-देयता प्रबंधन

**आस्तियों और देयताओं की विशेष मदों की परिपक्वता का स्वरूप** (करोड़ ₹ में)

| | 1 दिन | 2 से 7 दिनों तक | 8 से 14 दिनों तक | 15 से 28 दिनों तक | 29 दिन से 3 महीने तक | 3 महीने से अधिक तथा 6 महीने तक | 6 महीने से अधिक तथा 1 वर्ष तक | 1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक | 3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक | 5 वर्ष से अधिक | **कुल** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **जमा** | 71.61 | 1978.55 | 1145.93 | 506.95 | 5818.60 | 4149.26 | 8652.54 | 19142.02 | 10955.37 | 9151.26 | **61572.09** |
| **अग्रिम** | 412.81 | 402.03 | 690.01 | 957.40 | 2596.21 | 1175.70 | 2814.89 | 26069.14 | 6880.06 | 7246.08 | **49244.33** |
| **निवेश** | 5.66 | 269.15 | 0.00 | 2.00 | 518.89 | 302.43 | 68.14 | 3035.38 | 3670.41 | 8797.41 | **16669.47** |

**vi) Details of non-performing financial assets purchased/sold**

**a) Details of Non-Performing financial assets purchased:** (₹ in crore)

| | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| 1. | (a) No. of accounts purchased during the year | Nil | Nil |
| | (b) Aggregate outstanding | Nil | Nil |
| 2. | (a) Of these, number of accounts restructured during the year | Nil | Nil |
| | (b) Aggregate outstanding | Nil | Nil |

**b) Details of Non-Performing financial assets sold:** (₹ in crore)

| | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| 1. | No. of accounts sold | **NIL** | Nil |
| 2. | Aggregate outstanding | **Nil** | Nil |
| 3. | Aggregate consideration received | **Nil** | Nil |

**vii) Provisions on Standard Asset** (₹ in crore)

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Provisions towards Standard Assets made during the year | **64.19** | 28.59 |
| Cumulative Provision held for Standard Assets | **224.65** | 160.46 |

**viii) Overseas Assets, NPAs and Revenue** (₹ in crore)

| Particulars | Amount |
|---|---|
| Total Assets | NIL |
| Total NPAs | NIL |
| Total Revenue | NIL |

**14. Business Ratios**

| | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| i. | Interest Income as a percentage to Working Funds | **9.60%** | 8.37% |
| ii. | Non-interest income as a percentage to Working Funds | **0.91%** | 1.12% |
| iii. | Operating Profit as a percentage to Working Funds | **2.27%** | 1.99% |
| iv. | Return on Assets | **0.99%** | 0.96% |
| v. | Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in crore) | **8.27** | 7.51 |
| vi. | Net Profit per employee (₹ in crore) | **0.05** | 0.05 |

**15. Asset Liability Management**

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities (₹ in crore)

| | Day 1 | 2 to 7 days | 8 to 14 days | 15 to 28 days | 29 days to 3 months | Over 3 months & up to 6 months | Over 6 months & up to 1 year | Over 1 year & up to 3 years | Over 3 years & up to 5 years | Over 5 years | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Deposits** | 71.61 | 1978.55 | 1145.93 | 506.95 | 5818.60 | 4149.26 | 8652.54 | 19142.02 | 10955.37 | 9151.26 | **61572.09** |
| **Advances** | 412.81 | 402.03 | 690.01 | 957.40 | 2596.21 | 1175.70 | 2814.89 | 26069.14 | 6880.06 | 7246.08 | **49244.33** |
| **Investments** | 5.66 | 269.15 | 0.00 | 2.00 | 518.89 | 302.43 | 68.14 | 3035.38 | 3670.41 | 8797.41 | **16669.47** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **उधार** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.31 | 404.38 | 203.50 | 45.79 | 575.00 | 500.00 | 1150.00 | **2954.98** |
| **विदेशी मुद्रा आस्तियां** | 141.91 | 16.66 | 22.02 | 66.65 | 406.96 | 92.34 | 14.98 | 92.72 | 0.00 | 0.00 | **854.24** |
| **विदेशी मुद्रा देयताएं** | 9.11 | 0.38 | 0.78 | 77.57 | 264.90 | 231.92 | 111.21 | 22.91 | 2.44 | 0.25 | **721.47** |

(उपर्युक्त आंकड़ों के संकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रबन्धन द्वारा कुछ पूर्वानुमान एवं प्राक्कलन किए गए हैं, जिन्हें लेखा परीक्षकों ने विश्वसनीय माना है।)

## 16. निवेश (एक्सपोजर)

### i) स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश (एक्सपोजर)

(करोड़ ₹ में)

| | श्रेणी | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| **क)** | **प्रत्यक्ष निवेश (एक्सपोजर)** | | |
| | i) आवासीय बंधक-उधार जो आवासीय संपतियों जो कि ऋणी द्वारा-धारित है या धारित होनी है या किराए पर है के बंधक द्वारा पूर्णतया सुरक्षित है। | **3734.69** | 3381.41 |
| | उपरोक्त में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आवास ऋण | **3414.43** | 3072.75 |
| | ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा<br>उधार जो कि वाणिज्यिक स्थावर संपदा के बंधक द्वारा सुरक्षित है।<br>(गैर निधिक आधारित सीमा सहित) | **526.23** | 228.64 |
| | iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर | | |
| | क. आवासीय | **0.00** | 0.00 |
| | ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा | **0.00** | 0.00 |
| **ख)** | **अप्रत्यक्ष निवेश (एक्सपोजर)**<br>राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसी) के संबंध में निधिक तथा गैर-निधिक आधारित निवेश (एक्सपोजर) | **1573.15** | 1274.84 |
| | **स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल निवेश (एक्सपोजर)** | **5834.07** | 4884.89 |

### ii) पूंजी बाजार में निवेश (एक्सपोजर)

(करोड़ ₹ में)

| क्र.सं. | श्रेणी | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| i) | ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूलनिधि पूरी तरह से कंपनी ऋण में निवेश नहीं की जाती है; | **94.37** | 171.29 |
| ii) | शेयरों (आईपीओ/इएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या निर्बध आधार पर अग्रिम; | **0.00** | 0.00 |
| iii) | किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों में परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है; | **0.00** | 20.00 |
| iv) | किसी अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम जिस सीमा तक वह शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों की समपार्श्विक जमानत द्वारा जमानत प्राप्त है अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्ण जमानत प्रदान नहीं करती; | **0.00** | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Borrowings** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.31 | 404.38 | 203.50 | 45.79 | 575.00 | 500.00 | 1150.00 | **2954.98** |
| **Foreign Currency assets** | 141.91 | 16.66 | 22.02 | 66.65 | 406.96 | 92.34 | 14.98 | 92.72 | 0.00 | 0.00 | **854.24** |
| **Foreign Currency liabilities** | 9.11 | 0.38 | 0.78 | 77.57 | 264.90 | 231.92 | 111.21 | 22.91 | 2.44 | 0.25 | **721.47** |

(In compiling the above data, certain assumptions as per RBI guidelines and estimates have been made by the management and relied upon by auditors)

**16. Exposures:**

**i) Exposure to Real Estate Sector**

(₹ in crore)

| | **Category** | **Current Year** | Previous Year |
|---|---|---|---|
| **a)** | **Direct Exposure** | | |
| | i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented | **3734.69** | 3381.41 |
| | Out of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances | **3414.43** | 3072.75 |
| | ii) Commercial Real Estate<br>Lending secured by mortgages on commercial real estates (including Non-fund based (NFB) limits) | **526.23** | 228.64 |
| | iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securities exposures:- | | |
| | a) Residential | **0.00** | 0.00 |
| | b) Commercial Real Estate | **0.00** | 0.00 |
| **b)** | **Indirect Exposure**<br>Fund and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) | **1573.15** | 1274.84 |
| | **Total Exposure to Real Estate Sector** | **5834.07** | 4884.89 |

**ii) Exposure to Capital Market**

(₹ in crore)

| **S. No.** | **Particulars** | **Current Year** | Previous Year |
|---|---|---|---|
| i) | Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity–oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt | **94.37** | 171.29 |
| ii) | Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds; | **0.00** | 0.00 |
| iii) | Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security; | **0.00** | 20.00 |
| iv) | Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances; | **0.00** | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| v) | स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर-जमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से दी गई गारंटियां, | **0.00** | 0.00 |
| vi) | कंपनियों को संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनी की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूति की जमानत पर या निर्बंध आधार पर मंजूर ऋण; | **0.00** | 0.00 |
| vii) | संभावित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों की जमानत पर कंपनियों को पूरक ऋण; | **0.00** | 0.00 |
| viii) | शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संदर्भ में बैंकों द्वारा किये गये हामीदारी वायदे; | **0.00** | 0.00 |
| ix) | मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण; | **0.00** | 0.00 |
| x) | उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में निवेश (एक्सपोजर) | **21.09** | 16.67 |
| | **पूँजी बाजार में कुल निवेश (एक्सपोजर)** | **115.46** | 207.96 |

## 17. जोखिम श्रेणी-वार देश संबंधी निवेश (एक्सपोजर)

(करोड़ ₹ में)

| जोखिम श्रेणी | 31 मार्च 2012 (चालू वर्ष) को निवेश (निवल) | 31 मार्च 2012 (चालू वर्ष) को धारित प्रावधान | 31 मार्च 2011 (पिछला वर्ष) को निवेश (निवल) | 31 मार्च 2011 (पिछला वर्ष) को धारित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|
| महत्वपूर्ण नहीं | **382.68** | **शून्य** | 417.96 | शून्य |
| निम्न | **223.58** | **शून्य** | 261.27 | शून्य |
| मध्यम निम्न | **32.47** | **शून्य** | 46.19 | शून्य |
| मध्यम | **1.03** | **शून्य** | 0.07 | शून्य |
| मध्यम उच्च | **1.57** | **शून्य** | 1.11 | शून्य |
| उच्च | **0.00** | **शून्य** | 0.00 | शून्य |
| अति उच्च | **0.00** | **शून्य** | 0.00 | शून्य |
| **कुल** | **641.33** | **शून्य** | **726.60** | **शून्य** |

प्रत्येक देश के साथ विदेशी विनिमय संव्यवहारों में बैंक का निवल निधिक विनिवेश (एक्सपोजर) बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर है। अत: प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

## 18. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एस.बी.एल) समूह उधारकर्ता सीमा (जी.बी.एल.) के उल्लंघन का विवरण।

बैंक ने वर्ष के दौरान एकल उधारकर्ता सीमा तथा समूह उधारकर्ता सीमा का उल्लंघन नहीं किया है।

## 19. अप्रतिभूत अग्रिम

(करोड़ ₹ में)

| | | |
|---|---|---|
| i) | अप्रतिभूत अग्रिमो की कुल राशि, जिनके लिए अमूर्त जमानत जैसे कि अधिकारो, लाइसेंसो, प्राधिकारो आदि पर ऋण भार-सृजित किया गया है। | 49.17 |
| ii) | इन अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य | शून्य |

## 20. लाभ-हानि खाते में प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ ₹ में)

| श्रेणी | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| विनिधानों पर मूल्य ह्रास/परिशोधन हेतु प्रावधान | **23.51** | 3.67 |
| गैर-निष्पादित आस्तियों हेतु प्रावधान | **479.59** | 298.39 |
| गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए अस्थायी प्रावधान | **0.00** | 0.00 |
| मानक आस्तियों पर प्रावधान | **64.19** | 28.59 |
| कराधान हेतु प्रावधान: | | |
| (i) आयकर | **243.11** | 230.43 |
| (ii) ब्याज कर | **0.00** | 0.00 |
| (iii) धन कर | **0.30** | 0.33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| v) | Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers | **0.00** | 0.00 |
| vi) | Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources; | **0.00** | 0.00 |
| vii) | Bridge loans to companies against expected equity flows/issues; | **0.00** | 0.00 |
| viii) | Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds; | **0.00** | 0.00 |
| ix) | Financing to stockbrokers for margin trading; | **0.00** | 0.00 |
| x) | All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) | **21.09** | 16.67 |
| | **Total Exposure to Capital Market** | **115.46** | 207.96 |

**17. Risk Category wise Country Exposure** (₹ in crore)

| Risk Category | Exposure (net) as at March 31, 2012 (Current Year) | Provision held as at March 31, 2012 (Current Year) | Exposure (net) as at March 31, 2011 (Previous Year) | Provision held as at March 31, 2011 (Previous Year) |
|---|---|---|---|---|
| Insignificant | **382.68** | **NIL** | 417.96 | Nil |
| Low | **223.58** | **NIL** | 261.27 | Nil |
| Moderately Low | **32.47** | **NIL** | 46.19 | Nil |
| Moderate | **1.03** | **NIL** | 0.07 | Nil |
| Moderately High | **1.57** | **NIL** | 1.11 | Nil |
| High | **0.00** | **NIL** | 0.00 | Nil |
| Very High | **0.00** | **NIL** | 0.00 | Nil |
| **Total** | **641.33** | **NIL** | 726.60 | **Nil** |

The net funded exposure of the Bank in respect of foreign exchange transactions with each country is within 1% of the total assets of the Bank, hence no provision is required.

**18. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank**

The Bank has not exceeded the Single Borrower Limit and Group Borrower Limit during the year.

**19. Unsecured Advances** (₹ in crore)

| | | |
|---|---|---|
| i) | Total amount of unsecured advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. has been taken | 49.17 |
| ii) | Estimated value of such intangible collateral | NIL |

**20. Details of Provisions & Contingencies in Profit & Loss Account are as under:** (₹ in crore)

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Provision for Depreciation/Amortisation on investments | **23.51** | 3.67 |
| Provision for Non Performing Assets | **479.59** | 298.39 |
| Floating provision towards NPAs | **0.00** | 0.00 |
| Provision on Standard Assets | **64.19** | 28.59 |
| Provision for Taxation: | | |
| (i) Income Tax | **243.11** | 230.43 |
| (ii) Interest Tax | **0.00** | 0.00 |
| (iii) Wealth Tax | **0.30** | 0.33 |

| श्रेणी | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| सीडीआर/गैर सीडीआर खातों पर ब्याज त्याग का प्रावधान | **-0.96** | -0.01 |
| पुन:संरचित कृषि ऋणों पर प्रावधान | **-0.78** | 0.00 |
| कृषि ऋण माफी पर वर्तमान मूल्य हेतु प्रावधान | **0.00** | -2.15 |
| अन्य/आकस्मिकताएँ | **13.39** | -13.89 |
| **उप-योग** | **822.35** | 545.36 |
| आस्थगित कर दायित्व / (आस्ति) | **15.23** | 44.01 |
| **योग** | **837.58** | 589.37 |

## 21. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई शास्तियों का प्रकटीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के प्रावधानो के अंतर्गत इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की किसी अन्य अपेक्षा की अनुपालना न करने के लिए वर्ष के दौरान कोई दंड नहीं लगाया गया है।

## 22. अस्थायी प्रावधान

(करोड़ ₹ में)

| क्र.सं. | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष | **61.14** | 61.14 |
| 2. | लेखा वर्ष में किये गये अस्थायी प्रावधानों की मात्रा | **शून्य** | शून्य |
| 3. | वर्ष के दौरान किये गये आहरण का प्रयोजन और राशि | **शून्य** | शून्य |
| 4. | अस्थायी प्रावधान खाते में अतिशेष | **61.14** | 61.14 |

## 23. शिकायतों/बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अक्रियान्वित अधिनिर्णयों का विवरण

### क. ग्राहक शिकायतें

| | | |
|---|---|---|
| (क) | वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या | 32 |
| (ख) | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 6227 |
| (ग) | वर्ष के दौरान दूर की गयी शिकायतों की संख्या | 6198 |
| (घ) | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 61 |

### ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

| | | |
|---|---|---|
| (क) | वर्ष के प्रारम्भ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या | शून्य |
| (ख) | वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या | 05 |
| (ग) | वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या | 04 |
| (घ) | वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या | 01* |

*बैंकिग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय को अपीलीय अधिकारी द्वारा रद्द कर स्वीकार की गई अपील

## 24. तुलन पत्रेत्तर प्रायोजित एस.पी.वी. (जिन्हें लेखा मापदंडों के अनुसार समेकित किया जाना चाहिए)

| प्रायोजित एसपीवी का नाम | |
|---|---|
| **देशी** | **विदेशी स्थित** |
| **शून्य** | **शून्य** |

## 25. जमाओं, अग्रिमों, निवेश (एक्सपोजर) तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण

### (अ) जमा राशि का संकेंद्रण

(करोड़ ₹ में)

| | |
|---|---|
| बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि | 9808.54 |
| बैंक की कुल जमाराशियो में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत | 15.93% |

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Provision for Sacrifice of Interest in CDR/Non CDR A/cs | **-0.96** | -0.01 |
| Provision for Restructured Agriculture Advances | **-0.78** | 0.00 |
| Provision for Agr. Debt Waiver based on NPV | **0.00** | -2.15 |
| Others/Contingencies | **13.39** | -13.89 |
| **Sub-Total** | **822.35** | 545.36 |
| Deferred Tax Liabilities/(Asset) | **15.23** | 44.01 |
| **TOTAL** | **837.58** | 589.37 |

**21. Disclosure of Penalties Imposed by RBI**

No penalty was imposed during the year as per section 46(4) of the Banking Regulation Act 1949 for contraventions of any of the provisions of the Act or non compliance with any other requirement of the Banking Regulation Act 1949.

**22. Floating Provisions**

(₹ in crore)

| S. No | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Opening balance in Floating Provisions Account | **61.14** | 61.14 |
| 2. | The quantum of Floating Provisions made in the accounting year | **Nil** | Nil |
| 3. | Purpose and amount of draw down made during the accounting year | **Nil** | Nil |
| 4. | Closing balance in Floating Provisions Account | **61.14** | 61.14 |

**23. Details of Complaints/unimplemented awards of Banking Ombudsman**

**A. Customer Complaints**

| | | |
|---|---|---|
| (a) | No. of Complaints pending at the beginning of the year | 32 |
| (b) | No. of Complaints received during the year | 6227 |
| (c) | No. of Complaints redressed during the year | 6198 |
| (d) | No. of Complaints pending at the end of the year | 61 |

**B. Awards passed by the Banking Ombudsman**

| | | |
|---|---|---|
| (a) | No. of unimplemented Awards at the beginning of the year | NIL |
| (b) | No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year | 05 |
| (c) | No. of Awards implemented during the year | 04 |
| (d) | No. of unimplemented Awards at the end of the year | 01* |

*Appeal allowed and award passed by BO set aside by the Appellate Authority.

**24. Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**

| Name of the SPV sponsored | |
|---|---|
| **Domestic** | **Overseas** |
| **NIL** | **NIL** |

**25. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs**

**a) Concentration of Deposits**

(₹ in crore)

| | |
|---|---|
| Total Deposits of twenty largest depositors | 9808.54 |
| Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the bank | 15.93% |

**(ब) अग्रिमों का संकेंद्रण** (करोड़ ₹ में)

| | |
|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम | 7941.51 |
| बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत | 15.89% |

**(स) निवेशों (एक्सपोजर) का संकेंद्रण** (करोड़ ₹ में)

| | |
|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर | 9265.11 |
| उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर का प्रतिशत | 14.34% |

**(द) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण** (करोड़ ₹ में)

| | |
|---|---|
| चार शीर्षस्थ अनर्जक आस्ति खातो में कुल एक्सपोजर | 226.33 |

## 26. बैंक एश्योरेंश कारोबार

31.3.2012 को समाप्त वर्ष में बैंक एश्योरेंश कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का विवरण

(करोड़ ₹ में)

| **कम्पनी का नाम** | **राशि** |
|---|---|
| **जीवन बीमा** | |
| एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. | 14.65 |
| | |
| **गैर जीवन बीमा** | |
| अन्य (नेशनल इंश्योरेंस कं. लि.) | 2.05 |
| **कुल** | **16.70** |

## 27. बैंकों द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) का प्रकटीकरण

| **क्र. सं.** | विवरण | **यूएसडी** | **यूरो** | **येन** | **राशि** (करोड़ ₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अन्य बैंक | 58411458.22 | 2412412.71 | 4588847.00 | 307.09 |
| 2. | भारतीय स्टेट बैंक तथा सहयोगी | 4703426.41 | 4547009.00 | 0.00 | 18.45 |
| | **कुल** | 63114884.63 | 6959421.71 | 4588847.00 | 325.54 |

बैंक की कोई भी समनुषंगी नहीं होने के कारण उनकी ओर से कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया है।

## 28. आरक्षित निधि का आहरण

वर्ष के दौरान विनिवेश आरक्षित निधि में आहरण द्वारा ₹11.12 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹1.70 करोड़) की गिरावट हुई है।

**b) Concentration of Advances** (₹ in crore)

| | |
|---|---|
| Total Advances to twenty largest borrowers | 7941.51 |
| Percentage of Advances to twenty largest borrowers to total Advances of the bank | 15.89% |

**c) Concentration of Exposure** (₹ in crore)

| | |
|---|---|
| Total Exposure to twenty largest borrowers/customers | 9265.11 |
| Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to total Exposure of the bank on Borrowers / customers | 14.34% |

**d) Concentration of NPAs** (₹ in crore)

| | |
|---|---|
| Total Exposure to top four NPA accounts | 226.33 |

**26. Bancassurance Business :**

Details of fees/remuneration received in respect of the bancassurance business for the year ended 31st March, 2012

(₹ in crore)

| | Name of the Company | Amount |
|---|---|---|
| | **LIFE INSURANCE** | |
| | SBI Life Insurance Co. Ltd. | 14.65 |
| | | |
| | **NON LIFE INSURANCE** | |
| | Others (National Insurance Co. Ltd.) | 2.05 |
| | **TOTAL** | **16.70** |

**27. Disclosure of Letter of Comfort (LOCs) issued by banks**

| S.No. | Particulars | USD | Euro | Yen | INR (₹ in crore) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Other Banks | 58411458.22 | 2412412.71 | 4588847.00 | 307.09 |
| 2. | State Bank of India & Associates | 4703426.41 | 4547009.00 | 0.00 | 18.45 |
| | TOTAL | 63114884.63 | 6959421.71 | 4588847.00 | 325.54 |

The Bank has no subsidiary, as such no Letter of Comfort has been issued on their behalf.

**28. Draw Down from Reserves**

There has been a draw down of ₹.11.12 crores (previous year ₹1.70 crores) from Investment Reserve during the year.

## 29. एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण

**सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों से क्रय चल सम्पति के क्रय से संबंधित सूचना का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | मूल राशि | ब्याज |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2012 को किसी भी आपूर्तिकर्ता की बकाया मूल राशि एवं उस पर देय ब्याज (अलग अलग दर्शाया जाये) | **शून्य** | शून्य |
| 2 | वर्ष 2011-12 के दौरान किसी आपूर्तिकर्ता को नियत दिवस के पश्चात् किये गये भुगतान की राशि एवं एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत क्रेता द्वारा चुकाये गये ब्याज की राशि | **शून्य** | शून्य |
| 3 | भुगतान (जो वर्ष के दौरान नियत दिवस के पश्चात चुकाये गये हैं), जिन्हें इस अधिनियम में उल्लेखित ब्याज को जोड़ें बिना किया गया है, में देरी की अवधि हेतु देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि | XXX | शून्य |
| 4 | 31.03.2012 को अदत्त रहने वाले उपार्जित ब्याज की राशि | XXX | शून्य |
| 5 | अनुवर्ती वर्षों में भी, जब तक लघु उद्यमी को उपयुर्क्त देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं कर दिया जाता, भुगतान योग्य आगे के अदत्त ब्याज की राशि, जो अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकार्य की जानी है। | XXX | शून्य |

## लेखा मानकों से सम्बन्धित प्रकटीकरण

## 30. एएस-5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों एवं लेखानीतियों में परिवर्तन)

एएस-5 के तहत पूर्व अवधि आय/व्यय मदों हेतु कोई वस्तुपरक प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

## 31. लेखा मानक-9 : राजस्व अभिज्ञान

लेखा नीति, जिसका अनुसरण किया गया है, के अनुसार जिन आय-व्यय की मदों का लेखांकन नकद आधार पर किया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप वस्तुपरक नहीं समझे गये है, अत: प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

## 32. लेखा मानक 15-कर्मचारी लाभ (संशोधित 2005)

### 1) निर्धारित लाभ पेंशन योजना एवं उपदान

(अ) लेखा मानक-15 के अनुसार निर्धारित लाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना की स्थिति निम्न सारणी के अनुसार है:-

(₹ करोड़ में)

| विवरण | पेंशन योजना | उपदान |
|---|---|---|
| **निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन** | | |
| 01.04.2011 को आरंभिक निर्धारित लाभ दायित्व | 1913.19 | 385.24 |
| चालू सेवा लागत | 45.72 | 16.81 |
| ब्याज लागत | 162.62 | 31.73 |
| जीवनांकिक हानियां (लाभ) | 108.33 | 9.29 |
| पूर्व सेवा लागत (अनिहित लाभ) | - | - |
| पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) | - | - |
| अदा किये गये लाभ | -109.05 | -35.00 |
| दायित्व परिशोधित | - | - |
| 31.3.2012 को अंतिम निर्धारित लाभ दायित्व | 2120.81 | 408.06 |
| **योजना आस्तियों में परिवर्तन** | | |
| 01.04.2011 को योजना आस्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य | 1601.48 | 265.16 |
| योजना आस्तियों का अनुमानित प्रतिफल | 128.12 | 22.76 |
| नियोक्ता द्वारा योगदान | 170.42 | 36.87 |
| अदा किये गये लाभ | -109.05 | -35.00 |
| जीवनांकिक लाभ (हानियां) | 9.30 | -1.81 |
| 31.03.2012 को योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य | 1800.27 | 287.98 |

## 29. DISCLOSURES IN TERMS OF MSMED ACT

**Details of Information relating to purchase of movebale property from Micro and Small Enterprises**

(₹ in crore)

| S.No. | Particulars | Principal Amount | Interest |
|---|---|---|---|
| 1 | The principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier as on 31/03/2012 | NIL | NIL |
| 2 | The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year 2011-12. | NIL | NIL |
| 3 | The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act | NIL | NIL |
| 4 | The amount of interest accrued and remaining unpaid as on 31/03/2012 | NIL | NIL |
| 5 | The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Act. | NIL | NIL |

## DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

### 30. AS-5 (Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies)

There are no material prior period income/expenditure items require disclosure under AS-5.

### 31. AS- 9 Revenue Recognition

In line with the Accounting Policy followed, items of income / expenditure accounted on cash basis are considered not material, in terms of RBI guidelines, hence do not require disclosure.

### 32. AS - 15 Employee Benefits (Revised 2005)

#### 1) Defined Benefit Pension Plan and Gratuity

a) The following table sets out the status of the defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan as required under AS 15:

(₹ in crore)

| Particulars | Pension Plans | Gratuity |
|---|---|---|
| **Change in the present value of the defined benefit obligations** | | |
| Opening defined benefit obligation at 01.04.2011 | 1913.19 | 385.24 |
| Current Service Cost | 45.72 | 16.81 |
| Interest Cost | 162.62 | 31.73 |
| Actuarial losses (gains) | 108.33 | 9.29 |
| Past Service Cost (Non Vested Benefit) | - | - |
| Past Service Cost (Vested Benefit) | - | - |
| Benefits paid | -109.05 | -35.00 |
| Liability Amortised | - | - |
| Closing defined benefit obligation at 31.03.2012 | 2120.81 | 408.06 |
| **Change in Plan Assets** | | |
| Opening fair value of plan assets at 01.04.2011 | 1601.48 | 265.16 |
| Expected Return on Plan assets | 128.12 | 22.76 |
| Contributions by employer | 170.42 | 36.87 |
| Benefit Paid | -109.05 | -35.00 |
| Actuarial Gains (Losses) | 9.30 | -1.81 |
| Closing fair value of plan assets at 31.03.2012 | 1800.27 | 287.98 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | पेंशन योजना | उपदान |
|---|---|---|
| **दायित्व के वर्तमान मूल्य एवं योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान** | | |
| 31.03.2012 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य | 2120.81 | 408.06 |
| 31.03.2012 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 1800.27 | 287.98 |
| कमी/(आधिक्य) | 320.54 | 120.08 |
| अभिज्ञानित पूर्व सेवा लागत | 424.49 | 142.42 |
| ए.एस. 15 के पैरा 59(बी) में दी गई सीमा के कारण अभिज्ञानित नहीं की गयी संपति की राशि | - | - |
| शुद्ध दायित्व/(आस्ति) | (103.96) | (22.34) |
| योजना आस्तियों पर अनुभव का समायोजन | 9.30 | (1.81) |
| योजना देयताओं पर अनुभव का समायोजन | 628.35 | 31.43 |
| **लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञानित शुद्ध लागत** | | |
| चालू सेवा लागत | 45.72 | 16.81 |
| ब्याज लागत | 162.62 | 31.73 |
| योजना आस्तियों में अनुमानित प्रतिफल | 128.12 | 22.76 |
| वर्ष के दौरान अभिज्ञानित शुद्ध जीवनांकिक हानि (लाभ) | 99.03 | 11.10 |
| अभिज्ञानित पूर्व सेवा लागत (अनिहित लाभ) | - | - |
| अभिज्ञानित पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) | - | - |
| चालू वर्ष के लाभ हानि खाते की अनुसूची 16 में ''कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान'' में सम्मिलित निर्धारित लाभ योजनाओं की कुल लागत | 179.25 | 36.87 |
| **योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रत्याय और वास्तविक प्रत्याय का समाधान** | | |
| योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रत्याय | 128.12 | 22.76 |
| योजना आस्तियों पर जीवनांकिक (लाभ)/हानि | 9.30 | (1.81) |
| योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रत्याय | 137.42 | 20.95 |
| **तुलनपत्र में अभिज्ञानित आरंभिक एवं अंतिम शुद्ध दायित्व का समाधान** | | |
| 01.04.2011 को आरंभिक शुद्ध दायित्व | (112.78) | (22.34) |
| लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञानित व्यय | 179.25 | 36.87 |
| घटाइयें: नियोक्ता द्वारा योगदान | (170.42) | (36.87) |
| 31.03.2012 को तुलन पत्र में शुद्ध दायित्व/सम्पत्ति अभिज्ञानित | (103.96) | (22.34) |
| **अगले वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्याशित योगदान ( 2012-13 )** | **117.95** | 30.92 |

**31 मार्च 2012 को ग्रेच्युटी कोष, पेंशन कोष तथा अन्य योजनाओं में निवेश का विवरण**

| आस्तियों की श्रेणी | ग्रेच्युटी कोष | | पेंशन कोष | | अन्य योजनाएँ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | नियोजित आस्तियों का प्रतिशत | राशि | नियोजित आस्तियों का प्रतिशत | राशि | नियोजित आस्तियों का प्रतिशत |
| केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ | 99.09 | 34.41 | 626.99 | 34.83 | - | - |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ | 35.25 | 12.24 | 393.53 | 21.86 | - | - |
| सार्वजनिक क्षेत्र ईकाईयों के बंधपत्र | 77.17 | 26.79 | 296.99 | 16.49 | - | - |
| अन्य बंधपत्र | - | - | - | - | - | - |
| बैंक की मियादी जमाएँ | 12.23 | 4.24 | 286.21 | 15.90 | - | - |
| विशेष जमाएँ | - | - | - | - | - | - |
| बीमा योजनाएँ | 16.12 | 5.59 | - | - | - | - |
| बैंक खाता | 38.50 | 13.36 | 108.41 | 5.92 | - | - |
| अन्य (म्यूचुअल फंड आदि) | 9.61 | 3.37 | 88.14 | 5.00 | - | - |
| **कुल** | **287.98** | **100.00** | **1800.27** | **100.00** | **-** | **-** |

(₹ in crore)

| Particulars | Pension Plans | Gratuity |
|---|---|---|
| **Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets** | | |
| Present Value of Funded obligation at 31.03.2012 | 2120.81 | 408.06 |
| Fair Value of Plan assets at 31.03.2012 | 1800.27 | 287.98 |
| Deficit/(Surplus) | 320.54 | 120.08 |
| Unrecognised Past Service Cost | 424.49 | 142.42 |
| Amount not recognized as asset because of limit in paragraph 59(b) of AS 15 | - | - |
| Net Liability/(Asset) | (103.96) | (22.34) |
| Experience adjustment on plan assets | 9.30 | (1.81) |
| Experience adjustment on plan liabilities | 628.35 | 31.43 |
| **Net Cost recognised in the profit and loss account** | | |
| Current Service Cost | 45.72 | 16.81 |
| Interest Cost | 162.62 | 31.73 |
| Expected return on plan assets | 128.12 | 22.76 |
| Net actuarial losses (Gain) recognized during the year | 99.03 | 11.10 |
| Past Service Cost (Non Vested Benefit) Recognized | | |
| Past Service Cost (Vested Benefit) Recognized | | |
| Total costs of defined benefit plans included in current year P&L under Sch 16 'Payments to and provisions for employees' | 179.25 | 36.87 |
| **Reconciliation of expected return and actual return on Plan Assets** | | |
| Expected Return on Plan Assets | 128.12 | 22.76 |
| Acturial Gain/ (loss) on Plan Assets | 9.30 | (1.81) |
| Actual Return on Plan Assets | 137.42 | 20.95 |
| **Reconciliation of opening and closing net liability recognized in Balance Sheet** | | |
| Opening Net Liability as at 1.04.2011 | (112.78) | (22.34) |
| Expenses as recognized in profit and loss account | 179.25 | 36.87 |
| Less : Employers Contribution | (170.42) | (36.87) |
| Net liability/(Asset) recognized in Balance Sheet as at 31.03.2012 | (103.96) | (22.34) |
| **Expected contribution in the next financial year (i.e. 2012-13)** | 117.95 | 30.92 |

**Particulars of Investments under Plan Assets of Gratuity and Pension Fund and any other Plan as on 31st March 2012**

| | Gratuity Fund | | Pension Fund | | Any other plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Category of assets** | **Amount** | **% of Plan Assets** | **Amount** | **% of Plan Assets** | **Amount** | **% of Plan Assets** |
| Central Government Securities | 99.09 | 34.41 | 626.99 | 34.83 | - | - |
| State Government Securities | 35.25 | 12.24 | 393.53 | 21.86 | - | - |
| PSU Bonds | 77.17 | 26.79 | 296.99 | 16.49 | - | - |
| Other Bonds | - | - | - | - | - | - |
| FDR/TDR of Banks | 12.23 | 4.24 | 286.21 | 15.90 | - | - |
| Special Deposits | - | - | - | - | - | - |
| Insurance Scheme | 16.12 | 5.59 | - | - | - | - |
| Bank A/C | 38.50 | 13.36 | 108.41 | 5.92 | - | - |
| Others (Mutual Fund etc.) | 9.61 | 3.37 | 88.14 | 5.00 | - | - |
| **Total** | **287.98** | **100.00** | **1800.27** | **100.00** | **-** | **-** |

**उपर्युक्त वर्णित में से स्टेट बैंक समूह में निवेश**
**(स्टेट बैंक तथा इसकी समानुषंगी/सह उद्यम)**

| आस्तियों की श्रेणी | ग्रेच्युटी कोष | | पेंशन कोष | | अन्य योजनाएँ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | नियोजित आस्तियों का प्रतिशत | राशि | नियोजित आस्तियों का प्रतिशत | राशि | नियोजित आस्तियों का प्रतिशत |
| बंधपत्र | 12.50 | 29.76 | 87.00 | 22.82 | - | - |
| बैंक जमाएँ | 12.23 | 29.11 | 286.21 | 75.08 | - | - |
| बैंक की मियादी जमाएँ | - | - | - | - | - | - |
| बीमा योजनाएँ | 16.12 | 38.37 | - | - | - | - |
| अन्य (म्यूचुअल फंड आदि) | 1.16 | 2.76 | 7.99 | 2.10 | - | - |
| **कुल** | **42.01** | **100.00** | **381.20** | **100.00** | **-** | **-** |

**प्रमुख जीवनांकिक अनुमान**

| आस्तियों की श्रेणी | ग्रेच्युटी योजना (%) | | पेंशन योजना (%) | | अन्य योजनाएँ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| बट्टा दर | 8.50% | 8.25% | 8.75% | 8.50% | - | - |
| योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल दर | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | - | - |
| वेतन वृद्धि | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | - | - |
| अन्य मुख्य धारणायें | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | - | - |

**निर्धारित अंशदान योजना बाबत लाभ-हानि खाते में अभिज्ञानित व्यय का विवरण**

| निर्धारित अंशदान योजना का नाम | वर्ष 2011-12 में लाभहानि खाते में नामे राशि |
|---|---|
| प्रावधायी निधि में योगदान | ₹ 0.93 करोड़ |
| अन्य योजना यदि कोई हो तो | शून्य |

**दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ**

वर्ष 2011-2012 के दौरान अभिज्ञानित एवं प्रावधानित दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों का विवरण निम्नलिखित हैं:-

| क्र.सं. | दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों का विवरण | 01.04.2011 को अथ शेष | चालू वर्ष की देयतायें | 31.03.2012 का अति शेष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अवकाश नकदीकरण | 152.08 | 21.64 | 173.72 |
| 2 | अवकाश किराया रियायत | 17.82 | 1.83 | 19.65 |
| 3 | सिल्वर जुबली प्रावधान | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
| 4 | रूग्ण अवकाश | 13.98 | 0.71 | 14.69 |
| 5. | पुर्नस्थापना व्यय | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| | **जोड़** | **188.06** | **24.18** | **212.24** |

**33. लेखा मानक - 17 : खंडवार प्रतिवेदन**

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. बीपीबीसी 81/21.04.018/2006-07 दिनांक 18 अप्रैल, 2007 के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित खण्डों की प्राथमिक/व्यवसाय खण्ड के रूप में पहचान की है

(अ) कोष परिचालन

(ब) कम्पनी/थोक बैंकिंग

(स) खुदरा बैंकिंग

(द) अन्य बैंकिग परिचालन

**अंतर-खंड अन्तरण का मूल्यन**

कम्पनी/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालन स्रोत जुटाने वाली प्रमुख इकाई है। कोष खण्ड को अन्य दो बैंकिंग खण्डों से निधि ऐसे मूल्य पर मिलती है, जिसे अन्य बैंकिंग परिचालन की जमाओं की लागत एवं निधि एकत्र करने पर हुए परिचालन व्यय को जोड़कर निकाला जाता है।

**Out of above following Investments are made in State Bank Group (State Bank and its Subsidiaries/ joint Ventures)**

| Category of assets | Gratuity Fund | | Pension Fund | | Any other plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Amount | % of Plan Assets | Amount | % of Plan Assets | Amount | % of Plan Assets |
| Bonds | 12.50 | 29.76 | 87.00 | 22.82 | - | - |
| Bank Deposits | 12.23 | 29.11 | 286.21 | 75.08 | - | - |
| FDR/TDR of Banks | - | - | - | - | - | - |
| Insurance Scheme | 16.12 | 38.37 | - | - | - | - |
| Others(Mutual Fund etc.) | 1.16 | 2.76 | 7.99 | 2.10 | - | - |
| **Total** | **42.01** | **100.00** | **381.20** | **100.00** | **-** | **-** |

**Principal Actuarial Assumptions**

| Particulars | Gratuity Plan (%) | | Pension Plan (%) | | Any other Plan (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| Discount Rate | 8.50% | 8.25% | 8.75% | 8.50% | - | - |
| Expected Rate of Return on Plan assets | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | - | - |
| Salary escalation | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | - | - |
| Attrition Rate | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | - | - |

**Particulars about expense recognized in P&L Account in respect of Defined Contribution Plans**

| Name of the Defined Contribution Plan | Amount debited to P&L in 2011-12 |
|---|---|
| **Contribution to Provident Fund** | **₹ 0.93 crore** |
| **Other Plans (If any)** | **-** |

**Long term Employee Benefits:**

Details of long-term employee benefits that are recognised and provided during the year 2011-12 are as under:-

(₹ in Crores)

| S.No | Details Of Long Term Employee Benefits | Opening Balance as on 01.04.2011 | Current Year Liability | Closing Balance as on 31.03.2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leave Encashment | 152.08 | 21.64 | 173.72 |
| 2 | L F C | 17.82 | 1.83 | 19.65 |
| 3 | Silver Jubilee Provision | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
| 4 | Sick Leave | 13.98 | 0.71 | 14.69 |
| 5. | Resettlement Expenses | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| | **Total** | **188.06** | **24.18** | **212.24** |

**33. AS-17 : Segmental Reporting**

In terms of RBI Cir. No. BP.BC.81/21.04.018/2006-07 dated 18th April 2007, the Bank has identified following segments as Primary / Business Segment:

(a) Treasury Operations
(b) Corporate/Wholesale Banking
(c) Retail Banking
(d) Other Banking Operations

**Pricing of Inter-segmental transfers:**

The Corporate / wholesale Banking and Retail Banking Operations are the primary resource mobilizing unit. The treasury segment receives funds from the other two Banking Operations unit at a cost, which is computed on cost of deposits of Other Banking Operations plus operating expense incurred for mobilizing funds.

**आय एवं व्यय एवं आस्तियों/दायित्वों का आवंटन**

(अ) विशिष्ट खण्ड से सीधे आय एवं व्ययों एवं आस्तियों/दायित्वों को सम्बन्धित खण्ड को आवंटित किया जाता है।

(ब) खण्डों से सीधे संबंधित ना होने वाली मदों को खुदरा एवं थोक खण्ड को किये गये व्यवसाय/कर्मचारियों की संख्या के मूल्यानुपात/ सीधे आय से संबंधित मूल्यानुपात में आवंटित किया जाता है।

बैंक के पास अविशेष सम्पत्तियां/दायित्व एवं आय/व्यय है जिन्हें किसी विशेष खण्ड से संबंधित नहीं किया जा सकता है अत: उन्हें गैर आवंटित में दर्शाया है।

**भाग क - व्यवसाय खण्ड** (₹ करोड़ में)

| विवरण | व्यवसाय खण्ड | | | | | | | | जोड़ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कोष | | कंपनी/थोक बैंकिंग | | खुदरा बैंकिंग | | अन्य बैंकिग परिचालन | | | |
| | **चालू वर्ष** | पिछला वर्ष | **चालू वर्ष** | पिछला वर्ष | **चालू वर्ष** | पिछला वर्ष | **चालू वर्ष** | पिछला वर्ष | **चालू वर्ष** | पिछला वर्ष |
| राजस्व | **1212.77** | 1050.42 | **3258.71** | 2320.37 | **3707.11** | 3101.18 | **--** | -- | **8178.59** | 6471.97 |
| घटाइये : गैर आवंटित अंतर खंड राजस्व | | | | | | | | | **1288.26** | 1035.79 |
| परिचालन से आय | | | | | | | | | **6890.33** | 5436.18 |
| परिणाम | **-176.89** | -24.50 | **578.25** | 426.21 | **657.83** | 569.61 | **--** | -- | **1059.19** | 971.32 |
| गैर-आवंटित व्यय | | | | | | | | | **148.52** | 146.92 |
| संचालन लाभ (कर पूर्व लाभ) | | | | | | | | | **910.67** | 824.40 |
| कराधान हेतु प्रावधान | | | | | | | | | **258.64** | 273.52 |
| असाधारण लाभ/हानि | | | | | | | | | **--** | -- |
| निवल लाभ | | | | | | | | | **652.03** | 550.88 |
| खण्ड आस्तियाँ | **17465.36** | 14057.30 | **31886.28** | 27787.12 | **22953.71** | 20953.00 | **--** | -- | **72305.35** | 62797.42 |
| गैर-आवंटित आस्तियाँ | | | | | | | | | **222.79** | 157.07 |
| **कुल आस्तियाँ** | | | | | | | | | **72528.14** | 62954.49 |
| खण्ड देयताएँ | **17469.33** | 14011.77 | **28269.58** | 25290.69 | **20350.19** | 19070.56 | **--** | -- | **66089.10** | 58373.02 |
| गैर-आवंटित देयताएँ | | | | | | | | | **2274.16** | 1730.66 |
| **कुल देयताएं** | | | | | | | | | **68363.26** | 60103.68 |

**भाग ख - भौगोलिक खण्ड**

भारत में समस्त परिचालनों को एक प्रतिवेदनीय खण्ड माना गया है एवं इसीलिए गौण/ भौगोलिक खण्ड को आवश्यक नहीं समझा गया है।

## 34. लेखा मानक - 18 - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के 'सम्बन्धित पक्ष प्रकटीकरण' सम्बन्धी पैरा 9 के अनुसार, बैंक के राज्य नियन्त्रित उपक्रम होने के कारण अन्य राज्य नियन्त्रित उपक्रमों के साथ सम्बन्धों एवं संव्यवहारों के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। तथापि, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 18 के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से निम्नलिखित को बैंक द्वारा सम्बन्धित पक्ष समझा गया:

i) प्रबन्ध निदेशक को सम्मिलित करते हुए सभी पूर्णकालिक निदेशक (नामांकित निदेशक के अलावा)

| क्र.सं. | नाम एवं पद | वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक 01.04.2011 से 31.03.2012 | | 31.03.2012 को बैंक को देय राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री शिव कुमार<br>प्रबन्ध निदेशक | वेतन एवं भत्ते: | ₹ 19,93,284.00 | शून्य |
| 2. | श्री सुप्रतीक चटर्जी<br>पूर्व प्रबन्ध निदेशक | वर्ष 2010-11 के लिये निष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन | ₹ 3,60,753.00 | शून्य |
| 3. | श्री अरूण शण्डिल्य<br>पूर्व प्रबन्ध निदेशक | वेतन पुनरीक्षण पर बकाया भुगतान | ₹ 1,48,168.00 | शून्य |
| 4. | श्री टी.सी.ए. रंगनाथन<br>पूर्व प्रबन्ध निदेशक | वर्ष 2010-11 के लिये निष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन<br>वेतन पुनरीक्षण पर बकाया भुगतान<br>कुल | ₹ 7,671.00<br>₹ 44,566.00<br>₹ 52,237.00 | शून्य |

**Allocation of Income and Expenses and Assets/Liabilities:**

a) Income and Expenses and Assets/Liabilities directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Items that are not directly attributable to segments are allocated to retail and wholesale segments in proportion to the business managed / ratio of number of employees/ ratio of directly attributable income.

The bank has certain common assets /liabilities and income / expense that cannot be attributed to any particular segment and hence the same are treated as unallocated.

## PART - A: BUSINESS SEGMENTS

(₹ in crore)

| Particulars | BUSINESS SEGMENTS | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Treasury | | Corporate/ Wholesale Banking | | Retail Banking | | Other Banking Operations | | | |
| | **Current Year** | Previous Year | **Current Year** | Previous Year | **Current Year** | Previous Year | **Current Year** | Previous Year | **Current Year** | Previous Year |
| Revenue | **1212.77** | 1050.42 | **3258.71** | 2320.37 | **3707.11** | 3101.18 | **--** | -- | **8178.59** | 6471.97 |
| Less: Inter Segment Revenue (Unallocated) | | | | | | | | | **1288.26** | 1035.79 |
| Income from Operations | | | | | | | | | **6890.33** | 5436.18 |
| Result | **-176.89** | -24.50 | **578.25** | 426.21 | **657.83** | 569.61 | **--** | -- | **1059.19** | 971.32 |
| Unallocated Expenses | | | | | | | | | **148.52** | 146.92 |
| Operating Profit (Profit before tax) | | | | | | | | | **910.67** | 824.40 |
| Provision for Taxes | | | | | | | | | **258.64** | 273.52 |
| Extra-ordinary profit/loss | | | | | | | | | **--** | -- |
| Net Profit | | | | | | | | | **652.03** | 550.88 |
| Segment Assets | **17465.36** | 14057.30 | **31886.28** | 27787.12 | **22953.71** | 20953.00 | **--** | -- | **72305.35** | 62797.42 |
| Unallocated Assets | | | | | | | | | **222.79** | 157.07 |
| **Total Assets** | | | | | | | | | **72528.14** | 62954.49 |
| Segment Liabilities | **17469.33** | 14011.77 | **28269.58** | 25290.69 | **20350.19** | 19070.56 | **--** | -- | **66089.10** | 58373.02 |
| Unallocated Liabilities | | | | | | | | | **2274.16** | 1730.66 |
| **Total Liabilities** | | | | | | | | | **68363.26** | 60103.68 |

## PART B: GEOGRAPHIC SEGMENT

The entire Indian Operations are being treated as a single reportable segment and hence secondary / geographic segment is not considered necessary.

## 34. AS-18 : Related party disclosures

As per para 9 of the Accounting Standard 18 issued by the ICAI on "Related party disclosures" the Bank, being a state controlled enterprise is not required to make disclosures of related party relationships with other state controlled enterprises and transactions with such enterprises. However, the Bank has considered the following as related parties for the purpose of disclosure under AS-18 issued by the ICAI:

i) All whole time Directors on the Board including Managing Director (excluding Nominee Director).

| S. No. | Name & designation | Remuneration paid during the year 01.04.2011 to 31.03.2012 | | Amounts due to the bank as at 31.03.2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Shiva Kumar<br>Managing Director | Salary & Allowances | ₹ 19,93,284.00 | Nil |
| 2. | Shri Supratik Chatterjee<br>Ex Managing Director | Performance Linked Incentive for the Year 2010-11 | ₹ 3,60,753.00 | Nil |
| 3. | Shri Arun Shandilya<br>Ex Managing Director | Arrear on account of wage revision | ₹ 1,48,168.00 | Nil |
| 4. | Shri T.C.A. Rangnathan<br>Ex Managing Director | Performance Linked Incentive for the Year 2010-11 | ₹ 7,671.00 | Nil |
| | | Arrear on account of wage revision | ₹ 44,566.00 | |
| | | Total | ₹ 52,237.00 | |

ii) उक्त मद (i) में सन्दर्भित सभी निदेशकों के सम्बन्धी — शून्य

iii) उक्त मद (i) में सन्दर्भित निदेशकों के स्वयं के स्वामित्व के उपक्रमों की सूची — शून्य

इसके अतिरिक्त लेखा मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक सम्बन्धी संव्यवहारों का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त वर्णित सम्बन्धित पक्षों के साथ गैर-बैंकिंग लेनदेन निम्नानुसार है:

| सम्बन्धित पक्ष का नाम | सम्बन्धित पक्ष का विवरण | लेनदेन |
|---|---|---|
| कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

**35. एएस-19 पट्टा:**

कम्पनी की परिचालित पट्टों के संबंध में महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थायें, जैसे संक्रिया इकाइयाँ, कार्यालय, आवास इत्यादि हैं। ये पट्टे सामान्य एक वर्ष के अधिक या लम्बी अवधि (समाप्त पट्टा के अलावा) के लिये होते हैं जो निरस्तीकरण योग्य होते हैं सामान्यत: आपसी सहमति से पारस्परिक सहमति योग्य शर्तो पर नवीनीकरण योग्य होते हैं। कुल देय पट्टा किराया लाभ हानि खाते में किराया के रूप में प्रभारित किया गया है।

**36. लेखा मानक-20 : प्रति शेयर अर्जन**

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| मूल अर्जन प्रति शेयर (₹. में) | 95.05 | 101.53 |
| अवमिश्रित अर्जन प्रति शेयर ( ₹. मे) | 95.05 | 101.53 |
| **मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना** | | |
| • समता शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के पश्चात् शुद्ध लाभ (₹.लाखों में) | 65203 | 55088 |
| • समता शेयरों की भारित औसत संख्या | 68600000 | 54256081 |
| • मूल अर्जन प्रति शेयर (₹. में) | 95.05 | 101.53 |
| • अवामिश्रित अर्जन प्रति शेयर (₹. में) | 95.05 | 101.53 |
| • प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹. में) | 10.00 | 10.00 |

**37. लेखा मानक 21 - समेकित वितीय विवरण**

बैंक की कोई समनुषंगी/सहयोगी इकाई नहीं है अत: इस बाबत सूचना शून्य है।

**38. लेखा मानक 22 - आस्थगित कर**

**31.03.2012 को आस्थगित कर आस्ति/दायित्व में शामिल घटक निम्नानुसार है:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| **आस्थगित कर आस्ति** | | |
| डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | **0.00** | 0.00 |
| अन्य प्रावधान | **11.80** | 7.46 |
| सेवा निवृत्ति हेतु प्रावधान | **61.23** | 54.21 |
| अन्य कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान | **5.65** | 4.83 |
| लेखा मानक - 15 (संशोधित 2005) को लागू करने से उत्पन्न संक्रमण कालीन दायित्वों से बनी आस्थगित कर आस्तियां | **42.54** | 42.52 |
| **योग** | **121.22** | 109.02 |
| **आस्थगित कर दायित्व** | | |
| उपचित, लेकिन अदेय ब्याज | **126.77** | 98.49 |
| स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास | **0.85** | 1.71 |
| **योग** | **127.63** | 100.20 |
| **शुद्ध आस्थगित कर आस्ति/( दायित्व )** | **(6.41)** | 8.82 |

ii) Relatives of the Directors referred to in item (i) above. NIL

iii) List of enterprises owned by the Directors referred to in item (i) above. NIL

Further in terms of the paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed. The non-banking transactions with the aforesaid parties are, as under:

| NAME OF THE TRANSACTING RELATED PARTY | DESCRIPTION OF THE RELATED PARTY | TRANSACTIONS |
|---|---|---|
| NIL | NIL | NIL |

**35. AS-19: Leases:**

The company's significant leasing arrangements are in respect of operating leases for premises like operational units, offices, residences etc. These leases, which are not non-cancelable are generally for more than one year or for longer periods (except expired leases) and are usually renewable by mutual consent on mutually agreeable terms. The aggregate lease rentals payable are charged as rent to P&L accounts.

**36. AS-20: Earnings per Share**

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Basic EPS (in ₹.) | 95.05 | 101.53 |
| Diluted EPS (in ₹.) | 95.05 | 101.53 |
| Calculation of Basic EPS | | |
| • Net Profit after Tax available for Equity share holders (₹. in lacs) | 65203 | 55088 |
| • Weighted average number of equity shares | 68600000 | 54256081 |
| • Basic earnings per share (in ₹. ) | 95.05 | 101.53 |
| • Diluted earnings per share (in ₹. ) | 95.05 | 101.53 |
| • Nominal Value per share (in ₹.) | 10.00 | 10.00 |

**37. AS-21: Consolidated Financial Statement**

Bank has no Subsidiary/Associates hence the information in this regard is 'NIL'.

**38. AS-22: Deferred Taxes**

The components of deferred tax asset/liability as on 31.03.2012 are as under

(₹ in crore)

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| **Deferred Tax Assets** | | |
| Provision for Bad & Doubtful debts | **0.00** | 0.00 |
| Other Provisions | **11.80** | 7.46 |
| Provision for Retirement Benefits | **61.23** | 54.21 |
| Provision for other stuff benefits | **5.65** | 4.83 |
| DTA created out of transitional liabilities arising due to implementation of AS-15 (Revised 2005) | **42.54** | 42.52 |
| **Total** | **121.22** | 109.02 |
| **Deferred Tax Liabilities** | | |
| Interest accrued but not due | **126.77** | 98.49 |
| Depreciation on Fixed Assets | **0.85** | 1.71 |
| **Total** | **127.63** | 100.20 |
| **Net Deferred Tax Asset/(Liability)** | **(6.41)** | 8.82 |

**39. AS-23 : Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements**

**39. लेखा मानक - 23 : समेकित वित्तीय विवरणो में सहयोगी कंपनियो में निवेशो के लिए लेखांकन**

बैंक की कोई समनुषंगी/सहयोगी इकाई नहीं है, अत: इस बाबत सूचना शून्य है।

**40. लेखा मानक - 24 : परिचालन समाप्त करना**

परिचालन की समाप्ति के परिणाम स्वरूप बैक द्वारा आस्तियों की प्राप्ति तथा देयताओं में कोई कटौती नहीं हुई है तथा न ही किसी परिचालन को समाप्त करने के निर्णय जिसमें उपर्युक्त प्रभाव होगा, को बैक ने अंतिम रूप दिया है।

**41 लेखा मानक - 26 : अमूर्त आस्तियाँ**

सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर का अविभाज्य भाग है, स्थाई सम्पत्तियों सहित राशि ₹ 0.97 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹0.58 करोड़) के अलावा कोई अमूर्त आस्तियां नहीं हैं।

**42. लेखा मानक - 28 : आस्तियों में क्षरण**

प्रबंधन के विचार में, बैंक की किसी आस्ति में क्षरण नहीं हुआ है जिस पर लेखामानक 28 ''आस्तियों में क्षरण'' लागू होता है।

**43. लेखा मानक -29 : प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियों का विवरण**

(क) समाश्रित दायित्वों हेतु बनाए प्रावधान का संचलन (₹ करोड़ में)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| अथ शेष | 22.97 | 182.66 |
| वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई राशियाँ | 15.96 | 0.71 |
| वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशियाँ | 0 | 136.03 |
| वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन | 2.56 | 24.37 |
| इति शेष | 36.37 | 22.97 |

**(ख) अनुसूची 12 के अंतर्गत आकस्मिक देयताएं**

दर्शाये गए दायित्व न्यायालय/पंचनिर्णय/न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निस्तारण, माँगी गई राशि, संविदागत बाध्यताओं, सम्बधित पक्षकारों द्वारा की गई माँग एवं प्रगति पर आधारित है।

**44. 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण**

**('000 को छोड़ दिया गया है)**

| | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| क. | परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह | **(18247292)** | 22046635 |
| ख | निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह | **(464220)** | (674795) |
| ग | वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह | **2786163** | (2719426) |
| | नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन | **(15925349)** | 18652414 |
| घ | वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य | **60468659** | 41816245 |
| ड़ | वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य (क+ख+ग+घ) | **44543310** | 60468659 |
| **क.** | **परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह** | | |
| | कर पूर्व निवल लाभ | **9106740** | 8244031 |
| | समायोजन : | | |
| | मूल्यह्रास प्रभार | **538239** | 573855 |
| | संदिग्ध एवं डूबत ऋणों के लिए प्रावधान (चलन प्रावधान सहित) | **4795864** | 2983924 |

Bank has no Subsidiary/Associates hence the information in this regard is 'NIL'.

**40. AS-24: Discontinuing Operations**

There has been no discontinuation of operations that has resulted in shedding of liability and realization of the assets by the Bank or decision to discontinue an operation, which will have the above effect, has been finalized by the Bank.

**41. AS-26: Intangible Assets**

There are no intangible assets except Software forming integral part of hardware included under Fixed Assets amounting to ₹. 0.97 crore ( prev. Year ₹. 0.58 crore)

**42. AS-28: Impairment of Assets**

In the opinion of the Management, there is no impairment to the Assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

**43. AS-29: Statement of Provisions, Contingent liability & Contingent Assets**

**A) Movement of provisions for contingent liabilities**

(₹ in crore)

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Opening Balance | 22.97 | 182.66 |
| Provided during the year | 15.96 | 0.71 |
| Amount used during the year | 0 | 136.03 |
| Reversed during the year | 2.56 | 24.37 |
| Closing Balance | 36.37 | 22.97 |

**B) Under Schedule 12 on Contingent Liabilities**

Such liabilities are dependent upon the outcome of Court/arbitration/out of Court settlement, disposal of appeals and the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties.

**44. Statement of cash flow for the year ended 31st March 2012**

'000 omitted

| | | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| A. | CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES | **(18247292)** | 22046635 |
| B. | CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES | **(464220)** | (674795) |
| C. | CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES | **2786163** | (2719426) |
| | NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS | **(15925349)** | 18652414 |
| D. | CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR | **60468659** | 41816245 |
| E. | CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR (A+B+C+D) | **44543310** | 60468659 |
| **A.** | **CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES** | | |
| | Net Profit before taxes | **9106740** | 8244031 |
| | Adjustment for : | | |
| | Depreciation Charges | **538239** | 573855 |
| | Provision for Bad & Doubtful Debts (including floating provisions) | **4795864** | 2983924 |

'000 omitted

( '000 को छोड़ दिया गया है )

| | | चालू वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | **641850** | | 285870 | |
| | निवेशों पर मूल्यह्रास/परिशोधन | **235123** | | 36715 | |
| | पट्टा समानीकरण | **0** | | 0 | |
| | अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान | **216400** | | 213800 | |
| | बोनस व अन्य कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान | **341600** | | 19300 | |
| | वेतन बकाया का प्रावधान | **0** | | (243259) | |
| | अन्य प्रावधान | **116568** | | 95203 | |
| | | **15992385** | | 12209439 | |
| | घटाया–प्रत्यक्ष कर | **1841018** | | 1739805 | |
| | उप–योग | | **14151367** | | 10469634 |
| | समायोजन : | | | | |
| | जमा राशियों में वृद्धि/ (कमी) | | **77197665** | | 77934815 |
| | उधार राशियों में वृद्धि/ (कमी) | | **(589356)** | | 388478 |
| | निवेशों में (वृद्धि)/ कमी | | **(31722804)** | | 761270 |
| | अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी | | **(85182719)** | | (63286543) |
| | अन्य दायित्वों में वृद्धि/ (कमी) | | **5168795** | | 5069333 |
| | अन्य सम्पतियों में (वृद्धि)/ कमी | | **2729761** | | (9290352) |
| | परिचालन कार्यकलापों द्वारा प्रदत्त निवल नकदी | | **(18247292)** | | 22046635 |
| **ख.** | **निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह** | | | | |
| | स्थिर आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी | **(464220)** | | (674795) | |
| | निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी | | **(464220)** | | (674795) |
| **ग.** | **वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह** | | | | |
| | संदत्त लाभांश | **(744687)** | | (1250276) | |
| | अधीनस्थ बंधपत्रों पर ब्याज | **(1469150)** | | (1469150) | |
| | अधीनस्थ बंधपत्रों का निर्गम | **5000000** | | 0 | |
| | वित्तपोषण कार्यकलापों द्वारा प्रदत्त निवल नकदी | | **2786163** | | (2719426) |
| **घ.** | **वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | | | |
| | हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा सोना सम्मिलित है) | **3185789** | | 3106116 | |
| | भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष | **50582625** | | 33863309 | |
| | बैंकों में शेष तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन | **6700245** | **60468659** | 4846820 | 41816245 |

| | | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Provision for Standard Assets | **641850** | | 285870 | |
| | Depreciation /Amortisation for Investments | **235123** | | 36715 | |
| | Lease Equalistion | **0** | | 0 | |
| | Provision for Leave Encashment | **216400** | | 213800 | |
| | Provision for bonus and Other staff benefits | **341600** | | 19300 | |
| | Provision for wage arrears | **0** | | (243259) | |
| | Other Provisions | **116568** | | 95203 | |
| | | **15992385** | | 12209439 | |
| | Less: Direct Taxes | **1841018** | | 1739805 | |
| | SUB- TOTAL | | **14151367** | | 10469634 |
| | ADJUSTMENT FOR: | | | | |
| | Increase/(Decrease) in Deposits | | **77197665** | | 77934815 |
| | Increase/(Decrease) in Borrowings | | **(589356)** | | 388478 |
| | (Increase)/Decrease in Investments | | **(31722804)** | | 761270 |
| | (Increase)/Decrease in Advances | | **(85182719)** | | (63286543) |
| | Increase/(Decrease) in Other Liabilities | | **5168795** | | 5069333 |
| | (Increase)/Decrease in Other Assets | | **2729761** | | (9290352) |
| | **NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES** | | **(18247292)** | | 22046635 |
| **B.** | **CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES** | | | | |
| | (Increase)/Decrease in Fixed Assets | **(464220)** | | (674795) | |
| | **NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES** | | **(464220)** | | (674795) |
| **C.** | **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES** | | | | |
| | Dividend Paid | **(744687)** | | (1250276) | |
| | Interest on Subordinated Bonds | **(1469150)** | | (1469150) | |
| | Issue of Subordinated Bonds | **5000000** | | 0 | |
| | NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES | | **2786163** | | (2719426) |
| **D.** | **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR** | | | | |
| | Cash in hand (including foreign currency notes and gold) | **3185789** | | 3106116 | |
| | Balances with Reserve Bank of India | **50582625** | | 33863309 | |
| | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | **6700245** | **60468659** | 4846820 | 41816245 |

( '000 को छोड़ दिया गया है )

| | | चालू वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ड.** | **वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य** | | | | |
| | हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा सोना सम्मिलित है) | **3514197** | | 3185789 | |
| | भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष | **39856955** | | 50582625 | |
| | बैंकों में शेष तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन | **1172158** | **44543310** | 6700245 | 60468659 |

**45.** पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक है, पुनर्समूहित एवं पुनर्वगीकृत किया गया है।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| शिव कुमार<br>प्रबन्ध निदेशक | प्रतीप चौधरी<br>अध्यक्ष | श्यामल आचार्य | ए.के. देब | बी. रमेश बाबू |
| ए. करुनानिथि<br>महाप्रबन्धक<br>(कोष, वि.एवं ले., नि.) एवं सीएफओ | अरुण बिसारिया<br>मुख्य महाप्रबन्धक | संजीव शर्मा | भारत रतन | अमरीक सिंह |
| किशोर बाबू सी.पी.<br>उपमहाप्रबन्धक<br>(वित्त एवं लेखा) | | अरुण के. सराफ़ | राजेश टी. मनुबरवाला | |
| | | राजेन्द्र कुमार शाह | डी.के. जैन | |
| | | निदेशक | | |

इसी दिनांक की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वास्ते **एस. डागा एण्ड कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>**(सीए शान्ति लाल डागा)**<br>(स.स.एफ-11617)<br>साझेदार<br>फर्म पंजकरण संख्या 000669 एस | वास्ते **एस.सी.जे. एसोसिएट्स**<br>सनदी लेखाकार<br>**(सीए एस.सी. जैन)**<br>(स.स. 070138)<br>साझेदार<br>फर्म पंजीकरण संख्या 003131 सी | वास्ते **बी. खोसला एण्ड कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>**(सीए विजय के. जैन)**<br>(स.स.070758)<br>साझेदार<br>फर्म पंजकरण संख्या 000205 सी | वास्ते **एस.एल. छाजेड़ एण्ड कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>**(सीए अभय छाजेड़)**<br>(स.स. 079662)<br>साझेदार<br>फर्म पंजीकरण संख्या 000709 सी | वास्ते **एल.यू. कृष्णन एण्ड कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>**(सीए पी.के. मनोज)**<br>(स.स. 207550)<br>साझेदार<br>फर्म पंजीकरण संख्या 001527 एस | वास्ते **अग्रवाल अनिल एण्ड कं.**<br>सनदी लेखाकार<br>**(सीए अनिल अग्रवाल)**<br>(स.स. 082103)<br>साझेदार<br>फर्म पंजीकरण संख्या 003222 एन |

मुम्बई, अप्रैल 20, 2012

'000 omitted

| | | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E.** | **CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE YEAR** | | | | |
| | Cash in hand (including foreign currency notes and gold) | **3514197** | | 3185789 | |
| | Balances with Reserve Bank of India | **39856955** | | 50582625 | |
| | Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | **1172158** | **44543310** | 6700245 | 60468659 |

**45.** Previous year's figures have been regrouped and reclassified wherever necessary to make these comparable with the current year's figures.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SHIVA KUMAR<br>Managing Director | PRATIP CHAUDHURI<br>Chairman | SHYAMAL ACHARYA | A.K. DEB | B. RAMESH BABU |
| A. KARUNANITHI<br>GENERAL MANAGER<br>(TRY., F&A, INSP.) & CFO | ARUN BISARIA<br>Chief General Manager | SANJEEV SHARMA | BHARAT RATTAN | AMRIK SINGH |
| KISHOR BABU C. P.<br>DY. GENERAL MANAGER<br>(FINANCE & ACCOUNTS) | | ARUN K. SARAF | RAJESH T. MANUBARWALA | |
| | | RAJENDRA KUMAR SHAH | D.K. JAIN | |

Directors

As per our separate report of even date

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **For S. DAGA & CO.**<br>Chartered Accountants<br>**(CA SHANTI LAL DAGA)**<br>(M.No. F-11617)<br>PARTNER<br>Firm Reg. No.000669 S | **For S.C.J. ASSOCIATES**<br>Chartered Accountants<br>**(CA S.C. JAIN)**<br>(M. No.070138)<br>PARTNER<br>Firm Reg. No. 003131 C | **For B. KHOSLA & CO.**<br>Chartered Accountants<br>**(CA VIJAY K. JAIN)**<br>(M. No.070758)<br>PARTNER<br>Firm Reg. No. 000205 C | **For S.L. CHHAJED & CO.**<br>Chartered Accountants<br>**(CA ABHAY CHHAJED)**<br>(M. No.079662)<br>PARTNER<br>Firm Reg. No. 000709 C | **For L.U. KRISHNAN & CO.**<br>Chartered Accountants<br>**(CA P.K. MANOJ)**<br>(M. No.207550)<br>PARTNER<br>Firm Reg. No. 001527 S | **For AGARWAL ANIL & CO.**<br>Chartered Accountants<br>**(CA ANIL AGRAWAL)**<br>(M. No. 082103)<br>PARTNER<br>Firm Reg. No. 003222 N |

MUMBAI, April 20, 2012

पत्रकार सम्मेलन में बैंक की प्रबन्ध समिति वर्ष 2011-12 के वित्तीय परिणामों पर प्रकाश डालते हुए।

The Bank's Management Committee at a Press Conference highlighting Financial Results for the year 2011-12.

# प्रबन्ध समिति के सदस्य
# MEMBERS OF THE MANAGEMENT COMMITTEE

**श्री शिव कुमार**
प्रबन्ध निदेशक
**Shri Shiva Kumar**
Managing Director

**श्री अरुण बिसारिया**
मुख्य महाप्रबन्धक
**Shri Arun Bisaria**
Chief General Manager

**श्री एस. के. भसीन**
महाप्रबन्धक
(सू.प्रो.एवं जोखिम प्रबंधन), समूह कार्यपालक
(वैयक्तिक बैंकिंग) एवं मुख्य जोखिम अधिकारी
**Shri S.K. Bhasin**
General Manager
(IT & Risk Mgmt), Group Executive
(Per. Bkg.) & Chief Risk Offcer

**श्री एच.आर. श्रीवास्तव**
महाप्रबन्धक, समूह कार्यपालक (निगमित बैंकिंग)
एवं मुख्य साख अधिकारी
**Shri H.R. Srivastava**
General Manager, Group Executive (Corp. Bkg.)
& Chief Credit Offcer

**डॉ वि. सुरेष बाबू**
महाप्रबन्धक (परिचालन) तथा निगमित
विकास अधिकारी
**Dr. V. Suresh Babu**
General Manager (Operations) &
Corporate Development Offcer

**श्री ए. करूनानिथि**
महाप्रबन्धक (कोष, वित्त व लेखा एवं निरीक्षण)
एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
**Shri A. Karunanithi**
General Manager (Try. F&A. Insp.) &
Chief Financial Offcer

**श्री जे. के दुबे**
महाप्रबन्धक एवं समूह कार्यपालक
(कृषि एवं एमएसएमई)
**Shri J.K. Dube**
General Manager & Group Executive
(Agri & MSME)

**श्री निर्मल जोशी**
महाप्रबन्धक (सतर्कता)
**Shri Nirmal Joshi**
General Manager (Vigilance)

Designed by : Apex Advertising, Printed by : Aravali Printers

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR

Leading Innovations

Simplifying Banking